नवम माला, खंड 5, अंक 38

गुरुवार, 10 मई, 1990
20 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

IAMENT L ARY
No. 62
Date 12/12/90

(खण्ड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 10 मई, 1990/20 वैशाख, 1912 (शक)

का

<u>शुद्धि-पत्र</u>

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
4	नीचे से 5	"श्री बब्नराव ठाकणे" के स्थान पर "श्री बब्नराव ढ़ाकणे" पढ़िये ।
10	15	"श्री गा बेराम" के स्थान पर "श्री बेगाराम" पढ़िये ।
35	13	"श्री कैलास मेघवाल" के स्थान पर "श्री कैलाश मेंघवाल" पढ़िये ।
38	17	"श्री भगाराज मल्लिक" के स्थान पर "श्री मंगाराज मल्लिक" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 38, गुरुवार, 10 मई, 1990 /20 वैशाख, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या : 760, 764, 774 और 776 . . .	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	18-172
तारांकित प्रश्न संख्या : 761 से 763, 765 से 773, 775, 777 और 778 . . .	18-35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8026 से 8123, 8125 से 8203 और 8205 से 8216 . . .	35-172
विशेषाधिकार का प्रस्ताव	172-177
श्री गंगा चरण लोधी	173-174
श्री राम नाईक	174
श्री सुबोध कान्त सहाय	174
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	174
श्री पी० सी० थामस	174-175
श्री समरेन्द्र कुन्डू	175
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	175
श्री सन्तोष भारतीय	175-176
श्री सत्यनारायण जटिया	176
श्री भवानी शंकर होटा	176
श्री मदन लाल खुराना . . .	176
श्रीमती गीता मुखर्जी	177
श्री गुमान मल लोढा	177
सभा पटल पर रखे गए पत्र	177-179

* किसी सदस्य के नाम पर + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	179
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	179
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	191-208
फिजी में भारतीय मूल के फिजीवासियों का कथित उत्पीड़न	
श्री विजय कुमार मल्होत्रा . . .	191, 193-197
श्री हरि किशोर सिंह	192-193, 205-207
श्री ईश्वर चौधरी	197-198
श्री यादवेन्द्र दत्त	198-201
श्री छविराम अर्गल	201-202
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	202-204
श्री समरेन्द्र कुन्डू . . .	204
नियम 377 के अधीन मामले	209-210
(एक) बिहार में किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी एजेंटों की बढ़ती हुई जासूसी गतिविधियों को रोकने की मांग	
श्री राधा मोहन सिंह	209
(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता की सहायक कंपनी "बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड" के अधीन चलने वाली "रिफ्रैक्टरीज एण्ड सिरेमिक यूनिट्स, कलकत्ता" के प्रबन्धकों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कामगारों को पूर्ववर्ती प्रभाव से अन्तरिम राहत दिए जाने के लिए निदेश दिए जाने की मांग	
श्री हाराधन राय	209-210
(तीन) ओरिएन्ट पेपर मिल, ब्रजराजनगर (उड़ीसा) से ईब नदी में होने वाले निःस्राव को रोके जाने की मांग	
श्री बालगोपाल मिश्र	210
(चार) शालीमार टार प्रोडक्ट्स (1935) लिमिटेड, लोदना (बिहार) का प्रबन्ध ग्रहण किए जाने की मांग	
श्री ए० के० राय	210

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 211-256, 258-263

जल संसाधन मंत्रालय

और

कृषि मंत्रालय

श्री कल्याण सिंह कालवी 211-220

श्रीमती वसुन्धरा राजे 220-223

डा० दौलतराव सोनूजी अहेर 223-225

श्री मू० विजयकुमार राजू 225-228

श्री विद्याधर गोखले 228-230

श्री रामदास सिंह 230-232

श्री एम० सेल्वा रासू 232-233

श्री राजदेव सिंह 233-234

डा० असीम बाला 234-236

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख 236-238

श्री पी० सी० थामस 238-240

श्री प्रभातसिंह चौहान 240-343

श्री जनार्दन तिवारी 243-245

श्री तेज नारायण सिंह 245-247

श्री जोरावर राम 247-250

श्री ए० अशोकराज 250-252

श्री चन्द्रेश पटेल 253-254

श्री सैयद मसूदल हुसैन 254-259

श्री हीरा भाई 260-263

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान, जिसका प्रभाव आन्ध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा तमिलनाडु और पांडिचेरी के कुछ भागों पर हुआ, से उत्पन्न स्थिति

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा 256-258

कार्य-मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत 260

लोक सभा

गुरुवार, 10 मई, 1990 / 20 वैशाख 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत

[अनुवाद]

*760. **श्री बाल गोपाल मिश्र** : क्या विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की यात्रा के परिणाम के बारे में 5 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3659 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के बीच हुई राजनीतिक और आर्थिक चर्चा का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है।

विवरण

कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री की मार्च 15-17, 1990 तक भारत की यात्रा के दौरान हाल ही के अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों पर और क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था।

2. कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री ने कोरिया गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच संबंधों के हाल के विकास की विस्तृत समीक्षा की।

3. भारत ने उत्तर-दक्षिण कोरिया के बीच शांतिपूर्ण विचार-विमर्श के जरिए कोरिया प्रायद्वीप के पुन: एकीकरण के लिए अपना समर्थन दोहराया। कोरिया गणराज्य ने बहुपक्षीय निकाय जैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका की प्रशंसा की।

4. द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार और वाणिज्यिक सम्बन्धों पर सन्तोष व्यक्त किया। इस बात पर सहमति हुई कि इन क्षेत्रों के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी विद्यमान संबंधों को और सुदृढ़ किया जाएगा।

श्री बालगोपाल मिश्र : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उन्होंने क्षेत्रीय द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप में जानना चाहूंगा कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों कोरिया देशों के पुनः एकीकरण हेतु क्या कदम उठाये हैं क्योंकि भारत सर्वदा सांस्कृतिक एकता को बनाये रखने में तथा अन्य देशों की अखंडता और प्रभुसत्ता के लिये संघर्ष करता रहा है। अतः क्या भारत सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उठाया है अथवा कोई मंच बनाया है जहां पर अन्तर्राष्ट्रीय राय तैयार की जा सके ?

अन्य देशों के साथ हुई चर्चाओं का भी यहां उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि, क्या रूस में अभी हाल ही में नई शासन प्रणाली तथा अलगाववाद के सम्बन्ध में हुई गतिविधियों के बारे में अमरीका के दृष्टिकोण पर क्या कोई चर्चा की गई है जो कि अमरीका के पक्ष में है ? उसके बारे में क्या उन्होंने कोई चर्चा की है ? कोरिया का तथा भारत का इस बारे में क्या मत है ? क्या उस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जहां तक कोरिया जनता की पुनः एकीकरण की इच्छा का सम्बन्ध है, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। मैं सोचता हूं कि जो प्रयत्न वे कर रहे हैं उसका एक दिन लाभ होगा तथा वे एक हो जायेंगे।

जहां तक मेरे तथा उनके बीच चर्चा का सम्बन्ध है, हमने विश्व में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यह स्वाभाविक है कि रूस में होने वाले परिवर्तनों पर भी हमने चर्चा की।

श्री बालगोपाल मिश्र : जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के मामले में अमरीका का दृष्टिकोण नितान्त अनोखा है। कभी तो अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की निन्दा करता है तथा दूसरे ही दिन वे अमानुल्ला खां जैसे व्यक्ति को आश्रय तथा सुरक्षा दे रहे हैं। क्या इन सभी बातों पर विशेष रूप से कश्मीर के मामले में कोरिया के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई है ?

द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा व्यापार के बारे में भी जिक्र किया गया है। उस चर्चा में क्या उड़ीसा में स्थित दूसरे इस्पात संयंत्र पर भी चर्चा की गई थी ? यदि उस राज्य में दूसरे इस्पात संयंत्र पर भी चर्चा की गई है तब कोरियन सरकार ने इस बारे में क्या आश्वासन दिया है ?

क्या द्विपक्षीय भुगतान तथा व्यापार संतुलन की स्थिति के सम्बन्ध में कोई ठोस चर्चा की गई थी। अमरीका के नये आर्थिक उपनिवेशवाद के बारे में कोरिया सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप इस बात से सहमत होंगे कि मेरे माननीय मित्र ने पूरे प्रश्न को अत्यन्त व्यापक रूप दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने मंत्रालय से सम्बद्ध प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जहां तक कोरिया के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्धों का सवाल है, वर्तमान व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नहीं है। अतः मैंने अपने मित्र अर्थात् कोरिया के विदेश मंत्री पर यह जोर डालने का प्रयत्न किया कि वह इस मामले को इस तरीके से देखने का प्रयत्न करें जिससे कि भारत से निर्यात बढ़ जाये। हमारी उनके साथ कुछ संयुक्त परियोजनायें हैं। इस्पात

संयंत्र के सम्बन्ध में चर्चा अभी भी प्रारम्भिक चरण में है। अतएव इस पर चर्चा करना संभव नहीं हो सका।

जहां तक अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों पर चर्चा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि अमरीका और हमारे बीच में यह द्विपक्षीय मामला है जिस पर हम कभी भी तीसरे देशों के साथ चर्चा करना पसन्द नहीं करेंगे।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

*764. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में वर्षवार, कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) सभी पंजीकृत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे, और

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र में दूर-संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :

(क)	1987-88	—	56757
	1988-89	—	67618
	1989-90	—	91864

(ख) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को 8वीं योजना के दौरान निपटाने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

(ग) 1990-95 की अवधि के लिए आधुनिकीकरण का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें निम्नलिखित को शामिल करने पर विचार किया गया है :

(i) सभी स्थानीय मैनुअल एक्सचेंजों को ऑटोमैटिक बनाना।

(ii) जिन उपस्करों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, या जो पुराने पड़ गए हैं अथवा जो बेकार हो गए हैं, उन सभी को बदलना।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर शामिल करना।

(iv) भूमिगत केबिलों को नलिकाओं में बिछाना।

इसके अलावा, 1990-91 के दौरान, बम्बई में डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर की 1 लाख से अधिक लाइनें जोड़ने तथा शेष महाराष्ट्र में बड़े और छोटे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में लगभग 40,000 लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, अनेक शहरों के बीच फाइबर आप्टिक और डिजीटल माइक्रोवेव संपर्कों की योजना भी बनाई गई है।

श्री हरि शंकर महाले : मान्यवर, "ख" भाग के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्रतीक्षा सूची आठवीं योजना में निपटायी जाएगी। इसमें ग्रामीण विभाग की कितनी प्रतीक्षा सूची

है और शहर की कितनी प्रतीक्षा सूची है ? नासिक शहर की कितनी प्रतीक्षा सूची है ? इन सूचियों को निपटाने के लिए निश्चित रूप से कितना समय लगेगा ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, नासिक शहर की प्रतीक्षा सूची 4292 है। मेरे ख्याल में अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको निपटा दिया जाएगा।

श्री हरि शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें ग्रामीण विभाग की कितनी प्रतीक्षा सूची है और शहर की कितनी प्रतीक्षा सूची है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करके माननीय सदस्य को बाद में बता देंगे।

श्री हरि शंकर महाले : अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर की आबादी 3 लाख है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में डिजीटल सिस्टम चालू करने के लिए 9 वर्ष से काम शुरू है, किन्तु अभी तक डिजीटल सिस्टम चालू नहीं हुआ है। डिजीटल सिस्टम कब चालू होगा ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मालेगांव में मैनुअल सिस्टम चलता है, अगले साल से वहां क्रोस-बार सिस्टम चालू हो जाएगा। हम समझते हैं कि इनके सवाल का जवाब आ जाएगा।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे कि बम्बई में कुछ टेलीफोन एक्सचेंज जिनके लिए महानगर टेलीफोन निगम ने बता दिया है कि ये आउट-डेटिड हो चुके हैं, ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजिस में चैम्बूर का टेलीफोन एक्सचेंज भी आता है जिसके लिए 11 मार्च की मीटिंग आयोजित करके टेलीफोन यूजर्स कमेटी में वहां के जनरल मैनेजर ने बता दिया कि यह एक्सचेंज आउट-डेटिड हो चुका है और ठीक से काम नहीं करता। इतना ही नहीं वहां जो डॉक्टर हैं, स्कूल हैं, रेडियोलोजिस्ट हैं, हार्ट-स्पेसलिस्ट हैं उनके पास भी टेलीफोन ठीक समय पर न लगने के कारण अकस्मात मौतें हो रही हैं। इतनी बार निवेदन आने के बाद भी चैम्बूर का टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज बनाने के लिए कितना समय लगेगा ? यह एक्सचेंज कब तक बन जाएगा ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सारे आउट-डेटिड टेलीफोन एक्सचेंज बम्बई और महाराष्ट्र के बदल दिए जायेंगे।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। टेलीफोन के बजट शेडयूल्ड में चैम्बूर एक्सचेंज 1991-92 के बजट में बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है। मैं रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि 1991-92 में नहीं इससे पहले चैम्बूर के टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज बनायेंगे या नहीं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इसके पहले भी कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी उसी अवधि में जाएगा।

श्री बबनराव ढाकने : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बीड़ डिस्ट्रिक्ट है वहां अभी तक एस.टी.डी. की सुविधा चालू नहीं हुई है। यह सुविधा कब तक चालू होने वाली है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति है कि सभी जिला हैड-क्वार्टरस पर एस.टी.डी. की सुविधा दी जाएगी। लेकिन बीड़ जिला नया बना है, वहां यह सुविधा नहीं दी जा सकी है। एस.टी.डी. की सुविधा वहां जल्दी ही दे दी जाएगी।

श्री बबनराव ढाकणे : बीड नया नहीं है, यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। दो महीने पहले सम्बन्धित मंत्री को मैंने एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि खाली एस.टी.डी. का वर्किंग शुरू होना बाकी है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कुल तीन जिले हैं जिनमें बीड और बुलढाना नये जिले बने हैं। जो पुराने जिले हैं वहां एस.टी.डी. सुविधा पहले से है, इन जिलों में भी जल्दी दे दी जाएगी।

श्री नाथू सिंह : आज कांग्रेस वाले आत्मालोचन कर रहे हैं इसलिए वे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दल को रहना चाहिए। कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे हैं इस पर खुशी नहीं होनी चाहिए। विरोधी दल के बगैर हाउस कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : उनका बहुत अच्छा प्रयोग है। हमें उन पर दोष नहीं लगाना चाहिये ···**(व्यवधान)**

जो टेलीफोन लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही हैं उन्हें काफी दूरी तक के क्षेत्र को कवर करना है क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज काफी दूर हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों के लिये टेलीफोन लगने में होने वाले भारी खर्च के कारण टेलीफोन कनैक्शन लेना काफी कठिन हो रहा है। लम्बी दूरी के कारण उनसे अधिक पैसा लिया जाता है। यह उस सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कनैक्शन देना चाहते हैं। क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है तथा क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करेगी ?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाई है उसमें लक्ष्य है कि हम योजना के पूरे होते-होते हर गांव को टेलीफोन से जोड़ देंगे। जहां तक सम्भव होगा ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा सुविधा दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : मेरे प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया गया है। इन मामलों में न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को वरीयता देने की बात है बल्कि प्रश्न इस बात से संबंधित है कि लम्बी दूरी के कारण उनसे भारी राशि वसूल की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : इस बारे में सरकार विचार कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को क्या सुविधा दी जाये।

श्री आरिफ बेग : महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश का बैतूल मेरा चुनाव क्षेत्र है। वहां एस.टी.डी. का नम्बर आपने घोषित कर दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि नम्बर घोषित करने के बावजूद भी अब तक एस.टी.डी. की सुविधा क्यों नहीं दी गई और कब तक आप देने वाले हैं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : बैतूल में एस.टी.डी. की सुविधा एक साल के भीतर दे दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : आज मंत्री जी बहुत उदार हैं।

श्री कालका दास : घोषणा करने के बाद भी एक साल लगेगा।

श्री राम नाईक : मुम्बई शहर में टेलीफोन वालों की लम्बी सूची है और काफी समय से वे प्रतीक्षा में हैं। शहर के नरीमन पाइंट, वर्ली और बान्दरा ऐसे क्षेत्र हैं वहां नये-नये एक्सचेंज दिये जाते हैं और जो विस्तारित उप-नगर हैं वहां पर 1980-81 की एप्लीकेशंस पैंडिंग हैं। 'शहर' में तब तक नये एक्सचेंज नहीं खोले जायें जब तक उप-नगरों का बैंक लॉग पूरा नहीं हो जाये, क्या इस प्रकार का आदेश सरकार महानगर टेलीफोन निगम को देगी ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नये बम्बई के लिए एक स्पेशल फोकस योजना बनाई है जिसमें एक कमेटी बनी है और उसके अध्यक्ष वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। उसने अपनी रिपोर्ट भी दी है जिसमें इस योजना पर 230 करोड़ रुपया लगाये जाने हैं। हम समझते हैं कि उसके बाद नये बम्बई में टेलीफोन की जो जरूरत होगी, वह पूरी हो जायेगी।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मैं नई बम्बई की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र : जो आप पूछ रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं। रह गयी बात कि जो नये एक्सचेंज खोले जा रहे हैं, पुरानी बम्बई के कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए तो खोले ही जायेंगे क्योंकि वेटिंग लिस्ट को पूरा करना है और हम कोशिश करेंगे कि वह सुविधा नई बम्बई में भी मिले।

श्री राम नाईक : मेरा सवाल तो दूसरी जगह पर गया। मैंने नई बम्बई के बारे में सवाल नहीं उठाया। मेरा कहना यह है कि जो एक्सटेंडेड सबर्बज हैं, वहां पर 1980-81 से जो वेटिंग लिस्ट है अर्थात मुम्बई आईलैंड में और नये नये एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। जब तक उप नगरों की वेटिंग लिस्ट पूरी नहीं होती है, तब तक कम से कम आईलैंड मुम्बई में नये एक्सचेंज न खोले जायें। मेरा सवाल यह है कि महा नगर टेलीफोन जो एक स्वायत्त संस्था है, उसको सूचना देंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार 8वीं पंचवर्षीय योजना पर बात कर रहा हूं कि जिस किसी भी एक्सचेंज की क्षमता पांच हजार से ज्यादा होगी, वहां पर जो भी वेटिंग लिस्ट होगी, वह एक साल के अन्दर पूरी कर दी जायेगी। **(व्यवधान)**

श्री सरजू प्रसाद सरोज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र मोहनलाल गंज तहसील जिसमें कावारी है जो एक ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। मोहनलाल गंज व कावारी में एस०टी०डी० की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार वहां एस०टी०डी० की व्यवस्था उपलब्ध करेगी या नहीं और करेगी तो कब तक ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, केवल तहसील हैडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जोड़ने की व्यवस्था है। मोहनलाल गंज तहसील है या नहीं, यह माननीय सदस्य ही बतायेंगे लेकिन जहां तक वहां एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध कराने की बात है तो यह देखा जायेगा कि वहां पर टेलीफोन की कितनी लाइनें हैं और क्या जरूरत पड़ती है, तभी इस बात पर विचार किया जायेगा।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई नया टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहता है तो पन्द्रह हजार रुपये ब्लैक देकर कभी भी ले सकता है, इसको रोकने के लिए तथा उपभोक्ता को हाथ के हाथ एप्लाई करने पर टेलीफोन कनेक्शन मिल

जाये, इसके लिए कोई नयी नीति तय करेगी ? दूसरे, टेलीफोन डिपार्टमेंट द्वारा नागरिकों को एक तरफ कम सुविधायें दी जाती हैं तो दूसरी तरफ "ओवरबिलिंग" करके उनको परेशान किया जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इस दशा को सुधारने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, नये टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए रिश्वत और ओवर बिलिंग इन दोनों मामलों में सतर्कता से जांच की जा रही है और जो कोई भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जायेगा, उसे बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति पन्द्रह हजार रुपया देगा तो उसे कनेक्शन तभी मिल जायेगा और जो लोग 1980-81 से प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ बात बतायी नहीं कि इस त्रुटि को कैसे दूर करेंगे ? **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की कुल आबादी 90 लाख है जिसमें से 60 लाख लोग सब-स्टैन्डर्ड ऐरियाज में रहते हैं । साढ़े छः लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ी कलस्टर्स में रहते हैं और साढ़े नो सौ अन-अथॉराईज्ड कालोनीज हैं, 44 रि-सैटलमेंट्स कालोनीज हैं, जहां पर लगभग 60 लाख लोग रहते हैं । जब आग लग जाती है तो उसके नजदीक कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं होती जिसके कारण वे सूचना जल्दी नहीं कर पाते हैं । मेरा निवेदन यह है कि क्या इन बस्तियों में यानी अनअथाराईज्ड कालोनीज, झुग्गी झोंपड़ी क्लसटर्स, री-सैटलमेंट कालोनीज में कोई पी०सी०ओ० की या इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे जिससे कि वे जल्दी सूचित कर सकें या आकस्मिक दुर्घटना की सूचना पहुंचा सकें ?

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, यह महाराष्ट्र का सवाल है लेकिन आपने सवाल उठाया है......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का मंत्री जी जवाब दें ।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इधर दिल्ली में, कुछ समय से किसी न किसी स्थान पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं । पहले आग केवल गांवों में ही लगा करती थी । सरकार की नीति है कि देश के हर गांव को टेलीफोन से जोड़ा जाये लेकिन साथ-साथ सरकार की यह भी नीति है कि शहरों में रहने वाले लोगों के लिये, हर 500 की आबादी के पीछे एक टेलीफोन जरूर रहना चाहिए और इसी दिशा में हम व्यवस्था कर रहे हैं ।

डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में नासिक सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव सिटी है और औद्योगिक दृष्टि से भी काफी बढ़ रहा है परन्तु नासिक में टेलीफोन व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि दो साल पहले वहां की जनता ने टेलीफोन की प्रेत यात्रा निकाली थी । हमारे यहां सातपुर में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज का काम बहुत दिनों से चल रहा है परन्तु अभी तक अपूर्ण ही है । पंचवटी में इसकी जोरदार मांग की जा रही है नासिक में लगभग सभी टेलीफोन यंत्र या उपकरण आउटडेटिड पड़े हुए हैं । क्या शासन इस ओर ध्यान देकर आवश्यक व्यवस्था करेगा ? मेरा दूसरा

सवाल यह है कि ल्हासलगांव में प्याज सबसे अधिक पैदा होती है, वह महत्वपूर्ण प्याज उत्पादन केन्द्र है। इसे भी एस०टी०डी० की सुविधा से जोड़ने के लिए काफी समय से मांग की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा।

श्री जनेश्वर मिश्र : नासिक शहर के लिए 1991-92 में 7 हजार लाइनों का एक ई०टी०-10 एक्सचेंज लगाया जा रहा है। उसके बाद उनकी दिक्कत दूर हो जायेगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सुधान्त चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि सरकार दूर-संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है। इसी के साथ ही क्या सरकार उन टेलीफोन की कार्य पद्धति में भी सुधार करने की सोच रही है जो पहले ही वहां दिये हुए हैं। कलकत्ता तथा हावड़ा में यह पद्धति शायद बहुत खराब है। उदाहरण के लिए मेरा अपना टेलीफोन ही पिछले तीन महीनों से काम नहीं कर रहा है। आप आसानी से जनता की कठिनाइयों को तथा उसकी दुर्दशा को महसूस कर सकते है। अत: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन स्थानों पर टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए कोई उपाय करेगी?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष जी, मैंने शुरू में ही कह दिया है कि जैसे ही ईक्विपमेंट्स का मोडर्नाइजेशन हो जायेगा, इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज के बाद, आमतौर से टेलीफोन उपभोक्ताओं की इस तरह की शिकायत नहीं रहेगी।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा एरिया है।

अध्यक्ष महोदय : सुमित्रा जी, यह प्रश्न मूलत: महाराष्ट्र से सम्बन्धित है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : लेकिन महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजेज की सुविधा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये जाने के लिए क्या सरकार कोई विचार कर रही है? जैसे महाराष्ट्र के अनेक जगहों में 1982 की वेटिंग लिस्ट चल रही है, वैसे ही हमारे इन्दौर में भी 1982 की वेटिंग लिस्ट चल रही है। मेरी जानकारी के अनुसार इन्दौर के लिए पहले इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जाना सैंक्शन हो चुका था परन्तु उसे अन्य प्रदेश में ले जाया गया। मैं जानना चाहूंगी कि क्या इन्दौर में भी आप शीघ्र इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित करने जा रहे हैं या नहीं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष जी, इसके लिए मुझे अलग से नोटिस की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : उमा जी। आप इसका ध्यान रखिये कि मंत्री महोदय दूसरा नोटिस देने के लिए न कहें, इसलिए आप रैलेवेंट सवाल ही कीजिए।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, हमारा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का ही एक पड़ोसी राज्य है इसलिए कोई बहुत दूर का सवाल नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के गांवों में जो टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गयी है, मैं इसलिए यह सवाल सदन में उठाना चाहती हूं क्योंकि मुझे सामान्यत: प्रत्येक गांव से ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं कि गांवों में जो टेलीफोन लगा होता है,

वह या तो पोस्ट ऑफिस में और कई जगहों पर पोस्ट मास्टर के घर में लगा होता है। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि गांवों में कभी-कभी आपसी झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए आम आदमी पोस्ट मास्टर के घर लगे टेलीफोन का उपयोग करने से वंचित रह जाता है। इससे उस गांव में टेलीफोन की व्यवस्था होना निरर्थक सिद्ध हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि गांवों में जो आप टेलीफोन की सुविधा देते हैं, क्या उसमें ऐसा परिवर्तन लाने पर विचार किया जायेगा कि वह टेलीफोन पोस्ट मास्टर के घर में लगाने के स्थान पर या किसी के घर में लगाने के स्थान पर किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाया जाये ताकि सभी लोग उसका लाभ उठा सकें, प्रयोग में ला सकें।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आमतौर से, खर्चा ज्यादा न पड़े, इसलिए टेलीफोन डाकखाने में लगा दिए जाते हैं। माननीय सदस्या को अगर किसी विशेष जगह के टेलीफोन के मालिक या डाकघर के अफसर से शिकायत हो, तो मुझे वे लिखकर भेजें, उस पर अवश्य कार्रवाई होगी।

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : मैं माननीय मंत्री जी का नई मुंबई में नया टेलीफोन एक्सचेंज बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कल्याण मंडल में एक टेलीफोन एक्सचेंज है जिसे "डिम्बीवाली" कहते हैं। उस टेलीफोन एक्सचेन्ज में उन 5000 से भी ज्यादा व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची है जिन्होंने वर्ष 1978 से नये कनैक्शनों के लिए आवेदन किया है। अगले वर्ष में उन्हें कनैक्शन देने के बारे में आपकी क्या योजना है ?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष जी, कल्याण डिवीजन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के बारे में, मैंने पहले ही बता दिया है कि आठवीं योजना में उसे समाप्त करने की कोशिश की जाएगी।

डा० वेंकटेश काबडे : अध्यक्ष महोदय, यदि देश में खराब टेलीफोन एक्सचेन्जों की प्रतियोगिता हो, तो सबसे ज्यादा खराब टेलीफोन एक्सचेन्ज महाराष्ट्र के नानदेड़ का स्थान प्रथम नंबर पर आएगा। वहां पर मैक्स-वन का काम तीन साल से चल रहा है और उसके तहत अंडर ग्राउण्ड केबल लेईन्ग का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वह केबल बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। यदि यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो बरसात के दिन नजदीक आने वाले हैं, बरसात में पानी भरने से सब केबल खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो क्रॉस-बार टाइप एक्सचेन्ज की सुविधा आप हमें देने जा रहे हैं वह भी आउट-डेटेड हो चुकी है क्योंकि वह इलेक्ट्रोनिक या डिजीटल प्रणाली नहीं है, तो अभी से ही जब इतनी पुरानी प्रणाली वहां लगाई जा रही है, तो उसके अच्छी तरह से काम करने की क्या गारंटी है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे एक साल के अंदर क्रास-बार एक्सचेन्ज को बदलने का प्रयास होगा। अभी जो क्रास-बार पैदा हो रहे हैं, उनको खपाना जरूरी है। एक साल का समय लगेगा। यह मशीन अपने आप पुरानी हो जाएगी और इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री रवि नारायण पाणी : मैं जानता हूं कि यह प्रश्न महाराष्ट्र से संबंधित है। यही कारण है कि मैं आपके माध्यम से तालचेर के संबंध में माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो महाराष्ट्र के बारे में है। आप तालचेर के बारे में कैसे प्रश्न करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रवि नारायण पाणी : तालचेर एक औद्योगिक क्षेत्र है। सरकार ने दो वर्ष पहले एस० टी० डी० नंबर 06765 की मंजूरी दी थी। परन्तु अभी तक यह काम नहीं कर रहा है। क्या यह पहला नम्बर है अथवा इस नम्बर को पहले ही स्वीकृति दे दी गई थी ?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अगर यह एस०टी०डी० नंबर तालचेर में स्वीकृत हो चुका है, और दो साल पहले से स्वीकृत हुआ है तथा अभी तक काम नहीं कर रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि यह काम करे।

श्री बेगा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर के एक तरफ तो पंजाब है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। वहां पर मुसलमान लोग गांवो में चोरी करने आते हैं,······

अध्यक्ष महोदय : आप मुसलमान मत बोलिए, पाकिस्तानी कहिए।

श्री बेगा राम : गांव में कोई टेलीफोन की सुविधा न होने से समय पर वे किसी को खबर नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वहां कब तक टेलीफोन लग जाएगा ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, चोरी करने के लिए तो हिन्दू भी आ सकता है और मुसलमान भी आ सकता है। माननीय सदस्य ने इस शब्द का इस्तेमाल करके इस प्रश्न के साथ अन्याय कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिए पहले ही कह दिया है कि "मुसलमान" मत कहिए, पाकिस्तानी कहिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : सरहदी इलाके में टेलीफोन की व्यवस्था कैसे लागू की जाए, इसके बारे में एक रूपरेखा बन रही है और हम समझते हैं कि वह जल्दी से तैयार होगी और माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में भी फोन लगेगा।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको याद है कि 1992 में उज्जैन में जो मेला होने वाला है, उसमें टेलीफोन की व्यवस्था क्या होगी ? आज जो विद्यमान ऐक्सचेन्ज है उसकी कार्यक्षमता इतनी कम है कि इससे उपभोक्ताओं में असन्तोष है, वहां पर प्रदर्शन भी हुए। जैसाकि मंत्री जी ने बताया, आधुनिक ऐक्सचेन्ज स्थापित करने से लोगों को, उपभोक्ताओं को काफी सुविधा होने वाली है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उज्जैन में ऐक्सचेन्ज स्थापित करने के लिए क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उज्जैन में एक विशेष इलैक्ट्रॉनिक ऐक्सचेंज लग जाएगा। हम समझते हैं कि माननीय सदस्य के प्रश्न की यही मंशा है।

श्री रामकृष्ण यादव : अध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के पास बहुत टलीफोन लगे हुए हैं और छोटे दुकानदारों को टेलीफोन नहीं मिल रहे हैं। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा टेलीफोन मिल गये हैं उनको बंद करके छोटे दुकानदारों को टेलीफोन दिए जाएं ?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह एक व्यापारिक संस्थान है। सच तो यह है कि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहां पर पहाड़ी इलाके के लोग हमसे केवल पानी मांगते हैं, टेलीफोन नहीं मांगते। व्यापारिक संस्थान होने के नाते जो उपकरणों को खरीदने के लिए पैसा देते हैं और उनका भार वहन करते हैं, उनको टेलीफोन देना पड़ता है। लेकिन सरकार की नीति है कि गरीबों के बीच भी यह उपकरण फैले और छोटे दुकानदारों को भी मिले।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार के सहरसा जिले में दो महीने पूर्व एस० टी० डी० कनॅक्शन लगा है। दिल्ली से बिहार के सहरसा जिले में एस०टी०डी० के माध्यम से भी बात नहीं हो पाती है। क्या इसके दोषी पदाधिकारियों पर मंत्री जी कार्यवाही करना चाहेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य अगर इसकी शिकायत करेंगे तो जरूर कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल : टेलीफोन पद्धति में ऐसा होता है कि जब 'ए' टेलीफोन करता है तो 'बी' के टेलीफोन में बिल आता है। और बड़े शहरों में काफी व्यापक रूप में यह सब हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : इस तरह की कुछ शिकायतें आती हैं और जो भी शिकायत आती है उस पर कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या टेलीफोन के तारों की चोरी की जाती रही है और सरकार ने इसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है ?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : देश भर में और मैदानी इलाकों में जहां कहीं भी टेलीफोन के तार फैले हुए हैं, उनकी चोरी की गुंजाइश रहती है। जहां भी इस तरह की शिकायत आती है, राज्य सरकारों को उसके बारे में लिखा जाता है कि उसके रख-रखाव का इन्तजाम किया जाए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि टेलीफोन की मांग बहुत कम है, यह भी सही है कि अनेक लोगों के पास जरूरत से अधिक टेलीफोन कनैक्शन हैं। यह ठीक है कि औद्योगिक स्थानों को टेलीफोन मिलना चाहिये लेकिन जहां एक टेलीफोन से काम चल सकता है वहां एक-एक परिवार में, एक-एक उद्योग समूह में तीन-तीन टेलीफोन लगे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और एक परिवार को एक टेलीफोन, बहुत आवश्यक हो तो दो टेलीफोन

दिये जाएं। उनके पास अनावश्यक रूप से टेलीफोन कनैक्शन हैं उनको लेकर टेलीफोन की जो पैंडिंग मांग है वहां दिया जाए तो काफी हद तक इस समस्या को हल किया जा सकता है। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य का सुझाव विचार करने लायक है।

श्री बसई चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में ग्रामीण इलाके में खासकर बिहार जैसे राज्य में पोस्ट आफिस और सब-पोस्ट आफिस में टेलीफोन का कनैक्शन नहीं रहता है। गांव के गरीब तबके के लोगों को संचार का कोई माध्यम नहीं मिलता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांव में जहां पोस्ट आफिस और सब-पोस्ट आफिस हैं और टेलीफोन कनैक्शन नहीं हैं, क्या वहां पर कनैक्शन देने के लिये विचार करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू में ही कह दिया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की नीति हर गांव को टेलीफोन से जोड़ने का प्रयास करने की है और उसमें वरीयता यही दी जायेगी कि जहां हमारे डाकखाने हैं उन्हीं में टेलीफोन लगाये जायें।

श्री तस्लीमुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार के खगड़ियां डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर में पांच साल से एक्सचेंज स्वीकृत है, लेकिन मकान के अभाव में वह एक्सचेंज अभी तक चालू नहीं हो पाया है, क्या उस एक्सचेंज को चालू करने के लिये किराये का मकान लेकर आप उसे चालू करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया एक्सचेंज के बारे में हमारे पास अभी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दी जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय :	श्री वसंत साठे	अनुपस्थित
	श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या	अनुपस्थित
	श्री जी०एस० बसव राज	अनुपस्थित
	श्री शान्ताराम पोटदुखे	अनुपस्थित
	श्री वाई० एस० राज शेखर रेड्डी	अनुपस्थित
	श्री राम सागर	अनुपस्थित
	श्री जी०एम० बनातवाला	अनुपस्थित
	श्री माधवराव सिंधिया	अनुपस्थित
	श्री एडुआर्डो फैलीरो	अनुपस्थित
	श्री कल्पनाथ राय	अनुपस्थित
	श्री एस० कृष्ण कुमार	अनुपस्थित
	प्रो० पी०जे० कुरियन	अनुपस्थित
	डा० असीम बाला	

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि बाकी समय टेलीफोन पर ही लगा दिया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने जान लिया था कि असीम बाला मौजूद हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० असीम बाला।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कार्यकरण में सुधार करना

*774. **डा० असीम बाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कार्यकरण में सुधार करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है; और

(ग) उक्त निगम द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान नाइट्रो-फास्फेट के दैनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). सरकार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप-I तथा II तथा हल्दिया स्थित नाइट्रोफोस्फेट संयंत्र समूह का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावों की जांच की जा रही है। निधियां मंजूर करने तथा लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न निवेश निर्णय लिए जाने के पश्चात ही उत्पन्न होगा।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : महोदय, 88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव को 1977 में स्वीकृति दी गई थी। इसके अप्रैल, 1977 में पूरा होने की संभावना थी। परन्तु यह दिसम्बर 1979 में पूरा हुआ। पुरजोर उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब के कारण कितनी हानि हुई ? मैं इनके कार्यकरण में सुधार के निर्णय की निश्चित तिथि भी जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : श्रीमन्; जहां तक हल्दिया कारखाने का सवाल है, यह कारखाना पिछले तीन वर्षों से बन्द है और डेढ़ करोड़ रुपया माहवारी वेतन 1800 से अधिक काम कर रहे कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अभी यह संभव नहीं है कि तुरन्त यह कारखाना चालू किया जा सके।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : विगत पांच छः वर्षों से लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। बिना किसी परिणाम के धनराशि खर्च की जा रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके कार्यकरण में सुधार करने की तिथि निर्धारित करें अथवा इस उर्वरक कारखाने को बंद कर दें।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : कोई निश्चित तारीख तो नहीं दी जा सकती है। इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : उर्वरक विभाग के अन्तर्गत 11 उर्वरक कारखाने हैं। इनमें से 10 कारखाने रुग्ण हो गए जिससे आर०सी०सी०एफ० के अलावा सब कारखानों से नुकसान हो रहा है। इन सब उर्वरक कारखानों में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन स्थायी तौर पर रुग्ण हो गया है। इस वर्ष इससे 140 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, विगत वर्ष 158 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि चारों एककों के कार्यकरण में सुधार के लिए 350 करोड़ रुपये का प्राक्कलन किया गया था। मैं उर्वरक कारखाने का अर्थशास्त्र समझने में असमर्थ हूं। यदि चारों एककों में 350 करोड़ रुपये खर्च करके इस लगातार नुकसान से, जो दो वर्षों में और अधिक हुआ है, मुक्ति मिल सकती है तो इन चारों एककों के कार्यकरण में सुधार के विलम्ब का कारण क्या है ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि हल्दिया कारखाना तो घाटे में है ही लेकिन जितने भी कारखाने हैं, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के जितने भी फर्टिलाइजर कारखाने हैं प्रायः सब के सब घाटे में हैं और बन्द करने की स्थिति में हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कुछ को तुरन्त चालू किया जाए। 1990 के अंत तक हम लोग उसमें से कुछ काम आगे बढ़ाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय : मैं मंत्री महोदय को यह समझाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान उर्वरक कारपोरेशन में प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है जबकि चारों एककों के कार्यकरण में सुधार करने पर 350 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कार्यकरण में सुधार करने के संबंध में कार्यवाही कब करेंगे ताकि लगातार नुकसान से बचा जा सके। क्या आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : इनको चालू करने में, प्रारम्भ करने में अभी तुरन्त 600 करोड़ रुपया चाहिए। फिर भी इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि 1991 तक कितना ले सकते हैं।

श्री एम० बी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन का एक कारखाना बरौनी में है जिसकी इन्सटाल्ड कैपेसिटी 152 मीट्रिक टन है लेकिन उसका उत्पादन घटकर 65.5 मीट्रिक टन हो गया है और कहा जाता

है कि 1989-90 में यह घटकर 36.00 मी० ट० हो जाएगा तो इसका क्या कारण है? क्या मंत्री महोदय बरौनी के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने के सवाल पर विचार करेंगे या नहीं ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह बात सही है कि उस कारखाने की क्षमता गिरी है और पुरानी क्षमता को फिर अपनी जगह पर लाने के लिए या उससे आगे बढ़ाने के लिए अभी वहां बहुत पैसों की आवश्यकता है। इस बात का अध्ययन हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन कर रहा है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, एच एच सी के अन्तर्गत चलने वाले सभी उर्वरक कारखाने घाटे में चल रहे हैं, क्या सरकार ने कभी इसकी जांच करने का प्रयास किया है ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जी हां, जांच करने का प्रयास किया है। कारण तो कई हैं, कहीं स्ट्राइक हो जाती है, कहीं रॉ-मैटिरियल की कमी है, जैसे कि हल्दिया कारखाने के बारे में मैंने आप को बताया है कि वहां तीन वर्षों से प्रति माह डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और 1800 मजदूरों को वेतन देना पड़ रहा है. जबकि प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। सरकार के पास इतनी क्षमता और पैसा नहीं है कि उसमें तुरन्त लगा सके।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : उपाध्यक्ष महोदय, जब उत्पादन कम होता है अथवा अन्य किसी कारण मशीन अथवा कारखाना नहीं चलाया जा सकता। श्रमिक काम करने आते हैं परन्तु ऊपरी आक्रमण किया जाता है। एक समिति का गठन किया गया उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने इन चारों संयंत्रों में अनेक कमियां निकाली हैं। उनमें एक कमी मशीनों का गलत वितरण, दूसरी भ्रष्टाचार तथा घटिया किस्म का उत्पादन है जिनसे श्रमिकों का कुछ लेन-देन नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि समिति ने कौन सी सिफारिशें की हैं क्या इन सिफारिशों की जांच की गयी, क्या इनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है तथा इन चारों संयत्रों को कम से कम चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक साथ चार यूमिट्‌य शुरू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फेजवाइज शुरू करने की बात की जा रही है। इसके लिए जानकारी प्राप्त की जा रही है कि फेजवाइज शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हल्दिया उर्वरक एकक में घाटा हो रहा है। परन्तु यह घाटा क्यों हो रहा है? आपका क्या अनुमान है? क्या यह सही है कि दोषपूर्ण स्थापना के कारण इसे उचित ढंग से नहीं चलाया जा सकता? अनेक समितियों का गठन किया गया। उन्होंने जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आप इन दोषों को किस प्रकार दूर करेंगे और इसे उचित ढंग से चलायेंगे। मैं यह नहीं जानता कि इस बात पर बल देने का क्या अभिप्राय है कि श्रमिकों को बिना उत्पादन के वेतन दिया जा रहा है। इसमें उनका दोष नहीं है। मैं यह

जानना चाहता हूं कि क्या संयंत्र की स्थापना के समय से ही उसमें खामियां हैं, क्या उनकी जांच की गयी है। समिति की जांच का क्या परिणाम हुआ तथा सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस विशेष एकक के संबंध में क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि उसमें इन्स्टालेशन करते वक्त डिफैक्ट है लेकिन यह बात भी सही है कि उसमें भ्रष्टाचार है, जिसके कारण घाटा हो रहा है। जैसा आप कह रहे हैं, यह बात सही है कि उस में जिस अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद बात यह है कि सरकार अभी इतना ज्यादा बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको फेजवाइज किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, बताया गया है कि कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये आएगी जो अव्यवहार्य बताई गई है। अब प्रश्न यह है कि क्या इनमें से किसी एकक को बंद करने का विचार है। मैं यह बताना चाहती हूं कि प्रथम चरण में नाइट्रो फास्फेट ग्रुप के पुन:स्थापन का जिसकी अनुमानित लागत 123 करोड़ रुपये लगायी गयी जो बढ़कर 157 करोड़ रुपये हो गई, विचार किया गया। क्या आप इन एककों को बन्द करने की सोच रहे हैं अथवा चरणबद्ध ढंग से इन एककों के कार्यकरण में सुधार करने के बारे में सोच रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि अभी तक हम लोग इस पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तकनीकी कारणों से हल्दिया को नहीं चलाया जा सकता है। जापान की रिपोर्ट आ गई है। जापान की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि 500 करोड़ रुपया चाहिए। मशीनों के लिए पांच सौ करोड़ रुपया चाहिए।

जहां तक इसके बंद करने का सवाल है, इसके बंद करने का कोई प्रपोजल नहीं है। हम तो इस पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

"इंडिया सेल" नामक विभागों की बैठकों का आयोजन

[अनुवाद]

*** 776. डा० वेंकटेश काबडे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों के तत्वावधान में स्थापित "इंडिया सेल" नामक विभाग विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए भारतीयों और गैर-भारतीयों की नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसी कितनी बैठकों का आयोजन किया गया; और

(ग) परस्पर विचार-विनिमय को बढ़ावा देने के इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन का परिणाम क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग). विभिन्न राष्ट्रीय

और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत के दृष्टिकोण को हमारे मिशनों द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों और गैर-भारतीयों को नियमित रूप से स्पष्ट किया जाता है। हालांकि हमारे मिशनों के सभी अधिकारियों को यह काम करना होता है फिर भी मिशन-प्रमुख और सूचना कार्य के प्रभारी अधिकारी को यह विशेष दायित्व सौंपा गया है कि वे इस प्रयोजन के लिए कार्यक्रम तैयार करें और इनका मूल्यांकन करें। यद्यपि इस संबंध में अलग से कोई सैल तो नहीं बनाए गए हैं किन्तु हमारे मूल्यांकन से पता चलता है इसके परिणाम आमतौर पर सन्तोषजनक रहे हैं।

डा० वेंकटेश काबडे : महोदय, सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मंच और समुदाय में भारत की समस्याओं को गलत ढंग से समझा जाता है विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि विदेशी हमारी अनेक समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं जिसके फलस्वरूप अनेक गलत-फहमियां पैदा हो जाती हैं। विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरे विचार से विदेश विभाग ने यह मूल्यांकन किया कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया—एक वक्तव्य, जो सबके लिए अवांछनीय था, दिया गया—इसके कारण एक स्पष्टीकरण देना पड़ा। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि अमेरिका में कौन से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हमने भारत-अमेरिका सोसाइटी बनायी है जो विभिन्न लोगों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए हमारे नागरिकों तथा अमेरिका के नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो विगत वर्ष अमेरिका में ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए और उनका मूल्यांकन किस प्रकार किया गया।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं अपने साथी की इस बात से सहमत हूं कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों का बड़ा महत्व है और उन्हें उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसलिए हमारी विदेश नीति उनके सहयोग और उनकी पहलों पर निर्भर होनी चाहिए। इस मंत्रालय का यह उद्देश्य है जिसमें मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने मंत्रालय में विदेशी भारतीयों की समस्याओं और भारत के हितों के सम्बन्ध में उनके विचारों से निबटने के लिए मंत्रालय में एक डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। जहां तक अमेरिका की स्थिति का सम्बन्ध है, मेरे माननीय साथी इस बात से सहमत होंगे कि अमेरिकी सोसाइटी जैसी सोसाइटियों की भी अपनी कठिनाइयां हैं। इसलिए समाधान करने के लिए प्रचार माध्यमों, सरकार और जनमत को एकत्रित किया जाए। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इसके बारे में अधिक ध्यान दे रहा हूं।

डा० वेंकटेश काबडे : महोदय, हमें अरब राष्ट्रों को कश्मीर के बारे में अपना दृष्टिकोण बताने में समस्यायें हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमें बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है और हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग कर पाए हैं। परन्तु हाल ही में एक प्रवृत्ति पैदा हो गयी है कि ईरान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है ऐसी ही समस्यायें अफगानिस्तान के बारे में हैं। अन्तर्राष्ट्रीय इस्लाम सोसाइटी की काहिरा में बैठक हो रही है, हमें भय है कि यह दृष्टिकोण को जो भारत के पक्ष में था, वहां व्यक्त न किया जाए। अरब देशों में अनेक भारतीय रह रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए हम अरब देशों में रहने वाले भारतीय और अप्रवासी भारतीयों की सहायता से अरब देशों को किस प्रकार अपने पक्ष में कर रहे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, विदेशों विशेषतः अरब देशों में रहने वाले भारतीय

जिनका देश में बड़ा महत्व है, बड़े देशभक्त हैं तथा वे भारत की समस्याओं को समझते हैं। यह भी सच है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने धर्म और जातीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे बिना आतंकवाद और हमारे घावों के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण का सर्वसम्मत समर्थन कर रहे हैं। जहां तक अरब देशों का सम्बन्ध है, मित्र अरब देश बहुत जल्दी ही हमारी स्थिति को समझ गए हैं तथा मेरा विश्वास है कि मेरे माननीय साथी भी यह जान जायेंगे कि यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिससे हम परिचित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दापोली, महाराष्ट्र में नारियल अनुसंधान केन्द्र

*761. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की मिट्टी नारियल के पेड़ उगाने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र के नारियल पेड़ के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है;

(ग) क्या नारियल विकास बोर्ड का कोंकण क्षेत्र में दापोली में कृषि विद्यापीठ में एक नारियल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, यह केन्द्र कब तक वहां स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) इस क्षेत्र में नारियल उगाने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए नारियल विकास बोर्ड दो योजनायें कार्यान्वित कर रहा है :

(I) **क्षेत्र विस्तार योजना** : इस योजना के अन्तर्गत छोटे और बहुत छोटे किसानों को पांच वर्ष तक नारियल के पेड़ लगाने और नारियल के बागानों का रख-रखाव करने के लिए 3000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राजसहायता दी जाती है।

(II) **सिंचाई की सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता देना** : इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई की सुविधाओं के लिये 1000/- रुपये प्रति पम्पसेट के हिसाब से राजसहायता दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में नारियल के विकास की देख-रेख करने के लिए नारियल विकास बोर्ड गठित किया गया है। नारियल पर अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। भाट्ये, रत्नागिरी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केन्द्र—नारियल के पेड़ों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना—कार्यरत है, जो कोंकण क्षेत्र की देख-रेख पहले ही कर रहा है।

उर्वरक प्रौद्योगिकी का अन्तरण

*762. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर उर्वरक प्रौद्योगिकी के अन्तरण का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) इससे कृषि को कितना लाभ पहुंचेगा ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच एफ सी) ने कई उर्वरक शिक्षा और कृषि विकास कार्यक्रम आरम्भ किये हैं जिनके माध्यम से किसानों, विशेषरूप से लघु सीमान्तीय किसानों की कृषि उत्पादकता की उच्चतर दर प्राप्त करने में सहायता की गयी है।

(ख) इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं;

(1) कृषकों के खेतों में अभ्यास का ब्लाक प्रदर्शन जिसमें लघु और सीमान्त किसानों के समग्र कृषि विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा।

(2) एन पी के और माइक्रो न्यूट्रिएन्ट्स के लिए भूमि परीक्षण।

(3) किसानों का प्रशिक्षण और अध्ययन दौरा।

(4) सामूहिक विचार-विमर्श, किसान मेला, क्षेत्रीय दिवस आदि।

(5) वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण।

(6) आदिवासी विकास और कृषि विकास में कृषक महिलाओं को अन्तर्ग्रस्त करना।

एच एफ सी उपर्युक्त कार्यकलापों पर प्रति वर्ष लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इस राशि में से 8 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का व्यय यू० के० द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान से पूरा किया जाता है।

(ग) इन कार्यकलापों से होने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं :

— उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल होना।

— खाद्यान्न फसलों, तिलहनों, दालों तथा सब्जियों का अधिक उत्पादन।

— एच वाई वी क्षेत्र में वृद्धि।

— उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाना।

मद्रास और सिंगापुर के बीच नौवहन सेवा

*763. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और सिंगापुर के बीच नौवहन सेवा फिर से आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों के बीच नई नौवहन सेवायें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तावित मार्गों (रूट) का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). भारत नौवहन निगम लिमिटेड को मद्रास तथा सिंगापुर के बीच नौवहन सेवा पुन: शुरू करने के सम्बन्ध में एक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कहा गया है। यह सेवा दोबारा शुरू करने के बारे में अन्तिम निर्णय व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने और सरकार द्वारा इसकी जांच कर लिये जाने के बाद ही किया जा सकता है। सरकार भारत के पूर्वी तट और मलेशिया तथा सिंगापुर के बीच नौवहन सेवायें आयोजित करने में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये भी तैयार है, अगर सरकार को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हों।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में दूर-संचार उपकरणों के निर्माण के लिए एकक

*765. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार विभाग के लिये अपेक्षित मशीनों और उपकरणों के निर्माण हेतु एककों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे एकक स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) दूरसंचार आयोग बनने के बाद निम्नलिखित नए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं और इस समय अनुमोदन और/अथवा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

स्विचन उपस्कर

1. आई० टी० आई० की मौजूदा 15.5 लाख लाइन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता को 22.0 लाख लाइन तक प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा।

2. सी-डॉट द्वारा डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए 8 विनिर्माताओं को चुना गया है। इनमें प्रत्येक विनिर्माता प्रतिवर्ष 50,000 लाइनों का उत्पादन करेगा।

संचारण उपस्कर

3. 1 चैनल/10 चैनल/30 चैनल रेडियो प्रणाली और मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली का विनिर्माण करने के लिए 28 विनिर्माताओं को चुना गया है।

टर्मिनल उपस्कर

4. पे फोन्स का विनिर्माण करने के लिए 4 विनिर्माताओं को चुना गया है।

ये विनिर्माता मौजूदा उत्पादन यूनिटों के अलावा हैं।

(ख) महाराष्ट्र के जिन स्थानों में ऐसी यूनिटें लगाने का विचार हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. 512-पोर्ट सी-डॉट आर ए एक्स (मेलट्रॉन) — औरंगाबाद
2. 512-पोर्ट सी-डॉट आर ए एक्स (नेलको) — नई बम्बई
3. पे फोन (एपलैब) — पुणे
4. 30 चैनल डिजिटल यू.एच.एफ (मेलट्रॉन) — नागपुर
5. 3/8 चैनल ओपन वायर उपस्कर (मेलट्रॉन) — बम्बई
6. पे फोन्स (बम्बई टेलीकॉम फैक्ट्री) — बम्बई

सहकारी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई सहकारी समितियां

*766. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शत प्रतिशत सहायता से कर्नाटक मिल्क फैडरेशन द्वारा शुरू किये गये सहकारी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी सहकारी समितियों को शामिल किया गया है;

(ख) हसन जिले में स्थित ऐसी सहकारी समितियों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी धनराशि की सहायता दी जाएगी;

(घ) क्या यह योजना पूरे कर्नाटक में डेयरी सहकारी समितियों के मामले में लागू की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह योजना कर्नाटक में सभी डेयरी सहकारी समितियों पर कब तक लागू की जाएगी ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) कर्नाटक में आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत डेरी विकास के लिये राज्य योजना में मार्च, 1991 तक (संचयी रूप से) ग्राम स्तर की लगभग 6300 डेरी सहकारी समितियां संगठित किए जाने का विचार है ।

(ख) हासन जिले में स्थित डेरी सहकारी समितियों के नाम प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) आपरेशन फ्लड-3 के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने कर्नाटक के सात मूल्यांकित दुग्ध क्षेत्र संघों, जिनमें हासन भी शामिल है, के लिए 1990-91 के वास्ते 825.21 लाख रुपए का प्रावधान स्वीकृत किया है।

(घ) और (ङ). आपरेशन फ्लड-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के सभी जिले कवर किए गए हैं।

विवरण

हासन जिले में डेरी सहकारी समितियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. अट्टावरा
2. डोडाबिकानाहल्ली
3. शांतिग्राम
5. जिन्नेनाहल्ली
5. मोसाले
6. एम० एच० कोप्पालु
7. कौशिका
8. कंचनाहल्ली
9. बस्तीहल्ली
10. सोमानाहल्ली
11. बी० कोप्पालु
12. निट्टुरु
13. होन्नावरा
14. मरानाहल्ली
15. शंकरानाहल्ली
16. कट्टाया
17. कोप्पाल्ली
18. हनुमन्थापुरा
19. यालागुन्डा
20. डुन्डानयकनाहल्ली
21. गोरुर (युदुवारे)
22. अगिले
23. निडुडी
24. काब्बाली
25. गौरीपुरा
26. डुड्डा
27. डोड्डाकोंडागुला
28. एच० माइलानाहल्ली
29. चौदावल्ली
30. चिक्कादालूर
31. सालगामे
32. काडाडारावल्ली
33. मन्चन्नाहल्ली
34. हालासनाहल्ली
35. अंगपुरा
36. केन्चाट्टाहल्लो
37. कारले
38. मुकुन्दर
39. मादेनूर
40. वेदवथी
41. होन्नेरे
42. मरकुले
43. हरुवनाहल्ली
44. चिक्कामाल्लेनाहल्ली

45. चगाल्ली
45. कोंडाज्जीकोप्पालू
47. भुवनहल्ली
48. के० बैंदराहल्ली
49. मुट्ठीगे
50. बासवघट्टा
51. किटानेकेरे
52. आगलाहल्ली
53. तवरादाबारा कोप्पल
54. डोडागड्डावल्ली
55. मुड्डानाहल्ली
56. शेट्टीहल्ली
57. बैलाहल्ली
58. कोरावन्गलाकावल
59. पडुमनाहल्ली
60. हैराने
61. कब्बाटी
62. आरासीहल्ली
63. कम्मारिगे
64. निन्जेगोडाना कोप्पालू
65. कन्डाली
66. किटाने
67. के० वलागराहल्ली
68. कंचामारानाहल्ली
69. थायावल्ली
70. कोरावन्गला
71. अनुगुवल्ली
72. डोड्डागेनिगेरे
73. गुट्टीगेहिरेहल्ली
74. कारेकारे
75. चन्नानगिहल्ली
76. कल्लाहल्ली
77. गोलेनाहल्ली
78. कट्टायावरद्दाराहल्ली
79. हेरागु
80. इबदाने
81. हरालाहल्ली
82. देदीहल्ली
83. के० मादापुरा
84. रामेश्वरन्गारा
85. नागनाहल्ली
86. मल्लाप्पनाहल्ली
87. सी. के. कोप्पालु
88. मवलापुरा
89. वीरापुरा
90. उड्डूर
91. मारेनाहल्ली
92. मोसालिपेसाहल्ली
93. बनवासे
94. कुडुरगन्टे
95. शंकराकोप्पालु
96. कल्लारेकोप्पालु
97. एम० कमलापुरा
98. मालागोडु
99. नयाकराहल्ली
100. कोक्कानघट्टा

101. गाडेनाहल्ली
102. कडागा
103. शंकडा कोप्पालु
104. हुलुवारे
105. हुन्याहल्ली
106. जोडीगुब्बी
107. कटनाहल्ली
108. थेनुर
109. ओडानाहल्ली
110. कल्लाहल्ली
111. निदुवानी
112. बी० एम० हल्ली
113. गड्डेनाहल्ली
114. उड्डूरहोसाहल्ली
115. डोड्डाबाइगारावल्ली
116. क्याटनाहल्ली
117. थेरनया
118. हरिहरपुरा
119. चकनाहल्ली
120. मलाली
121. बगीवालु
122. गुन्जेवु
123. डालागोडनाहल्ली
124. येडेगोवडनाहल्ली
125. अन्नेचाकनाहल्ली
126. श्रवनुरु
127. येल्लेशपुरा
128. मुडालाहिप्पे
129. रन्गेनाहल्ली
130. बनकुप्पे
131. सोमनाहल्ली
132. शंकनाहल्ली
133. काब्बुर
134. अनेकन्नामबडी
135. येलेचागल्ली
136. नेराले
137. गोहल्ली
138. पडुवलाहिप्पे
139. केरागोडु
140. डोड्डाकुन्चे
141. हेरेबेलागुली
142. किन्नाराहल्ली
143. मवानुर
144. हिरेहल्लीकोप्पालु
145. कोडिहल्ली
146. हुवुनीहल्ली
147. हदवनाहल्ली
148. बन्दाशेट्टीहल्ली
149. भुवनाहल्ली
150. मचागोडानाहल्ली
151. हन्गाराहल्ली
152. काट्टेकेरे
153. बडाक्याटनाहल्ली
154. नागरनाहल्ली

155. वलामबिगे
156. सिंगापुरा
157. डी० एम० हल्ली
158. हरादनाहल्ली
159. कामसमुद्र
160. कादाविन्नाकोट्टे
161. कंगुरु
162. बेट्टादासथेनाहल्ली
163. गुलागंजीहल्ली
164. मारानायाकनाहल्ली
165. बेदीगनाहल्ली
166. अप्पागोडानाहल्ली
167. हल्लीमैसूर
168. हालेकोटे
169. अलादाहल्ली
170. बोरानाहल्ली
171. ए० मल्लापनाहल्ली
172. हलिकोटे
173. बोरानाहल्ली
174. सी० हिन्दालाहल्ली
175. बिदारक्का
176. एच० क्यातन्नाहल्ली
177. हचागोघनाहल्ली
178. वोलावडी
179. के० अब्बुर
180. हन्दरांगी
181. सिद्दापुरा
182. सरागुरु
183. बायचनाहल्ली
184. हेकागोडानाहल्ली
185. चिक्कारकालागुडु
186. डोड्डाबेम्बाट्टी
187. अलादहल्ली
188. अज्जुर
189. बिलागुली
190. सिदनाहल्ली
191. ए० एम० जी० हल्ली
192. बारागुर
193. मुगालुर
194. काकिमाल्लेनाहल्ली
195. गंजलागुड
196. हुलिकल
197. दरिकोन्गाललि
198. होन्नावली
199. तारागलाले
200. कडुविनाहोसाल्ली
201. कन्चेनाहल्ली
202. मोकाली
203. केश्वटुर
204. काट्टेवालु
205. गंगूर
206. रागीमरूर
207. काट्टेपुरा
208. मल्लीनाथपुरा
209. मारियानगर
210. लावकूर
211. सान्तेमारूर
212. मधुरानाहल्ली

213.	कोराटिकेरे	241.	जम्बुर
214.	हन्यालु	242.	कल्कोरे
215.	हेन्नुरकोन्नासली	243.	बारालू
216.	अथिनि	244.	जनीवारा
217.	हेग्गाडेहल्ली	245.	अधिहल्ली
218.	अन्नीगनाहल्ली	246.	दिब्दागुर
219.	यगाति	247.	बेक्का
220.	रंगापुरा	248.	केम्बालु
221.	मुद्दनाहल्ली	249.	कुदूर
222.	मारादी	250.	धिप्पुर
223.	कब्बालिगेरे	251.	बिदारे
234.	कोन्दिन्ने	252.	एम० शिवारा
225.	मरिताम्मनाहल्ली	253.	बलगराहल्ली
226.	बासवापटना	254.	अनाथी
227.	येडियुर	255.	डोडाकारादेवू
228.	काडुर	256.	चौलागाला
229.	कालेनाहल्ली	257.	बनेवासे
230.	अनकानयाकनाहल्ली	258.	होन्नासेट्टीहल्ली
231.	हुलंगाला	259.	श्रीनिवासपुरा
232	सिरादानाहल्ली	260.	बगुर
233.	हन्नुगल	261.	चौड़ागेरे
234.	बन्नुर	262.	कब्बाली
235.	मादापुरा	263.	दीदागा
236.	हम्पापुरा	264.	जिन्नानाहल्ली
237.	श्री गोडु	265.	चिक्काबिलाटी
238.	कारगलसर्किल	266.	नगरानबिले
239.	डांडीगनाहल्ली	267.	बालाधारे
240.	मेसालुर	268.	बुदाराहल्ली

269. अनेकेरे
270. चौल्या
271. चोलोनाहल्ली
272. सगाथावल्ली
273. संतेषिवरा
274. सुन्दाहल्ली
275. हालेबेलागुला
276. पाडुबनाहल्ली कोप्पालु
277. हारालाहल्ली
278. बेलागीहल्ली
279. बेदीगानाहल्ली
280. कब्बालु
281. होसनयाकनाकोप्पालु
282. सोसालागेरे
283. जोड़ीघाट
284. एम० दासपुर
285. के० टी० कोलोनी
286. थागादुर
287. कुम्बेनाहल्ली
288. कांताराजपुरा
289. डी० टुमकुर
290. हिरेसावे
291. पी० होसाहल्ली
292. अक्कानाहल्ली
293. बारागुर
294. श्रवणबेलागोला
295. आराकेरे
296. गोलाराहोसाहल्ली
297. बाईदाराहल्ली
298. डी० होनेनाहतली
299. हन्डीगेनाहल्ली
300. बडीकेरे
301. गिरिक्षेत्र
302. अरुवानाहल्ली
303. हगारे
304. अदागुर
305. मालापुरा
306. हेबालु
307. कोगिलेमाने
308. बिक्कोडु
309. केरामोडु
310. हेद्दारावल्ली
311. सन्केनाहल्ली
312. संयासीहल्ली
313. सिद्धापुरा
314. एन० निडुगोडु (बेलुर)
315. गोनीसोमाहाहल्ली
316. गंगुर
317. सनेनाहल्ली
318. सिद्धारालिपेट
319. कोदीहल्ली
320. कानडावारा
321. राजन्नासिरियुर
322. तोलालु
323. कुशावारा
324. कारागाडा
325. तकुन्डा
326. बेन्तुर

327.	नागेमाहल्ली	356.	डी० कानाक
328.	चिकामाहल्ली	357.	गांजीगेरे
329.	हानिके	358.	सुलुगोंडु
330.	यामासान्डि	359.	कडालु
331.	मुलेनाहल्ली	360.	कानातुर
332.	कोमारामाहल्ली	361.	करजुवल्ली
333.	हारोहल्ली	362.	किरागाडालु
334.	सुग्गालुर	363.	भारतावल्ली
335.	गेन्डेहल्ली	364.	वालागाराहल्ली
336.	हालेबिडु	365.	किताबुर
337.	इबिदु	366.	चिक्कानागल
338.	तिरुमालानाहल्ली	367.	होले बेलुर
339.	केम्पेगोंडानाहल्ली	368.	हासागानुर
340.	लिंगाप्पानाकोंप्पालु	369.	तलुर
341.	अरेहल्ली	370.	राजानागल्ली
342.	कन्याकामाहल्ली	371.	शंकालपुरा
343.	पाडुवालालु	372.	सिंगातागेरे
344.	हुलागुंडी	373.	कलारे
345.	अन्दारे	374.	एम० होसाहल्ली
346.	देवीहल्ली	375.	कामातिगुडिगे
347.	वीरुपयाना कोप्पलु	376.	नालुर
348.	रायराकोप्पलु	377.	बालुरपुरा
349.	कांचामारानाहल्ली	378.	होसापुरा
350.	चन्नापुरा	379.	किरिटानाहल्ली कालोनी
351.	बेलुर	380.	चिक्काकानागल
352.	पलाया	381.	नगराहल्ली
353.	बाईरापुरा	382.	चगाचागिरे
354.	हनचुर	383.	बागेवालु
355.	हंसावल्ली	384.	हरनाहल्ली

385.	अमरगिरितिरुपति	403.	तालागुट्टोर
386.	बेन्डेकेरे	404.	नन्दी
387.	अभुन्डा	405.	टी० कोडीहल्ली
388.	गंडासी	406.	चंदेनाहल्लीगाडी
389.	चिक्कुरु	407.	बच्चेनाहल्ली
390.	आदिहल्ली	408.	हारालाकाट्टे
391.	कल्लेनंगेरे देवीप्रसाद	409.	चिक्का एरागानालु
392.	बागेशपुरा	410.	दुम्मेनाहल्ली
393.	बाइरावनाकानाहल्ली	411.	सुलेकेरे
394.	होरिमंगलापुर	412.	बागे
395.	अन्नानायकनाहल्ली	413.	बालुपेटे
396.	उन्दीगानालु	414.	येसालुर
397.	नागाटिहल्ली	415.	सुक्रावारासन्ते
398.	कदालामाने	416.	कुम्भिघानाहल्ली
399.	मडालु	417.	जमनाडल्ली
400.	किट्टानाकेरे	418.	गंगाहिहल्ली
401.	जलानागल	419.	हेथ्थुरू
402.	कालुगंडी		

मद्रास पत्तन न्यास द्वारा तैयार की गई विकास योजना

*767. **श्री ओ० एस० बासवराज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन न्यास ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु उक्त पत्तन के विकास की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितना धन व्यय होगा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). आठवीं पांचवर्षीय योजना में मद्रास पत्तन के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु योजना आयोग द्वारा गठित

पत्तन संबंधी कार्यदल द्वारा 418 करोड़ रु० के प्रावधान की सिफारिश की गई है। कार्यदल द्वारा अनुशासित 5 करोड़ रु० अथवा उससे अधिक की लागत वाली स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4
		(करोड़ रुपए)	
	जारी स्कीमें		
	भारती गोदी में कन्टेनर टर्मिनल का विस्तार	54.71	24.37
	नई स्कीमें		
1.	दक्षिणी क्वे III बर्थ का विस्तार	8.00	8.00
2.	पश्चिमी क्वेज का आधुनिकीकरण	40.00	20.00
3.	पर्यावरण सुधार स्कीमें	4.00	4.00
4.	कन्टेनर टर्मिनल का और विस्तार	50.00	50.00
5.	बाह्य आर्म का विस्तार	15.00	0.50
6.	इन्नौर में सेटेलाइट पत्तन	150.00	150.00
7.	1,70,000 डी० डब्ल्यू टी के अयस्क कैरियर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारती गोदी को और गहरा करना	66.00	66.00
8.	टग अमरावती और वेंकट का प्रतिस्थापन	14.00	14.00

मद्रास पत्तन न्यास के लिए विकास स्कीमों (जारी और नई दोनों स्कीमों) हेतु वर्ष 1990-91 के लिए 41.88 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। आठवीं योजना के शेष वर्षों में शुरू की जाने वाली स्कीमों को आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता

*768. **श्री शान्ताराम पोटदुखे :**

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरकों की मांग को पूरा करने में समर्थ होगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग). हमारी नीति, जैसे कि पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दर्शायी गयी है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में अधिकतम सीमा तक स्वावलम्बन प्राप्त करना है। यद्यपि नाइट्रोजन के मामले में यह अनुमान लगाया गया है कि आठवीं योजना के दौरान मांग का 90 प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जायेगा, फास्फेट के मामले में स्वदेशी कच्चे माल की बाधायें उत्पादन में स्वावलम्बन प्राप्त नहीं करने देती। जहां तक पोटाश का संबंध है सम्पूर्ण आवश्यकताओं को आयात से पूरा किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश के कोई ज्ञात स्रोत नहीं हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने एच बी जे पाइप लाइन के साथ निलम्बित तीन परियोजनाओं को पूरा करने के अतिरिक्त गैस पर आधारित तीन बृहद आकार के अमोनिया-यूरिया संयंत्रों के स्थापना का सुझाव दिया है। फास्फेटिक उर्वरकों के मांग, आपूर्ति अन्तर को कम करने के लिए कार्यकारी दल ने पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में 4.5 लाख टन की कुल क्षमता के साथ डी ए पी संयंत्रों और पी$_2$ ओ$_5$ के 1.5 लाख टन की कुल क्षमता के साथ नाइट्रोफास्फेट संयंत्रों की स्थापना की सिफारिश की है।

जौ की अधिक उपज देने वाली किस्में जारी करना

***769. श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल में जौ परियोजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों ने प्रमाणित उपज क्षमता की जौ की अधिक उपज देने वाली भूसी रहित (सेमी ड्वार्फ) दर्जनों किस्मों का विकास किया है; जिनकी उत्पादन क्षमता प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक, वर्ष-वार कितनी भूसी-रहित किस्में जारी की गई हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जौ की इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग). महोदय, करनाल केन्द्र से केन्द्रीय रिलीज समिति द्वारा अभी तक केवल एक ही किस्म "करन-16" जारी की गई है जो बिना छिलके वाली किस्म है तथा इसकी उत्पादन क्षमता की पुष्टि हो चुकी है। इसे 1987 में रिलीज किया गया।

(घ) इस किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जौ उगाने वाले क्षेत्रों में किसानों को बीज मिनीकीट बांटे गये हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के आवेदनों पर विचार करने संबंधी दिशानिर्देश

***770. श्री सी० एम० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदनों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने तथा संक्षिप्त विचारण के आधार पर रद्द करने हेतु कोई दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख). विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उद्देश्यों और लक्ष्यों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण के लिए प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पर, गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा गुरदासपुर में हथियार बरामद करना

*771. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने 30-31 मार्च, 1990 (रात्रि) को भारत-पाकिस्तान सीमा पर गुरदासपुर की लस्सियां सीमा चौकी पर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किये थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किये गये; और

(ग) इस संबंध में पकड़े गये और जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्य करने का तरीका क्या था ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख). 30-31 मार्च, 1990 की रात को सीमा सुरक्षा बल ने गुरदासपुर की लस्सियां सीमा चौकी क्षेत्र में निम्नलिखित हथियार/गोला बारूद जब्त किये :

ए० के० 74 राइफल	4
बजूका	1
राकेट	11
राकेट कन्टेनर	6
चाइना मार्का प्रोपेलर चार्जर	11
मैगजीन ए० के० 74 राइफल	8
चार्जर क्लिप	860
ए०के० 74 गोला बारूद	1086 छड़ें
राकेट रिंग	11

(ग) इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी क्योंकि घुसपैठिए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गये।

वर्ष 1991 की जनगणना से संबंधित प्रारंभिक कार्य

*772. **श्री एडुआर्डो फलेरो** :

श्री कल्पनाथ राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 में देश में जनगणना कराई जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य आरम्भ किया जा रहा है; और

(ग) किस तारीख को जनसंख्या की गणना आरम्भ करने पर विचार किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां खराब मौसम के कारण लेह और कारगिल जिलों के लिए संदर्भित तिथि 1 अक्तूबर, 1990 और राज्य के शेष क्षेत्रों के लिए 21 अगस्त, 1991 है, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जनगणना के लिए संदर्भित तिथि 1 मई, 1991 है।

केरल के गांवों में पेय जल सुविधा

*773. श्री **एस० कृष्ण कुमार** :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कितने गांवों में इस समय पेय जल सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने गांवों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) राज्य के सभी गांवों को कब तक पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) केरल में "बिना जल स्रोत" वाला एक समस्याग्रस्त गांव है जिसमें इस समय पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1990-91 के दौरान "बिना जल स्रोत" वाले एक गांव तथा आंशिक रूप से कवर किये गये 153 गांवों में पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

(ग) बचे हुये अकेले समस्याग्रस्त गांव को इस वर्ष कवर कर लिया जायेगा।

आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों की संख्या

[हिन्दी]

*775. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत वर्ष के दौरान आतन्कवादियों द्वारा राज्य-वार कितने व्यक्तियों की हत्या की गई; और

(ख) अब तक मारे गये, घायल और गिरफ्तार किये गये आतन्कवादियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) आतन्कवादियों द्वारा पंजाब में वर्ष 1989 के दौरान 1168 व्यक्ति तथा वर्ष 1990 के दौरान (30 अप्रैल, 1990 तक) 585 व्यक्ति मारे गए।

(ख) पंजाब में वर्ष 1989 के दौरान 699 आतन्कवादी मारे गए और 2466 आतन्कवादी गिरफ्तार किए गए। वर्ष, 1990 के दौरान (30 अप्रैल तक) क्रमश: 256 और 478 व्यक्ति मारे और पकड़े गए।

शेष राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उपग्रह संचार आयोजना कक्ष (सेटेलाइट कम्यूनिकेशन प्लानिंग सेल)

[अनुवाद]

*777. **श्री मावबेन्द्र दत्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों की जांच कराई है कि उपग्रह के संचार आयोजना कक्ष द्वारा भारतीय उपग्रहों के विकास के नाम पर करोड़ों रुपयों का व्यर्थ खर्चा किया गया है और किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि किसी मामले में किसी जांच के आदेश नहीं दिये गये हैं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उपग्रह संचार आयोजन कक्ष के कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को तंग किये जाने के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस संबंध में, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में छपी किसी रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपग्रह संचार आयोजन कक्ष के किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया गया है।

दिल्ली में आग लगने की घटनाएं

*778. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक महीने के दौरान दिल्ली में अनेक स्थानों पर आग लगने की बड़ी घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और प्रत्येक मामले में जान माल का कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या अग्निकांड के पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(छ) भविष्य में ऐसे विनाशकारी अग्नि कांडों को रोकेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख). अप्रैल, 1990 के दौरान दिल्ली में आग लगने की दो प्रमुख घटनाएं हुईं, एक विज्ञान भवन में और दूसरी सदर बाजार में। इन घटनाओं में जान की कोई क्षति सूचित नहीं की गई है। सम्पत्ति के नुकसान का मूल्यांकन अभी करना बाकी है।

(ग) और (घ). क्योंकि जान की कोई क्षति नहीं हुई या कोई भी आम व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ इसलिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

(ङ) और (च). विज्ञान भवन और सदर बाजार में आग लगने के कारणों की जांच करने के लिये और निवारक उपाय सुझाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक समिति गठित की है।

(छ) दिल्ली अग्नि शमन सेवा की सक्षमता और उपकरणों के बारे में पता लगाने के लिये एक अध्ययन किया गया है। दमकल केन्द्रों और उपकरणों सहित अग्निशमन कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कारंवाही शुरू की गई है।

कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट

8026. **श्री कैलास मेघवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट का भारी भंडार है जो अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा और मूल्य क्या है और इसकी खरीद पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ग) इसकी खरीद किस माध्यम से की गई और इसके उपयोग पर लगे प्रतिबंध के बावजूद इसकी खरीद किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इसका निपटान किस प्रकार करेगी और इस समूचे सौदे में राजकोष को कितनी धनराशि की हानि होगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ). भारतीय खाद्य निगम के पास घटिया कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट का लगभग 14448 मी. टन और मानक केन का लगभग 8453 मी. टन भण्डार है। भारतीय खाद्य निगम के पास कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट का जो भी स्टाक है वह 1980-81 से पहले, अलग-अलग समय पर आयात किया गया था और अधिप्राप्ति मूल्य की गणना करना संभव नहीं है, चूंकि बेचे न गए शेष भंडार के लिए अधिप्राप्ति का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

कृषि के प्रयोजन हेतु कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया। तथापि, इसके दुरुपयोग के सम्बन्ध में मिली रिपोर्टों को देखते हुए, फरवरी, 1987 से भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों को की जाने वाली घटिया कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को केन्द्र/राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को घटिया भण्डारों की बिक्री करने की अनुमति दे दी गई है। कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के भारी भण्डार के मामले में उनके निपटान को सुसाध्य बनाने के लिए आवश्यक ई० सी० ए० आवंटन कर दिया गया है।

केरल-तमिलनाडु सीमा पर वालयार चैक पोस्ट के समीप सड़क चौड़ी करना

8027. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और तमिलनाडु अन्तर्राज्यीय सीमा पर वालयार चैक पोस्ट के समीप सड़क चौड़ी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधों ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सड़क को चौड़ी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). वालायर चैक पोस्ट के समीप (183/0 से 184/0 कि० मी०) सड़क को चौड़ा करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था लेकिन उसे कुछेक स्पष्टीकरणों के लिये राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

गोवा, दमण और दीव कृषि काश्तकारी अधिनियम, 1964 का कार्यान्वयन

8028. **प्रो० गोपालराव मायकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमण और दीव कृषि काश्तकारी अधिनियम, 1964 तथा पांचवें संशोधन अधिनियम, 1976 को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा इन अधिनियमों के उपबंधों को रद्द करने का पूर्व निर्णय वैध है;

(ख) यदि नहीं, तो इन अधिनियमों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या इन अधिनियमों को कार्यान्वयन बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुये गोवा के न्याय आयुक्त की अदालत द्वारा गोवा, दमन और दीव कृषि काश्तकारी (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1976 को 1979 में निरस्त कर दिया गया था। अदालत ने भी यह माना था कि कथित अधिनियम को संविधान की धारा 31-ए के अंतर्गत संरक्षण नहीं मिला था। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी।

इसी बीच गोवा, दमन और दीव कृषि काश्तकारी अधिनियम, 1964 तथा गोवा, दमन और दीव कृषि काश्तकारी (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1976 को संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। इसे यह भी चुनौती दी गई है कि जबकि अपील उच्चतम न्यायालय में लम्बित है, क्या इन कानूनों को अनुसूची में शामिल किया जा सकता है।

मामले पर आंशिक सुनवाई हो चुकी है तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

8029. **श्री प्रेम प्रदीप** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दण्डकारण्य परियोजना कर्मचारी एसोसियेशन से इस परियोजना के शेष कर्मचारियों को परियोजना भत्ते के भुगतान के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार मार्च, 1990 से इन कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का भुगतान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ). दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को 28.2.1989 तक परियोजना भत्ते का भुगतान किया गया है। 28.2.1989 के बाद के परियोजना भत्ते का भुगतान करने पर सरकार विचार कर रही है।

रेलगाड़ियों में बम विस्फोट

[हिन्दी]

8030. **डा० बंगाली सिंह :**

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 तक की अवधि के दौरान रेलगाड़ियों में बम-विस्फोट की कितनी घटनायें हुई तथा इनके कारण जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग). रेलवे में अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, पता लगाना तथा उसकी रोकथाम करना सरकारी रेलवे पुलिस की जिम्मेवारी है, जो राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करती है। रेलों में हुए बम विस्फोटों के बारे में केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा अलग से सूचना नहीं रखी जाती है। संबंधित अवधि के दौरान रेलों में हुए बम विस्फोटों की संख्या, तथा उसके फलस्वरूप जान माल की हुई क्षति तथा इस बारे में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या बताने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

आंध्र प्रदेश में डाकघर खोलना

[अनुवाद]

8031. **श्री एम० जी० रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में वर्ष 1989 के दौरान तथा मार्च, 1990 तक किन-किन स्थानों को "स्पीड पोस्ट" सेवा के अन्तर्गत लाया गया है।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : इस अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में किसी भी स्थान को "स्पीड पोस्ट" सेवा से नहीं जोड़ा गया।

मुर्गी पालन

8032. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को वर्ष 1990 के दौरान मुर्गी पालन हेतु कोई प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे और सीमान्त किसानों एवं कृषि मजदूरों को कुक्कुट एककों की स्थापना के लिए "विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राजसहायता दी जाती है। केन्द्र क्षेत्र की योजना के तहत महिला लाभानुभोगियों को भी राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि पिछड़े आदिवासी और अन्य दूरस्त क्षेत्रों में बेकयार्ड कुक्कुट उत्पादन की स्थापना की जा सके।

उपर्युक्त योजनाओं को 1990 के दौरान भी क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। कुक्कुट आहार के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अमीनों एसिड पर लगने वाले आयात-शुल्क को भी 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

धामरा मत्स्यन बन्दरगाह को केन्द्रीय सहायता

8033. **श्री भंगाराज मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासौर जिले में धामरा मत्स्यन बन्दरगाह को अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है तथा इसकी उपलब्धियों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इसे एक प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह के रूप में उन्नत करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाहों का उन्नयन अथवा सृजन करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है; और

(च) उड़ीसा समुद्र तट से दूर विशाल समुद्री संसाधनों के विदोहनों के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ङ) प्रमुख मात्स्यिकी बन्दरगाहों के विकास के लिए पड़ने वाली आवश्यकताओं की जांच

राज्य सरकार के अनुरोध, मात्स्यिकी संसाधन क्षमता, इस क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास की स्थिति, समीप वाले क्षेत्रों में मात्स्यिकी बन्दरगाहों की उपलब्धता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अतिरिक्त परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर की जाती है।

(च) भारत सरकार ने उड़ीसा के समुद्र तट पर तीन छोटे और एक गहरे समुद्र में मात्स्यिकी बन्दरगाह का विकास करने की मंजूरी दे दी है। धामरा स्थित छोटा बन्दरगाह पहले ही शुरू हो गया है। क्रमश: अक्टूबर, 1988, अक्टूबर, 1989 और फरवरी, 1990 में स्वीकृत किए गए जुआगढ़ गोपालपुर और पारादीप स्थित मात्स्यिकी बन्दरगाहों के विकास का कार्य प्रगति पर है।

राजस्थान में खाद्य तेलों और दलहनों का उत्पादन

[हिन्दी]

8034. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खाद्य तेलों और दलहन की वार्षिक मांग कितनी है और इनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्य तेलों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) खाद्य तेलों और दलहनों की वार्षिक मांग का हिसाब राज्यों द्वारा लगाया जाता है। इन जिन्सों की मांग को स्वदेशी उत्पादन द्वारा ही पूरा किया जाता है और यदि वहां कोई कमी हो तो वह कमी आयात द्वारा पूरी की जाती है।

(ख) और (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राजस्थान सहित अन्य राज्यों मे तिलहनों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्र क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना

(2) तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि परियोजना

(3) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

(4) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम दलहन

इन योजनाओं के तहत, राज्यों को वित्तीय सहायता बीज उत्पादन, बीज मिनिकिटों का वितरण, बड़े आकार के प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न घटकों पर दी जाती है, ताकि किसानों को बड़े पैमाने पर उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ तिलहनों और दलहनों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(घ) इन कार्यक्रमों ने धान्य खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित किए बगैर ही तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद दी है।

बिहार की ग्राम पंचायतों में डाक घर खोलना

8035. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन ग्राम पंचायतों में जहां डाकघर नहीं हैं, कब तक डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार सहित सभी राज्यों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस समय उपलब्ध डाक सुविधाओं का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है ।

(ख) इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य के भीतर असन्तुलन का पता लगाना तथा वर्ष दर वर्ष संसाधनों पर निर्भर करते हुए डाक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकतायें निर्धारित करना है । चालू वर्ष के दौरान, बिहार में खोले जाने वाले 47 ग्रामीण शाखा डाकघर मंजूर किये गए हैं । इस समय जिन ग्राम पंचायतों में डाकघर नहीं हैं, उन सभी में डाकघर खोलने का कोई कार्यक्रम या प्रस्ताव नहीं है ।

जाजपुर, उड़ीसा में डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

[अनुवाद]

8036. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) उड़ीसा के जाजपुर राजस्व उप-मण्डल में कुल कितने डाकघर हैं और इनमें से कितने डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ; और

(ग) इस क्षेत्र के जिन-जिन डाकघरों में चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जायेगी, उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरकार की मौजूदा नीति प्रत्येक 5 कि०मी० की भुजा वाले षटभुजाकार क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान पर पूर्ण आर्थिक सहायता देकर कम से कम एक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की है । यह सुविधा या तो किसी डाकघर या कोई अन्य स्थान जो जनता के लिए सुविधाजनक हो उस स्थान पर दी जा सकती है ।

(ख) उड़ीसा के जाजपुर राजस्व उप डिवीजन में 269 डाकघर हैं इनमें से 46 में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराये गए हैं ।

(ग) उपस्कर उपलब्ध होने पर 1990-91 के दौरान जाजपुर के 30 डाकघरों में लंबी-दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना है ।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना

8037. **श्री कृपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को वर्ष 1980 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को पेंशन की स्वीकृति दी गई थी;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने आदेशों का पालन किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980, 1.8.1980 से लागू हुई थी। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 1982 थी। अभ्यावेदन देने का प्रश्न तब उठता है जब पेंशन प्रदान करने के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा जांच करने और सत्यापन करने की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वर्ष 1980 में कोई अभ्यावेदन किया गया हो। इस संबंध में पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें 1980 के दौरान आवेदकों से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना, 1972 और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन पंजाब राज्य से अब तक कुल 6714 व्यक्तियों को पेंशन की मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अधीन पेंशन की मंजूरी के आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और संबंधित महालेखाकारों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है, न कि राज्य सरकारों द्वारा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

1991 की जनगणना हेतु मकानों की सूची बनाने का कार्य

8038. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना हेतु मकानों की सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसको कब तक शुरू किया जायेगा;

(ग) इसके उद्देश्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य हेतु राज्यवार, कितने व्यक्ति काम पर लगाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मकानों की सूची बनाने का मुख्य उद्देश्य 1991 की मुख्य जनगणना के लिए एक ढांचा तैयार करना है, ताकि ऐसे स्थानों, जहां पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया गया हो अथवा जिन स्थानों को उपयोग में लाया जा रहा हो अथवा जिन स्थानों पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए जाने

अथवा उपयोग किए जाने की संभावना हो, का पता लगाया जा सके और उनकी पहचान की जा सके। यह जनगणना का एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण कदम है। भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों की सूची बनाने के अलावा मकानों की सूची बनाने में निम्नलिखित मदों की भी सूचना एकत्र की जाती है, जनगणना मकान की दीवार, छत तथा फर्श में प्रयुक्त मुख्य निर्माण सामग्री, जनगणना मकान का उपयोग किन प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, क्या परिवार अपने मकान में रहता है या किराए के, परिवार के कब्जे में कमरों की संख्या, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं जैसे, पीने के पानी की आपूर्ति, बिजली और शौचालय, खाना पकाने के लिए प्रयोग की जा रही ईंधन की किस्म और परिवार में सामान्यत: रहने वाले व्यक्तियों की संख्या।

मकानों की सूची बनाने के कार्य के साथ तीसरी आर्थिक जनगणना भी संबंद्ध है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए बनाए गए कार्य कलैण्डर के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अप्रैल से सितम्बर, 1990 की अवधि के दौरान मकान सूची बनाने का कार्य लगभग एक महीने में पूरा हो जाएगा।

(घ) राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र वार मकान, अनुसूची बनाने के लिए लगाए गए/लगाए जाने वाले प्रस्तावित अंशकालिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

1991 की जनगणना की मकान सूची बनाने के कार्य के लिए लगाए गए/लगाए जाने वाले प्रस्तावित प्रगणकों/पर्यवेक्षकों की संख्या

भारत/राज्य संघ शासित क्षेत्र	प्रगणक	पर्यवेक्षक
1	2	3
भारत	1,331,948	272,778
राज्य		
1. आन्ध्र प्रदेश	100,000	20,000
2. अरुणाचल प्रदेश	2,500	600
3. असम	40,000	8,000
4. बिहार	124,221	25,255
5. गोवा	2,100	420
6. गुजरात	67,000	13,400
7. हरियाणा	25,000	5,000
8. हिमाचल प्रदेश	10,786	2,696
9. जम्मू और कश्मीर	12,288	2,393
10. कर्नाटक	83,333	16,667

1		2	3
11.	केरल	60,000	12,000
12.	मध्य प्रदेश	95,000	19,800
13.	महाराष्ट्र	125,000	25,000
14.	मणिपुर	4,100	820
15.	मेघालय	2,299	462
16.	मिज़ोरम	1,300	290
17.	नागालैंड	1,938	408
18.	उड़ीसा	42,000	9,000
19.	पंजाब	27.750	5,550
20.	राजस्थान	68,000	13,600
21.	सिक्किम	620	146
22.	तमिलनाडु	100,000	23,000
23.	त्रिपुरा	4,100	875
24.	उत्तर प्रदेश	206,000	42,000
25.	पश्चिम बंगाल	107,300	21,460
	संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	585	170
2.	चण्डीगढ़	1,119	226
3.	दादरा और न० हवेली	400	80
4.	दमन और दीव		
5.	दिल्ली	16,000	3,200
6.	लक्षद्वीप	77	34
7.	पांडिचेरी	1,132	226

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की शासी निकाय की बैठक

8039. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नियमों और विनियमों के अनुसार पिछले अनेक वर्षों से परिषद की शासी निकाय की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संविधान के अनुसार इसके शासी निकाय की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होनी चाहिए। वर्ष 1989-90 के दौरान शासी निकाय की दो बैठकें हुई। तथापि, वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान अपरिहार्य कारणों से इसकी एक-एक बैठक ही हो सकी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

8040. **श्री छविराम अर्गल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद भरे गये हैं;

(ग) क्या सरकार का बकाया पड़े इन रिक्त पदों को अब भरने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-1 से 4 में और वरिष्ठ वेतनमान में आरक्षण लागू नहीं होता है।

(ग) जी हां।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जो रिक्तियां भरी नहीं गई हैं, उन्हें नियमों के अनुसार अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाएगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से अगले भर्ती वर्ष में भरा जाएगा बशर्ते कि पात्र उम्मीदवार उपलब्ध हों और इसे प्रत्येक वर्ष में कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा।

यह मंत्रालय विशेष भर्ती अभियान द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती करने के प्रयत्न भी करेगा और जहां नियमों के अनुसार पूर्णतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा का प्रावधान होगा वहां ऐसा करके उनकी भर्ती की जाएगी।

विवरण—1

श्रेणी	जोड़	अ.जा.	प्रतिशत	अ.ज.जा.	प्रतिशत
भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-1	21	—	—	—	—
भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-2	26	2	7.7	—	—
भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-3	116	12	10.35	10	8.9
भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-4	103	11	10.6	6	5.8
भा. वि. से. का वरिष्ठ वेतनमान	243	47	19.34	17	6.99
भा. वि. से. का कनिष्ठ वेतनमान	46	7	15.21	4	8.69
भा. वि. से. (ख) का ग्रेड-1	107	21	19.62	3	2.80
भा. वि. से. (ख) का एकीकृत ग्रेड-2 और 3	315	52	16.5	7	2.2
भा. वि. से. (ख) का ग्रेड-4	687	75	10.9	31	4.5
भा. वि. से. (ख) का ग्रेड-5	183	34	18.57	16	8.74
भा. वि. से. (ख) का ग्रेड-6	389	47	12.08	21	5.3
साइफर उप संवर्ग का ग्रेड-2	186	20	10.75	2	1.07
आशुलिपिक संवर्ग का सिलेक्शन ग्रेड	28	3	10.71	—	—
आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-1	182	12	6.59	—	—
आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-2	344	36	10.46	1	0.02
आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-3	114	16	14.03	3	2.6
अन्य ग्रुप "ग" कर्मचारी	123	21	17.07	—	—
ग्रुप "घ" कर्मचारी	490	143	29.18	10	2.04
संवर्ग बाह्य कर्मचारी	206	8	3.9	1	0.48

विवरण—2

पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भरे गए पद

श्रेणी	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	
भारतीय विदेश सेवा पर्यवेक्षक (कनिष्ठ वेतनमान)	4	3	
भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-1	8	2	
भा. वि. से. (ख) का एकीकृत ग्रेड-2 और 3	21	3	
भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-4	32	14	
भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-5	14	8	
भारतीय विदेश सेवा (ख) का ग्रेड-6	12	5	
साइफर उप संवर्ग का ग्रेड-2	7	2	
आशुलिपिक संवर्ग का सिलेक्शन ग्रेड	—	—	इस ग्रेड को ग्रेड-1 के साथ मिला दिया गया है।
आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-1	1	—	
आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-2	15	—	
आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-3	11	2	
अन्य ग्रुप "ग" पद	—	—	
ग्रुप "घ" पद	37	1	
संवर्ग वाह्य पद	1	1	आरक्षण प्रत्यक्ष रूप से भरे गए पदों के मामले में ही लागू होता है।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

8041. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के विभिन्न स्थानों पर नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग के विचाराधीन कौन-कौन से प्रस्ताव हैं; और

(ख) इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए जगह और उपस्कर उपलब्ध हो जाने पर हरिया, गोपीबल्लवपुर, नंदीग्राम, रियापुरा, भागपुर, घाड़िका और हूमगढ़ स्थिति नए टेलीफोन एक्सचेंजों को 1990-91 के दौरान खोले जाने का प्रस्ताव है।

भारत और पाकिस्तान से एक-दूसरे देश में लोगों की घुसपैठ

8042. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब, राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर से कितने व्यक्ति सीमा पार करके पाकिस्तान गये हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में घुसपैठ की है;

(ग) क्या पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश तथा भारतीय नागरिकों के पाकिस्तान में प्रवेश को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, पंजाब और राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए/अवरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

भारत से पाकिस्तान जाने के लिए सीमा पार करते समय पकड़े गए/अवरुद्ध किए गए

	1987	1988	1989	1990 (मार्च तक)
जम्मू (आई. बी.)	38	36	39	4
पंजाब	2351	4988	7710	835
राजस्थान	573	3568	3079	412
कुल	2962	8592	10828	1251

पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ के प्रयास करते समय पकड़े गए/अवरुद्ध किए गए

	1987	1988	1989	1990 (मार्च तक)
जम्मू (आई. बी)	23	29	33	3
पंजाब	69	102	75	16
राजस्थान	37	46	33	6
कुल	129	177	141	25

(ग) और (घ). घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सीमा सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल के लिए एक पंचवर्षीय विस्तार कार्यक्रम 1985-86 में स्वीकृत किया गया था और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसार और अधिक सीमा चौकियों की स्थापना की जा रही है और निगरानी बुर्जों को प्रभावकारी गश्त के लिए अतिरिक्त वाहन सहित अधिक आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं।

मात्स्यिकी का विकास

8043. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, केन्द्रीय सरकार को मात्स्यिकी के विकास हेतु कितनी धनराशि के विदेशी ऋण और सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में मात्स्यिकी के विकास तथा मछुआरों के कल्याण हेतु प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय और विदेशी निधियों से कितना आवंटन किया गया;

(ग) मात्स्यिकी के विकास और मछुआरों के कल्याण हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) मीठा जल-मछली, समुद्री-मछली, झींगा मछली और मछली के अण्डों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मछली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) मात्स्यिकी के विकास के लिए वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्रमश: 5.87 करोड़, 15.58 करोड़ और 0.74 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हुई।

(ख) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम में जी. पी. ओ. भवन का निर्माण

8044. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में जनरल पोस्ट आफिस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम में जनरल पोस्ट आफिस के भवन के निर्माण कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). त्रिवेन्द्रम जी.पी.ओ. भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हो सका है।

(ग) भवन निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तारीख अप्रैल, 1992 है। इस परियोजना का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के लिए उपाय किए गए हैं।

प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड को हुआ लाभ और घाटा

8045. **श्री ए. के. राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों का, वर्ष-वार प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड को हुए लाभ और घाटे का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की अधिकतम कार्य क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इसे वास्तव में कितने काम का आर्डर दिया गया;

(ग) क्या प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का विदेशी एजेंसियों के अंतर्गत जो इसे काम से वंचित कर रही है, उप-ठेके पर कार्य किए जाने से इसकी आत्म-निर्भरता का उद्देश्य समाप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) गत तीम वर्षों के दौरान प्रोजेक्ट एण्ड डेक्लपमेंट इडिया लिमिटेड को हुए वर्ष वार लाभ एवं घाटे का ब्योरा निम्नलिखित है :

प्रभाग का नाम	वर्ष	लाभ (रु० लाखों में)	हानि (रु० लाखों में)
अभियांत्रिक प्रभाग	1986-87	471	—
	1987-88	—	112
	1988-89	—	409
आर एण्ड डी प्रभाग	1986-87	—	226
	1987-88	—	186
	1988-89	—	103
केटेलिस्ट प्रभाग	1986-87	—	284
(प्रेरक प्रभाग)	1987-88	—	220
	1988-89	—	440

(ख) पी डी आई एल का अभियांत्रिक प्रभाग तीन स्थानों अर्थात् सिन्दरी, बरौदा एवं नई दिल्ली में कार्य कर रहा है। यह प्रभाग एक ही समय में छः से सात छोटी परियोजनाओं के अलावा तीन बड़ी उर्वरक परियोजनाओं को डिजाइन, इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति, निर्माण एवं प्रारम्भण की निगरानी सेवायें प्रदान करने में सक्षम है जबकि गत तीन वर्षों के दौरान इसके पास केवल एक ही बड़ी परियोजना थी, तथापि जनवरी 1990 से यह तीन मुख्य परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ). सरकार ने अपनी आत्म निर्भरता के उद्देश्य को त्यागा नहीं है। पी डी आई एल ने "टर्न की" आधार पर नामरूप-III परियोजना को एक प्रमुख इंजीनियरिंग कन्सलटेंट के रूप में पूरा किया है। इसे एक प्रमुख परामर्शदाता के रूप में शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए भी नियुक्त किया गया है।

स्वयंसेवी संगठनों से सम्बद्ध विदेशी राष्ट्रिक एवं मिशनरियों द्वारा विदेशी धन प्राप्त किया जाना

8046. **श्री एम॰ वी चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयंसेवी संगठनों से संबद्ध कुछ विदेशी राष्ट्रिकों एवं मिशनरी, जिन्हें विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है, चीन व पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के संवेदनशील सीमा-क्षेत्रों में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ स्वयंसेवी संगठनों से सम्बद्ध कई विदेशी प्रतिनिधियों और मिशनरियों को सीमांत क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी प्रचार और गतिविधियों में संलग्न पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कार्यों में संलग्न विदेशी राष्ट्रिकों और भारतीय नागरिकों एवं संबद्ध संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अधिवेशन

8047. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने न्यूयार्क में अप्रैल, 1990 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के विशेष अधिवेशन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिवेशन में विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा समृद्ध देशों के बीच बढ़ते हुए अन्तर को कम करने के लिए हुए विचार विमर्श के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। भारतीय प्रतिनिधिमन्डल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया था।

(ख) महासभा ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के संबंध में, विशेषकर विकासशील देशों में आर्थिक प्रगति और विकास को पुन: सक्रिय करने के संबंध में एक घोषणा स्वीकार की। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौम सहमति के प्रति अपनी दृढ़ वचनबद्धता व्यक्त की। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि 1990 के दशक के लिए विकासशील देशों में आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास को पुन: सक्रिय करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस चुनौती का सामना विश्व अर्थ-व्यवस्था में बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता और एकीकरण के संदर्भ में करना होगा। इस घोषणा में सदस्य देशों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में ली गई वचनबद्धतायें भी सन्निहित हैं जैसे विदेशी ऋण समस्या का समाधान, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद का विरोध और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करना। उन्होंने विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने का भी वचन लिया।

पंजाब में सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्तियां

8048. **बाबा सुच्चा सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सहकारी विभाग के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन अधिकारियों को वापस बुलाने तथा सहकारी समितियों द्वारा अपनी संस्थाओं को स्वयं चलाने की अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) सहकारी विभाग के 53 अधिकारी, अर्थात् 31 सहायक रजिस्ट्रार, 13 उप रजिस्ट्रार, 5 संयुक्त रजिस्ट्रार और 4 अतिरिक्त रजिस्ट्रार, पंजाब में विभिन्न सहकारी संस्थानों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं।

(ख) ये अधिकारी, सहकारी संस्थानों को प्रबन्धकीय एवं व्यावसायिक सहायता मुहैया करने तथा इन संस्थानों में सरकार के वित्तीय हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

(ग) और (घ). इस समय, राज्य सरकार के पास इन अधिकारियों को वापस बुलाने की बाबत कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

पशु रोग वैज्ञानिकों द्वारा त्यागपत्र

[हिन्दी]

8049. **श्री हरीश रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पशु रोग संस्थानों में कार्यरत कुछ पशु रोग वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). महोदय, पिछले कुछ महीनों में केवल एक पशु चिकित्सा वैज्ञानिक ने इस्तीफा दिया है। वह राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो/राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान में कार्य कर रहे थे। उन्होंने वैयक्तिक कारणों से मार्च, 1990 में त्यागपत्र दिया।

कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से प्रतिबंध हटाना

[अनुवाद]

8050. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिबंध हटाने के लिए उसमें क्या मुख्य कारण दिए गए हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). घटिया कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के दुरुपयोग के बारे में मिले अभ्यावेदनों को देखते हुए फरवरी, 1987 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी पार्टियों को घटिया कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट बेचने पर रोक लगा दी गई थी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को केन्द्र/राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की इकाइयों को कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के घटिया भण्डारों की बिक्री करने की अनुमति दे दी गई है। छोटे पैमाने की इकाइयों को घटिया कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री करने की अनुमति देने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, चूंकि वे कच्ची सामग्री के रूप में घटिया कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट अनुपलब्धता के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था और इनको माना नहीं गया।

दिल्ली में श्मशान स्थलों में असामाजिक गतिविधियां

[हिन्दी]

8051. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1990 के जनसत्ता में 'क्या कुछ नहीं होता श्मशानों में' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या दिल्ली के विभिन्न श्मशान स्थलों में गीली लकड़ियां और वो भी सफेदा की लकड़ियां बेची जाती हैं और वहां उनके तराजू भी दोषपूर्ण होते हैं;

(ग) क्या निगम बोध घाट पर दिन रात भारी संख्या में असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं जो नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करते हैं तथा वेश्यावृत्ति का धन्धा कराते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है गीली लकड़ी नहीं बेची जाती हैं तथा तोलने के उपकरण दोषपूर्ण नहीं हैं।

(ग) और (घ). श्मशान भूमि या उसके आस-पास कुछ गैर-सामाजिक तत्वों की गतिविधियों की सूचना मिली है। पुलिस तथा निगम कर्मचारी समय समय पर अचानक चैकिंग करते हैं तथा जब भी आवश्यक समझा जाता है, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सूरत में विदेश डाकघर खोलना

8052. **श्री काशीराम राणा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरत (गुजरात) में एक विदेश डाकघर खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और वहां विदेश डाकघर कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) अगस्त, 1989 में (गुजरात) सूरत में एक उप विदेश डाकघर खोलने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया गया था। पदों के सृजन पर लगी पाबंदी आवास मिलने में हुई कठिनाइयों तथा सीमा

शुल्क के निपटान से संबंधित छंटाई की समस्याओं के कारण इसे खोला नहीं जा सका। सभी व्यवस्थायें पूरी हो जाने के बाद यह डाकघर खोल दिया जाएगा।

पेय जल के प्रकार और उसके जीवाणुओं से दूषित होने की प्रतिशतता के बारे में रिपोर्ट

[अनुवाद]

8053. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को वहां उपलब्ध पेय जल के प्रकार और उसके जीवाणुओं से दूषित होने की प्रतिशतता के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सीमाओं की सुरक्षा

8054. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि सीमा सुरक्षा बल को कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों के बारे में मिली आसूचना रिपोर्टों के परिणामस्वरूप सतर्क रहने को कहा गया है; और

(ख) भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). जिन घटनाओं का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है सरकार उन सभी घटनाओं का निरन्तर प्रबोधन करती है और रक्षा तथा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा हर समय तैयार रहने के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं पर खर्च हुई धनराशि

[हिन्दी]

8055. **श्री राघवजी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने वर्ष 1988 और 1989 के दौरान किन-किन देशों का दौरा किया था; और

(ख) इन दौरों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) **1988**—पाकिस्तान (स्वर्गीय खान अब्दुल गफ्फार खां को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए), स्वीडन, जापान, वियतनाम, सीरिया, जर्मन संघीय गणराज्य, संयुक्त राज्य अमरीका (संयुक्त राष्ट्र), हंगरी, जार्डन, यूगोस्लाविया, स्पेन, तुर्की, भूटान, चीन और पाकिस्तान (सार्क शिखर सम्मेलन के लिए)।

1989—फ्रांस, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, पाकिस्तान और यूगोस्लाविया (गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए)।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

सेतु समुद्रम परियोजना

[अनुवाद]

8056. **श्री कावम्पुर एम. आर. जनार्दनन्** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना में सेतु समुद्रम परियोजना को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच समझौता ज्ञापन

8057. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धकों और कर्मचारी संघ के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की मुख्य बातें क्या-क्या है;

(ग) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने इस समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, (फैक्ट) तथा फैक्ट के कामगरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस मान्यता प्राप्त संगठनों के बीच 1.11.1989 को वेतन निर्धारण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) वेतन निर्धारण जिस पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है, की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) 1100 रुपए का न्यूनतम मूल वेतन तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शिमला सिरीज आधार 1960-100) के 658 पाइंट तक के महंगाई भत्ते को उसमें मिलाना।

(2) नियत महंगाई भत्ते की स्लैब पद्धति लागू करना।

(3) निर्धारित डी. ए. सहित न्यूनतम 210/- रु० से अधिकतम 610/- रु० तक का प्रत्यक्ष लाभ।

(4) मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता आदि में वृद्धि।

(5) 1.1.1988 से 31.12.1991 तक चार वर्षों के लिए वेतन समझौता लागू करना।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने चार वर्षों की अपेक्षा पांच वर्षों के लिए वेतन समझौते को मंजूरी दी है। यह महसूस किया गया कि चूंकि फैक्ट का वेतन समझौता फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफ सी आई)—नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) (एन. एफ. एल) ग्रुप आफ कम्पनीज के संबंध में मंजूर किए गए लाभों के अनुरूप ही है, अतः फैक्ट समझौते की भी वही अवधि होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

[हिन्दी]

8058. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे मंजूरी कब तक प्रदान की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में मत्स्य विकास परियोजनाएं

[अनुवाद]

8059. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मत्स्य विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने कितना लाभ कमाया है;

(ख) क्या सरकार का कटक में नई मत्स्य परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता से उड़ीसा में मात्स्यकी विकास के लिये क्रियान्वित की जा रही परियोजनायें इस प्रकार थीं अर्थात् परम्परागत जलयानों को मोटरीकृत करना, छोटे मछुआरों के लिये उन्नत तट अवतरण जलयान आरंभ करना, फिशिंग जैटियों का निर्माण, मत्स्य पालक विकास एजेंसियां, खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियां तथा समेकित खारा जल मत्स्य पालक विकास कार्यक्रम। उल्लिखित परियोजनाओं में मत्स्य पालक/मछुआरों की सहायता, मूलभूत सुविधाओं का सृजन तथा राज्य में मछली उत्पादन के लिए नयी टेक्नोलोजी आरंभ करना निहित है।

(ख) और (ग). आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित किये जाने के लिए नयी मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

मोरक्को से फास्फोरिक एसिड की खरीद

8060. **श्री इरा अन्बारासू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरक्को की एक फर्म ने भारत द्वारा फास्फोरिक एसिड की खरीद न करने के कारण उसे हुई क्षति के रूप में भारत सरकार के विरुद्ध 200 करोड़ रुपए से अधिक का मुकदमा दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुकद्दमे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). फोस्फोरिक एसिड के आयात के लिए तत्कालीन समन्वय अभिकरण इफको को दिनांक 13.9.89 को उपयोगकर्ता कम्पनियों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल—अन्तर्राष्ट्रीय पंचार न्यायालय पेरिस से मुकदमे का एक नोटिस प्राप्त हुआ जो मारकोस फोस्फोर मोरोक्को द्वारा दायर किया गया था और जिसमें इस आधार पर 160.474 मिलियन अमरीकी डालर का दावा किया गया था कि भारत द्वारा फास्फोरिक एसिड की आपूर्ति करने का अनुबंध रद्द कर दिये जाने से ओ सी पी मोरक्को को भारी क्षति उठानी पड़ी है। अब ओ सी पी मोरक्को द्वारा मुकदमा वापस ले लिया गया है तथा इस समय फास्फोरिक एसिड की खरीद के संबंध में भारत के विरुद्ध ओ सी पी, मोरक्को का कोई मुकदमा लम्बित नहीं है।

"जुम्मा" लोगों की समस्याओं का समाधान

8061. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश में चटगांव के पर्वतीय क्षेत्रों के जुम्मा नेताओं ने अपनी समस्या के दीर्घावधि समाधान के लिए भारत सरकार, बंगलादेश और जुम्मा प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। बंगलादेश में चट्टगांव पहाड़ी क्षेत्र की कबाइली आबादी के कुछ प्रतिनिधियों ने जिनका उल्लेख कभी-कभी जुम्मा कह कर किया जाता है, भारत और बंगलादेश की सरकारों तथा कबाइली के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत की इच्छा व्यक्त की है ताकि उनके समक्ष उपस्थित समस्याओं का कोई दीर्घकालिक समाधान खोजा जा सके।

(ख) सरकार का यह मानना है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी बंगलादेश सरकार की है जिससे कि कबाइली लोग चट्टगांव पहाड़ी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और हिफाजत से रह सकें और भारत के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले कबाइली जल्दी से जल्दी स्वेच्छा से अपने घरों को लौट सकें।

जम्मू और कश्मीर और पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों की जांच करने के लिये समिति का गठन

8062. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों से संबंधित प्राप्त गुप्तचर सूचना की जांच करने और उस पर कार्यवाही करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और तत्संबंधी व अन्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् । तथापि, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब सहित कुछ एक विक्षुब्ध क्षेत्रों में बिगड़ती स्थिति का मूल्यांकन करने और सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई और समय-समय पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में नियमित आधार पर उपायों और सुझावों को प्राप्त करने के लिए एक अन्तःमंत्रालयीय सलाहकार ग्रुप का गठन किया गया है ।

सलाहकार ग्रुप की बैठक में मंत्रिमण्डल सचिवालय, गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालयों और आसूचना एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है ।

दूरसंचार आयोग का भंग किया जाना

8063. **श्री हरमोहन धवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का दूरसंचार आयोग और सी-डॉट दोनों को भंग करने तथा एक नये संगठन का सृजन करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी, नहीं ।

विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों की खरीद

[हिन्दी]

8064. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों में भारतीय मिशनों ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की चुनी हुई कृतियों की कितनी प्रतिलिपियां तथा अन्य पुस्तकें खरीदी हैं; और

(ख) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है । इसे शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

केरल के कोट्टायम जिले में टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार

[अनुवाद]

8065. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिले में एट्टुमानूर, पम्पाडी, वकथमम, पोंकुनम, अथिरमपुझा, और कंजीकुझी टेलीफोन केन्द्रों के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां, अथिरमपुझा को छोड़कर अथिरमपुझा में कोई टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है और इस स्थान को ईट्टूमनूर और गांधीनगर एक्सचेंजों से सेवा प्रदान की जाती है ।

(ख)

क्र. सं०	एक्सचेंज का नाम	किस्म	मौजूदा क्षमता	विस्तार की योजना	वर्ष जिसमें चालू किया जाना है
1.	ईट्टूमनूर	एम ए एक्स II	600 लाइनें	2000 लाइनों के आर एल यू इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदलना	8वीं योजना
2.	पम्पाड़ी	एम ए एक्स II	300 लाइनें	(i) 300-700 (ii) 2000 लाइनों के सी-डॉट मुख्य एक्सचेंज में बदलना	1990-91 8वीं योजना
3.	वकटथनम	एम ए एक्स II	200 लाइनें	200-400 लाइनें	1990-91
4.	पोंकून्नम	एम ए एक्स II	500 लाइनें	1500 लाइनों का सी-डॉट मुख्य एक्सचेंज	8वीं योजना
5.	कांजीकुझी	एम ए एक्स II	1300	(i) 2 के आर एल यू में बदलना (ii) 2000-3000 लाइनों तक विस्तार	1990-91 8वीं योजना
6.	अथिरमपुझा	यहां कोई अलग एक्सचेंज नहीं है। यह ईट्टूमनूर और गांधीनगर एक्सचेंजों से जुड़ा एक स्थानीय क्षेत्र है। गांधीनगर 900 लाइनों की क्षमता वाला एम ए एक्स-II एक्सचेंज है इसे 1990-91 के दौरान 1000 लाइनों के आर एल यू एक्सचेंज में बदलने की योजना है और 8वीं योजना के दौरान इसका 1500 लाइनों तक और विस्तार करने की योजना है ।				

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी

[हिन्दी]

8066. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में अंशकालिक दिहाड़ी कर्मचारी पिछले दस वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जो क्रमश: दस, पांच और तीन वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या उन्हें ए० सी० जी०-17 के अनुसार वेतन दिया जाता है;

(घ) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन, मकान किराया और नगर प्रतिपूरक भत्ता कब दिया जाने लगेगा; और

(ङ) यदि उन्हें ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अंशकालिक कामगारों की संख्या और जिस अवधि से वे कार्य कर रहे हैं उसका विवरण निम्नानुसार है :—

(i)	10वर्ष	—	3
(ii)	5 वर्ष	—	51
(iii)	3 वर्ष	—	शून्य

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). उच्चतम न्यायालय का आदेश अंशकालिक कामगारों पर लागू नहीं होता है। इन कामगारों को यथानुपात, समूह घ के वेतनमान का न्यूनतम और मंहगाई भत्ता दिया जाता है। नियमित होने के बाद वे मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के हकदार होंगे।

कन्याकुमारी जिले में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

8067. **श्री एन० डेनिस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कन्याकुमारी जिले में एस० टी० डी० सुविधारहित स्थानों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार इस जिले में कोलाचेल शहर और नेय्योन में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विभाग की नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों के अनुसार, कन्याकुमारी जिले के अतिरिक्त स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) 8वीं योजना अवधि के दौरान इन केन्द्रों को तिरुनेलवेलि स्थित ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

देश में साम्प्रदायिक दंगे

8068. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान किन-किन राज्यों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं तथा इन दंगों में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए हैं ;

(ख) क्या इन दंगों को दबाने के लिए अर्ध-सैनिक बलों जैसे सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर, देश के विभिन्न राज्यों में मार्च और अप्रैल, 1990 के महीनों में घटी प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :

स्थान का नाम और तारीख	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या
बिहार		
बाडी गुलानी (12.3.1990) (जिला नाबादा)	5	1
जमशेदपुर (14.3.1990)	3	6
गुजरात		
पाटन (जिला मेहसाना (10.3.1990)	6	40
आनन्द (जिला खेड़ा) (27.3.1990)	3	16
भड़ौच (25.3.1990)	1	12
अहमदाबाद (3-8.4.1990	41	122
बड़ोदा (6-7.4.1990)	18	108
तमिलनाडु		
डिनडीगुल कायद-ओ-मिलात (24.3.1990)	2	29
उत्तर प्रदेश		
कानपुर (18.4.1990)	5	17

(ख) और (ग). कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए, उपलब्धता के आधार पर राज्यों के अनुरोध पर केन्द्र द्वारा अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती की अवधि हालात पर निर्भर करती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण

8069. **श्री एस० बी० थोरट :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिये महाराष्ट्र सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने गोदामों का निर्माण कराया जाना था;

(ग) क्या इन गोदामों का निर्माण हो चुका है; और

(घ) यदि हां, उन्हें किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार को 828 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 5.24 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ग) अभी तक 711 ग्रामीण गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(घ) गोदामों का इस्तेमाल आमतौर पर खाद्यान्नों, कृषि निवेशों आदि के भंडारण के लिये किया जा रहा है।

विदेशों में भारतीय मिशनों में सांस्कृतिक हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

[हिन्दी]

8070. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत के किन-किन मिशनों में सांस्कृतिक अधिकारियों और हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या राजभाषा, हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेश स्थित जिन सात मिशनों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वे हैं; भारत का हाई कमीशन, पोर्ट आफ स्पेन, भारत का राजदूतावास, पारामारीबो, भारत का हाई कमीशन, पोर्ट लुई, भारत राजदूतावास, सूवा, भारत का राजदूतावास, जार्ज टाऊन, भारत का हाई कमीशन, लन्दन और भारत का राजदूतावास, काठमाण्डू। विदेश स्थित मिशनों में अधिकारी केवल सांस्कृतिक कार्य ही नहीं करते मिशनों में सामान्यतः सूचना/प्रेस का कार्य करने वाले अधिकारी सांस्कृतिक कार्य भी करते हैं।

(ख) और (ग). विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की अपनी योजना के अन्तर्गत हम विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तियों को भेंट देने के लिए हिन्दी पाठ्य-पुस्तकें, लिंग्वाफोन रिकार्डें, भाषा चार्ट और कैसेटें, सहायक पुस्तकें और हिन्दी साहित्य, धर्म और संस्कृति इत्यादि विषयों पर हिन्दी पुस्तकें विदेश स्थित अपने मिशनों को भेजते हैं। सरकार ने ऐसे कई संगठनों को देवनागरी टाइपराइटर भी भेंट किए हैं (पिछले दो वर्षों में 22

टाइपराइटर)। कुछ देशों (30) में भारत आस्थानी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लाभ के लिए नि:शुल्क हिन्दी कक्षाएं चलाई जाती हैं ताकि वे हिन्दी भाषा के सम्पर्क में बने रहें।

तीन माइक्रो चिपों के उत्पादन हेतु भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा अमरीकी फर्म के साथ सहयोग

[अनुवाद]

8071. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग का अमरीकी फर्म "वी०एल०एस०आई०" के सहयोग से तीन माइक्रो चिपों के उत्पादन का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(घ) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अमरीकी फर्म "वी०एल०एस०आई०" और भारतीय टेलीफोन उद्योग के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की गई है।

(ग) लागतों में कमी करने के लिए लागत प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ). जी, हां। आई टी आई ने एलएसआई/वीएलएसआई चिप्स का विनिर्माण करने के लिए मई, 1988 में मैसर्स वीएलएसआई, आईएनसी, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक करार किया था। एलएसआई/वीएलएसआई चिप्स के लिए प्रौद्योगिकी 1.5 माइक्रोन तक है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा का विस्तार

8072. **श्री आर० मुंडू राव** :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली अग्नि शमन सेवा के विस्तार करने और ऊंचे सरकारी भवनों में अग्नि शमन उपकरण स्थापित किए जाने के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजधानी में ऐसे कौन-कौन से ऊंचे सरकारी भवन हैं, जिनमें अग्नि शमन उपकरण नहीं लगे हुए हैं;

(ग) ऐसे सरकारी भवनों का ब्यौरा क्या है, जिनमें अब ऐसे उपकरण लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सभी भवनों में अग्नि सुरक्षोपाय किए जाने के लिए सरकार का और क्या कार्यक्रम है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख). से (घ). 9 अतिरिक्त अग्नि शमन केन्द्रों की स्थापना करके प्रशिक्षित मानव शक्ति में बढ़ोतरी करके और अग्नि शमन उपकरणों को बढ़ाकर दिल्ली अग्नि शमन सेवा को मजबूत किया जा रहा है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। सरकार ने उन गगनचुम्बी इमारतों के लिए जिनका रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कई अग्नि सुरक्षा कार्यों की स्वीकृति दी है जिससे उनको दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बने नियमों के अनुरूप लाया जा सके। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन भवनों का रखरखाव किया जा रहा है उनके नाम, अनुमानित राशि और कार्य पूरे होने की संभावित तिथि की सूची विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

विवरण-1

क्र० सं०	अतिरिक्त अग्नि शमन केंद्रों के नाम	अतिरिक्त मानव शक्ति, उपकरण इत्यादि का विवरण
1.	भीकाजी कामा प्लेस	
2.	नेहरू प्लेस	
3.	लक्ष्मीनगर जिला केन्द्र	
4.	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	37 अग्नि इकाइयां, 3 एयर कम्प्रेसर और
5.	जनकपुरी	वायवीय बग के चार सेट
6.	मयूर बिहार	
7.	ज्वालापुरी	
8.	रोहिणी	
9.	नजफगढ़	

विवरण-2

क्र० सं०	भवनों के नाम	अनुमानित राशि	कार्य पूरा होने की संभावित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एम.पी. फ्लैट्स (काली बाड़ी अपार्टमेंट)	5,20,000	10/90
2.	आर.एम.एल. अस्पताल	43,32,000	11/91
3.	केन्द्रीय राजस्व भवन	20,42,300	8/91

1	2	3	4
4.	ए.जी.सी.आर. भवन	16,92,500	8/91
5.	परिवार अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन	क्र.सं. 25 में सम्मिलित है	10/90
6.	विकास भवन, आई.पी. इस्टेट	आकलन तैयार किए जा रहे हैं।	11/91
7.	सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स	प्रमुख कार्य के रूप में लिया जा रहा है।	12/90
8.	एम.एस. फ्लैट्स आर. के. पुरम, सैक्टर-13	38,76,500	11/91
9.	सी.ए.जी. एनेक्सी भवन	39,42,200	8/91
10.	वाई-सेप और डी सेप भवन	29,60,000	8/91
11.	विट्ठलभाई पटेल हाउस	10,02,870	10/91
12.	उद्योग भवन	37,70,000	9/91
13.	सरदार पटेल भवन	13,65,200	7/91
14.	कृषि भवन	30,37,700	10/91
15.	निर्माण भवन	38,72,000	8/91
16.	निर्वाचन सदन	16,41,655	7/91
17.	योजना भवन	21,01,045	8/91
18.	पेशवा रोड फ्लैट्स	16,99,500	10/90
19.	एशिया हाउस	14,25,520	10/90
20.	शास्त्री भवन	31,17,270	8/91
21.	श्रम शक्ति भवन	31,26,900	7/91
22.	इंडियन आयल भवन	30,38,500	9/91
23.	कर्जन रोड अपार्टमेंट	26,78,000	7/90
24.	मिंटो रोड कांप्लैक्स	10,83,200	10/90
25.	जी बी पन्त अस्पताल	दिल्ली प्रशासन से प्रशासनिक स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है	12/91
26.	एम.ए.एम. कालेज काम्प्लैक्स	19,50,000	9/91
27.	सफदरजंग अस्पताल	52,54,650	11/91
28.	सेना भवन	62,26,350	3/91
29.	वायु भवन	35,96,800	9/91
30.	यू.जी.सी. भवन	24,78,500	8/91

किसानों द्वारा कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग

8073. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग करने से इसके प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता है ।

शहतूत की फसल में तुर्का रोग

8074. **श्री बी० कृष्ण राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा अन्य शहतूत उत्पादक राज्यों में शहतूत की फसल को एक खतरनाक रोग "तुर्का" लग जाने के कारण व्यापक क्षति हुई है;

(ख) क्या परम्परागत कीटनाशी दवाएं इस रोग को रोकने में असमर्थ पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस रोग के शीघ्र रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

8075. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री इरा अन्बारासु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास संबंध कोई नई योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). वर्ष 1990-91 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा अत्यधिक बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में एक नई रोजगार गारंटी योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

आगामी जनगणना पर व्यय

[हिन्दी]

8076. **श्री जनार्दन तिवारी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आगामी जनगणना पर अनुमानतः कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और इस प्रयोजनार्थ बजट में क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) जनगणना का काम कब से शुरू होने की संभावना है और यह कब तक पूरा होगा;

(ग) क्या इस जनगणना के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में ब्यौरा प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) वर्ष 1990-91 की आगामी जनगणना पर कुल 110.94 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा तदनुसार वर्ष 1990-91 के बजट में प्रावधान किया गया है।

(ख) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां खराब मौसम होने के कारण जनगणना का कार्य लेह तथा कारगिल जिलों में 11 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1990 तक और शेष राज्य में एक अगस्त से 25 अगस्त, 1991 के दौरान किया जाएगा, वर्ष 1991 की जनगणना के लिए मुख्य प्रगणना का कार्य 9 फरवरी, 1991 से प्रारम्भ होगा तथा 5 मार्च, 1991 तक पूरा हो जाएगा। कुछ बर्फीले तथा दुर्गम क्षेत्रों में जनगणना के लिए एक समय-सारणी तैयार की गई है।

(ग) और (घ). विभिन्न श्रेणियों के बेरोजगार युवकों के बारे में ब्यौरे आगामी जनगणना में एकत्र नहीं किए जाएंगे। तथापि, गैर-श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में सूचना एकत्र की जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्ष, 1991 की जनगणना में प्रत्येक गैर-श्रमिक से यह पूछा जाएगा कि क्या वह (श्रमिक) कार्य करना चाहता है/ढूंढ रहा है, और यदि ऐसा है तो क्या उसने पहले कभी कार्य किया है।

राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई

[अनुवाद]

8077. **श्री पी० नरसा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा कर सकी है;

(ख) यदि नहीं, तो आन्ध्र प्रदेश ने उक्त अवधि के दौरान उर्वरक की वर्षवार कितनी मात्रा की मांग की थी और कितनी मात्रा उसे वास्तव में सप्लाई की गई; और

(ग) क्या यह राज्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता है।

कीट नियंत्रक परियोजनाएं

8078. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमरीका सहयोग से चल रही कीट नियंत्रण परियोजनाओं की शर्तें क्या हैं और उनके अनुसंधान का क्षेत्र क्या है और अब तक इन्होंने क्या काम किया है;

(ख) क्या कीट नियंत्रण के लिए खेत-स्तर पर कोई अन्य परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनके अनुसंधान और कार्य संचालन क्षेत्रों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) कीट नियन्त्रण पर भारत-अमेरिका सहयोगी प्रायोजनाओं को यू० एस०-भारत रुपया कोष (यू० एस० आई० एफ०) के जरिए धन दिया जाता है। इसको पहले पी०एल०-480 निधि कहा जाता था। शर्तों के अनुसार ये प्रायोजनाएं दोनों देशों के परस्पर हित के लिए हों। इस प्रायोजनाओं के अंतर्गत आम, गेहूं के कीटों, कीट रोधिता के लिए प्रजनन, कीट वर्गीकरण, कीटनाशी और जैविक नियंत्रण शामिल हैं।

आम के कीटों के संबंध में चार मिज परजीवियों का पता लगाया गया है जिसके लिए दो पेटेन्ट कीटनाशी दवाओं— डाइजानोन तथा डाइमेक्रोन के मिश्रण को कीट के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं के दौरान तीन बार पुष्पन पर छिड़काव की सिफारिश की गई है ताकि नियंत्रक उपाय किये जा सकें। प्रमुख तिलहन कुसुम के संबंध में फसल को प्रभावित करने वाले चार कीट व्यधियों तथा सात फफूंद रोगों का पता लगाया गया है। रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी प्रजातियों के बीच कुछ संकरण किये गये हैं। कीटनाशियों के उपयोग पर जांच से पता चला है कि कीटनाशियों के अंधाधुंध उपयोग से बाधा आई है तथा सब्जी, सरसों, भण्डारित खाद्यान्न, मास, डेयरी उत्पादों, मुर्गी पालन, अण्डे और मानव वसा तथा दूध में कीटनाशी अवशेषों का पता लगाया गया।

(ख) जी हां।

(ग) कीट और रोग सतर्कता तथा फसलों के कीटों और खरपतवारों के जैविक नियंत्रण पर फील्ड प्रायोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अमल में लाया जा रहा है। ये 23 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र में स्थित 43 फील्ड केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से चलायी जा रही हैं। कीट नियंत्रण में काफी प्रगति हुई है। यह प्रगति सावधिक बुलेटिन, पुस्तिकाओं, फिल्मों, रिपोर्ट तथा अनुसंधान प्रकाशनों को प्रकाशित करने से हो रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 में पथ-परिवर्तन हेतु अनुरोध

8079. **श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 में पथ-परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). जी, हां। वर्तमान वियावर पाली-सिरोही-आबूसेड़-पालनपुर-राधांपुर के बदले राजस्थान तथा गुजरात राज्य से गुजरते हुए वियावर-सिरोही-मंडार-माउंट आबू-पथवाडा-धनेरा-थारड-सुईगाम-सांख्यीयाली-कांडला के पृथक रूट के साथ-साथ नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 14 के लिए संरक्षण में परिवर्तन का एक प्रस्ताव गुजरात राज्य सरकार ने रखा था। तथापि, राज्य सरकार को सूचित किया जा चुका है कि रा० रा० मार्ग सं० 14 के लिए अपनाया गया रूट चूंकि योजना आयोग की राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश पर आधारित है, इसलिए इसके संरक्षण में परिवर्तन करना वांछनीय न होगा।

राजीव-लोंगोवाल समझौता

8080. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजीव-लोंगोवाल समझौते को आज भी प्रासंगिक मानती है और क्या इसका उपयोग पंजाब समस्या का हल ढूंढ़ने में किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के कार्यान्वयन हेतु गत चार महीनों के दौरान क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख). पंजाब के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 17 दिसम्बर, 1989 को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में एक आम सहमति हुई जिसके अन्तर्गत गणतंत्र के संविधान के दायरे में रहते हुए देश की एकता और अखण्डता को खतरे में डाले बगैर टिकाऊ आधार पर नए दृष्टिकोण के साथ पंजाब समस्या का हल निकालने हेतु प्रयास करने की अपील की गयी।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

8081. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न परिमण्डलों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं और इनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एक्सचेंजों से वर्ष-वार कितनी टेलीफोन लाइनें स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) वर्ष 1987 से मध्य प्रदेश में कितनी नई टेलीफोन लाइनें स्वीकृत की गई हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश में 31.3.90 को 1,98,138 लाइनों की क्षमता के 1092 एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रदान की गई टेलीफोन लाइनों की संख्या इस प्रकार थी :

1987-1988	—	12,139
1988-1989	—	21,235
1989-1990	—	27,133

(ग) 1987-90 के दौरान 60,507 लाइनें।

राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

8082. **श्री सुदर्शन राय चौधरी :**
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री बी० कृष्ण राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 अप्रैल, 1990 को केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लम्बित पड़े विधेयकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : 30 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए और लम्बित पड़े राज्य विधेयकों के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	विधेयक का नाम	विलम्ब का कारण
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश (8)	
1.	आन्ध्र प्रदेश वीडियो कैसेट रिकार्डर के माध्यम से टेलीविजन स्क्रीन पर फिल्मों की प्रदर्शनी (विनियमन) विधेयक, 1987	राज्य सरकार से संशोधित अध्यादेश भेजने का अनुरोध किया गया है।
2.	मोटर वाहन (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989	राज्य सरकार के पास लम्बित।
3.	आन्ध्र प्रदेश सहकारी समितियां (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1989	राज्य सरकार के पास लम्बित।
4.	आन्ध्र प्रदेश राजमार्ग विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
5.	आन्ध्र प्रदेश मण्डल प्रजा न्याय परिषद विधेयक, 1989	—तदैव—
6.	आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों का प्रबोधक विधेयक, 1989	—तदैव—
7.	आजमबाद औद्योगिक क्षेत्र (पट्टे को समाप्त और नियमित करना) वियधेक, 1989	—तदैव—
8.	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक कामगार (प्रबंधकों में अभ्यावेदन भागीदारी और सहायता) विधेयक, 1989	—तदैव—
	अरुणाचल प्रदेश (3)	
9.	अरुणाचल प्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष संरक्षण विधेयक, 1987	अन्तिम आदेश हेतु फाइल विचाराधीन है।
10.	अरुणाचल प्रदेश भ्रष्टाचार निवारक (संशोधन) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3
11.	अरुणाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन (विनियमन) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	असम (5)	
12.	असम भूमि पट्टों पर अधिकतम सीमा का निर्धारण (संशोधन) विधेयक, 1987	—तदैव—
13.	असम (कृषि भूमि का गैर कृषक लोगों को हस्तांतरण निषेध) विधेयक, 1987	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
14.	असम औद्योगिक प्रतिष्ठान कामगारों को (स्थायी दर्जा देना) विधेयक, 1985	—तदैव—
15.	असम राजमार्ग विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
16.	कुष्ठ (असम निरसन) विधेयक, 1989	—तदैव—
	बिहार (4)	
17.	बिहार ऋण राहत (संशोधन) विधेयक, 1987	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
18.	मोटर वाहन (बिहार संशोधन) विधेयक, 1988	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
19.	बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 1988	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
20.	बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	गोवा (4)	
21.	गोवा, नाम तथा उपनाम में परिवर्तन विधेयक, 1987	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
22.	गोवा औद्योगिक विकास (संशोधन) विधेयक, 1988	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
23.	गोवा सम्पति विकृति निवारक विधेयक, 1988	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3
24.	गोवा, पब्लिक मैन भ्रष्टाचार (जांच और पूछताछ) विधेयक, 1988	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	हरियाणा (6)	
25.	भारतीय विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1987	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
26.	महर्षि दयानन्द वि० विद्यालय संशोधन विधेयक, 1988	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
27.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988	—तदैव—
28.	भारतीय विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989	—तदैव—
29.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1989	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
30.	पंजाब कृषि उत्पादन मार्किट (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	हिमाचल प्रदेश (1)	
31.	अनिवार्य वस्तुएं (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
	कर्नाटक (4)	
32.	कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
33.	कर्नाटक इस्तेमाल के लिए स्थानीय क्षेत्रों में प्रयोग अथवा बिक्री के लिए सामान पर चुंगी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987	—तदैव—
34.	कर्नाटक विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, परियोजना विधेयक, 1987	राज्य सरकार के पास लम्बित है।

1	2	3
35.	भूमि अधिग्रहण (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1988	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	केरल (शून्य)	
	मध्य प्रदेश (1)	
36.	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद विधेयक, 1987	—तदैव—
	महाराष्ट्र (1)	
37.	महाराष्ट्र कृषि भूमि (मिल्कियत की अधिकतम सीमा) (संशोधन) विधेयक, 1990	—तदैव—
	मणिपुर (5)	
38.	मणिपुर जन पुस्तकालय विधेयक, 1988	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
39.	मणिपुर लाटरी नियंत्रण विधेयक, 1988	—तदैव—
40.	मणिपुर मत्स्य पालन विधेयक, 1988	—तदैव—
41.	मणिपुर होम गार्ड विधेयक, 1989	—तदैव—
42.	मणिपुर पुलिस (अग्निशमन सेवाएं) विधेयक, 1989	—तदैव—
	मेघालय (1)	
43.	मेघालय चिकित्सा परिषद विधेयक, 1987	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
	उड़ीसा (2)	
44.	उड़ीसा अनिवार्य सेवाएं (रख-रखाव) विधेयक, 1988	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
45.	उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	राजस्थान (2)	
46.	जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम व पते में संशोधन) विधेयक, 1984	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
47.	राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	सिक्किम (2)	
48.	सिक्किम भूमि अंतरण (विनियमन) विधेयक, 1989	राज्य सरकार के पास लम्बित है।

1	2	3
49.	सिक्किम भूमि हस्तांतरण (विनियमन) विधेयक, 1989	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
	तमिलनाडु (6)	
50.	तमिलनाडु स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री हेतु समान पर प्रवेश कर विधेयक, 1983	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
51.	तमिलनाडु शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1985	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
52.	मद्रास रेस क्लब (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) (संशोधन) विधेयक, 1986	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
53.	तमिलनाडु मोटर वाहन (हड़तालों अथवा प्रदर्शनों अथवा विरोध के दौरान जान-बूझकर यातायात अवरोध उत्पन्न करने के लिए ड्राईविंग लाइसेंसों को रद्द करना) विधेयक, 1987	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
54.	डा० एम० जी० आर० मेडिकल विश्व-विद्यालय तमिलनाडु (संशोधन और वैद्धकरण) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
55.	भूमि अधिग्रहण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1989	अन्तिम आदेशों हेतु फाइल प्रस्तुत की गई है।
	त्रिपुरा (4)	
56.	त्रिपुरा अन्तर्भूमि मत्स्यपालन विधेयक, 1986	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
57.	त्रिपुरा कृषि उत्पाद विपणन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988	राज्य सरकार के पास लम्बित है।
58.	त्रिपुरा भूराजस्व और भूमि सुधार (छठा संशोधन) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
59.	त्रिपुरा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत आवासियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक, 1989	—तदैव—
	उत्तर प्रदेश (2)	
60.	उत्तर प्रदेश भवन विनियमन और भूमि उपयोग (आणविक प्रतिष्ठान) (संशोधन) विधेयक, 1988	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3
61.	उत्तर प्रदेश कानून (हरियाणा से हस्तांतरित क्षेत्रों का विस्तार) विधेयक, 1989	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
	पश्चिम बंगाल (7)	
62.	मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
63.	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984	—तदैव—
64.	दंड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1988	—तदैव—
65.	रविन्द्र सांस्कृतिक संस्थान (प्रबंध को अपने हाथ में लेना) (संशोधन) विधेयक, 1989	—तदैव—
66.	पश्चिम बंगाल मजदूर टिन्डल लोर्डर्स गोदाम कार्मिक और अन्य कामगार (रोजगार का विनियमन और कल्याण) (संशोधन) विधेयक, 1989	—तदैव—
67.	शासकीय न्यासी (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1989	—तदैव—
68.	पश्चिम बंगाल अपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) संशोधनकारी विधेयक, 1990	—तदैव—

मणिपुर में टेलीफोन सम्पर्क

8083. **प्रो० मिजिनलंग कामसन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर टेलीफोन नेटवर्क के अन्तर्गत मणिपुर के तमेंगलोंग जिला मुख्यालय और इसके उप-मंडलीय मुख्यालयों में शीघ्र ही टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी निर्माण-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से मिलनी आरम्भ हो जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). इस समय तामेंगलोंग जिला मुख्यालय में मैक्स-III एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा रही है जिसके स्थान पर 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने और उपर्युक्त पारेषण माध्यम उपलब्ध होने पर एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

टेलीफोन कनेक्शनों की पर्याप्त मांग होने पर नुगंबा, तमेई, उप-मंडलीय मुख्यालयों में 1990-91 के दौरान और तो सेम में 1991-92 के दौरान एक्सचेंज खोलने की योजना है।

उत्तर प्रदेश में बस्ती और सिद्धार्थ नगर में टेलीफोन एक्सचेंज

8084. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बस्ती और सिद्धार्थ नगर में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं, ये कहां-कहां स्थित हैं तथा ये किस प्रकार के हैं; और

(ख) इनमें से गत वर्ष से कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य नहीं कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 31.3.90 की स्थिति के अनुसार बस्ती जिले में 20 और सिद्धार्थ नगर जिले में 9 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। एक्सचेंजों की अवस्थिति और उनके किस्म का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सभी एक्सचेंज आमतौर पर संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रहे हैं।

विवरण

31.3.90 तक की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया है :—

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की किस्म
1	2	3
बस्ती—20 एक्सचेंज		
1.	बखोरा	छोटा स्वचल एक्सचेंज
2.	बाघनगर	—वही—
3.	बमनान	—वही—
4.	बस्ती	मध्य स्वचल एक्सचेंज
5.	चावनी	छोटा स्वचल एक्सचेंज
6.	कप्तानगंज	—वही—
7.	हरिया	—वही—
8.	हैदराबाद	—वही—
9.	कलावारी	—वही—
10.	खलीलाबाद	करचल एक्सचेंज
11.	लोहरौली	छोटा स्वचल एक्सचेंज
12.	महदवाल	—वही—
13.	मुन्देरवा	—वही—
14.	मेहसून	—वही—
15.	मगहर	—वही—

1	2	3
16.	नाथनगर	छोटा स्वचल एक्सचेंज
17.	नबर बाजार	—वही—
18.	कमेड़ियावन	—वही—
19.	रूधौली	—वही—
20.	विक्रम जोत	—वही—
सिद्धार्थ नगर—9 एक्सचेंज		
1.	बांसी	करचल एक्सचेंज
2.	बरनी	छोटा स्वचल एक्सचेंज
3.	विदंपुर	—वही—
4.	डुमरियागंज	करचल एक्सचेंज
5.	दलदला	छोटा स्वचल एक्सचेंज
6.	इटावा बाजार	—वही—
7.	सिद्धार्थनगर	इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज
8.	शोहरत गढ़	छोटा स्वचल एक्सचेंज
9.	उस्का बाजार	—वही—

सीतापुर बाईपास

[हिन्दी]

8085. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर सीतापुर बाईपास के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह बाईपास यातायात के लिए कब तक तैयार हो जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग). सीतापुर के चारों ओर 7.6 कि. मी. लम्बा एक बाईपास का चरणों में निर्माण किया जा रहा है। पुलियों तथा सड़क के किनारों का काम पूरा होने वाला है। इसके अतिरिक्त, सहायन पुल तथा इस बाईपास पर इसके पहुंच मार्गों के निर्माण के एक प्राक्कलन का भी अनुमोदन किया जा चुका है तथा पेवमेंट के कार्य को चालू वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है तथापि इस समय यह कह पाना अत्यन्त समय पूर्व होगा कि बाईपास कब तक तैयार हो जाएगा क्योंकि शेष कार्यों के प्राक्कलनों को अभी स्वीकृति मिलनी बाकी है।

संचार मंत्रालय द्वारा कम्प्यूटरों और वर्ड-प्रोसेसरों की खरीद

8086. **कुमारी उमा भारती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन उपक्रमों, निगमों और कम्पनियों द्वारा वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान उपक्रम-वार कितने कम्प्यूटर, वर्ड प्रोसेसरों और पर्सनल कम्प्यूटर खरीदे गये;

(ख) उनमें से कितने कम्प्यूटर हिन्दी में भी कार्य कर सकते हैं; और

(ग) इन उपकरणों को हिन्दी में कार्य करने के उपयुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अलगाववादी, साम्प्रदायिक और उग्रवादी संगठनों से निपटने के लिए रणनीति

[अनुवाद]

8087. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अलगाववादी, साम्प्रदायिक और उग्रवादी संगठनों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों के देश की एकता को अस्थिर करने के नापाक इरादे हैं। उनके इन नापाक इरादों का मुकाबला एक मजबूत राष्ट्र द्वारा प्रभावकारी ढंग से किया जाना है। राष्ट्रीय एकता परिषद ने 11 अप्रैल, 1990 को हुई बैठक में सभी राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक और धर्म निरपेक्ष ताकतों से हिंसा, अलगाववाद, साम्प्रदायिकता और रूढ़िवाद की चुनौतियों का मुकाबला करने में आगे आने की अपील की है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश में साम्प्रदायिक सोहार्दता, स्थिरता और विकास का माहौल बने। शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है।

बिहार के भोजपुर और रोहतास जिलों में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

8088. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के भोजपुर और रोहतास जिलों में शाखा डाकघर और उप डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान जिले-वार किन-किन स्थानों पर नये शाखा डाकघर और उप डाकघर खोलने का विचार किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). विभाग अब, सातवीं योजना के दौरान कार्यान्वित विस्तार कार्यक्रम के आधार पर डाकघर खोलने के लिए मानदंडों को संशोधित कर रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद राज्य/जिला-वार प्रस्ताव तैयार किये जाने की संभावना है।

कृत्रिम तरीके से झींगा मछली का उत्पादन

[अनुवाद]

8089. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समुद्र तटीय क्षेत्र के साथ झींगा मछली एवं अन्य खाद्य मछली के कृत्रिम उत्पादन को, जहां इस प्रयोजनार्थ व्यवहार्य वाणिज्यिक पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग की गुंजाइश है, अद्यतन करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में झींगा और मछली पालन की तकनीक को विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(1) "समेकित खारापानी मछली पालन विकास" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से खारापानी झींगा/मछली पालन का विकास करना; खारा पानी मछली/झींगा फार्म और आधुनिक झींगा बीज हैचरियों का निर्माण करना तथा उन्हें चालू करना; समुद्र तटीय जिलों में झींगा मछली पालकों को तकनीकी पैकेज, वित्तीय और विस्तार समर्थन देने के लिए खारापानी मत्स्यपालक विकास एजेंसियों की स्थापना करना; यू० एन० डी० पी० से सहायता प्राप्त समुद्र तटीय जल कृषि परियोजना के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से मार्गदर्शी फार्म और मार्गदर्शी वाणिज्यिक झींगा बीज हैचरियों की स्थापना करना, इस योजना के प्रमुख घटक हैं;

(2) निधि की व्यवस्था करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से और संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत तकनीकी सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी का आयात ताकि जल कृषि के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाया जा सके और इसे मानकीकृत किया जा सके;

(3) वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयातित आधुनिक प्रौद्योगिकी से वाणिज्यिक पैमाने की 2 झींगा बीज हैचरियों की स्थापना;

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों द्वारा समुद्र में मछली पकड़ने/मैरीकल्चर, श्रिम्प और मछली पालन के बारे में अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों को तेज करना; आदि।

बिहार के नालंदा जिले में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

8090. **श्री आर० एस० प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के नालंदा जिले में टेलीफोन कनेक्शन, के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ख) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 4.5.1990 की स्थिति के अनुसार 296.

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मौजूदा प्रतीक्षा सूची 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटा दी जाएगी।

बिहार में ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति

8091. **श्री वसई चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 29 मार्च, 1990 को भारी हिमपात और ओलावृष्टि के कारण फसलों की व्यापक क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में किसानों को व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 18 जिलों में लगभग 1.46 लाख हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र हाल की ओलावृष्टि से प्रभावित हुआ था।

(ख) और (ग). बिहार सरकार ने साधारण बीमा निगम को रबी, 1989-90 के लिए उपज संबंधी आंकड़े अभी तक नहीं भेजे हैं जिससे कि क्षतिपूर्ति दावों के संबंध में कार्रवाही की जा सके।

सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए केरल को धनराशि का आवंटन

[अनुवाद]

8092. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान केरल को सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ख) राज्य में इस क्षेत्र के अंतर्गत कितनी धनराशि व्यय की गयी और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयीं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ केरल का वर्ष 1990-91 के लिए कितना वार्षिक योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई योजनाएं अथवा परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए केन्द्र सरकार की योजना के अधीन कोई कार्यक्रम नहीं

है। तथापि, 1989-90 से नई जवाहर रोजगार योजना में यह परिकल्पना की गई है कि ग्राम पंचायतों को निधियों का आवंटन किया जाए और उन्हें समुदाय के लाभ के लिए योजनाएं चुनने का दायित्व सौंपा जाए। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत निधियां राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 1989-90 के लिए, केरल को 65.7 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) राज्य सरकार से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1989-90 के दौरान 64.6 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है तथा 231.79 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया है।

(ग) केरल के लिए जवाहर रोजगार योजना हेतु 1990-91 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 63.9 करोड़ रुपये है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कपास का उत्पादन

8093. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कपास का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) राज्य-वार इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई तथा प्रति हैक्टेयर इसका कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों अर्थात् 1986-87 से 1988-89 के दौरान कपास का राज्यवार उत्पादन और प्रति हैक्टेयर उपज को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1986-87 से 1988-89 के दौरान कपास का राज्य-वार उत्पादन और प्रति हैक्टेयर उपज

राज्य	उत्पादन (प्रत्येक 170 कि० ग्राम की लाख गाठें)			उपज (कि०ग्राम प्रति हैक्टेयर)		
	86-87	87-88	88-89	86-87	87-88	88-89
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	6.1	5.4	5.4	252	159	146
2. गुजरात	10.9	3.0	14.7	136	70	229
3. हरियाणा	9.0	6.9	8.5	404	281	332
4. कर्नाटक	4.5	5.4	8.7	184	194	238
5. मध्य प्रदेश	2 4	2.9	3.3	78	96	105

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	महाराष्ट्र	8.9	14.7	13.7	56	99	89
7.	पंजाब	16.9	18.6	21.2	507	509	475
8.	राजस्थान	7.0	2.2	6.0	326	108	341
9.	तमिलनाडु	2.8	4.4	4.8	254	305	332
	अखिल भारत	69.1	63.8	86.9	169	168	202

नारियल का उत्पादन

8094. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**

श्री वी० कृष्ण राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान नारियल का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे नारियल की मांग का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान नारियल का राज्यवार उत्पादन मिलियन दानों में नीचे दिया गया है। 1989-90 के उत्पादन आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

आन्ध्र प्रदेश	480.3	511.2
असम	79.9	65.9
गोआ	106.9	107.2
कर्नाटक	1096.5	1129.4
केरल	3346.0	3841.0
महाराष्ट्र	88.9	103.0
उड़ीसा	113.7	113.7
तमिलनाडु	1578.3	1917.8
त्रिपुरा	3.3	3.3
पश्चिम बंगाल	248.5	238.5
अंडमान और निकोबारद्वीप समूह	80.0	81.4
लक्षद्वीप	24.8	25.2
पांडिचेरी	22.8	23.2

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता है।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विकास खंड में शुष्क भूमि कृषि परियोजना

[हिन्दी]

8095. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रीवा विकास खण्ड में शुष्क भूमि कृषि परियोजना के अन्तर्गत कृषि विकास कार्यक्रमों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों से समस्त रीवा जिले में अभूतपूर्व सूखा पड़ा हुआ है;

(ग) क्या रीवा जिले की रीवा विकास खण्ड परियोजना को किन्हीं अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) राज्य सरकार द्वारा 1971-72 से 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के रीवा विकास क्षेत्र में कृषि विकास कार्यक्रमों पर मात्र एक करोड़ अड़तीस लाख इकत्तीस हजार नौ सौ तिरपन रुपये (1,38,31,953 रुपये) खर्च किये गये।

(ख) भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रीवा जनपद में 1982 से 1988 तक सामान्य वर्षा हुई। केवल 1989 के मानसून मौसम के दौरान सामान्य से 24 प्रतिशत वर्षा कम रही।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

बीजों का उत्पादन

[अनुवाद]

8096. **श्री रामदास सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न किस्मों के बीजों के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) देश में बीज की अनुमानित मांग कितनी है और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। बीज प्रतिस्थापन दर के लिये निर्धारित लक्ष्य के आधार पर बीज वितरण का लक्ष्य 1989-90 अर्थात् 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान 107.33 लाख क्विंटल

निश्चित किया गया है। मध्यकालीन मूल्यांकन के पश्चात उसे संशोधित करके 70 लाख क्विंटल कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सूचना के आधार पर 1989-90 के दौरान विभिन्न फसलों के लिये अनुमानित मांग 59.39 लाख क्विंटल थी। प्रमाणित बीजों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम चरण 3 का क्रियान्वयन।

2. विभिन्न फसल विकास कार्यक्रम के माध्यम से बीजों के उत्पादन और वितरण में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन और राजसहायता का प्रावधान।

3. आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिये बफर भंडारण।

छिद्रण मशीनों का आयात

[हिन्दी]

8097. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीने के पानी के लिए गहरे नलकूपों के छिद्रण-फार्म हेतु विदेशी एजेंसियों के माध्यम छिद्रण मशीनों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ मशीनें मध्य प्रदेश को दी जाएंगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने का उत्पादन

8098. **श्री फूल चंद वर्मा :**

श्री आर० एम० राकेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान गन्ने का कुल कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) वर्ष 1989-90 के लिये गन्ने के उत्पादन के अन्तिम अनुमान राज्यों से अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि, प्रारम्भिक आकलन के अनुसार गन्ने का उत्पादन इस वर्ष लगभग 210 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है।

(ख) 1990-91 के लिये गन्ने के उत्पादन का आकलन इतनी जल्दी किया जाना सम्भव नहीं है। तथापि, 1990-91 के लिये, 220 मिलियन मीटरी टन के अन्तरिम लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया है।

कोर्डलैस टेलीफोन का निर्माण

[अनुवाद]

8099. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को हाल में कोर्डलैस टेलीफोन के निर्माण का क्रयादेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्रयादेश का ब्यौरा क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करने वाली गैर सरकारी क्षेत्र की अनेक कम्पनियों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि वे कोर्डलैस टेलीफोन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के मूल्य की तुलना में बहुत ही कम मूल्य पर उपलब्ध करा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने दूरसंचार उपकरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या मानदंड अपनाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डोरी रहित टेलीफोनों के लिए आई० टी० आई० को आदेश नहीं दिये गये हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में तैनात अर्ध-सैनिक बल

[हिन्दी]

8100. **श्री शिवशरण वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अर्ध सैनिक बल के कितने जवान तैनात किये गये;

(ख) उक्त अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करने के क्या कारण थे और इसे किन-किन स्थानों पर तैनात किया गया;

(ग) सरकार का इन स्थानों से अर्ध सैनिक बलों को कब तक हटाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ). कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को उपलब्धता के आधार पर उनके अनुरोध पर केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल प्रदान किए जाते हैं। उनकी तैनाती की अवधि व्याप्त स्थिति पर निर्भर करती है।

ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्त करना

[अनुवाद]

8101. **श्री वी० राजरवि वर्मा :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-यात्रा के इच्छुक ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिलहनों के बारे में प्रौद्योगिकी मिशन पर खर्च की गयी धनराशि

8102. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों, वर्षवार के दौरान तिलहनों के बारे में प्रौद्योगिकी मिशन पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : 1986 में गठित किया गया तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन उन विभिन्न एजेन्सियों का एक मंच है जिनके ऊपर तिलहन अनुसंधान, उत्पादन, परिसंस्करण, वितरण आदि का उत्तरदायित्व होता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन किसी भी योजना को सीधा क्रियान्वित नहीं करता है। मिशन के अधिकारी सरकार द्वारा स्वीकृत तिलहन विकास के लिये समेकित नीति के क्रियान्वयन में अनेक भागीदार विभागों और एजेन्सियों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करते हैं। वे नीति के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम की प्रगति को मोनिटरिंग के लिए सभी तिलहन उत्पादक राज्यों का दौरा करते हैं।

2. तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन पर व्यय होने वाली निधियां स्थापना सम्बन्धी व्यय के रूप में होती हैं जिनमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, कार्यालय का आकस्मिक व्यय आदि शामिल हैं। गत तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्न प्रकार रहा :—

(लाख रुपये)

	व्यय	
	योजना	गैर योजना
1987-88	—	8.00
1988-89	22.29	9.00
1989-90	28.84	8.00

3. तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन एक समन्वय करने वाला निकाय है, अतः उसने राज्य-वार कोई व्यय नहीं किया है।

कृषि उत्पादन

[हिन्दी]

8103. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो देश के किन-किन भागों में कृषि उत्पादन अधिकतम होता है;

(ग) किन-किन भागों में कृषि उत्पादन न्यूनतम है;

(घ) देश में कृषि का अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन कितना कितना है;

(ङ) अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां। प्रमुख राज्यों/अखिल भारत में 1988-89 को समाप्त हुई तीन वर्ष को अवधि के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ने, पटसन और मेस्ता तथा कपास के उत्पादन को प्रदर्शित करने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) से (घ). उपर्युक्त फसलों का अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन तथा उन्हें उत्पादित करने वाले राज्य संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। तुलनात्मक विवरण केवल प्रमुख उत्पादक राज्यों तक ही सीमित किया गया है।

(ङ) और (च). योजना आयोग ने अभी 1990-91 के लिए कृषि उत्पादन के लक्ष्यों और 8वीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

विवरण--1

वर्ष 1988-89 को समाप्त हुई तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ने, पटसन और मेस्ता तथा कपास का उत्पादन—प्रमुख राज्य/अखिल भारत

(लाख मीटरी टन/गाठें)

राज्य	खाद्यान्न	तिलहन	गन्ना	पटसन तथा* मेस्ता	कपास**
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	106.8	19.5	99.8	4.3	5.6
असम	27.1	1.7	19.5	8.8	—
बिहार	107.4	1.2	45.9	11.6	—
गुजरात	32.7	1[illegible].9	65.2	—	9.5
हरियाणा	78.1	3.5	61.9	—	8.1
हिमाचल प्रदेश	10.6	—	0.2	—	—
जम्मू और कश्मीर	12.3	0.4	0.2	—	—
कर्नाटक	69.0	14.1	17.0	0.4	6.2
केरल	10.9	0.1	5.1	—	0.1
मध्य प्रदेश	147.3	16.9	18.5	0.1	2.6
महाराष्ट्र	97.6	12.9	248.6	0.8	12.4

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	61.1	8.4	29.2	4.8	—
पंजाब	168.2	2.0	58.1	—	18.9
राजस्थान	74.1	13.5	9.8	—	5.1
तमिलनाडु	73.5	12.1	220.5	—	4.0
उत्तर प्रदेश	315.6	9.8	890.5	0.5	—
पश्चिम बंगाल	104.8	3.9	8.7	44.3	—
अखिल भारत	1513.4	139.4	1958.2	77.0	73.2

*प्रत्येक 180 कि. ग्रा. की लाख गाठें।

**प्रत्येक 170 कि. ग्रा. की लाख गाठें।

विवरण—2

वर्ष 1988-89 को समाप्त हुई तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्यान्नों, तिलहनों, गन्ने, पटसन और मेस्ता तथा कपास के अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन करने वाले राज्य

फसल	इकाई	अधिकतम उत्पादन		न्यूनतम उत्पादन	
		राज्य	तीन वर्ष का औसत	राज्य	तीन वर्ष का औसत
खाद्यान्न	लाख मीटरी टन	उत्तर प्रदेश	315.6	हिमाचल प्रदेश	10.6
तिलहन	लाख मीटरी टन	गुजरात	18.9	बिहार	1.2
गन्ना	लाख मीटरी टन	उत्तर प्रदेश	890.5	पश्चिम बंगाल	8.7
पटसन और मेस्ता	प्रत्येक 180 कि. ग्राम की लाख गाठें	पश्चिम बंगाल	44.3	कर्नाटक	0.4
कपास	प्रत्येक 170 कि. ग्राम की लाख गाठें	पंजाब	18.9	मध्य प्रदेश	2.6

पंजाब में दूरसंचार डिवीजनों में कार्यरत नैमित्तिक मजदूर

[अनुवाद]

8104. **श्री कमल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सर्किल में दूरसंचार डिवीजनों में अनेक नैमित्तिक मजदूर अनेक वर्षों से कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां पर वर्ष 1984 से डिवीजन-वार पृथक-पृथक कितने कुशल और अकुशल मजदूर कार्यरत हैं;

(ग) क्या उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मजदूरों की कोई छंटनी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें क्या मुआवजा दिया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) जी, हां। संलग्न विवरण में उल्लिखित श्रमिकों में से 154 की सेवायें नियमित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए तैयार की गई एक स्कीम के अनुसार पात्रता रखने वाले शेष नैमित्तिक मजदूरों को अस्थायी दर्जा प्रदान किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पंजाब सर्किल में 1984 से दैनिक मजदूरी आधार पर कार्यरत कुशल और अकुशल श्रमिकों का विवरण

क्र० सं०	गौण स्विचिंग क्षेत्र (जिसे पहले मंडल कहा जाता था)	दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या
1	2	3
1.	अमृतसर	333
2.	चंडीगढ़	202
3.	जालंधर	129
4.	लुधियाना	335
5.	पटियाला	132
6.	फिरोजपुर	154
7.	संगरूर	89

1	2	3
8.	भटिण्डा	121
9.	होशियारपुर	82
10.	पठानकोट	94
	योग	1671

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा गोदाम किराये पर लेना

8105. **श्री बसंत साठे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र में किसानों को कृषि आदानों की समय पर सप्लाई के लिए उर्वरकों के भण्डारण हेतु किराये पर गोदाम लेने की एक योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान किन-किन पार्टियों ने इस प्रयोजनार्थ गोदाम किराये पर दिए और प्रत्येक के गोदामों की क्षमता और किराये की दरें कितनी हैं तथा कितना भुगतान किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में स्थानीय व्यापारिक समुदाय से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर सी एफ) आम तौर पर उर्वरकों का भंडारण महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य भण्डार निगम/केन्द्रीय भण्डार निगम और अन्य स्थानों पर उपलब्ध गोदामों में है। गोदाम क्षमता की पूर्ति के उद्देश्य से आर सी एफ द्वारा निजी गोदामों को भी किराये पर लिया जाता है। किराये पर लिये गये निजी गोदामों का वर्षवार वितरण निम्नलिखित है :

गोदाम का नाम	क्षमता मि. टन	दर प्रति मि. टन प्रतिमाह	किया गया भुगतान
1	2	3	4
1988-89		रुपए	रुपए
1. नीरा कैनाल सोसाइटी, बारामती	1000	8.00	96,000/-
2. सब राइस वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, पुणे	1000	8.00	96,000/-

1	2	3	4
3. शेतकारी सहकारी संघ गोदाम, नासिक	700	8.00	67,200/-
4. आइडियल वेयरहाउस, नासिक	2000	8.00	1,92,000/-
1989-90			
1. नीरा कैनाल सोसाइटी, बारामती	500	8.00	48,000/-
2. सनराइज वेयरहाउसिंग, पुणे (सितम्बर 89 तक)	1000	8.00	48,000/-
3. शेतकारी सहकारी संघ गोदाम, नासिक (सितम्बर 89 तक)	700	8.00	33,600/-
4. आर. के. मिश्रा वेयर हाउसिंग कार्पो० नागपुर (अगस्त 89 से)	5000	6.65	2,66,000/-
5. एन० डी० आर० वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन			
(क) अकोला (अगस्त 89 से)	2500	7.50	1,50,000/-
(ख) अमरावती (अगस्त 89 से)	5000	7.50	3,00,000/-
(ग) औरंगाबाद (फरवरी 90 से)	3000	8.00	48,000/-
(घ) श्री रामपुर (फरवरी 90 से)	3000	8.00	48,000/-

(ग) आर० सी० एफ० ने बताया है कि इस संबंध में स्थानीय व्यापारी समुदाय से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

न्हावा शेवा पत्तन न्यास द्वारा एक जापानी फर्म पर जुर्माना लगाया जाना

8106. **श्री ज्ञाताराम पोटदुखे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा शेवा पत्तन न्यास द्वारा एक जापानी फर्म पर जिसने सौंपा गया कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया है कई करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते में दांडिक खंड को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) न्हावा शेवा पत्तन न्यास द्वारा लगाये गये जुर्माने के अन्ततः क्या परिणाम रहे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) ठेकेदार द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन के साथ किये गये ठेके की शर्तों के अनुसार जापानी ठेकेदार पर 1.08 करोड़ रु० की निर्धारित क्षति आयद की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि इस विषय के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है इसलिए इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है।

राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करना

8107. **श्री ए. आर. अन्तुले** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई विवेकाधिकार है कि वह संबंधित राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव के बिना ही क्षेत्र की जनता के हित में और राष्ट्रीय हित में किसी राज्य राजमार्ग का दर्जा बढ़ाकर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के संविधान की सूची (सातवीं अनुसूची) की मद सं० 23 के अंतर्गत आते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (2) के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकती है। तथापि, देश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संसाधनों की उपलब्धता, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के अलावा निम्नलिखित मार्गदर्शी निर्देशों को ध्यान में रखकर घोषित किए जाते हैं—

(i) सड़कें जो पूरे देश से होकर गुजरती हैं,

(ii) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें,

(iii) राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें,

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें,

(v) बहुत महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें,

(vi) पर्याप्त लम्बाई में यातायात की उच्च सघनता वाली सड़कें, और

(vii) सड़कें, जिनसे यात्रा की दूरी में काफी कमी आएगी और उससे काफी किफायत होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के गांवों में टेलीफोन/तार सुविधाएं

8108. **श्री ए० आर० अंतुले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1990 तक महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में कितने-कितने गांवों में टेलीफोन/तार सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र में जिलावार उन गांवों की संख्या की सूची, जिन्हें 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन/तार सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं। संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) उन गांवों की संख्या 1500 है जिनमें 1990-91 के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

महाराष्ट्र में जिलावार उन गांवों की संख्या जिन्हें 31.3.90 तक टेलीफोन/तार सुविधायें प्रदान की गई हैं

क्र० सं०	जिला	टेलीफोन सुविधायुक्त गांवों की संख्या	तार सुविधायुक्त गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	अमदनगर	194	68
2.	अंकोला	99	59
3.	अमरावती	116	90
4.	औरंगाबाद	88	93
5.	बीड	97	62
6.	भन्डारा	105	103
7.	बुल्डाना	115	97
8.	चन्द्रपुर	92	36
9.	धुले	188	67
10.	गडचिरौली	67	40
11.	जलगांव	175	156
12.	जालना	80	21
13.	कोल्हापुर	95	77
14.	लातूर	90	48
15.	नागपुर	85	135

1	2	3	4
16.	नान्देड	126	54
17.	नासिक	152	135
18.	उस्मानाबाद	88	15
19.	परभनी	97	7
20.	पुणे	143	198
21.	रायगढ़	72	66
22.	रत्नागिरी	113	86
23.	सांगली	128	107
24.	सतारा	138	31
25.	सिंधुदुर्ग	90	130
26.	सोलापुर	174	129
27.	थाणे	100	71
28.	वर्धा	86	99
29.	यवतमाल	127	54
	कुल	3240	2334

चावल से तैयार नए उत्पाद

8109. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चावल से तैयार किए जाने वाले अनेक उत्पादों अर्थात खाद्य तेल अखाद्य तेल, पशुओं का चारा, तथा 'एल्डीहाईड' जो बहुत मंहगा पदार्थ है और जिसे "फरफ्यूरेल कहा जाता है तथा जिसके निर्यात की व्यापक संभावना है, से कृषि और उद्योगों के बीच न सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न चावल उत्पादक राज्यों में इस प्रकार के लघु कृषि उद्योग का नेटवर्क प्रारंभ करने के लिए कोई दीर्घावधिक योजना तैयार की गई है अथवा तैयार की ज रही है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोआ के स्वतंत्रता सेनानी

8110. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कितने व्यक्ति केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : आंकड़े राज्यवार/संघ शासित क्षेत्र-वार रखे जाते हैं न कि संघर्ष/आन्दोलनवार । ऐसे 872 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने गोवा राज्य की सरकार के माध्यम से आवेदन किया था ।

प्रत्येक तालुक में सार्वजनिक टेलीफोन में एस० टी० डी० सुविधा

8111. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का प्रत्येक तालुक (अथवा तहसील) स्तर पर सार्वजनिक टेलीफोन में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस उद्देश्य की प्राप्ति में क्या-क्या कठिनाइयां हैं और इस प्रकार के विस्तार पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी तालुका मुख्यालयों में एस० टी० डी०, पी० सी० ओ० प्रदान करने के लिए कोई निश्चित नीति तैयार नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

पासपोर्ट कार्यालयों के साथ कार्य करने के लिए ट्रेवल एजेंटों को मान्यता

8112. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट कार्यालयों के साथ कार्य करने के लिये ट्रेवल एजेन्टों को मान्यता प्रदान करने संबंधी काफी संख्या में आवेदन-पत्र मंजूरी के लिए लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें मान्यता प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) मान्यता प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र की छानबीन की जाती है कि वह निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप है ।

दिल्ली में "कपूरथला प्लाट"

8113. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केरल के स्वामित्व वाले "कपूरथला प्लाट" पर दिल्ली सुरक्षा पुलिस का कब्जा है;

(ख) क्या केरल सरकार ने ऐसा अनुरोध भेजा है कि इस प्लाट का उसे कब्जा वापस दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इसका कब्जा केरल सरकार को कब तक दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) मामला विचाराधीन है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा अनुदान-सहायता का उपयोग

8114. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सहायता का परिषद् पूरा उपयोग नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह अनुदान-सहायता परिषद् द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के आधार पर दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य योजना को कार्यान्वित न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियो के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विगत तीन वर्षों में मेरे मंत्रालय से भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध को प्राप्त अनुदान सहायता और उसके उपयोग की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है—

वर्ष	सरकारी अनुदान रुपये	प्रयुक्त रुपये
1986-87	4,25,00,000/-	4,22,36,381/- (मामूली बचत)
1987-88	4,47,36,381/-	4,74,44,243/- (पूर्णतः प्रयुक्त)
1988-89	6,85,00,000/-	6,00,17,262/-

(ख) 1988-89 में 84.43 लाख रुपये का खर्च निम्नलिखित कारणों से कम हुआ (1) लन्दन में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के चालू होने में विलम्ब (2) इस वर्ष में मास्को और मारिशस स्थिति सांस्कृतिक केन्द्रों को पूरी तरह संचालित नहीं किया जा सका; (3) दिभिन्न द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत यात्राओं को भारत के सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के महोत्सव के कार्यक्रमों की वजह से स्थगित करना पड़ा।

(ग) और (घ). जी, हां। ऊपर (ख) में जो विलम्ब बताए गए हैं वे अपरिहार्य कारणों से थे।

टेलीफोन अदालत

8115. **श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में 27 मार्च, 1988 को आयोजित टेलीफोन अदालतों में लिए गए निर्णय आज तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों का क्या ब्यौरा है जिनमें निर्णयों का कार्यान्वयन अभी किया जाना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्नैम प्रोगेट्टी के साथ करार

8116. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने स्नैम प्रोगेट्टी के साथ किये गये करारों की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इटली की फर्म स्नैम प्रोगेट्टी को अनेक उर्वरक परियोजनाएं किस प्रकार दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). स्नैम प्रोगेटी को उर्वरक परियोजनाओं के ठेके प्रदान करने के तरीकों की जांच करने का सरकार का प्रस्ताव है और जब सभी तथ्यों का पता लग जाएगा तब वे सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

केन्द्रीयकृत सड़क उपचार सेवा

8117. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1990 के "स्टेट्समैन", नई दिल्ली संस्करण में "सी.ए.टी.एस. ए मच नगलैक्टिड बेबी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीयकृत सड़क दुर्घटना उपचार सेवा (सैंट्रलाइज्ड एक्सीडेन्ट ट्राउमा सर्विस) के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा समाज को उपयोगी सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) निम्नलिखित के लिए कारंवाई शुरू की गई है :—

(i) दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की आपातकाल कैजुअल्टी सेवाओं में सुधार।

(ii) संजय गांधी मिमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी तथा राव तुलाराम अस्पताल जफ्फरपुर में आपातकाल सेवाओं की व्यवस्था।

(iii) एम्बुलेंस सेवाओं की व्यवस्था, एम्बुलेंस कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, स्वतंत्र बेतार संचार नेटवर्क की स्थापना तथा विभिन्न संगठनों के मध्य कार्य-संपर्क का विकास।

(iv) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना।

(v) ट्राउमोटोलोजी के 250 बिस्तरों वाले अपेक्स केंद्र की स्थापना।

"मल्टी मॉडल कन्टेनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम" की स्थापना

8118. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी विश्व बैंक की सहायता से भारत के भीतरी प्रदेशों और बड़े पत्तनों को जोड़ने वाली "मल्टी मॉडल कन्टेनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम" की स्थापना के बारे में अध्ययन करने और इसके वित्त पोषण के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जर्मनी के शिष्टमंडल से बातचीत की गई थी जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) सरकार को न तो ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी है, और न ही किसी ने इस ओर उसका ध्यान आकर्षित किया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां

8119. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोक्यो (जापान) में रंकागी मन्दिर में रखे गए "नेताजी" सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों को भारत लाने का विचार है;

(ख) क्या अखिल भारतीय नेताजी स्मारक समिति ने इस सम्बन्ध में सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और काफी समय पूर्व उठाये गये इस मुद्दे पर अपेक्षित कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि कुछ ऐसे भी संगठन एवं व्यक्ति हैं जोकि इस तरह की कारंवाई का समर्थन नहीं करते, इसलिए सरकार चाहती है कि इस मामले में सभी संबंधित पक्षों के बीच एक राय कायम हो।

पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर हमला

8120. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

श्री आर० एन० राकेश :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के प्राधिकारी सरकार के ध्यान में यह बात लाए हैं कि राज्य में भारत-बंगलादेश सीमा पर तस्करों के गिरोहों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष 1989 के दौरान 30 घटनायें तथा वर्ष 1990 के दौरान 30.4.90 तक 16 घटनायें हुई। इन घटनाओं में सीमा सुरक्षा बल का एक कांस्टेबल मारा गया।

(ग) ऐसे सभी मामलों में राज्य पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और वे जांच पड़ताल कर रही हैं।

पश्चिम रेलवे की एक उपनगरीय ट्रेन में बम विस्फोट

8121. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री एन० जे० राठवा :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1990 को पश्चिम रेलवे में मलाड के निकट एक उपनगरीय ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इस संबंध में कौन-कौन से एहतियाती उपाय किए गए हैं;

(ङ) इस बम विस्फोट में कितने व्यक्ति मारे गये थे/घायल हुए थे; और

(च) इस विस्फोट के शिकार व्यक्तियों को दी गई मुआवजा-राशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (च). महाराष्ट्र सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

चित्तौड़ (राजस्थान) में उर्वरक संयंत्र

[हिन्दी]

8122. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़ (राजस्थान) में एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संयंत्र में कितनी पूंजी का निवेश किया जाएगा और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा;

(ग) क्या सुपर जिंक स्मेल्टर का सह उत्पाद, रॉक फास्फेट तथा अन्य सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं। सरकार का इस समय चितौड़ (राजस्थान) में तथा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

[अनुवाद]

8123. **श्री बसंत साठे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने अतिरिक्त संसाधनों को रासायनिक उत्पादों के उत्पादन में लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में छोटे किसानों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबंधन में प्रशिक्षण देने के लिए दी गई प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 81 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर थल में 300 टन प्रतिदिन क्षमता के मेथान संयंत्र की स्थापना के लिए मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०) के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। आर० सी० एफ० त्रिपुरा में लगभग 126.69 करोड़ रुपए की

अनुमानित लागत पर मैसर्स त्रिपुरा औद्योगिक विकास लिमिटेड के साथ 300 टन प्रतिदिन क्षमता के मेथानोल संयंत्र की स्थापना के लिए सह-प्रवर्तक बनने की सम्भावना की भी जांच कर रहा है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आर० सी० एफ० का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	लाभ (रु० करोड़ में)
1987-88	53.17
1988-89	69.95
1989-90	38.10

(घ) आर० सी० एफ० कृषि विश्वविद्यालयों और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नागपुर स्थित अपने प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक तकनीकी के लिए नियमित रूप से कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि इसके अन्तर्गत लघु और सीमान्तरीय किसानों को लाया जा सके। आर० सी० एफ० ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है और अपने चल भूमि परीक्षण वाहनों के माध्यमों से किसानों को नि:शुल्क भूमि परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त आर० सी० एफ० प्रदर्शन, परीक्षण आदि के लिए रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति भी करता है। आर० सी० एफ० महाराष्ट्र के दूरस्थ गांवों में चलचित्रों का प्रदर्शन भी करता है जिसमें कृषि का वैज्ञानिक प्रबन्ध और आधुनिक तरीके भी दर्शाये जाते हैं।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन का आधुनिकीकरण

8125. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

श्री जी० एस० बासवराज :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन को पांच प्रमुख नौवहन कंपनियों का संरक्षण प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पत्तन के लिए कोई आधुनिकीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय पहलुओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). इस समय, जवाहर लाल नेहरू पत्तन के माध्यम से निम्नलिखित कम्पनियां (लाइन्स) प्रचलित हो रही हैं :

1.	मैसर्स सी० एम० बी० लाइन्स	कन्टेनर
2.	मैसर्स ब्लेकसी शिपिंग कम्पनी	कन्टेनर
3.	मैसर्स ओडेसा ओशन लाइन्स	कन्टेनर
4.	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी	बल्क
5.	मैसर्स जयश्री शिपिंग	बल्क
6.	मैसर्स साउथ इंडिया शिपिंग कारपोरेशन	बल्क

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा जून/सितम्बर, 1990 से प्रचालन प्रारम्भ किये जाने की संभावना है :

1. मैसर्स मरजारिओं शिपिंग कम्पनी (कन्टेनर)
2. मैसर्स मीरस्क लाइन्स (कन्टेनर)
3. मैसर्स अमेरिकन प्रेसीडेंट लाइन्स (कन्टेनर)
4. मैसर्स एन० वाई० के० लाइन्स (कार कैरिअर्स)

(ग) और (घ). जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने लगभग 65 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से स्टेकिंग यार्ड कन्टेनर फ्रेट स्टेशन तथा अतिरिक्त कन्टेनर हैंडलिंग उपकरणों जैसी कन्टेनर हैंडल करने की सुविधाओं में वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

बडगरा, कालीकट जिले में चोम्बला में नया टेलीफोन एक्सचेंज

8126. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडगरा, कालीकट, जिला, केरल में चोम्बला में एक नया टेलीफोन एक्चेंज स्थापित करने हेतु भूमि अधिगृहीत की गई है ;

(ख) नए स्थान पर प्रस्तावित उक्त टेलीफोन एक्सचेंज का स्वरूप क्या होगा और इसकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या चौम्बला को जोड़ने वाली टेलोफोन लाइनों के सुचारु रूप से काम न करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) चोम्बला एक्सचेंज में कितने आवेदनकर्ताओं के नाम टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। बडगरा केरल में चोम्बला स्थान पर टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए 0.236 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान एक 512 पोर्ट आई० एल० टी० एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है। भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जाने के बाद नये स्थान पर एक बडा एक्सचेंज संस्थापित किया जाएगा।

(ग) चोम्बला में अन्तर-डायलिंग और ट्रंक परिपथ संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(घ) चोम्बला एक्सचेंज में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 263 आवेदक दर्ज हैं।

माहे स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वालों को पेंशन

8127. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "माहे स्वतंत्रता संग्राम" में भाग लेने वाले कितने व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के पांडिचेरी सरकार द्वारा विधिवत संस्तुत किये गये कितने आवेदन पत्र अभी भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उनका शीघ्र निपटान करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) पांडिचेरी प्रशासन के अनुसार, माहे के 67 स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिल रही है।

(ख) निर्धारित तिथि, अर्थात 31.3.1982 तक पांडिचेरी प्रशासन के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया गया तथा आवेदकों को निर्णय के बारे में सूचित किया गया। तथापि, ऐसे दावों के आवेदक, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था, यदि अतिरिक्त साक्ष्य भेजते हैं तो मामलों पर पुनर्विचार किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस समय पांडिचेरी प्रशासन के माध्यम से प्राप्त हुए माहे के दो मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) ऐसे मामलों को निपटाने में प्राथमिकता दी जाती है।

केरल के वायनाड जिले के लिए पृथक मुख्य डाकघर

8128. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां मुख्य डाकघर नहीं हैं;

(ख) केरल में कितने डाक क्षेत्र हैं;

(ग) वायनाड जिला किस क्षेत्र/मुख्य डाकघर के अन्तर्गत आता है;

(घ) क्या केरल के वायनाड जिले में डाक के वितरण में भारी विलम्ब होने संबंधी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केरल सर्किल में कायनाड ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां प्रधान डाकघर नहीं है।

(ख) केरल सर्किल में तीन क्षेत्र हैं, अर्थात—

(i) त्रिवेन्द्रम

(ii) कालीकट

(iii) कोचीन

(ग) कायनाड जिला कालीकट क्षेत्र के अंतर्गत है और इसे कालीकट तथा तेल्लिचेरी के प्रधान डाकघरों से सेवा प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ). डाक वितरण में देरी के सम्बन्ध में वर्ष 1988 में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। केरल परिमण्डल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने डाक वितरण में देरी को समाप्त करने के उद्देश्य से डाक प्रबन्धों की पुनरीक्षा की।

भूमि संरक्षण के लिए वृक्षारोपण

[हिन्दी]

8129. **श्री हरि भाऊ शंकर महाले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) द्वारा गांवों में वृक्ष लगाये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये वृक्ष बहुत विलम्ब से अर्थात् जुलाई अथवा अगस्त (मानसून के मौसम में) लगाये जाते हैं तथा क्या ये वृक्ष नर्सरी के समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं;

(ग) लगाये गये वृक्षों में से औसतन कितने प्रतिशत वृक्ष बच पाते हैं;

(घ) क्या सरकार ने समय पर वृक्ष उपलब्ध न कराये जाने अथवा केवल कागजों पर मिथ्या वृक्षारोपण दिखाने की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां। पेड़ लगाना, मृदा संरक्षण योजनाओं का एक घटक है और कुछ मामलों में निजी/सामुदायिक, बेकार/सीमांत भूमि में पेड़ लगाने का कार्य राज्यों के कृषि विभागों द्वारा किया जाता है ।

(ख) पेड़ लगाने का कार्य अधिकांशतः जून, जुलाई और अगस्त में किया जाता है जो मानसून आने के समय पर निर्भर करता है । नर्सरी से पौधे समय पर उपलब्ध न होने के बारे में कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) पेड़ों के बचने की प्रतिशतता 40 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक है जो मृदा, जलवायु और अन्य घटकों पर निर्भर करता है ।

(घ) और (ङ). पेड़ लगाने के कार्यक्रम, राज्य सरकारों के संबंधित विभागों द्वारा मॉनीटर किये जाते हैं । जब भी कोई गलतियां/अनियमिततायें पाई जाती हैं, आवश्यक उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन सुविधा

8130. **श्री हरि भाऊ शंकर महाले : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले के अब तक कितने-कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र के जिले-वार उन ग्रामों की संख्या की सूची जिन्हें 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है, संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) महाराष्ट्र के उन ग्रामों की संख्या 1500 है जिन्हें टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

महाराष्ट्र के उन ग्रामों की जिलावार संख्या जहां 31.3.1990 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है

क्र० सं०	जिला	टेलीफोन सुविधा प्राप्त ग्रामों की संख्या
1.	अहमदनगर	194
2.	अकोला	991

1	2	3
3.	अमरावती	116
4.	औरंगाबाद	88
5.	बीड	97
6.	भण्डारा	105
7.	बुल्डाणा	115
8.	चन्द्रपुर	22
9.	धुले	188
10.	गढ़चिरोली	67
11.	जलगांव	175
12.	जालना	80
13.	कोल्हापुर	95
14.	लतूर	90
15.	नागपुर	85
16.	नान्देड़	126
17.	नासिक	152
18.	उस्मानाबाद	88
19.	परमनी	97
20.	पुणे	143
21.	रायगढ़	72
22.	रत्नागिरि	113
23.	सांगली	122
24.	सतारा	133
25.	सिंधुदुर्ग	90
26.	शोलापुर	174
27.	थाने	100
28.	वर्धा	86
29.	यवतमाल	127
	योग	3240

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों का पता लगाने के लिए मानदण्ड

8131. **श्री हरि भाऊ शंकर महाले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कृषि जोत से कम जाते रखने वाले किसान को गरीबी रेखा से नीचे समझा जाता है;

(ख) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ). गरीबी की रेखा का मूल्यांकन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा घरेलू खपत व्यय पर एकत्र की गई सूचना के आधार पर किया जाता है। सातवीं योजना हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 6400 रुपये के आसपास की आय सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी की रेखा स्तर के रूप में लिया गया है।

कर्नाटक को छोटी मंडियों के लिए धनराशि

[अनुवाद]

8132. **श्री एच०सी० श्रीकान्तय्या** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान छोटी मंडियों में निर्माण के लिए कर्नाटक को कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) कर्नाटक में छोटी मंडियों के लिए जिलावार कितने भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया है;

(ग) छोटी मंडियों के भवनों के लिए जिलावार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) छोटी मंडियों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). छोटी मंडियों के निर्माण के लिए कोई केन्द्रीय सहायता योजना नहीं है। तथापि, वर्ष 1989-90 में 13 ग्रामीण प्राथमिक मंडियों के विकास के लिए राज्य को 52 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता की राशि और जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिले का नाम	प्राथमिक मंडियों/छोटी मंडियों की संख्या	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता की राशि (लाख रुपये में)
1. बीजापुर	4	16.00
2. मांडया	3	12.00
3. रायचूर	2	8.00
4. दक्षिण कन्नाड़ा	2	8.00
5. बेलगाम	1	4.00
6. चित्रदुर्गा	1	4.00

(घ) राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 112.69 लाख रुपये की आवश्यकता है।

(ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है। निर्माण कार्य निधियों की रिलीज के बाद एक वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है। उनके उपयोग प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त होने हैं।

बिना छिलकेदार जौ-कर्ण-15 का विकास

8133. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित केन्द्र में "कर्ण" श्रेणी के नाम से जौ की सेमी ड्वार्फ किस्म की अधिक उपज वाली बिना छिलकेदार तथा छिलकेदार किस्में, जिनकी भारत और विदेशों में भारी मांग है, विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो "कर्ण-15" की विशेषताओं और इसकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य विदेशी संस्थाओं ने करनाल से जौ के बीज में अपनी रुचि दिखाई है तथा उसका आयात किया है अथवा आयात करने की इच्छा प्रकट की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने करनाल में हमारे वैज्ञानिकों को बिना-छिलकेदार तथा छिलकेदार "जौ" पर अनुसंधान करने हेतु प्रोत्साहन देने और भारत में इनकी अधिक उपज क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) महोदय, केवल एक छिलकारहित किस्म वर्ण-16 को केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति ने रिलीज किया है। कोई भी छिलके वाली किस्म करनाल केन्द्र ने रिलीज नहीं की है। वास्तव में, इसके बीज की भारत में मांग नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). अनुरोध करने पर सुधरी किस्मों के बीजों का विनिमय/सप्लाई किया जाता है। 1989 के दौरान छिलकारहित जौ की दो किस्में आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बंगलादेश, कनाडा, नेपाल और तुर्की को अनुसंधान के लिए दी गयीं।

(ङ) जौ की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना की स्थापना की गई है इसका मुख्यालय करनाल में है। यह प्रायोजना छिलकारहित और छिलके वाली जौ की किस्मों के सभी पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देती है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु केरल से प्राप्त आवेदन

8134. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु केरल से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं;

(ग) कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकृत या सरसरी तौर पर रद्द कर दिया गया है अथवा पहले अनुमति लेने संबधी श्रेणी में डाल दिया गया है और तत्संबंधी सामान्य कारण क्या हैं; और

(घ) कितने आवेदन पत्र निपटान हेतु विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987, 1988 और 1989 के दौरान 504 आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) 412 आवेदन स्वीकार किए गए।

(ग) पूर्व अनुमति प्राप्त न करने के कारण 75 आवेदन अस्वीकृत किए गए।

(घ) 17 आवेदनों का निपटान किया जाना बाकी है।

मिश्र के "क्वारी" लोगों को वीजा

8135. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिश्र के "क्वारी" लोगों के भारत आने पर प्रतिबंध लगा है अथवा इन्हें वीजा जारी नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों में वीजा किन कारणों से नहीं दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

8136. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण की कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). आधुनिकीकरण का जो कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. जिन उपस्करों की कार्यावधि समाप्त हो गई है या जो पुराने और बेकार हो गये हैं उन सभी को बदलना ।
2. इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर शामिल करना ।
3. भूमिगत केबिलों को नलिकाओं में बिछाना ।
4. 5,000 लाइनों तक की क्षमता वाली सभी स्थानीय एक्सचेंज प्रणालियों में मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करने और 5,000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाली स्थानीय एक्सचेंज प्रणालियों में प्रतीक्षा-सूची को औसतन एक वर्ष तक सीमित रखने के लिए आठवीं योजना अवधि के अंत तक टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार करना ।
5. 90 प्रतिशत से भी अधिक उपभोक्ताओं को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करना ।

केरल के लिए प्रस्तावित 90-91 की वार्षिक योजना में शामिल आधुनिकीकरण कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :

कुल स्थानीय स्विचन क्षमता में 56,390 लाइनें जोड़ना/लगभग 150 छोटे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों सहित लगभग 20,000 लाइनों का आधुनिक ई-10 बी किस्म का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर स्थापित करने का प्रस्ताव है । जिन कुछेक बड़े इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :

क्र० सं०	एक्सचेंज	जोड़ी जाने वाली कुल क्षमता (लाइनें)
1.	त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज	10,000
2.	एर्नाकुलम	4,000
3.	कोट्टायम	5,000

इसके अलावा, पालघाट-त्रिचूर, मुन्नार-मैरोयूर, अल्वे-परूर और क्वोलोन कोट्टारकाटा के बीच फाइबर आप्टिक प्रणाली, एर्नाकुलम में डिजिटल माइक्रोवेव लोकल जंक्शन और इद्दुको-नौदिनगुंडम और कालीकट-मरारितावडी के बीच डिजिटल यू० एच० एफ० लिंक का भी प्रस्ताव है ।

नारियल और काली मिर्च के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणु

8137. **श्री एस० कृष्ण कुमार :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटों के जैविक-नियंत्रण के संबंध में कोई सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारियल के वृक्षों तथा काली मिर्च के पौधों की जड़ों और पत्तों को नष्ट करने वाले रोगाणुओं (वाइरस) पर नियंत्रण पाने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। निम्नलिखित महत्वपूर्ण फसलों/कृमियों के लिए प्रभावकारी जैव-नियंत्रण प्रौद्योगिकी विकसित की गई है :

क्रम संख्या	फसलें	कृमि
1.	गन्ना	पाइरिला, स्केल इन्सेक्ट और बोरर
2.	चावल	स्टेमबोरर, लीफ फोल्डर, लीफहॉपर और प्लांट हॉपर
3.	मक्का और सोरघम	स्टेमबोरर
4.	कपास	बोलवोर्म
5.	एरण्डी	सेमिलूपर
6.	तम्बाकू	कैटरपिलर
7.	चना	पोडबोरर
8.	टमाटर	फ्रूट बोरर
9.	सेब	वूली एफिड, सेनजोस स्केल।
10.	नारियल	ब्लैक हैडेड कैटरपिलर।
11.	नीम्बू जातीय	कॉटनी कुशन स्केल और मीली बग।
		खर-पतवार
12.	—	प्रिकली पीअर
13.	—	सलवीनिया

(ग) और (घ). जड़ मुरझान और पत्तियों के नष्ट होने के रोगों से नारियल के पेड़ प्रभावित होते हैं न कि काली मिर्च की बेलें। नारियल के जड़-मुरझान रोगों की रोकथाम करने के लिए किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए समेकित प्रबंध पद्धतियों जैसे उचित खाद डालना, सिंचाई, अन्त: फसल उगाना, रोगग्रस्त पेड़ों का हटाना और स्वस्थ पौधे लगाना तथा सहनशील संकर पौदों की सिफारिश की जाती है। नारियल के पत्तों के नष्ट हो जाने के रोग की रोकथाम करने के लिए फफूंदीनाशियों जैसे बोरडिओक्स, मिक्सचर, कॉपर आक्सिक्लोराइड और डाइथिओकार्बमेट के छिड़काव की सलाह दी जाती है।

कीटों और बीमारियों का उन्मूलन

8138. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और बीमारियों की रोकथाम और उनके उन्मूलन के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में शामिल कीटों और बीमारियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत केरल में अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस वर्ष किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत फसलों और उनसे सम्बन्धित कीटों और रोगों को, जिसके लिए सहायता दी जा सकती है, सरकार ने एक तकनीकी समिति की सिफारिश पर अनुमोदन कर दिया है। फसलों और उनसे सम्बन्धित एवं अनुमोदित कीटों की सूची विवरण—1 के रूप में संलग्न है। राज्यों को उन फसलों और उनके कृमियों का चयन करने का अधिकार है जो सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत हैं।

विवरण—1

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुमोदित कीटों, रोगों और खरपतवार की सूची

धान	: ब्राउन प्लांट हापर, स्वार्मिंग कैटर पिलर, ग्रीन लीफ हापर (ग्रीन जस्सीड्स) ब्लास्ट लीफ रोलर, हिस्पा, गाल फ्लाई, व्वाइट बैक्ड प्लांट हापर।
गेहूं	: फ्लेरिस माइनर/एवेना फेटुआ।
ज्वार	: मिज़ फ्लाई, शूट फ्लाई, कटवार्म एंड रेड हेरी।
मिर्च	: लीफ कर्ल
आलू	: लेट ब्लाइट
सेब	: एप्पल स्कैब
नीम्बू जातीय फसल	: हवाईट फ्लाई/ब्लैक फ्लाई और लीफ माइनर
सभी फसलें	: ह्वाईट ग्रब और रेडिन्ट
गन्ना	: पाइरिला
आम	: हापर और पाउडरी मिल्ड्यू
	तिलहन फसल
मूंगफली	: स्पोडोप्टेरा (प्रोडिनिया), लिटुरा, हेलियोथिस, स्प, एमसेक्टा स्प, एफिड, लीफ माइनर और लीफरस्ट।
सूरजमुखी	: स्पोडोप्टेरा (प्रोडेनिया) लिटुरा, हेलियोथिस और हैयरी कैटरपिलर, (डायक्रीसिया ओब्लीक्वा)
कुसुम	: हेलियोथिस स्प और एफिड्स।
सरसों	: एफिड्स और पेन्टेड बग (केवल राजस्थान के लिए)
तोरिया	: एफिड्स।
सोयाबीन	; लीफ माइनर और हेयरी कैटरपिलर

दलहन फसलें

मूंग	: स्पोडोप्टेरा (प्रोडेनिया), लिटुरा, हेलियोथिस स्प, हेअरी कैटरपिलर, (डायाक्रीसिया ओब्लीम्बा) एमसेक्टा स्प, ब्लू बटरफ्लाई, स्टेमफ्लाई और पाउडर मिल्डयू ।
उड़द	: स्पोडोप्टेरा (प्रोडिनिया), लिटुरा, हेलियोथिस स्प, हेयरी कैटरपिलर, डायक्रीसिया ओब्लीम्बा) एमसेक्टा स्प, ब्लू बटरफ्लाई, स्टेम फ्लाई और पाउडर मिल्ड्यू ।
चना	: हेलियोथिस स्प ।
लैब लैब	: हेलियोथिस, स्प, पाउडरी मिल्ड्यू और मारुका टेस्टूलैलिस ।
तूर (रेडग्राम)	: एमसेक्टा स्प, पोडफ्लाई, स्टेम फ्लाई एण्ड पोडबोरर ।
मटर	: स्टेम फ्लाई, लीफ माइनर, पाउडरी मिल्ड्यू ।
लोबिया	: लीफ माइनर ।

(ग) इस योजना के तहत केरल में किये गये कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण—2 में दिया गया है ।

विवरण—2

कृषि क्षेत्र के प्रमुख कीटों और रोगों की रोकथाम के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत केरल राज्य में किये गये कार्य

वर्ष	फसल	कीट/रोग	कवर किया गया क्षेत्र (एकड़)	केन्द्रीय सहायता (रुपये में)		
				प्रशासनिक स्वीकृति दी गई	राज्य का का दावा	जारी की गई अग्रिम धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	धान	बी०पी०एच०	35,649	6,00,000	4,01,723	17,05,000
		लीफ रोलर	क्रियान्वित नहीं की गई	2,40,000	—	—
1986-87**	धान	बी०पी०एच०	43,094	6,00,000	5,15,880	5,18,000
		लीफ रोलर	7,978	2,40,000	95,106	
		रोडेण्ट	13,58,624	1,94,000	1,91,168	
1987-88	धान	बी०पी०एच	प्रतीक्षित	5,60,000	दावा प्रतीक्षित है	4,20,000
		लीफ रोलर	,,	2,80,000	,,	
		रोडेण्ट	,,	1,30,000	,,	

1	2	3	4	5	6	7
1988-89	धान	बी. पी. एच.	प्रतीक्षित	5,60,000	दावा प्रतीक्षित है	8,00,000
		लीफ रोलर	,,	2,80,000	,,	
		रोडेण्ट	,,	13,50,000	,,	
1989-90		चुनी हुई फसलों से सम्बन्धित अनुमोदित कीटों के लिए नम्यता के साथ राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी कीट एवं रोग की रोकथाम कर सकती है।		9,65,000	,,	2,41,250

**राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अन्तिम दावे की रिपोर्ट और 1986-87 से 1988-89 तक के व्यय के लेखा परीक्षित आंकड़े प्रस्तुत करे जिससे कि खातों को सुव्यवस्थित किया जा सके।

(घ) इस वर्ष के दौरान, राज्य सरकार इस योजना के तहत 5,43,000 हैक्टेयर क्षेत्र में धान की फसलों के लिए वनस्पति रक्षण उपाय अपनाना चाहती है।

केरल में केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म

8139. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का प्रयोग

8140. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को एक सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त दिलाने के मामले को उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाये गये कदमों के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). सरकार इस मामले पर विगत में अनेक अवसरों पर विचार करती रही है। संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा सहित किसी भाषा को लागू करने के लिए प्रकिया के नियम 51 को संशोधित करने के लिए महासभा की स्वीकृति

की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत का अनुमोदन लेना होता है। विगत में सरकार द्वारा किए गए अनौपचारिक परामर्शों और संयुक्त राष्ट्र को पेश आ रहे वित्तीय संकट जैसे अनेक सम्बद्ध कारणों से यह पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र में इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने का यह उचित समय नहीं है।

पाकिस्तान का पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक सैन्य उपकरण प्राप्त करने का प्रयास

8141. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान अपनी सशस्त्र सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक सैन्य उपकरण प्राप्त करने का नये सिरे से प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पाकिस्तान द्वारा उसकी अपनी वैध रक्षा आवश्यकताओं से कहीं अधिक अत्याधुनिक सैन्य सामग्री इकट्ठा करना चिन्ता का विषय है। सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ सकता हो और इसकी सुरक्षा के आवश्यक उपाय भी करती है।

लारेन्स रोड़ दिल्ली में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

[हिन्दी]

8142. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लारेन्स रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितने लेवल;

(ग) क्या सरकार का शक्ति नगर टेलीफोन एक्सचेंज के 74 लेवल किसी अन्य एक्सचेंज में स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थानान्तरित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां। समय पर उपस्कर उपलब्ध होने पर लारेंस रोड के लिए मार्च, 1991 तक कोड "718" का एक नया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). जी हां। आबंटित उपस्कर समय पर उपलब्ध होने पर 1991-92 के दौरान शक्ति नगर के "74" लेवल एक्सचेंज को हटा देने की संभावना है।

सुन्दरबन को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना

[अनुवाद]

8143. **श्री सुधीर गिरि :**

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से सुन्दरवन को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) अन्य किन-किन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). सुन्दरबन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर रंगफाला तथा हुगली के संगम से बेहारीखाल तथा रायमंगल नदी के संगम तक अन्तर्राष्ट्रीय स्टीमर रूट के साथ-साथ जलमार्ग के हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की सहमति भी प्राप्त है, विचार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव को संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) इसके अलावा गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-इलाहाबाद खंड तथा ब्रह्मपुत्र नदी के सैदिया-धुबरी खंड की राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में पहले ही घोषणा कर दी गई है तथा राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए विचार करने के वास्ते पता लगाए गए अन्य जलमार्ग निम्न प्रकार हैं :

1. पश्चिमी तटीय नहर,
2. गोदावरी,
3. कृष्णा,
4. नर्मदा,
5. महानदी,
6. तापी,
7. गोवा में मंडोवी तथा जुआरी नदी एव कुम्बारजुआ नहर।

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण में सुधार

814८. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वाधिक घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों में भारतीय उर्वरक निगम का स्थान सबसे ऊपर है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) भारतीय उर्वरक निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार उर्वरकों हेतु दी जाने वाली राजसहायता राशि का उपयोग करके कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम (एफ० सी० आई०) के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार लगभग 169 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर रामागुण्डम एवं गोरखपुर संयंत्रों से संबंधित पुनरुद्धार के दो प्रस्तावों पर विचार कर रही है। एफ० सी० आई० ने तलचर एवं सिन्दरी एककों के पुनरुद्धार का भी प्रस्ताव किया है। ब्याज भार को कम करने लिए एफ० सी० आई० ने अपनी पूंजी पुनर्संरचना हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उठाए गए घाटों का विवरण निम्नवत है :

वर्ष	पूर्व अवधि समज्जन को लेखे में लेने के पश्चात हुई हानि (रु० करोड़)
1986-87	102.53
1987-88	42.67
1988-89	191.23

(घ) और (ङ). ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि निर्माताओं को उर्वरक मूल्यों पर दी गई राज सहायता के एक भाग का उपयोग कृषि के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जा सकता है। तथापि कोई विशेष प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

दिल्ली में आतंकवादियों का लुक-छिप कर आना

8145. **श्री कल्पनाथ राय :**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से कुछ आतंकवादी दिल्ली में लुक-छिप कर घुस आए हैं;

(ख) यदि हां, तो आतंकवादियों को पकड़ने तथा जनता एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का आतंकवादियों को पकड़ने के कार्य में पुलिस की सहायता हेतु कुछ स्वयंसेवी संगठनों से मदद मांगने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आतंकवादियों के बारे में आसूचना प्राप्त करने के लिए सभी पुलिस जिलों में आतंकवादी विरोधी एककों की स्थापना की गयी है।

2. सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादियों के चिह्न चिपकाए गए हैं ।

3. जन साधारण को समाचार पत्रों, टेलिविजन और रेडियो के माध्यम से शिक्षित किया जाता है कि वे सतर्क रहें और संदेहास्पद दिखाई पड़ने वाले व्यक्तियों और वस्तुओं पर निगरानी रखें ।

4. भेदिये और आरक्षी टुकड़ियों को भेद्य स्थानों पर तैनात किया गया है ।

5. संदिग्ध व्यक्तियों की कार्यवाहियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

6. पैदल/चल (शस्त्रधारी) गश्त को गहन कर दिया गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) सिविल डिफेन्स और कल्याण संगठनों की सेवाएं प्राप्त की गयी हैं ।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन

[हिन्दी]

8146. **डा० बंगाली सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस राज्य में खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में खाद्यानों का उत्पादन राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न फसल विकास योजनाएं जैसे समेकित चावल विकास कार्यक्रम, गेहूं और मक्का के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि कार्यान्वित की जा रही हैं ।

कोचीन शिपयार्ड में सीमा-शुल्क निकासी की प्रक्रिया

[अनुवाद]

8147. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के जहाज मरम्मत विभाग में सीमा-शुल्क निकासी संबंधी प्रक्रियाएं जटिल और अधिक समय नष्ट करने वाली हैं; और

(ख) यदि हां, तो सीमा-शुल्क संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). मौजूदा कार्यविधि के अन्तर्गत, कोचीन शिपयार्ड पर आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। जहाज मरम्मत संबंधी कार्य के समयबद्धता स्वरूप को देखते हुए, वर्तमान कार्यविधि के सरलीकरण के प्रश्न को, शिपयार्ड तथा स्थानीय सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय रूप से विचार विमर्श कर निपटाया जा रहा है।

खोपड़ा की खरीद

8148. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेफेड" की ओर से खोपड़ा की खरीद करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वर्ष अभी तक खोपड़े की कितनी मात्रा में खरीद की गई है;

(ग) इस वर्ष "नेफेड" द्वारा खोपड़े की खरीद हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या "नेफेड" को इसकी पूर्व खरीददारियों में कोई लाभ हुआ था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 1990 के कोपरा विपणन मौसम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) को केन्द्रीय सरकार की ओर से कोपरा खरीदने के लिये नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने नाफेड की ओर से खरीद करने के लिये निम्नलिखित एजेंसियों को नामजद किया है :

1. **केरल** : (1) केरल राज्य नारियल उत्पादक संघ लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम।
   (2) केरल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, कोचीन।
2. **कर्नाटक** : (3) कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, बंगलौर।
3. **लक्षद्वीप** : (4) लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, कालीकट।
4. **अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह** : (5) अण्डमान एवं निकोबार सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, पोर्ट ब्लेअर।

(ख) 4-5-1990 तक नाफेड द्वारा कोपरा की 9435 मीटरी टन की खरीद की जा चुकी है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत कोपरा की अधिप्राप्ति घोषित समर्थन मूल्य पर तब तक जारी रखी जायेगी जब तक कि माल देने की पेशकश होती रहेगी। अतः इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

कोचीन में हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

8149. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). इस समय कोचीन में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का उप संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उच्च-आयुक्तों/राजदूतों के रिक्त पद

8150. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उच्च-आयुक्तों और राजदूतों के कितने पद खाली पड़े हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : इस समय हाई कमिश्नर/राजदूतों के कुल 6 पद रिक्त पड़े हैं ।

केरल में आर० एम० एस० छटाई कार्यालय

8151. **श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तीन आर० एम० एस० छटाई कार्यालय बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विभाग को इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा खरीदे गए जीप/कार और ट्रक

[हिन्दी]

8152. **श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा इसके महा-प्रबंधक (रखरखाव) नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों द्वारा अपने कार्यालय के प्रयोग के लिए कितने जीप/कार और ट्रक खरीदे गए और उसकी खरीद तथा रखरखाव पर वार्षिक कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ख) क्रमशः दिल्ली और बंबई में इन विभागों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किराये के वाहनों तथा कारों के किराये के भुगतान के रूप में औसतन वार्षिक कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दैनिक कामगारों को नियमित करना

8153. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने याचिका सं० 373/86 पर 27 अक्तूबर, 1987 को उनके मंत्रालय को एक वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले अंशकालिक/दैनिक कामगारों को नियमित करने के लिए आठ महीने के भीतर कोई योजना तैयार करने का विनिर्देश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उच्चतम न्यायालय ने याचिका सं० 373/86 के सिलसिले में इस मंत्रालय को दिनांक 27 अक्तूबर, 1987 को निर्देश दिया था कि विभाग 8 महीने के भीतर "डाक व तार विभाग में लगातार एक वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे नैमितिक मजदूरों को यथासम्भव खपाने के लिए एक युक्तिसंगत योजना तैयार करें"।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा बढ़ाए गए अनुमत्य समय-सारणी के भीतर दूरसंचार विभाग की "नैमित्तिक मजदूर (अस्थायी दर्जा प्रदान करना एवं नियमन) योजना 1989" तैयार की गई।

जहां तक डाक विभाग का संबंध है, इसी प्रकार तैयार की गई एक ऐसी ही योजना संबंधित विभागों/मंत्रालयों को सहमति के लिए भेज दी गई है।

कन्याकुमारी जिला (तमिलनाडु) के मछुआरों के लिए रिहायशी आवास

[अनुवाद]

8154. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिहायशी आवासों की कमी के कारण मछुआरों, विशेष रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मछुआरों की हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मछुआरों की रिहायशी आवासों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कोष में से सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कन्याकुमारी जिले में मछुआरा गांवों सहित तमिलनाडु में 10 आदर्श मछुआ गांवों के विकास की मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार इन आदर्श मछुआरा गांवों में 844 घर, 7 सामुदायिक कक्ष, 41 नलकूप, और 7 ऋण समितियां तथा कन्याकुमारी में 150 घर, 1 सामुदायिक कक्ष, 7 नलकूप, और 1 ऋण समिति होगी। सातवीं योजना के दौरान 37.23 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

महाराष्ट्र में शोलापुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

8155. **श्री एस०बी० थोरट** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में नए डाकघर खोले जाने एवं कई टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार एवं विकास करने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिले में एस०टी०डी० सुविधा सहित कितने नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 8वीं योजना के दौरान शोलापुर जिला (महाराष्ट्र) में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार एवं विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां तक डाकघरों का सम्बन्ध है, चालू वर्ष के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । तथापि, इस संबंध में 8वीं योजना तैयार की जा रही है।

(ख) जिन स्थानों पर डाकघर खोले जाने हैं वे हैं :

(1) सय्यद बारवडे (2) कोलगांव (3) कनवास और (4) अम्बारे।

(ग) और (घ). इस समय नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, 1990-91 के दौरान पंढरपुर मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर एस० टी० डी० सुविधा वाले एक हजार लाइन को एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो। 1990-91 के दौरान मौजूदा एम० ए० एक्स और मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर 10 छोटे किस्म के एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र में सड़कों का निर्माण

8156. **श्री एस० बी० थोरट** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में केन्द्रीय सड़क निधि की सहायता से महाराष्ट्र में कितनी सड़कों का निर्माण प्रारम्भ किया गया;

(ख) इनमें से अब तक कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कुछ और सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). सड़क एवं पुल की 14 स्वीकृत परियोजनाओं में से दो पूरी हो चुकी हैं।

(ग) और (घ). वर्ष 1989-90 एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 801 स्कीमों को आरम्भ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1990-91 में जिन स्कीमों का कार्यान्वयन आरम्भ किया जायगा उनका अभी पता नहीं लगाया गया है।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का बटाला का दौरा

8157. **श्री कृपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अप्रैल, 1990 में बटाला में हुए हत्याकांड के बाद बटाला गये विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल में जाने वाले राजनीतिक नेताओं के नाम आदि क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब में कोई भी संसद सदस्य इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ). गृह मंत्री ने सर्वश्री कमल चौधरी, यशवन्त सिन्हा तथा जे० एस० अरोड़ा, सांसदों के साथ 6 अप्रैल, 1990 को अमृतसर और बटाला का दौरा किया। सर्वश्री हरकृष्ण सिंह सुरजीत और ए० एस० मल्होत्रा भी गृह मंत्री के साथ गए थे।

गृह मंत्री ने पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों की समीक्षा की तथा आतंकवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न नाजुक स्थिति से निपटने के लिए उचित अनुदेश दिए।

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों में कार्मिकों को तैनात करने संबंधी मानदण्ड

8158. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय के कार्मिकों को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों में तैनात करने के बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). विदेश मंत्रालय के कार्मिकों को विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों और हाई कमीशनों में सामान्यतः कार्यात्मक मानदण्ड के आधार पर तैनात किया जाता है और इसमें अनुभव के संदर्भ में विशिष्ट पदों के लिए उपयुक्तता, पृष्ठभूमि, योग्यता और भाषा का ज्ञान तथा जहां तक सम्भव हो विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों में परिक्रमा के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखा जाता है।

स्वीचिंग उपस्कर का निर्माण

8159. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वीचिंग उपस्कर के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी कम्पनियों को शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) निजी क्षेत्र : जी हां, विदेशी कम्पनियां। जी नहीं।

(ख) सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों स्विचन उपस्कर के क्षेत्र में 2000 लाइन क्षमता तक क्षमताएं स्थापित करने के लिए पहले ही अनुमति दे दी है। ई० पी० ए० बी० एक्स०, आर० ए० एक्स० और ई० पी० ए० एक्स० सहित 2000 लाइन क्षमता तक स्विचन प्रणालियों का

विनिर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र के 23 विनिर्माताओं सहित 60 विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

दूरसंचार आयोग का सम्पूर्ण ढांचा

8160. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणा के अनुसार सरकार ने इस बीच दूरसंचार आयोग और संचार विभाग के संपूर्ण ढांचे की पुनरीक्षा कर ली है ताकि इस संबंध में उत्पन्न हुए गंभीर विवादों का समाधान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का विकास और इसकी मरम्मत

[हिन्दी]

8161. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के विकास और इसकी मरम्मत कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर कितने बाई-पास और पुल बनाये गये हैं;

(ग) सड़कों का तल ऊंचा करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हैदराबाद सत्याग्रह के सत्याग्रहियों को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन

8162. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1938-39 में आर्य समाज द्वारा आयोजित 'हैदराबाद सत्याग्रह" से संबंधित ऐसे कितने सत्याग्रही हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के हकदार हैं और उन्हें राज्य-वार कितनी धनराशि की पेंशन दी गई;

(ख) सत्याग्रहियों से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितने आवेदन पत्र अभी तक लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख). उन स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या जिन्होंने 1938-39 में "आर्य समाज" सत्याग्रह में भाग लिया था, स्वीकृत मामलों की संख्या और 31.3.1990 को लम्बित पड़े प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :

प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की संख्या	स्वीकृत मामलों की संख्या	रद्द किए गए प्रार्थना पत्रों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1898	517	1127	254

इन मामलों की राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इस समय स्वतंत्रता सेनानी केन्द्रीय राजस्व से 750/- रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ). पात्र स्वतंत्रता सेनानियों की विधवायें आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। वे अन्य सुविधायें जैसे प्रथम श्रेणी रेलवे पास, सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेन्सरियों में, जिन शहरों में इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हों, मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं।

विवरण

राज्य का नाम	प्राप्त हुए पत्रों की संख्या	स्वीकृत मामलों की संख्या	रद्द किए गए प्रार्थना पत्रों की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	409	207	196	6
बिहार	217	17	99	101
दिल्ली	73	27	34	12
गुजरात	6	4	1	1
हरियाणा	253	36	155	62
हिमाचल प्रदेश	6	1	4	1
जम्मू और कश्मीर	7	4	3	—

1	2	3	4	5
कर्नाटक	147	36	107	4
मध्य प्रदेश	22	10	12	...
महाराष्ट्र	169	55	106	8
पंजाब	356	27	282	47
राजस्थान	52	21	23	8
उत्तर प्रदेश	178	69	105	4
पश्चिम बंगाल	3	3	—	—
कुल	1898	517	1127	254

राजस्थान में उर्वरक संयंत्र

8163. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किये गये हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा इनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या राजस्थान में किसी नये उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) निम्नलिखित संयंत्र, उनके स्थान तथा क्षमताओं सहित, राजस्थान में स्थापित किए गए हैं :

संयंत्र का नाम	स्थान	न्यूट्रीएन्टस	(000 मी० टन) न्यूट्रीएन्टस में क्षमता
1	2	3	4
1. श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स	कोटा	नाइट्रोजन	152.0
2. हिन्दुस्तान कोपर लि०	खेतरी	पी$_2$ ओ$_5$	30.0
3. हिन्दुस्तान जिन्क	उदयपुर	पी$_2$ ओ$_5$	11.5
4. भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	अलवर	पी$_2$ ओ$_5$	10.6
5. उदयपुर फोस्फेट	उदयपुर	पी$_2$ ओ$_5$	10.6
6. फोस्फेट इंडिया	उदयपुर	पी$_2$ ओ$_5$	7.0

	1	2	3	4
7.	लिबर्टी पेस्टीसाईडस एण्ड फर्टिलाइजर्स	उदयपुर	पी$_2$ ओ$_5$	6.4
8.	मधुबन कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	उदयपुर	पी$_2$ ओ$_5$	6.4
9.	शुर्वी कलर कैम्स प्राईवेट लिमिटेड	उदयपुर	पी$_2$ ओ$_5$	1.2

(ख) और (ग). जी हां। मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (सी० एफ० सी० एल०) राजस्थान के कोटा जिले के गडैपन में 1350 टन प्रति दिन अमोनिया तथा 2250 टन प्रति दिन यूरिया के उत्पादन की क्षमता के साथ गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर और ब्यावर जिलों में टेलीफोन कनैक्शन

8164. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर और ब्यावर टेलीफोन जिलों के अन्तर्गत प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिऐ पंजीकृत अभी तक कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किये जाने की सम्भावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 31.3.90 की स्थिति के अनुसार अजमेर राजस्व जिले के निम्नलिखित एक्सचेंजों में प्रतीक्षा-सूची इस प्रकार है। ब्यावर भी अजमेर राजस्व जिले की ही एक तहसील है :

एक्सचेंज का नाम	31.3.90 की स्थिति के अनुसार प्रतिक्षा सूची
अजमेर	2878
ब्यावर	195
मांवता	7
केकड़ी	28
मदनगंज	214
बिजय नगर	34

(ख) वर्ष 1988 और 1990 के दौरान अजमेर राजस्व जिले में निम्नलिखित एक्सचेंजों का विस्तार किया गया :

1988-89	1989-90
ब्यावर का 1000 लाइनों में	अजमेर का 1000 लाइनों में
केकरी का 180 लाइनों में	मदनगंज का 220 लाइनों में
नसीराबाद का 180 लाइनों में	पुष्कर का 50 लाइनों में
विजयनगर का 50 लाइनों में	रूपनगढ़ का 25 लाइनों में
पीसा गांव का 15 लाइनों में	सावर का 25 लाइनों में
	मसूदा का 25 लाइनों में

(ग) अजमेर जिले के जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का 1990-91 के दौरान विस्तार किये जाने की संभावना है वे इस प्रकार है : खरवा का 39 लाइनों में, जावजा का 38 लाइनों में और पीसा-गांव का 38 लाइनों में विस्तार किए जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य

[अनुवाद]

8165. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 ई० तक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या विज्ञान सलाहकार परिषद ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) वर्ष 2000 ई० के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किए गये पूर्वानुमानों के अनुसार, 2000 ई० तक खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता 235-240 मिलियन मीटरी टन होगी। खाद्यान्न उत्पादन की यह अनुमानित आवश्यकता तब संशोधित की जा सकती है जब आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाए।

(ख) और (ग). विज्ञान सलाहकार परिषद ने बताया है कि शताब्दी के अन्त तक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 250 मिलियन मीटरी टन प्रति वर्ष के आसपास हो सकता है।

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनाये जाने वाली नीति निम्नलिखित को शामिल करेगी।

(1) गहन कृषि के अनुकूल क्षेत्रों को इष्टतम करना;

(2) वर्षा पूर्वानुमान को बेहतर बनाना;

(3) उभरते क्षेत्रों जैसे जैव प्रौद्योगिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रकाश संश्लेषण तन्तु पालन, जैव-कीटनाशियों तथा फेरोमोन्टस के अनुसन्धान और कृषि उत्पादकता की वृद्धि में योग करने के लिए इनके प्रयोग पर बल देना;

(4) बारानी खेती तथा नई प्रौद्योगिकी के लैब से फार्म तक हस्तांतरण पर अनुसन्धान तेज करना, अधिक ऋण उपलब्ध कराना, तथा बारानी क्षेत्रों में विपणन सुविधाओं का विकास करना।

(5) सिंचाई तथा कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार से जुड़ी आधुनिक प्रबन्ध पद्धतियों की शुरूआत करना तथा कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार और सहकारिता आन्दोलन को पुनर्जीवित करना।

(6) उर्वरकों के बढ़े हुए उपयोग तथा नई अधिक उपज देने वाली बीज की किस्में तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आठवीं तथा नौवीं योजना में अपनायी जाने वाली विस्तृत नीतियां सम्बन्धित योजना दस्तावेजों में उल्लिखित की जायेंगी।

दिल्ली में टैक्सी/स्कूटर किरायों में वृद्धि

8166. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में टैक्सी/स्कूटरों के किरायों में कितनी बार वृद्धि की गई है; और

(ख) इनमें प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान टैक्सी/स्कूटरों के किराए इस प्रकार बढ़ाए गये हैं :

वह तारीख जिससे बढ़ोतरी की गई	बढ़ा हुआ किराया	
	आटो रिक्शा	टैक्सी
14.1.88	पहले 1.6 कि०मी के लिए 2.30 रु०	पहले कि०मी० के लिए 3.00 रु०
	बाद के प्रत्येक कि०मी० के लिए 1.20 रु०	बाद के प्रत्येक कि०मी० के लिए 2.40 रु०
24.3.90	पहले कि०मी० के लिए 3.00 रु०	पहले कि०मी० के लिए 5.00 रु०
	बाद के प्रत्येक कि०मी० के लिए 1.40 रु०	बाद के प्रत्येक कि०मी० के लिए 2.80 रु०

दिल्ली में बम फटने की दुर्घटनाएं

8167. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बम फटने की दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार का दिल्ली में "बम-निष्प्रभावी दस्तों" की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विस्फोटक पदार्थ विशेषज्ञों की कथित कमी को पूरा करने के लिए और अधिक लोगों को इस कार्य में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में लोगों को सतर्क करने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इन उपकरणों से निपटने और इन्हें निष्प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा दिल्ली पुलिस को आवंटित की गई सीटों की संख्या के अनुपात में हैं ।

(ग) जनता को सावधान रहने और संदिग्ध वस्तु के प्रति सचेत रहने और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को सूचित करने के लिए दूरदर्शन, समाचारपत्रों और रेडियो द्वारा शिक्षित किया जाता है ।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के लिए हेलीकॉप्टर

8168. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा, बहुमंजिली इमारतों में आग लगने के दौरान फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने का कई बार अनुरोध किया जा चुका है;

(ख) क्या बम्बई में ओबेराय होटल में हाल ही में लगी आग के दौरान इस भवन से सैंकड़ों मेहमानों और अन्य कर्मचारियों को बाहर निकालने में नौसेना के हेलीकाप्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजधानी में, जहां बहुमंजिली इमारतें बहुतायत में हैं, अग्निशमन सेवा के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

8169. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में एक महीने से अधिक अवधि से कितने पासपोर्ट आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) लोगों को पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पासपोर्ट आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत में विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में एक महीने से अधिक अवधि से लम्बित आवेदन पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के मुख्य कारण हैं :

1. सत्यापन रिपोर्टों की प्राप्ति में देरी।
2. पासपोर्ट कर्मचारी जितना काम सामान्य रूप से कर सकते हैं उसकी तुलना में आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि।
3. कुछ पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट पुस्तिका की कमी।

(ग) पासपोर्ट आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण 1

पासपोर्ट कार्यालय का नाम	पुलिस रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित	आवेदकों द्वारा अनुपालन न किए जाने और अन्य प्राधिकारियों द्वारा उत्तर न दिए जाने के कारण लम्बित	अन्य कारणों अर्थात अधिकारियों की कमी और पासपोर्ट पुस्तिकाओं की कम मात्रा में सप्लाई के कारण लम्बित	जोड़
1	2	3	4	5
1. अहमदाबाद	4,528	शून्य	1,453	5,981
2. बंगलौर	1,664	,,	शून्य	1,664
3. बरेली	8,490	,,	,,	8,490
4. भोपाल	1,519	82	,,	1,601
5. भुवनेश्वर	148	शून्य	,,	148
6. बम्बई	8,598	,,	,,	8,598
7. कलकत्ता	3,315	,,	,,	3,315

1	2	3	4	5
8. चण्डीगढ़	21,442	शून्य	शून्य	21,442
9. कोचीन	2,550	,,	,,	2,550
10. दिल्ली	3,345	,,	,,	3,345
11. गोआ	150	03	,,	153
12. गुहाटी	1,313	शून्य	,,	1,313
13. हैदराबाद	3,223	,,	,,	3,223
14. जयपुर	8,308	,,	1,290	9,598
15. जलन्धर	33,828	143	15,072	49,043
16. कोजीकोड़	5,782	08	252	6,042
17. लखनऊ	7,185	शून्य	शून्य	7,185
18. मद्रास	3,477	,,	,,	3,477
19. नागपुर	342	25	,,	367
20. पटना	2,570	शून्य	,,	2,570
21. श्रीनगर	3,400	,,	,,	3,400
22. तिरुची	6,387	,,	5000	11,387
	1,31,567	261	23,067	1,54,895

विवरण 2

पासपोर्ट आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की काउण्टरों पर संवीक्षा की जाती है और अपूर्ण आवेदन-पत्रों को, उनमें कमियों का उल्लेख करते हुए, आवेदकों को उसी समय लौटा दिया जाता है। डाक से प्राप्त अपूर्ण आवेदन-पत्रों को उनमें कमियों का उल्लेख करते हुए उसी दिन लौटा दिया जाता है।

2. आवेदकों के वैयक्तिक विवरण फार्मों को प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर पुलिस/सी०आई०डी० प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

3. पुलिस/सी०आई०डी० प्राधिकारियों को समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं और इन प्राधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क रखा जाता है।

4. पासपोर्ट प्रक्रिया सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है।

5. अतिरिक्त अस्थायी स्टाफ की तैनाती और रविवारों तथा छुट्टी के दिनों में काम करने के लिए स्टाफ को विशेष प्रोत्साहनों का प्रावधान।

6. संबंधित अधिकारियों से पुलिस रिपोर्टों/अनापत्ति प्राप्त होने के 5 कार्यकारी दिनों के भीतर आवेदकों को पासपोर्ट भेजना।

7. अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था/कर्मचारियों की पुनः तैनाती के प्रश्न पर सरकार तुरंत ध्यान दे रही है और कार्य में वृद्धि से निपटने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों को यथा-संभव शीघ्र अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी दिऐ जाएंगे।

8. पासपोर्ट पुस्तिकाओं की छपाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक तुरंत कदम उठा रहा है। काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में अन्य पासपोर्ट कार्यालयों से पासपोर्ट पुस्तिकायें संबंधित पासपोर्ट कार्यालयों को भेज दी गई हैं ताकि तत्कालिक कमी को दूर किया जा सके।

9. मंत्रालय के सी०पी०वी० प्रभाग द्वारा कम्प्यूटरों की मदद से प्रति सप्ताह नियमित रूप से पासपोर्ट आवेदन पत्रों के निपटान की प्रगति का जायजा लिया जाता है।

बागवानी विकास

8170. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बागवानी विकास हेतु योजनायें कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो बागवानी विकास की योजनाओं पर सातवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का आठवीं योजना में बागवानी विकास हेतु कुछ व्यापक योजनायें लागू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजनायें किन राज्यों में लागू की जायेंगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं योजना में बागवानी विकास पर 2401·56 लाख रुपये की धनराशि वहन की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). आठवीं योजना के दौरान विभिन्न बागवानी विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। वे योजनायें निम्नानुसार हैं, जिन्हें फिलहाल क्रियान्वित किया जा रहा है :

(1) नारियल विकास बोर्ड द्वारा कार्यक्रम।

(2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यक्रम।

(3) फलों और सब्जियों का गहन विकास

फलों और सब्जियों से संबंधित कार्यक्रमों में देश के सभी राज्यों को कवर किया गया है। नारियल विकास बोर्ड की योजना इस समय केरल, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में चल रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण का मूल्यांकन

8171. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री पी० नरसा रेड्डी :

श्री इरा अन्बारासु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में ऐसा कोई मूल्यांकन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों की समीक्षा जब जरूरी समझी जाती है तो की जाती है। 1987 में, योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ० जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बुनियादी ढांचे, उसके गठन, कार्मिक नीतियों और परिषद तथा उसके संस्थानों के कार्यकलाप की जांच की थी तथा 25.3.1988 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट की जांच कर ली गई है और समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर अमल में लाने के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती

8172. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में धान का प्रति एकड़ उत्पादन तुलनात्मक दृष्टि से कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर तथा जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में चावल का औसत उत्पादन स्तर राष्ट्रीय औसत से ऊंचा है। तथापि, उत्पादकता अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा हिमालय प्रदेश में कम है।

(ख) धान के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थान विशेष के अनुकूल ज्यादा उपज देने वाली किस्मों का विस्तार किया जा रहा है तथा उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी को अपनाने में समर्थन किया जाता है।

आठवीं योजना के दौरान उर्वरक उद्योग में निवेश

8173. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में उर्वरक उद्योग में कितना-कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : चूंकि आठवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक उर्वरक उद्योग में निवेश की जाने वाली प्रस्तावित राशि बताना संभव नहीं है।

उर्वरक उद्योग का प्रौद्योगिकी संबंधी दर्जा बढ़ाना

8174. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री इरा अन्बारासु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 के दशक की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उर्वरक उद्योग के प्रति विशेष ध्यान देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). सरकार उर्वरक संयंत्रों की प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और उनका आधुनिकीकरण करने को प्रोत्साहित करेगी। नए संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार उपलब्ध विभिन्न नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर विचार करेगी। वर्तमान संगठनों की अनुसंधान और विकास सुविधाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण टेलीफोन कनेक्शन काटा जाना

8175. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में मध्य प्रदेश सचिवालय में स्थापित सरकारी टेलीफोन कनेक्शन हाल ही में बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण काट दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसा पूर्वोदाहरण है जिसमें उक्त कारणों से किसी केन्द्रीय सरकार के कार्यालय का टेलीफोन कनेक्शन काटा गया हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी हां। दिसम्बर 89 तक जारी किए गए 32 लाख रु० की राशि के टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण मध्य प्रदेश सचिवालय के 256 टेलीफोन काट दिए गए थे।

(ग) और (घ). जी हां । इसी कारण से (जनवरी 90 से मार्च, 90 तक) भोपाल स्थित निम्नलिखित केन्द्रीय कार्यालयों के टेलीफोन भी काटे गये थे :—

आय कर विभाग	:	2
रेल विभाग	:	15
रक्षा विभाग	:	5
अन्य विभाग		5

दिल्ली में सड़क कर की वसूली

8176. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय श्रेणीवार कितने मोटर वाहन चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक श्रेणी के वाहनों से अलग-अलग औसतन कितना-कितना सड़क कर वसूल किया गया; और

(ग) इस कर की वसूली पर प्रशासनिक व्यय कितना आया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

क्र०सं०	श्रेणी	संख्या
1.	कार/जीप/स्टेशन वैगन	3,45,157
2.	स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड	11,13,238
3.	आटोरिक्शा	58,934
4.	टैक्सी	9,658
5.	बसें	17,844
6.	माल वाहन	92,726
7.	ट्रैक्टर	38
8.	एम्बुलेंस	14
		16,39,609

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के वाहनों पर एकत्र किया गया वार्षिक सड़क कर इस प्रकार है :

क्र०सं०	श्रेणी	1987-88	1988-89	1989-90
		(हजार रु०)		
1.	स्कूटर	2,00,25	2,05,82	2,43,80
2.	कार	2,09,24	2,13,32	2,68,23
3.	आटोरिक्शा	44,65	51,70	55,45
4.	टैक्सी	18,71	19,23	19,98
5.	बसें/एम्बूलेंस	3,05,67	3,20,62	3,62,21
6.	माल वाहन/ट्रैक्टर	4,83,92	5,87,97	8,09,26
	जोड़ :	12,62,44	13,98,66	17,58,93

(ग) सड़क कर एकत्र करने के किए वर्ष वार प्रशासनिक व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	व्यय
1987-88	76,92,000 रु०
1988-89	1,00,52,000 रु०
1989-90	1,53,91,590 रु०

प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड का विकेन्द्रीकरण

8177. **श्री ए० के० राय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथा प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के अनेक कर्मचारी और इंजीनियर स्थानांतरित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन्हें कहां नियुक्त किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिन्दरी एकक में चले रहे स्थापना विभाग की तुलना में विभिन्न स्थापनाएं विभाग स्थापित करने के क्या लाभ हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). पी० डी० आई० एल० के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों के दौरान सिन्दरी से स्थायी तौर पर स्थानान्तरित नहीं किया गया है। तथापि, कर्मचारियों को 6-8 महीनों के लिए अस्थायी तौर पर सिन्दरी से दिल्ली एवं बड़ौदा कार्यालयों में स्थनांतरित किया गया है। अस्थायी स्थानांतरण का मुख्य कारण विस्तृत गैस आधारित परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता हेतु किया गया है। कुछ कर्मचारी परियोजनाओं के निर्माण स्थल पर भी नियुक्त किए गए हैं।

दिल्ली एवं बड़ौदा में कार्यालय होने का यह लाभ है कि ये कार्यालय स्थल के पास है तथा ये परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में सहायक होते हैं । इसके अतिरिक्त ये ग्राहकों, विदेशी ठेकेदारों तथा विक्रेताओं की शीघ्र पहुंच के अन्दर हैं।

भू-संरक्षण योजना

[हिन्दी]

8178. **श्री हरीश रावत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और यदि, नहीं तो क्या ऐसा सर्वेक्षण कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां तो कब; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमालयन पनधारा प्रबन्ध परियोजना के तहत दो पनधाराओं में एक व्यापक मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम चालू है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मृदा तथा जल संरक्षण का विषय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि इस संबंध में व्यापक योजना, जिसमें आवश्यक सर्वेक्षण भी शामिल हो, के लिए उपयुक्त पहल करे।

देश में निवारक निरोध कानून

[अनुवाद]

8179. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय लागू केन्द्र और राज्यों के निवारक निरोध कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे कानूनों को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ). राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में जनगणना के कार्य का प्रचार

8180. **श्री मंगाराज मलिक** :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ऐसा पहला राज्य है, जहां जनगणना का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस प्रयोजनार्थ कितने व्यक्ति तैनात किये गये हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि जनगणना अधिकारी अपेक्षित आंकड़े एकत्र करने के लिए वास्तव में घरों में जायें; और

(ग) उड़ीसा में जनगणना अधिकारियों को अपेक्षित जानकारी देने की आवश्यकता, जनगणना कर्मचारियों का गांवों में जाने के कार्यक्रम के बारे में लोगों को विभिन्न जन संचार माध्यमों और जहां ये सुविधाएं न हो वहां अन्य तरह से, शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, जहां 1991 की जनगणना के लिए मकान सूची भरने का कार्य अप्रैल, 1990 में शुरू हुआ था।

(ख) उड़ीसा में मकान सूची भरने के कार्य के प्रयोजनार्थ लगाए गए अंशकालिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की अस्थायी संख्या लगभग 51000 थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्य के संगठन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार और जनगणना कार्य निदेशालय के कर्मचारियों का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षित आंकड़े एकत्र करने के वास्ते जनगणना पर्यवेक्षक वास्तविक रूप से घर-घर का दौरा करें, विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय कार्य के गहन पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है। इस कार्य में, संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा प्रगणक के कार्य का तत्काल पर्यवेक्षण करना तथा चार्ज अधिकारियों, जिला जनगणना अधिकारियों और जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्य करना भी शामिल है।

(ग) अपेक्षित सूचना की आपूर्ति करने के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मकान सूची भरने के कार्य का प्रचार करना और मकान सूची भरने के कार्य के लिए लोगों को जनगणना कर्मचारियों के नियत समय के दौरे की सूचना देना एक महत्वपूर्ण कदम था। राज्य सरकार के जन-संपर्क नेटवर्क से भी उड़ीसा के दूर-दराज के क्षेत्रों में इस संदेश को पहुंचाने के लिए अनुरोध किया गया है। मकान सूची भरने के कार्य के बारे में बताने के लिए पैम्फलेट्स भी बांटे गए।

आंवला स्थित "इफको" उर्वरक कारखाने के निकट सहायक उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

8181. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंवला (बरेली) स्थित "इफको" (इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड) के उर्वरक कारखाने के निकट भारी-जल के उत्पादन जैसे सहायक उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). भारी पानी संयंत्र, इफको के आंवला एकक द्वारा विकसित किए जाने वाले सहायक उद्योगों में से नहीं है। तथापि इफको ने सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक मदों का, जिनमें रसायन, लाइट इंजीनियरिंग और एच०डी०पी०ई०/लैमिनेटेड जूट बोरियां सम्मिलित हैं का पता लगाया है।

आंवला स्थित "इफको" कारखाने में यूरिया का उत्पादन

8182. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंवला स्थित "इफको" कारखाने में आजकल यूरिया का उत्पादन बन्द है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). वार्षिक अनुरक्षण कार्य करने के लिए इफको के आंवला संयंत्र में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन 28.3.90 से 11.4.90 तक बन्द किया गया था।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

8183. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपने प्रयोक्ताओं को क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या उक्त निगम की स्थापना के पश्चात टेलीफोन सेवाओं में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) क्या निगम के अधिकारियों पर होने वाले मासिक खर्च में पहले की तुलना में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड निम्नलिखितों को टेलीफोन और टेलेक्स सुविधायें उपलब्ध कराता है :

(1) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली

(2) बम्बई और नई बम्बई के क्षेत्र

(ख) विगत कुछ वर्षों के दौरान इस निगम के क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों को मिलाकर पूरे देश भर में दूरसंचार सेवाओं में लगातार सुधार हुआ है।

(ग) जी नहीं। मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण हुए वेतन वृद्धि के अलावा निगम के अधिकारियों के मासिक व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

उड़ीसा में एस०टी०डी सुविधा

[अनुवाद]

8184. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के प्रत्येक जिले के किन-किन स्थानों पर स्थित टेलीफोन केन्द्रों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या उड़ीसा में टेलीफोन केन्द्र वाले सभी उप-प्रभागीय मुख्यालयों और ब्लाक मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1990-91 के दौरान किन-किन टेलीफोन केन्द्रों में उक्त सुविधा प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां । आठवीं योजना अवधि के दौरान एस०टी०डी० सुविधायें उत्तरोत्तर रूप से प्रदान कर दी जायेंगी ।

(ग) जिन टेलीफोन एक्सचेंजों में 90-91 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की संभावना है उनके नाम इस प्रकार हैं : अस्का, बाड़गढ़, चांदीपुर, गुणुपुर, जोड़ा, जटनी, बारबिल, कांटाबंजी, नौरंगपुर, परलखमंडी, राजगंगपुर और टीटागढ़ ।

विवरण

उड़ीसा राज्य में उन एक्सचेंजों की जिलावार सूची जहां पर 1.4.90 की स्थिति के अनुसार एस०टी०डी० सुविधा नहीं है

जिले का नाम	एक्सचेंजों की सूची
1	2
बालासोर	कलिसापाल, बंट, बास्ता, बसुदेवपुर, भण्डारीपोखरी बी०टी० पुर, चन्दाबल्ली, चांदीपुर (आई०बी०आर०), देहुरदा, धामनगर, चन्दनेश्वर रेमुना, रंतीताल, अन्नापाल, नागराम, घुसेरी, गंडी बेड़ा, जलेश्वर, खैरा, मित्रपुर, (बालगोपालपुर), राजनीलगिरी, रूपसा, रसलपुर, सिमुलिया, शरगड़ा, सोरे, टिहिडी ।
बोलनगीर	बड़माल, बंगामुण्डा, बालगांव, बेलेपोरा, बिंका, बीरमहाराजपुर, चन्दनबटी, चूड़ापल्ली, देवगांव, डुंगरीपल्ली, हरिशंकर रोड, कांटाबंजी, लोईसिंगा, मुड़ीबहल, पटनागढ़, सायनटोला, सायनटोला (आयुध कारखाना), सिघईकेला, सलेभाटा, सोनपुर, एस० रामपुर, टारवा, टिकर पाड़ा, तितलागढ़, तुराईकेला, तुसरा ।
कटक	अखुआपाड़ा, अठगढ़, अउल, बहुग्राम, बालीकुडा, बांकी, बारामडा, बरंगा, बड़ी-कटक, बंरूडेल, बऊलांग, बिझारपुर, बिरिडी, ब्रहानीपाल, छतिया दानपुर, किशोरीनगर, बायलिसपुर, बलिटुठा, गोपालपुर, कृष्णआनन्दपुर, गजेन्द्रपुर, बाजनगर, दायतरी, घनमण्डल, मुरूडिजटिया, जगतसिंहपुर, जाजपुर शहर जरका, जोखपुरा, कबटबन्धा, कडुआपाड़ा, काले-पत्थर, कलियापानी, कन्डारपुर, कटिकाटा, केन्दुपटना,

1	2
	खुदुनी, कौठिया, कौनपाल, कुजंगा, कुन्डल, कुसुपुर, कोरूवा, महाकालपाड़ा, मारषंघई, मउडा, नरसिंहपुर, नायली निश्चिन्तकोइली, नुआगांवहाट, ओल्टापुर पंचपांडव, पानीकोइली, पटकुरा, पटमुंडई, फूलनाखरा, रघुनाथपुर, राजकणिका, सालीपुर, सिधपुर, सुकिण्डा, सुंगरा, टांगी, तालबस्ता, टिगरिया, टिरतोल, तिरान, तुलसीपुर ।
धेनकनाल	आठमल्लिक, बागडिया, बनारपाल, बौलपुर, भुवुन, बोइन्डा, चेन्दीपाड़ा, गण्डिया, बन्टाल, खमेर, गोविन्दपुर, कांकादहाड़, हिन्डोल, हिन्डोल रोड, जोराण्डा, कलमचुइन, कामाख्या नगर, कनिहा, खजूरीकाटा, मेरमुण्डली, पल्लाहारा, पारजांग, रसाल, शंकरपुर, विक्रमपुर।
गंजम	असका, बडागाड़ा, बालीगदर, बेलगुण्ठा, भजन नगर, बिसमगिरी, बुगुडा, चन्द्रगिरी, चिकिटी, सुराडा, धाराकोट, दिगापहान्डी, गाल्लेरी सिहाला, अडवा, चिरिकीण्डासासन, गोसानीगरबन्ध, हिंजिलीकुट, जगन्नाथ प्रसाद, कबिसूर्यनगर, कासीनगर, खाल्ली-कोटे, खेतरी, बेरहामपुर, कोडला, कुलाडा, कुकुड़ा-खण्डी, मोहाना, नरेन्द्रपुर, नुवापाड़ा, पदमपुर, पपुत्रर पोलसारा, परत्लखमण्डी, पाटापुर, पुरुषोत्तमपुर, पुडामरी, रांभा, आर० सुमंडी, आर० उदयगिरी, सेरेगडा, सुमन्डल।
कालाहांडी	बेहेड़ा, कोमाना, बेल्लुगुरी, धर्मगढ़, जयपटना, जूना-गढ़, केसिंगा, खड़ियार रोड, लाडूगांव, एम० रामपुर, नारला रोड, एन० तनवट, राजखड़ियार, रूपरा रोड, सिनापल्ली, उत्कला ।
क्योंझर	आनन्दपुर, बरबिल, बहुला, बेलियापाड़ा, बालानी, चंपुआ, धकाटा, धेनकीकोट, घाटगांव हरिचन्दनपुर, हाटडीही, जाजंगा, जोडा, कासदुरपाल, बलासपांगा, रामचन्द्रपुर, रेमुली, सुआकाटी, सुआमपटना, तेलकोई, तुरूमुन्गा, बट्टू ।
कोरापुट	अंबादोला, दालीमेला, बाईपरीगुडा, विस्समकटक, बोरीगुमा, चित्राकोंडा, देबूगांव, गुडारी, गुनुपुर,

1	2
	जे०के० पुरी, कल्याणीसिंगपुर, कासीपुर, कोटपाड़, लक्ष्मीपुर, मल्कानगिरी, मुनीगुडा, नौरंगपुर, पापडा-हांडी, पदमपुर, पोट्टंगी, थेरूबाली, उमरकोट, केन्दु-गुडा, नन्दापुर, रामनगुडा, सिकारपाई, कजेन्द्री।
मयूरभंज	बादामपहाड़, बादशाही, बायासिंगा, बहाल्डा, जामडा, झारपोखरिया, जोशीपुर, खुंटा, करांजिया, पथुरी, रायरंगपुर, रासगोविन्दपुर, सुकरूली, सुलिया-पाडा, तिरिंग, उदला।
फूलबनी	बालीगुडा, बौध जी० उदयगिरी, कंटामाल, खजूरी-पाड़ा, फिरिंजिया, पुराना कटक, रैकिया, टिकाबल्ली, कोटगड़ा।
पुरी	बहड़ाभौला, बालाकटी, बलियांटा, बनमालीपुर, बेगुनिया, मामुर, भुखण्डपुर, बोलागढ़, बोलान, बालीपटना, ब्रह्मगिरी, छैतना, चन्दनपुर, दासपल्ला, देलांगा, गबकुंडा, गंभारीमुंडा, काणार्क, नथुनी, नयागढ़, नयाहाट, नीमपाड़ा, निरंकारपुर, नुआगांव, ओडागांव, पनासपाड़ा, पिपली, राजराणापुर, राज-सुनखला, सखीगोपाल, सारनकुल, संतशंख, तांगी, कोकटपुर, मंधासाल, गोप।
संभलपुर	अट्टाबिरा, बामरा, बन्धाबहल, बारपल्ली, बागडेही, बेलपहाड़, भाटली, भेडोन, भुकटा, बिजेपुर, ब्रजराज-नगर, ब्रजराजनगर उपग्रह, चिचिन्डा, देवगढ़, गईसिलेटी, घास्सा, गोडभंगा, जामिनकिरा, झरबंधा, कड़ाबहल, कंटापल्ली, किरमिरा, कुचिन्डा, लसटोला, मेलछामुण्डा, पदमपुर, पड़ियावहल, पाइकमल, रैरखोल, रीमाण्डा, रेंगली, सतपल्ली, सैलखण्डिता, सोहेला, बोईपुर, मनेश्वर, मंडोसिल, बाड़गढ़।
सुन्दरगढ़	बनईगढ़ बड़गांव, बरसुआन, बीरमित्रपुर, बिसरा, गोमरडीही, गोपालपुर हेमगिरी, कालटा, कलुंगा, कांसबहल, कोइरा, क्वारमुंडा, कुन्डुकेला, कुटरा, लहुनिपाड़ा, लाठीकाडा, लोफरीपाड़ा, पुरानापानी, राजगंगपुर, सरगीपल्ली, सुबडेगा, तेनसा, किंजरकेला, बालीसंकर, जराईकेला।

क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शनी केन्द्र

8185. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शनी केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं अथवा स्थापित किये जाने हैं;

(ख) क्या क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शनी केन्द्र और केन्द्रीय चारा बीज फार्म, संयुक्त रूप से अधिक उपज देने वाली चारे की किस्मों, चारा घास और फलियों का उत्पादन कर रहे हैं, जो विभिन्न राज्य सरकारों और किसानों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिक उपज देने वाली चारे की फसलों के उपयोग की कितनी प्रदर्शनियां आयोजित की गई;

(घ) उक्त प्रदर्शनियों के लिए देश में चयनित स्थलों और सप्लाई की गई मिनी किटों की राज्यवार संख्या कितनी है और उक्त अवधि में उड़ीसा में इनका जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन चारा फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 7 क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र हिसार (हरियाणा), कल्याणी (पश्चिमी बंगाल), गांधीनगर (गुजरात) सूरतगढ़ (राजस्थान), मामीडीपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), अलामादी (तमिलनाडु) और श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में स्थित है।

(ख) क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र और केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हेस्सरघट्टा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपयोग के लिए उनके सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए अधिक उत्पादन देने वाली चारे की किस्मों, चराई घास और फली के बीजों का उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चारा फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करके किए गए प्रदर्शनों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रदर्शनों की संख्या	
	नियमित	मिनिकिट
1987-88	2119	7665
1988-89	1649	9662
1989-90	801	9720

(घ) विभिन्न एजेंसियों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) इन चारा फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :

(1) उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के साथ चारे की अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करके किसानों के खेतों पर प्रभावी प्रदर्शन करना, जैसाकि इन फसलों पर लागू है।

(2) समूचे वर्ष में गहन चारा उत्पादन के लिए फसल पद्धति क्रम में चारे की फसलों को शामिल करने के लिए उपयुक्त चक्र तैयार करना/लोकप्रिय बनाना।

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्कृष्ट बीज उपलब्ध कराना, जोकि किसानों के लिए व्यवहारिक हो और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के गुणन में राज्य एजेंसियों की सहायता करना।

(4) राज्य एजेंसियों, दुग्ध संघों/संघों और किसानों के क्षेत्रीय स्तर के कर्मकारों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना।

सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के बीच बातचीत

8186. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :
श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच हाल में हुई बैठक में भारत-बंगलादेश सीमा से हो रही घुसपैठ, भारी संख्या में लोगों के आगमन और सीमावर्ती क्षेत्रों में युवा लड़कियों का अपहरण किये जाने की समस्याओं पर बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक का क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान हाल में बंगलादेश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के मध्य हुई वार्षिक सीमा समन्वय बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ भारत बंगलादेश सीमा से हो रही घुसपैठ, भारी संख्या में लोगों के आगमन और सीमावर्ती क्षेत्रों से युवतियों का अपहरण किए जाने की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

अवैध घुसपैठ से निपटने के बारे में बंगलादेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावी कदम उठाने और सभी संबंधितों को उचित निर्देश जारी करने का वचन दिया। जहां तक महिलाओं और युवतियों में अनैतिक व्यापार का संबंध है, यह सहमति हुई कि इस समस्या पर सभी स्तरों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा और निरन्तर मानीटर किया जाएगा। यह सहमति भी हुई कि जब कभी भी किसी भी मामले पर तनाव हो, स्थिति को बिगड़ने से रोकने तथा उसमें कमी लाने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के मध्य उचित स्थानीय स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र फ्लेग बैठकें बुलाने की व्यवस्था की जाए।

कम्प्यूटरों की खरीद

[हिन्दी]

8187. कुमारी उमा भारती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के विभिन्न संबद्ध कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान कितने कम्प्यूटरों, "वर्ड-प्रोसेसर" कम्प्यूटरों और पर्सनल कम्प्यूटरों की खरीद की गई;

(ख) क्या ये कम्प्यूटर हिन्दी में भी कार्य कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो हिन्दी में भी कार्य कर सकने वाले कम्प्यूटरों की खरीद के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में गन्ना विकास योजना

[अनुवाद]

8188. **कुमारी उमा भारती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में गन्ना विकास योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी नहीं। मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिले में गन्ने का विकास करने के लिए केन्द्र द्वारा योजना प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गन्ना विकास कार्यक्रम राज्य योजना के तहत कार्यान्वित किये जाते हैं। चीनी कारखानों को गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से ऋण सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है।

रागी का उत्पादन

8189. **श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा** :

श्री वी० कृष्ण राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य के कितने क्षेत्र में रागी की खेती की जाती है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर कर्नाटक में रागी की खेती का क्षेत्र घट गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान रागी के उत्पादन में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 1988-89 के दौरान रागी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). हालांकि 1980-81 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान देश में रागी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में ऋणात्मक विकास दर (—1.39 प्रतिशत प्रति वर्ष) परिलक्षित हुई है

फिर भी कर्नाटक में इसने इसी अवधि के दौरान धनात्मक वृद्धि दर (0.74 प्रतिशत प्रतिवर्ष) दर्शायी है।

(घ) और (ङ). रागी के अखिल भारतीय उत्पादन ने वर्ष 1986-87 के 27.1 लाख मीटरी टन से 1987-88 में 23.2 लाख मी० टन और 1988-89 में 23.8 लाख मीटरी टन तक की कमी दर्शायी है। उत्पादन में गिरावट आने का कारण क्षेत्र-संकुचन तथा उत्पादकता में कमी होना बताया गया है।

विवरण

1988-89 के दौरान रागी की खेती के अन्तर्गत आने वाला राज्यवार क्षेत्र

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	1.68
बिहार	1.07
गोवा	0.04
गुजरात	0.33
हिमाचल प्रदेश	0.06
कर्नाटक	11.40
केरल	0.01
मध्य प्रदेश	0.19
महाराष्ट्र	2.05
उड़ीसा	2.53
सिक्किम	0.06
तमिलनाडु	1.93
उत्तर प्रदेश	1.69
पश्चिम बंगाल	0.15
अखिल भारत	23.20

काजू का उत्पादन

8190. श्री वी० कृष्ण राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार काजू का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काजू की मांग में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) दो वर्षों के दौरान कच्चे काजुओं के उत्पादन के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

राज्य	(उत्पादन मी० टन में)	
	1987-88	1988-89
केरल	134000	136900
कर्नाटक	22940	23680
आंध्र प्रदेश	31860	34260
तमिलनाडु	11980	12360
गोवा	12090	12780
महाराष्ट्र	21360	24380
उड़ीसा	22320	26770
पश्चिम बंगाल	3404	2892
पांडिचेरी	257	265
त्रिपुरा	50	48
योग	260261	274335

(ख) जी, हां।

(ग) गत दो वर्षों के लिए काजू गिरियों के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

काजू गिरियों का निर्यात	मात्रा मीटरी टन में
1988-89	34023
1989-90	45133

देश में बीज उद्योग में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति

8191. **श्री रामदास सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बीज उद्योग में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को प्रवेश करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में अब तक आये एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और देश में बीज उद्योग को अब तक कितना प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) बीज के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए बीज उद्योग को अन्य क्या सुविधाएं देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उन एम० आर० टी० पी०/एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्हें बीज क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी गई है। घरेलू बीज उद्योग को निम्न प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं :—

(1) बीजों पर आयात शुल्क में कमी।

(2) उन मशीनों और उपस्करों पर आयात शुल्क में कमी करना जिनका देश में विनिर्माण नहीं किया जाता अथवा जिसमें तकनीकी सुधार करना जरूरी है।

(3) प्रतिवर्ष 9.5 प्रतिशत ब्याज की दर 180 दिनों तक लदान पूर्व-ऋण की अनुमति दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से 180 दिनों से अधिक अथवा कुल मिलाकर 270 दिनों में ब्याज की दर प्रतिवर्ष 11.5 प्रतिशत है।

(4) बीजों के निर्यात पर 10 प्रतिशत की दर पर नकद क्षतिपूर्ति सहायता।

(ग) बीज उद्योग सहित विभिन्न क्वार्टरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर समय-समय पर बीजों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक पहल की समीक्षा की जाती है।

विवरण

उन एम०आर०टी०पी०/एफ०इ०आर०ए० कम्पनियों के नाम जिन्हें
बीज क्षेत्र में निर्यात के लिए अनुमति दी गई है

एम०आर०टी०पी० कम्पनियां

1. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०
2. मैसर्स आई०टी०सी० लि०
3. मैसर्स राष्ट्रीय कार्बनिक रसायन एवं उद्योग लि०
4. मैसर्स होचस्ट इंडिया लि०
5. मैसर्स जे०के० इंडस्ट्रीज लि०
6. मैसर्स जे०के० पी०एम० लि०
7. मैसर्स रेलीस इंडिया लि०

एफ०इ०आर०ए० कम्पनियां

1. मैसर्स संडेज इंडिया लि०
2. मैसर्स कारगिल सीडल इंडिया प्रा०लि०

विदेशों से धन प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठन

8192. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से भारी मात्रा में धन प्राप्त कर रहे, बहुत से स्वयंसेवी संगठन देश में मानव कल्याण, आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय पर्यावरण आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी राष्ट्रों/स्त्रोतों से अधिकतम धन प्राप्त करने वाले प्रथम दस स्वयंसेवी संगठनों के क्या नाम हैं और ऐसे प्रत्येक संगठन का द्वारा प्राप्त धन राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय कल्याण समितियों को अनुदान दिए जाने के संबंध में सरकार ने क्या मार्गनिदश जारी किए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनुदान दिए जाने के मामले में किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना संकलित की जा रही है ।

(ग) इन संगठनों पर अन्य स्वयंसेवी संगठनों को फंड प्रदान करने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि अन्य स्वयंसेवी संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पात्र हों ।

(घ) प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधि के लिए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा उपयोग के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन संगठनों द्वारा अर्धवार्षिक सूचना भेजनी अपेक्षित है । इसके अलावा, उन्हें प्रत्येक वर्ष परीक्षित लेखे भी प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं । यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र सरकार प्राप्त कर्ता संगठन के रिकार्ड/खाते की जांच करवा सकती है ।

फल उत्पादक क्षेत्र

[हिन्दी]

8193. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में किन-किन क्षेत्रों को फल उत्पादक क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का हसनगंज, उन्नाव (उत्तर प्रदेश) को फल उत्पादक क्षेत्र घोषित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों को फल उत्पादक क्षेत्र घोषित किया गया है : आम के लिए—काकोरी—मलीहाबाद और लखनऊ में माल क्षेत्र; बुलन्दशहर में सयाना—ऊँचा गांव; प्रताप गढ़ में कुंडा—कालाकांकड़ । अमरूद के लिए—इलाहाबाद ।

(ख) फल वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है :—

(1) फुहारों पर 50 प्रतिशत राजसहायता, जो पैरों से चलने वाले फुहारों पर अधिक से अधिक 500 रुपए और बिजली से चलने वाले फुहारों के लिए अधिक से अधिक 1000 रुपए होती है।

(2) कृमिनाशक दवाओं पर 50 प्रतिशत राजसहायता और

(3) उद्यानों को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता।

(ग) और (घ). जी नहीं। इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है।

पंजाब में टैक्सी/स्कूटर किराये में वृद्धि

[अनुवाद]

8194. **श्री कमल चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में टैक्सियों और तिपहिया स्कूटरों के भाड़े में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वृद्धि पेट्रोल के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुरूप की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस अप्रत्याशित वृद्धि का क्या औचित्य है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों से अधिक किराया न वसूल किया जाए, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में फल और सब्जी प्रसंस्करण परियोजना स्थापित करना

8195. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पंजाब में फल और सब्जी प्रसंस्करण परियोजना स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या औपचारिकतायें पूरी की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान से स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

[हिन्दी]

8196. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए राजस्थान से, जिलावार कितने-कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) क्या वर्ष 1942 के आंदोलन के दौरान उदयपुर जेल में बढ़ रहे स्वतंत्रता सेनानी, सभी दस्तावेजों सहित अपने आवेदन पत्र भेज चुके हैं, अब भी अपनी पेंशन मंजूर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन आवेदकों को कब से पेंशन मंजूर की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) राजस्थान राज्य से स्वतंत्रता पेंशन प्रदान करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 31.3.1982 तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों को निपटा दिया गया है। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को विलम्ब से प्राप्त आवेदन माना जाता है। विलम्ब से प्राप्त ऐसे आवेदनों पर तभी विचार किया जाता है जब उनके साथ सरकारी रिकार्ड से साक्ष्य संलग्न हों।

(ख) जेलवार भोगी गयी यातना के अनुसार आवेदन पत्रों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, उदयपुर जिले से विलम्ब से प्राप्त दो आवेदनों पर, जिनमें उदयपुर जिले में यातना भोगने का दावा किया गया है, आवेदन-कर्ता/राज्य सरकार से सूचना प्राप्त न होने के कारण इन पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की प्रतीक्षा है।

(ग) अपेक्षित सूचना के प्राप्त होने पर ही उनके मामलों पर आगे विचार किया जा सकता है।

उदयपुर में "क्रास बार" टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

8197. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की मांग देश भर में बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो कुल कितने टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की मांग की गई है और इसे कब तक पूरा किया जायेगा;

(ख) क्या भविष्य में "क्रास बार" टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना न करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उदयपुर में वर्ष, 1990-93 के दौरान 4000 लाइन वाले "क्रास बार" केन्द्र की स्थापना किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 73 लाख लाइनों की टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि इसमें से 94 प्रतिशत क्षमता इलेक्ट्रॉनिक टाइप की होगी।

(ख) जब तक, क्रासबार उपस्कर का विनिर्माण करने वाली फैक्टरी में इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के लिए विनिर्माण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक, एक या दो वर्ष तक क्रासबार किस्म के उपस्कर का विनिर्माण करने का प्रस्ताव है।

सामान्यतया, मौजूदा क्रासबार एक्सचेंजों को चरणबद्ध रूप से या क्रासबार उपस्कर की कार्याविधि समाप्त हो जाने पर अथवा उसके पुराने पड़ जाने पर बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) उदयपुर में 4000 लाइनों का क्रासबार एक्सचेंज स्थापित करने की योजना काफी समय पहले बनाई गई थी और वहां उपस्कर भी पहुंच गया है।

दिल्ली पुलिस को विशेष प्रशिक्षण

[अनुवाद]

8198. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). सभी स्तर पर अधिकारियों और कार्मिकों को आतंकवाद विरोधी युक्तियों का प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है। ऐसा कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

मछलियों में रोग के कारण मछुआरों को नुकसान

8199. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मछलियों में रोग की रोकथाम के लिए जिसके कारण गत वर्ष मछली उत्पादन को भारी नुकसान हुआ है, क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन रोगों के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) देश में, राज्यवार मछुआरों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) मत्स्य रोगों को नियंत्रित तथा रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) विषय पर राज्यों को मार्गदर्शन जारी कर दिये गये हैं।

(2) राज्य के अधिकारियों को आरोग्यकारी तथा निवारणात्मक उपाय करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

(3) रोगों को नियंत्रित करने हेतु आगे की कार्रवाई को तेज करने की दृष्टि से कलकत्ता में एक राष्ट्रीय वर्कशाप का गठन किया गया है।

(ख) और (ग). अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन की राज्यों द्वारा दी गई सूचना में रोग के कारण मत्स्य उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं बताई गई है जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिये गये अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन आंकड़ों से स्पष्ट है।

(घ). देश में अन्तर्देशीय मछुआरों की संख्या का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया जाता है।

विवरण-1

1986-87 से 1989-90 तक के दौरान अन्तर्देशीय मत्स्य का उत्पादन

"000" मीटरी टन

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90 (पी)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	121.11	122.00	134.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.61	1.50	0.86
3.	असम	60.99	65.50	61.64
4.	बिहार	152.55	150.10	156.55
5.	गोआ	1.45	2.60	3.50
6.	गुजरात	22.58	21.50	25.00
7.	हरियाणा	18.65	18.00	20.00
8.	हिमाचल प्रदेश	4.10	5.00	4.30
9.	जम्मू व कश्मीर	11.00	11.10	11.14
10.	कर्नाटक	42.00	50.20	46.81
11.	केरल	26.51	26.60	33.81
12.	मध्य प्रदेश	68.50	54.40	33.81
13.	महाराष्ट्र	41.15	45.50	48.00
14.	मणिपुर	6.55	11.80	7.50
15.	मेघालय	0.85	0.80	0.99
16.	मिजोरम	2.40	2.60	2.81
17.	नागालैण्ड	0.61	0.60	0.83
18.	उड़ीसा	60.00	69.90	73.00
19.	पंजाब	6.00	9.10	7.50
20.	राजस्थान	16.52	12.00	7.00
21.	सिक्किम	0.14	0.10	0.09
22.	तमिलनाडु	93.00	90.00	75.00
23.	त्रिपुरा	14.01	16.40	18.50
24.	उत्तर प्रदेश	83.13	90.60	93.47

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	442.79	451.90	519.85
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.02	—	नगण्य
27.	चण्डीगढ़	0·05	नगण्य	0.04
28.	दादर व नागर हवेली	—	—	नगण्य
29.	दिल्ली	2.60	2.50	3.00
30.	लक्षद्वीप	—	—	नगण्य
31.	पांडिचेरी	1.09	2.30	2 87
	योग	1300.92	1334.60	1392.32

विवरण-2

भारत में अन्तर्देशीय मछुआरों की संख्या (1987-88)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्तर्देशीय मछुआरे
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2,79,492
2.	असम	4,75,000
3.	बिहार	5,80,200
4.	गुजरात	48,228
5.	हरियाणा	14,216
6.	हिमाचल प्रदेश	8,788
7.	जम्मू व कश्मीर	55,000
8.	कर्नाटक	5,27,596
9.	केरल	1,76,415
10.	मध्य प्रदेश	6,05,200
11.	महाराष्ट्र	2,24,728
12.	मेघालय	3,835
13.	मणिपुर	25,000
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	3,95,304
16.	पंजाब	—
17.	राजस्थान	510
18.	सिक्किम	110

1	2	3
19.	तमिलनाडु	1,25,000
20.	त्रिपुरा	4,775
21.	उत्तर प्रदेश	9,85,905
22.	पश्चिम बंगाल	3,19,000
23.	अन्डमान	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चण्डीगढ़	100
26.	दादर व नागर हवेली	—
27.	दिल्ली	2,000
28.	गोवा, दमन व दीप	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	6,138
	अखिल भारत	46,62,540

पान के पत्तों के बारे में अनुसंधान संस्थान

8200. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पान के पत्तों के बारे में कौन-कौन से संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अनुसंधान कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) पश्चिम बंगाल में ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) महोदय, पान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अंतर्गत देश के निम्न 10 संस्थानों में पान पर कार्य चल रहा है।

1. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर
2. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, धोली
3. विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी
4. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
5. आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट
6. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

7. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

8. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

9. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, चिन्थालपुडी

10. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

(ख) तीन वर्षों (1987-88 से 1989-90) के दौरान अनुसंधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 38.15 लाख रुपये आबंटित किए गए तथा वास्तविक खर्च लगभग 38 लाख रुपये रहा।

(ग) तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में इसके लिए 4.62 लाख रुपये आबंटित किया गया था जबकि 4.45 लाख रुपये खर्च किया गया है।

(घ) बार-बार रोगों के किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि फायटोफ्थोरा पाद और पत्ती सड़न, एन्थ्रेक्नोज और जीवाणु पत्ती चित्ती रोग पान के प्रमुख रोग हैं। मिट्टी को तर करने के लिए बोर्डो मिश्रण के घोल 1 प्रतिशत मासिक अंतराल पर और इसका छिड़काव (0.5 प्रतिशत) पखवाड़े के अंतराल पर वर्षा प्रारम्भ होने पर करने से इन तीनों रोगों की रोकथाम की जा सकती है। इसी प्रकार जड़-ग्रंथि गोल कृमि को रोकने में प्रतिवर्ष प्रति हैक्टर 2 टन की दर से नीम की खली देना काफी कारगर पाया गया। रोपाई के पहले गर्मी के महीनों में मिट्टी को सूर्य की धूप देना प्रारम्भिक रोगों के प्रभाव को कम से कम करने में काफी कारगर पाया गया। कृत्रिम टीकों के द्वारा गहरी जांच से पता चला कि आसाम के अवानी पान और पश्चिम बंगाल कि हलिसहर सांची किस्मों में बड़ी मात्रा में रोग-रोधिता पायी गयी। चार वर्षों से ज्यादा समय तक की गयी जांच से पता चला कि पान की फसल को कई कीट व्याधियों और दीमकों से नुकसान पहुंचता है।

पान की उपज पर 400 कि० ग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टर और जैविक खाद देने का अच्छा प्रभाव पड़ता है। रोगों से होने वाला नुकसान कम होता है और उपज भी बढ़ती है। जिन मिट्टियों में पोषक तत्वों की कमी है वहां 50 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर पोटाश देना लाभकारी सिद्ध हुआ है क्योंकि इससे कई रोगों से रोधिता पैदा होती है।

काश्तकारों को स्वस्थ पौद सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कई रोगमुक्त पान-बागान स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन का विकास

8201. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 के हावड़ा खड़गपुर सेक्शन की मरम्मत करने/विकास करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख). जी, हां। 99 कि० मी० से 106 कि० मी० तक के खण्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राक्कलनों की स्वीकृति हेतु वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में 225 लाख रु० का प्रावधान है।

शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

8202. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शहीद खुदीराम बोस की स्मृति में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). इस व्यक्तित्व पर डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है और वर्ष 1990 के कार्यक्रम में इसे अस्थायी तौर पर शामिल किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी मामले

8203. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधिवत रूप से सिफारिश किए गए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी कितने मामले, जिला-वार, केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मामलों में अन्तिम रूप से निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) निर्धारित तिथि अर्थात 31.3.1982 तक पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और सभी आवेदकों को निर्णयों की सूचना भेजी जा चुकी है। तथापि जिनके दावे स्वीकार नहीं किए गए और जिन आवेदकों ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके मामलों की समीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने के लिए जिन मामलों की विधिवत सिफारिश की हैं और जो केन्द्र सरकार के अधीन विचाराधीन हैं, उन मामलों का जिलावार ब्योरा निम्नलिखित है :

मिदनापुर	—	1162
कलकत्ता	—	8
जलपाइगुडी	—	2
24 परगना	—	6
हुगली	—	2
अन्य जिले	—	शून्य
		1180

(ख) ऐसे मामलों पर अन्तिम निर्णय लेने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।

पंजाब और कश्मीर में उग्रवादियों को पाकिस्तानी रेंजरों का समर्थन

8205. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी रेंजर पंजाब में आतंकवादियों और कश्मीर में उग्रवादियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जम्मू से लगने वाले क्षेत्रों में पंजाब के आतंकवादियों द्वारा हथियार लाने पर रोक लगाने के लिए क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ग) पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर "फ्लड लाइट" लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या लाभ होने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) इस बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है । तथापि पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा स्थापित प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण के दौरान सिख उग्रवादियों और जे० के० एल० एफ० के उग्रवादियों के बीच संबंध बढ़ने की सूचना है ।

(ख) जम्मू के साथ लगे क्षेत्रों में पंजाब के सशस्त्र आतंकवादियों की रोकथाम के लिए अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई हैं, अतिरिक्त सीमा चौकियां स्थापित की गयी हैं, निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है तथा गश्त बढ़ा दी गई है ।

(ग) भारत-पाक सीमा की चुनिन्दा सीमा टुकड़ियों पर बाड़, फ्लड लाईट, तार के अवरोधक, आदि लगाए गए हैं । फ्लड-लाईटिंग से मिलने वाले लाभ निम्न प्रकार से हैं :—

(1) क्षेत्र में प्रकाश हो जाता है तथा उपद्रवियों की गतिविधियों को दूर से देखा जाता है ।

(2) पता लग जाने के भय से उपद्रवियों पर निवारक प्रभाव पड़ता है ।

(3) नाका दलों को उपद्रवियों पर निशाना साध कर गोली चलाने में सुविधा मिलती है ।

फास्फोरिक एसिड की खरीद

8206. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान फास्फोरिक एसिड की खरीद के लिए किए गए अनुबन्ध और फास्फोरिक एसिड की खरीद के बारे में कोई जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय जांच किस स्तर पर की जा रही है और किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो वर्ष 1989-90 के दौरान फास्फोरिक एसिड के विक्रय के संबंध में सतर्कता पूर्वक जांच कर रही है । मामला अभी भी जांचाधीन है । सत्यापन पूर्ण हो जाने के पश्चात ही मामले से संबंधित तथ्यों को बताया जा सकेगा ।

पंजाब में आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों को एकमुश्त राहत

8207. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों के शिकार व्यक्तियों को राहत देने के लिए नई व्यापक एकमुश्त राहत योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के दौरान कितने व्यक्तियों अथवा परिवारों को राहत दी गई और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). पंजाब में आतंकवादी हिंसा के शिकार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता-उपायों की पंजाब सरकार द्वारा समीक्षा की गई और मुआवजा और अनुग्रहपूर्वक अनुदान की दरें बढ़ायी गयी हैं। निर्दोष नागरिकों, आतंकवादी हिंसा/नागरिक प्रशासन की सहायतार्थ सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई से पीड़ित हुए व्यक्तियों, मारे गये व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान की राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, शतप्रतिशत रूप से अपंग हुए व्यक्तियों के लिए एक मुश्त नकद राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपया किया गया है, जख्मी व्यक्तियों के चिकित्सा उपचार पर होने वाले कुल व्यय की प्रतिपूर्ति के अलावा वे 5,000 रुपये का अनुग्रहपूर्वक अनुदान के ग्राह्य होंगे। इसी प्रकार विधवाओं को दिए जाने वाले जीवन निर्वाह भत्ते को बढ़ाकर 1,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। भवनों, व्यापारिक और निजी वाहनों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 1,000 रुपया कर दिया गया है। आतंकवादी हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों, जो रोजगार के लिये पात्र हैं, के लिये जिलावार स्तर पर एक पूल का सृजन किया जाएगा और जब तक ये व्यक्ति सरकारी विभागों में नियमित रूप से नियुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक इन व्यक्तियों को पंजीकरण की तारीख से प्रतिमाह लगातार 1000 रुपया दिया जाएगा। इन उपायों में शिक्षा और अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित हैं।

(ग) इस संबंध में पंजाब सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

तस्करों, नशीले औषधों के अवैध व्यापारियों तथा आतंकवादियों के बीच सांठगांठ

8208. **श्री के० चोक्का राव :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तस्करों और नशीले औषधों के अवैध व्यापारियों की, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों से सांठगांठ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस जाल को नष्ट करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख). सरकार को इस बात का ज्ञान है कि आतंकवादियों को तस्करों और नशीली दवाओं का अवैध धंधा करने वालों के माध्यम से शस्त्र और गोला-बारूद आदि के रूप में विदेश से सहायता मिलती है। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त सक्रिय तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है।

सड़कों और पुलों के विकास से संबंधित समिति

8209. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़कों तथा पुलों का निर्माण करने वाले उद्योग का विकास हेतु तथा सड़कों के निर्माण एवं इसके रख-रखाव के पर्यवेक्षण के लिए भी, एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके कृत्य क्या हैं; और

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां । सरकार ने सड़क और पुल ठेका उद्योग के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है। तथापि, समिति सड़कों के निर्माण और उनके रख-रखाव के पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य नहीं देख रही है।

(ख) समिति का गठन, कार्य और विचारार्थ विषय, दिनांक 5.2.1990 के विवरण के रूप में संलग्न सरकारी आदेश में दिए गए हैं।

(ग) जून, 1990 तक ।

विवरण

सं० आर० डब्ल्यू/एन० एच०-11024/2/89-डी० ओ० ।

भारत सरकार
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(सड़क पक्ष)

परिवहन भवन,
1, संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 5 फरवरी, 1990

आदेश

विषय : सड़क और पुल ठेका उद्योग के विकास के संबंध में एक समिति का गठन।

बढ़ते हुए सड़क यातायात की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से देश में सड़क और पुल के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। इसका एक कारण यह है कि देश में सड़क ठेका उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। सड़कों और पुलों के निर्माण में लगे ठेकेदारों ने आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई है । इसके फलस्वरूप सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से सड़क ठेका उद्योग के वर्तमान स्तर का अध्ययन करने, इसके विकास में बाधा पहुंचाने वाले कारणों का पता लगाने और इसके सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया है।

2. समिति के विचारार्थ विषय अनुबंध में संलग्न हैं । समिति का संघठन निम्नलिखित है । आवश्यकता पड़ने पर यह अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकती है ।

(क) अपर महानिदेशक (सड़क), — अध्यक्ष
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली

(ख) श्री बी० कृष्णैया, — सदस्य
बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
6-2-913/914 V तल,
प्रोग्रेसिव टावर, खैरताबाद
हैदराबाद-500004

(ग) श्री दलजीत बालिया, — सदस्य
अध्यक्ष,
इंडियन अर्थमूविंग एण्ड कन्सट्रक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन लिमिटेड
द्वारा मैसर्स एस्कार्ट लिमिटेड सैक्टर-13
फरीदाबाद-110007

(घ) श्री ए० शंकर नारायणन, — सदस्य
उपाध्यक्ष,
हिन्दुस्तान पोर्टस लिमिटेड
''एलीकान्सों 2, कमांडर इन चीफ रोड,
मद्रास-600105

(ङ) श्री एस० पी० भिडे — सदस्य
महा प्रबंधक
हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कन्सट्रक्शन हाउस, वाल चंद हीरा चन्द्र मार्ग,
बम्बई-400038

(च) श्री के० ए० सौदागर — सदस्य
एशिया फाउंडेशन एण्ड कन्सट्रक्शन
लिमिटेड (एफकान्स) 21/60,
पुराना राजेन्द्र नगर, प्रथम तल
नई दिल्ली-110060

(छ) श्री राजू ए बरोत — सदस्य
एटलान्टा कन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया लिमिटेड)
बी-22/ए ए०बी०एम० रोड,
विले पारले (पश्चिम)
बम्बई-400049

(ज)	श्री वाई० सी० सक्सेना, प्रबंध निदेशक, उ०प्र० सेतु, निगम लिमिटेड, सेतु भवन, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ-226001	सदस्य
	श्री एस० एम० अग्रवाल, मुख्य अभियंता, सेतु भवन, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ-226001	वैकल्पिक सदस्य
(झ)	इंडियन रेलवे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (इरकान) का एक प्रतिनिधि पालिका भवन, सैक्टर XIII, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066	सदस्य
(ञ)	इंजीनियर इन चीफ उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ,	सदस्य
(ट)	मुख्य अभियंता, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, गुजरात लोक निर्माण विभाग, गांधी नगर	सदस्य
(ठ)	मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय राजमार्ग) कर्नाटक लोक निर्माण विभाग, बंगलौर	सदस्य
(ड)	श्री रजनीश लेखी, संकाम सदस्य, राष्ट्रीय निर्माण, प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, वाल चंद सेंटर टारदेव रोड बम्बई-400034	सदस्य
(ढ)	श्री एम० वी० डी० राव अध्यक्ष, पुल प्रभाग, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आर०आई०) दिल्ली-मथुरा सड़क, पो० आ०—सी० आर० आर० आई०, नई दिल्ली-110020	सदस्य

(ण) श्री पी० जे० विसेंट, सदस्य
उप वित्तीय सलाहकार,
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(त) श्री वी० के० अरोड़ा, सदस्य
मुख्य अभियन्ता (सड़क)
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(थ) श्री आर० एल० कपूर, सदस्य
मुख्य अभियन्ता (पुल),
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(द) श्री जे० के० डूगढ़, सदस्य
मुख्य अभियन्ता (यांत्रिकी),
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

2. समिति को अपनी रिपोर्ट 4 महीनों में प्रस्तुत करनी है। बैठकों की संख्या तथा स्थान अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेंगे।

3. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उस संगठन द्वारा दिया जाएगा जिसका ये प्रतिनिधित्व करेंगे।

(बी० एन० पुरी)
निदेशक
दूरभाष-388560

सेवा में,

समिति के सभी सदस्य

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

1. महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव,
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय,
नई दिल्ली।

2. सी० एम० डी० बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इंडिया,
जी-1/जी-20, कामर्स सेंटर,
7वां तल, जे० दादाजी (तारदेव) रोड,
मुम्बई-400034

3. अध्यक्ष,
इंडियन अर्थमूविंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन लिमिटेड,
23, 26 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

4. सी० एम० डी०, हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड,
एल० बी० एस० मार्ग,
पो० आ० योगोर नगर,
विखडोला,
मुम्बई-400083

5. सी० एम० डी० एशिया फाउन्डेशन एंड कंस्ट्रक्शन लि० (एफ्कांस),
254-डी० डा० एनीबीसेंट रोड, बैंड बाक्स हाउस,
पो० आ० सं० 19102,
मुम्बई-400025

6. सी० एम० डी०, अटलोटा कंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमि०,
बी०-22/ए० बी० एम० रोड,
विले पारले (डब्ल्यू),
मुम्बई-400049

7. सी० एम० डी०, उ०प्र० राज्य पुल निर्माण निगम लिमि०,
सेतु भवन,
16, मदनमोहन मालवीय मार्ग,
लखनऊ-226001

8. सी०एम०डी०, मैसर्स इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमि० (इरकान),
पालिका भवन,
सेक्टर XIII, आर० के० पुरम,
नई दिल्ली-110066

9. निदेशक,
केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी० आर० आर० आई०),
दिल्ली-मथुरा सड़क,
नई दिल्ली-110020

10. सचिव,
वित्त मंत्रालय,
नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली।

11. निदेशक,
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च (एन०आई०सी०एम०ए०आर),
वालचंद सेन्टर,
तारगो रोड,
मुम्बई-400034

12. सचिव,
उ०प्र० लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

13. सचिव,
गुजरात लोक निर्माण विभाग,
गांधीनगर

14. सचिव,
कर्नाटक लोक निर्माण विभाग,
बंगलौर।

(बी० एन० पुरी)
निदेशक

अनुबंध

सड़क व पुल ठेका उद्योग से सम्बन्धित समिति के विचारार्थ विषय

1. देश में सड़क तथा पुल ठेका उद्योग के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना।
2. उद्योग के विकास में बाधक तत्वों का पता लगाना।
3. राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के संदर्भ में सड़क एवं पुल के निर्माण में अधिकतम यांत्रिकीकरण की आवश्यकता।
4. आधुनिक उपकरणों के प्रयोग में रुचि के अभाव के कारणों का पता लगाना तथा निवारक उपाय सुझाना।
5. सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए आधुनिक उपकरणों की देश में उपलब्धता/उत्पादन की जांच करना तथा स्थिति में सुधार के तरीके सुझाना।
6. ठेका उद्योग के समग्र सुधार तथा विकास के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना।
7. ठेकेदारों के पंजीकरण/प्रीक्वालीफाइंग की वर्तमान पद्धति की जांच करना तथा ठेका उद्योग के स्वस्थ विकास के उद्देश्य से अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देना।
8. निर्धारित समय तथा लागत पर ठेकेदारों द्वारा ठेके को पूरा करने से संबंधित उत्तर-दायित्व को लागू करने के उपाय सुझाना।

9. ग्राहक तथा ठेकेदारों के बीच विवादों से बचने के उपाय सुझाना। विवाद के सामान्य कारणों का विश्लेषण किया जाए तथा ठेके की विभिन्न धाराओं की अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट घोषणा द्वारा विवाद से बचने की संभावना की जांच की जाए। क्या सभी अथवा अधिकांश ठेकों की सामान्य विशेषताओं से युक्त आदर्श ठेका फार्म मौजूद हैं ?

10. ठेका उद्योग वित्त व्यवस्था के वर्तमान स्रोत क्या हैं ? इस क्षेत्र में यदि कोई समस्या है तो उसके संभावित समाधान क्या हैं ?

11. जहां एक परियोजना को कई खंडों में बांटा जा सकता है वहां ठेके के लिए न्यूनतम मूल्य देने की आवश्यकता अथवा वांछनीयता की जांच करना।

12. कोई अन्य संगत मामला जिसे समिति उचित समझे।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा विदेशों को वाद्य-यन्त्र भेजना

8210. **श्री पीयूष तीरकी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा फीजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और बोन स्थित अपने सांस्कृतिक केन्द्रों को भेजे गए वाद्य-यन्त्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह शिकायत प्राप्त हुई है कि सांस्कृतिक केन्द्रों को सप्लाई किए गए वाद्य-यन्त्र घटिया क्वालिटी के थे;

(ग) क्या यह सच है कि परिषद के अध्यक्ष द्वारा दी गई तीस लाख रुपये की मूल मंजूरी सम्बन्धी कुछ मिसिलें कार्यालय से गुम हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विगत तीन वर्षों में फिजी, गुयाना और सूरीनाम स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को संगीत के जो उपकरण भेजे गए हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

त्रिनिदाद और टोबगो के प्रस्तावित सांस्कृतिक केन्द्र ने अभी काम शुरू नहीं किया है। इसलिए उन्हें संगीत उपकरण भेजने का सवाल नहीं उठता। 1986-87 के दौरान बोन स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र को कोई संगीत उपकरण नहीं भेजा गया है। यह कार्यालय अब अस्तित्व में नहीं है।

(ख) जी नहीं, तथापि, मारिशस सरकार के प्रशासन के अधीन चलने वाले संगठन महात्मा गांधी संस्थान में प्रयोग के लिए भेजे गए संगीत उपकरणों की किस्म के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट मिली थी।

(ग) और (घ). जी हां, मारिशस में महात्मा गांधी संस्थान को भेजे जाने वाले संगीत उपकरणों की फाइल ही नहीं मिल रही है। इस विषय पर दूसरी फाइल तैयार कर ली गई है। असल फाइल को तलाश करने की कोशिश की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1987-88 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सुवा, फिजी को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

1 नग (सारंग) तम्बूरा (डिलक्स)	1,236.00 रुपये
1 नग छात्रों के लिए अच्छी किस्म का सितार	
6 जोड़ी तबले (सभी सहायक सामग्री के साथ)	
2 नग छात्रों के लिए हारमोनियम	7,317.73 रुपये
	8,553.73 रुपये

वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सुवा, फिजी को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

—शून्य—

वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सुवा, फिजी को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

25 नग सितार आर्टिस्टिक/विलायत खान मॉडल	
15 नग हारमोनियम —वही—	
कवर के साथ 15 जोड़ी तबले—हेमर	
2 नग हारमोनियम (स्केल चेन्जर) आर्टिस्टिक	
1 नग सुरबहार	
पिच के अनुसार 6 जोड़ी तबले (व्यावसायिक)	
30 नग रस्सी वाले घुंघरू	
सितारों के लिए रोसल्यु जर्मन स्ट्रिन्ग की 40 काइलें	
सितार के लिए 100 नग मिजरांबला	
25 नग लकड़ी के ब्रिज/होर्न जावरी सहित ब्रिज का ऊपरी हिस्सा	
25 नग —वही—ब्रिज का निचला हिस्सा	
100 नग तरब का मोती	
25 नग मनका	
50 नग चिकारी की खील	
50 नग खूंटी छोटी (खूंटियां)	
25 नग खूंटी बड़ी	
42 नग तबला/बाया पूरीज	2,18,660.00 रुपये

वर्ष 1987-88 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन गुयाना को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

10 नग पखावज (अच्छी किस्म) शीशम लकड़ी से बनी	
5000 नग घुंघरू (नर्तन घंटियां) सूती रस्सी के 50 जोड़ों (50×50) में जड़े हुए	
5 सैट पूरीज (पखवाज) दोनों तरफ खाल	
2 सैट पट्टे (—वही) विशुद्ध चमड़ा	9,861.23
90 नग तबला/डुग्गा पूरीज (खाल)	
46 नग पट्टे (ऊंट-चमड़ा) तबले के लिए	8,040.50
24 जोड़ी तबला (व्यावसायिक) भारी पीतल चढ़ा हुआ शीशम की लकड़ी का और रिगों/कवरों हैमर के सैट के साथ	15,710.87
2 नग इकतारा (मीरा) पूरा साइज	
2 नग—वही (बंगालो)—वही—	
2 नग खरताल पूरा साइज	
2 नग मंजीरा (छोटा)	
2 नग—वही—(सबसे बड़ा) झांजे	
2 नग ढोलक (छात्र)	
2 नग तानपूरा (स्त्रियों के लिए)	
2 नग तानपूरा रखने के डिब्बे	
2 नग खाल रहित तम्बूर्ने (पूरा साइज)	
2 नग खोल सहित तम्बूर्ने	
1 नग हारमोनियम (स्केल चेन्ज)	7,297.21
43 सैट्स तानपूरा की तारें	
68 सैट्स सितार की तारें (7 ऊपरी तारों का सैट)	2,340.00 रुपये
12 नग शहनाई (उत्तम किस्म)	1,219.80 रुपये
12 नग बांसुरियां "जी"	122.00 रुपये
1 नग सारंग—इलैक्ट्रानिक तम्बूरा	1,123.60 रुपये
	45,715.21 रुपये

वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन, गुयाना को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

150 नग शहनाई रीड्स (ड्राई लीव्स)	481.50 रुपये

वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन, गुयाना को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

—शून्य—

वर्ष 1987-88 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारीबो, सूरीनाम को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

24 नग तबला/डुग्गा पूरीज उत्तम किस्म (छाल)	1,707.72 रुपये
1 नग सारंग इलैक्ट्रानिक तम्बूरा	1,123.60 रुपये
	2,831.32 रुपये

वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारीबो, सूरीनाम को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

12 नग सितार (व्यावसायिक) तरबदार	
3 जोड़ी तबला (व्यावसायिक) रिंगों/कवरों/हैमरों सहित	
8 नग डुग्गा पूरीज (आर्टिस्टिक) बकरी-खाल	
14 नग तबला पूरीज (आर्टिस्टिक) हिरण-खाल	
7 नग (सितार) रखने के लिए डिब्बे	
3 नग तबला रखने के लिए डिब्बे	
40 नग रस्सियों पर नर्तन घंटियां (50 × 50) व्यावसायिक	
5 नग —वही—	
1 रोल तबला/पखावज के लिए पट्टे पूरा साइज	23,706.00 रुपये
8 जोड़ा छोटा मंजीरा (सं० 8)	
4 जोड़ा मंजीरा सं० 6 (मध्यम)	
2 जोड़ा मंजीरा सं० 3 (मध्यम)	
2 जोड़ा मंजीरा सं० 2 (पूर्ण)	539.00 रुपये
	24,245.00 रुपये

वर्ष 1989-90 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारीबो, सूरीनाम को भेजे गए संगीत उपकरणों की सूची

1 नग सितार

अपेक्षित आकारों के अनुसार रिंग, कबर, हैमर, डिब्बा आदि सहित 4 जोड़ी तबला

56 नग साइज के अनुसार तबला/बया खाल (पूरीज)

12 सैट रिंग/कबर और हैमर सैट्स

4 नग बड़ी (पट्टे) 2 तबला/बया के लिए

4 नग ट्यूनिंग पिच

4 किग्रा. ढोलक के लिए रस्सी 25,102.00 रुपये

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं

8211. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में विद्यमान वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शिकायतों की जांच करने और परिषद के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। 31.3.1988 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्य संचालन के संबंध में कतिपय अनियमितताओं से सम्बद्ध एक अध्याय है। श्री राजकुमार राय और ग्यारह अन्य भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 20.12.1988 की एक शिकायत भी है जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री को संबोधित है और जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की अनेक तथाकथित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। इस पत्र की एक प्रति उसके अनुलग्नकों सहित हाल ही में श्री अनादि चरण दास संसद सदस्य लोक सभा ने 31.1.90 को विदेश मंत्री को भेजी है।

(ख) शिकायतें, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, के संविधान का उल्लंघन करने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्वायत्तता, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पद-स्थापना करने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की संवर्ग रिपोर्ट, परिषद में विभिन्न पदों पर की गई नियुक्तियों, अमले के कुछ सदस्यों के प्रति अनुचित पक्षपात, महा निदेशक और उप महानिदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किताबों और कलाकृतियों की खरीद और सप्लाई, निम्नस्तरीय संगीत उपकरण, मंचीय कलाकारों/अतिथि दलों को भुगतान और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के काम से संबंधित अन्य पक्षों से सम्बद्ध आरोपों के बारे में है।

(ग) 1.6.89 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की महासभा की बैठक में इन मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था जिसकी अध्यक्षता भारत के उप-राष्ट्रपति/भारतीय सांस्कृतिक

संबंध परिषद के अध्यक्ष ने की थी। महासभा ने इन शिकायतों पर गौर करने के लिए विदेश सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय उप समिति गठित करने का निश्चय किया। इस समिति की बैठक 27 सितम्बर, 1989 को हुई थी और उसमें नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों तथा प्राप्त अन्य शिकायतों पर और परिषद द्वारा सुझाई गई उपचारी कार्यवाहियों तथा टिप्पणियों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। समिति ने उपचारी उपाय सुझाए हैं जिन पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा क्रयादेश किये गये प्रशीतन उपकरण को जब्त करना

8212. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ के तकनीकी सलाहकार के तौर पर कुछ प्रशीतन उपकरण हेतु फरीदाबाद की एक प्राइवेट कम्पनी को क्रयादेश दिया था;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा भेजे गये उपकरण को उत्तर प्रदेश की किसी सरकारी एजेंसी ने जब्त कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम्पनी के विरुद्ध क्या आरोप है;

(घ) क्या कम्पनी ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से सरकार को जुर्माना/कर अदा किये बिना इस खेप को छुड़ाने की कोशिश की थी;

(ङ) क्या इस खेप को जुर्माना/कर अदा किये बिना छोड़ दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 21-9-89 को बिक्री कर अधिकारी, चैकपोस्ट, विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ने मेसर्स फ्रिक इंडिया लि०, फरीदाबाद द्वारा फीडर बेलेंसिंग डेरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश को भेजे गए प्रशीतन संयंत्र का एक भाग पकड़ा था। इस मशीनरी को दस्तावेज फार्म-31 और उपकरण के स्वामित्व के अनुसार परेषिती के ब्यौरे में विभिन्नता के आधार पर उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की धारा 28-क के अन्तर्गत पकड़ा गया था।

(घ) से (च). मैसर्स फ्रिक इंडिया ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से अनुरोध किया था कि वे परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाएं। यह मामला पी०सी०डी०एफ० के जरिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा प्राधिकारियों को सौंपा गया था और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा यह वचनबद्धता देने पर कि, दण्ड/कर, यदि कोई हो, तभी अदा किया जाएगा जब इस मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाए, बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुसार यह माल निर्मुक्त किया गया था।

विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा

8213. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा सत्र में और गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अप्रैल 1990 में न्यूयार्क का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सबंधी विशेष अधिवेशन (22 से 26 अप्रैल 1990) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया और उन्होंने गुट-निरपेक्ष देशों की मंत्रीस्तरीय विशेष बैठक (24 अप्रैल, 1990) में भी भाग लिया ।

विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ कई देशों के मंत्रियों और उनके प्रतिनिधि मंडल के नेताओं से अलग-अलग बातचीत की । इस बातचीत में परस्पर हित के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में उठाए गए आर्थिक मसले, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसले और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भावी भूमिका/इस बातचीत में पड़ौसी देशों के साथ भारत के संबंधों का भी प्रश्न उठा, जिसमें पाकिस्तान का भी उल्लेख आया । विभिन्न देशों के जिन नेताओं से बातचीत हुई उन्होंने आमतौर से भारत की स्थिति को समझा और सराहा ।

रायल सीमा (आन्ध्र प्रदेश) में विदेशों से धन पाने वाले स्वयंसेवी संगठन

8214. **श्री एम० ओ० रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा में ऐसे कितने स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं जिन्हें विदेशों से धन प्राप्त होता है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक संगठन को पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) आन्ध्र प्रदेश के चार जिले अर्थात अनन्तपुर चित्तुर, कुडप्पा तथा करनूल जिलों में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अभिदाय प्राप्त करने के लिए 379 संगठन पंजीकृत हैं ।

(ख) प्रत्येक संगठन के बारे में पिछले तीन वर्षों की सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है क्योंकि यह बहुत विस्तृत प्रकृति का कार्य है ।

गुजरात में इसाई मिशिनरी संस्थायें

[हिन्दी]

8215. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितनी इसाई मिशिनरी संस्थायें कार्य कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान तथा वर्ष 1989-90 में जनवरी, 1990 तक, इन संस्थाओं को कितती विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ग) भडौच, सूरत और बालसर डेंग जिलों में कितनी विदेशी संस्थायें कार्य कर रही हैं; और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

सिंगापुर द्वारा अमरीका को सैनिक अड्डे की सुविधाओं की पेशकश

[अनुवाद]

8216. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर का अमरीका को सैनिक अड्डे की सुविधाओं की पेशकश के कारण भारत के तटों के निकट अन्तर्राष्ट्रीय सामरिक प्रतिस्पर्धा होने की सभावना है, जिससे क्षेत्र का सुरक्षा-वातावरण प्रभावित होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित देशों को इस मामले पर भारत की चिन्ता से अवगत करा दिया गया है और किसी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह मामला उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ). सिंगापुर के अक्तूबर, 1989 में दिए गए आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार सिंगापुर ने अमरीकी नौसैनिक पोतों की मरम्मत के लिए तथा अमरीकी वायुसेना के विमानों को परिक्रमात्मक आधार पर अल्प अवधि की यात्राओं के लिए अपनी सुविधाओं के "पहले से अधिक प्रयोग" की पेशकश की है । हिन्द महासागर के क्षेत्र में बाहरी ताकतों की सैनिक उपस्थिति के संबंध में हमारे विचार सुविदित हैं तथा इस संबंध में हम अपनी चिन्ताओं को द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में अभिव्यक्त कर चुके हैं । भारत हिन्द महासागर क्षेत्र में बाहरी शक्तियों के सैनिक जमाव के सख्त खिलाफ है । भारत की मान्यता यह है कि बाहरी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति के और विस्तार तथा फैलाव को रोका जाना चाहिए तथा बड़ी शक्तियों की सैनिक प्रतिद्वन्द्विता के संदर्भ में किसी भी रूप में इसकी अभिव्यक्ति को, जैसे कि विदेशी सैनिक अड्डे, खत्म कर दिया जाना चाहिए ।

12.00 मध्याह्न

विशेषाधिकार का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगा चरण लोधी ने उन्हें सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली आने में कथित रूप से बाधा डालने तथा उन्हें 7 मई, 1990 को हमीरपुर में मकान में नजरबंद करने के लिए हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस को सदन में उठाने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के अन्तर्गत मेरी सहमति मांगी है ।

आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए अपनी सहमति देता हूं । श्री गंगा चरण लोधी अब सदन की अनुमति ले सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण लोधी (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में रखने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से श्री गंगा चरण लोधी को सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। अनुमति दी जाती है। श्री गंगा चरण लोधी अब अपना प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री गंगा चरण लोधी (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री गंगा चरण लोधी को सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली आने में बाधा डालने तथा उन्हें 7 मई, 1990 को मकान में नजरबंद करने के लिए हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध उक्त सदस्य द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को उसकी जांच, अन्वेषण और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए सौंपा जाए।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7.5.90 को 6 बजे मैं लोक सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु अपने निवास दाऊ दयाल बाग, हमीरपुर से वाया कानपुर वायुदूत सेवा से दिल्ली जाने हेतु घर से निकला, तो देखा कि डी०एम० व एस०पी० हमीरपुर भारी पुलिस फोर्स के साथ बाहर खड़े थे। डी०एम० हमीरपुर ने बड़ी बेरुखी से कहा कि आप आज घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे लोक सभा की कार्यवाही में भाग लेने हेतु दिल्ली जाना है और आज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। मुझे जिले की भीषण पेयजल की समस्या का मामला सदन में उठाना है। तो एस०पी० ने कहा कि यदि आप डी०एम० साहब के खिलाफ पेयजल समस्या और महोवा की लाठीचार्ज की घटना को नहीं उठाएंगे तब हम आपको जाने देंगे। मैंने कहा कि मैं जन समस्याओं को अवश्य उठाऊंगा, इसीलिए जिले की जनता ने मुझे चुना है। तो डी०एम० ने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर पेयजल समस्या का निराकरण कर दूंगा, आप और भी अपने मुझसे व्यक्तिगत काम करवा लीजिए, पर इस मामले को सदन में न उठाइए। तो मैंने कहा कि इस तरह के झूठे वायदे आप मुझ से कई बार कर चुके हैं। मैं इसे सदन में अवश्य उठाऊंगा। इस बात को सुनकर डी०एम० और एस०पी० बहुत गुस्से में बोले कि हम इन्हें तथा इनके कार्यकर्ताओं को देख लेंगे, देखते हैं जिले में कैसे राजनीति करते हैं। अभी महोवा के लोगों को ठीक किया, बाकी को अब कर देंगे। यह कहते हुए प्रभारी निरीक्षक को यह आदेश देकर चले गए कि इनको घर से बाहर मत निकलने दो और भारी पुलिस फोर्स को मेरे घर के आसपास तैनात कर दिया।

जब शहर के नागरिकों को यह बात मालूम हुई कि हमारे सांसद को नजरबंद कर लिया है तो मेरे घर पर लोग मिलने के लिए आने लगे, जिन्हें पुलिस वाले डंडों से खदेड़ देते तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करते। यह क्रम सायंकाल तक चलता रहा जब तक मुझे रिहा नहीं किया गया। शाम तक मेरे घर के सामने भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोग गांवों से भी आ गए। भीड़ पत्रकारों और वकीलों को देखकर करीब 8 बजे रात में पुलिस फोर्स भाग गई। इस घटना की सूचना मैंने टेलीग्राम द्वारा आपके पास भिजवाई थी। इससे मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है तथा 8.5.90 की गृह-मंत्रालय सलाहकार समिति की मीटिंग में भी मैं भाग नहीं ले सका।

[श्री गंगा चरण लोधी]

अध्यक्ष महोदय, इस घटना से मेरा बेहद अपमान हुआ है और लोकतंत्र की खुली हत्या हुई है तथा एक जनप्रतिनिधि के सम्मान को ठेस पहुंची है, इससे नौकरशाही की तानाशाही को बढ़ावा मिला है। इससे मेरे क्षेत्र की आम जनता भयभीत हो गई है कि जब सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तब आम जनता के साथ क्या होगा तथा जनता का विश्वास मेरे ऊपर से खत्म हो गया है। जनता सोचती है कि हमारा सांसद हमारी रक्षा कर सकता है या नहीं। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बड़ी शर्मनाक घटना है। यदि उक्त अधिकारियों को दंडित नहीं किया गया तो फिर इनके हौंसले बुलंद होते जाएंगे और यह कार्य दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ भी कर सकते हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कभी कोई सदस्य नजरबंद किया जाता है—तो नजरबंद करने वाले अधिकारी को तार द्वारा आपको सूचित करना होता है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको सूचना दी गई थी अथवा नहीं और यदि नहीं तो यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मेरे विचार से हमने नियम बनाये हैं और जिसका सबको पालन करना चाहिए मैं जानना चाहता हूं कि उसका पालन किया गया है या नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि इस बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं आयी।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से कोई ओब्जेक्शन नहीं है। मैं समझता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं वे अत्यन्त गम्भीर हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की घटना हो जाए और सरकार स्वयं उसके बारे में कार्यवाही न करे। चाहे केन्द्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार को, कार्यवाही न करना स्वयं में अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने अधिकारियों का ध्यान इस घटना की ओर जरूर दिलाया होगा। लेकिन अगर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है तो सदन को निश्चित रूप से मामले में हस्तक्षेप करके कार्यवाही करनी चाहिए। उपयुक्त होगा कि विशेषाधिकार समिति शीघ्रातिशीघ्र इस मामले में कार्यवाही करे। इसमें लम्बी-चौड़ी गवाही लेने की बात नहीं है। उस अधिकारी को बुला कर, उसका बयान लेकर उसके बाद निर्णय करके सदन के सामने तथ्यों को लाया जाए। मैं चाहता हूं कि इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। इस समय सत्र के दो सप्ताह बाकी हैं। यह घटना ऐसी है जिसके बारे में निर्णय सत्रावसान होने से पहले हो जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, मुझे विश्वास है कि इस पर सदन एक मत होगा। यह एक बहुत गम्भीर मामला है जिस पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यह मामला

विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए और जैसा कि पहले कहा गया है; मेरे विचार से, लम्बी चौड़ी गवाही की औपचारिकताओं के बगैर तुरन्त कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री समेरन्द्र कुन्डु (बालासौर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि जिला अधिकारी ने सांसद श्री गंगा चरण लोधी को नजरबंद करने के सम्बंध में आपको सूचना देने की भी जरूरी नहीं समझी। यह मामले को छिपाने का मामला है, जो जानबूझ कर किया गया है। अत: ऐसा करके उन्होंने सभी मानदण्डों का उल्लंघन किया है। एक युवा और उत्तेजित सांसद, जो मेरे समक्ष बैठे हैं ने अपने वक्तव्य में जो कुछ कहा है उससे प्रत्यक्षत: मामला बनता है। मामला आपके समक्ष पहले से ही बनता है।

मेरे विचार से दो बातें की जानी चाहिएं। सरकार को आज या कल तक यह सूचित करना होगा कि माननीय सांसद द्वारा बताए गये प्रत्यक्ष मामले के आधार पर, इस अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है या मेरा निवेदन है कि कल तक संसद की विशेषाधिकार समिति की तुरन्त बैठक बुलाई जाए और तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्हें आरोपों का उत्तर देने के लिए संसद के कटघरे में बुलाया जाना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, नौकरशाही को संसद की अवमानना करने तथा लोकतान्त्रिक देश के सभी मापदण्डों की अवमानना करने की स्वतन्त्रता दी गई है। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऐसी घटनाएं देश में और जगह भी घटित हो रही हैं। इसलिए संसद को नौकरशाही पर अपनी सर्वोच्चता बनाये रखने के लिए और इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी को तुरन्त कल तक रिपोर्ट देनी चाहिए कि दोषी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी चाहे वह कोई भी हो, उसके विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए। जैसा कि श्री आडवाणी द्वारा सुझाया गया है इसे तुरन्त किया जाना चाहिए। विशेषाधिकार समिति को यह मामला, तुरन्त अपने हाथ में ले लेना चाहिए और इस सत्र के अन्त तक मामले को निपटा देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष भारतीय (फर्रूखाबाद) : माननीय गंगाचरण राजपूत के साथ जो घटना हुई है वह इसलिए महत्वपूर्ण और दु:खदाई है कि उनके साथ अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन सबसे ज्यादा दु:खदाई बात यह है कि जब कोई जन-प्रतिनिधि अपनी जनता के प्रति जो निष्ठा है जिसके लिए वह चुना गया है जब वह जनता की समस्या उठाता है, पीने के पानी की समस्या हो या उन पर अत्याचार की समस्या हो तभी उनके साथ अधिकारियों द्वारा ऐसा बर्ताव किया जाता है। माननीय गंगा चरण जी ने सिफारिश नहीं की थी उनसे किसी चोर को बचाने के लिए, वहां के लोगों की जिन्दगी में जो तबाही आ रही है उस सवाल को उन्होंने उठाया इसलिए उनके साथ यह घटना हुई। इस नौकरशाही के शेर को पिछले चालीस सालों से शासन में जो लोग थे उन्होंने आदमखोर बना दिया है। इसलिए मैं आडवाणी जी से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि इस सत्र के सत्रावसान से पहले विशेषाधिकार समिति न केवल फैसला दे, बल्कि उससे पहले कल शाम तक गृह मंत्री को बयान देना चाहिए कि इन अधिकारियों के खिलाफ तात्कालिक रूप से मौजूदा सरकार ने क्या कारंवाई की है। अगर यह कारंवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह मानना चाहिए कि हमारी सरकार भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे अधिकारियों को जो भ्रष्ट और बेइमान हैं शैल्टर देने में सक्षम है और उनको सजा देने में अक्षम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से

[श्री संतोष भारतीय]

सरकार से अनुरोध करता हूं कि माननीय गंगा चरण जी के साथ जो घटना हुई वह कोई सत्तारूढ़ दल के सांसद के साथ घटना नहीं मानी जाये, बल्कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि यह पूरे सदन के हर सांसद के साथ घटना हुई है। इसके बारे में आज ही यह फैसला होना चाहिए कि सरकार इसके बारे में क्या रुख अपना रही है।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : यह घटना इस प्रकार की है कि पहले भी ऐसी स्थिति यहां आ चुकी है। सातवीं लोक सभा का जब मैं सदस्य था तो मिलों के बन्द होने के कारण मजदूरों की बेकारी का प्रश्न लेकर जब हमने मांग की थी तो वहां ऐसी घटना हमारे साथ एस०पी० और कलेक्टर ने की थी। वह प्रश्न भी विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया था। आप हमारे सबके संरक्षक हैं। लोकतंत्र में अपनी और जनता की बात कहने की अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसको प्रभावित करने की कोई भी वारदात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की जो शर्मनाक वारदात की गई है उससे लोकतंत्र की व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की वारदात करने वाले जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति यहां अपनी बात कह सकें जो कि सदन के सदस्य हैं और उनकी सुरक्षा हो। इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा बताया गया है उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से बताया था कि वे संसद की कार्यवाही में भाग लेने जा रहे हैं और यदि उन्हें गैर-कानूनी रूप से नजरबंद किया जायेगा तो वह उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लायेंगे। तब जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि उन्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव की कोई चिन्ता नहीं है। ये जिला मजिस्ट्रेट के शब्द हैं। यह एक गम्भीर मामला है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये अधिकारीगण हमारी कोई परवाह नहीं करते हैं। हमें कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। एक पहले के मामले में जिसमें उड़ीसा में बोलनगीर के पुलिस निरीक्षक जिन्होंने माननीय सदस्य श्री बाल गोपाल मिश्र, जो यहां बैठे हैं, पर कातिलाना हमला किया था के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आपको एक विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था अभी तक राज्य सरकार ने आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हों। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि सदन में बयान देने या न देने का मामला नहीं है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी है कि इन्होंने आपको लिखा कि स्टेट गवर्नमैंट को लिखा या नहीं लिखा? अगर लिखा तो क्या कार्रवाई होनी चाहिये?

अध्यक्ष महोदय : वह तो प्रिवलेज है, आप मूव करिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हाउस की सैंस को महसूस करता हूं कि आप लोग इसको प्रिवलेज कमेटी को भेजने के लिए सर्वसम्मत हैं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्ताव से सहमत है ।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, इस शब्दावली में उपयुक्त संशोधन किया जाये क्योंकि टैक्नीकली तो ये अरेस्ट हुए ही नहीं और केवल डिटेन किये गये । फार्मल अरेस्ट का आर्डर नहीं था और इसीलिए···

अध्यक्ष महोदय : अंडर हाउस अरेस्ट कहते हैं ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जो तथ्य बताया है, उसके अनुसार तो इनको सदन में आने देने से रोका । अरेस्ट तो फार्मल किया ही नहीं । इसीलिए इसको विशेष स्वरूप देकर इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसको प्रिवलेज कमेटी में भेज दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, दो बातें आपके सम्मुख हैं कि एक तो प्रिवलेज कमेटी में रैफर करने के लिए और दूसरे यह प्रार्थना है कि हाउस सर्वसम्मत है कि वहां के मंत्री या मुख्यमंत्री से हमारे गृह मंत्री रिपोर्ट लेकर इसकी तुरन्त जानकारी इस सदन में दें ।

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आप बैठ जायें । प्रश्न यह है :

"कि श्री गंगा चरण लोधी को सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली आने में बाधा डालने तथा उन्हें 7 मई, 1990 को मकान में नजरबंद करने के लिए हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध उक्त सदस्य द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को उसकी जांच; अन्वेषण और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए सौंपा जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.17½ म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन—संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां—प्रत्यक्ष करें)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : प्रो० मधु दंडवते की

[श्री पी० उपेन्द्र]

ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 6)—संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां—प्रत्यक्ष कर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 803/90]

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा; विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा; और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 804/90]

(3) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 805/90]

(5) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 806/90]

संसद, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगें और नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन—रक्षा सेवाएं—वायुसेना और नौसेना

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : मैं श्री अनिल शास्त्री की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संसद, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1990-91 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 807/90]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1990 का संख्या 11) संघ सरकार (रक्षा सेवाएं—वायु सेना और नौसेना) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 808/90]

12.18½ म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.19 म०प०

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में जो हो रहा है उससे सारा देश चिन्तित है और यह सदन जानना चाहता है कि वहां जो तूफान उठा है, वहां लोग मारे गये हैं। मेरा निवेदन है कि वहां की सरकार क्या कर रही है और केन्द्रीय सरकार उसमें क्या सहयोग दे रही है? यह देश की जनता जानना चाहती है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में एक स्टेटमेंट वहां से मंत्री महोदय को लेकर इस सदन में आना चाहिये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पूरी सभा को इसकी चिन्ता है।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : केन्द्रीय सरकार तटीय आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है और राज्य सरकार को सभी आवश्यक सहायता दे दी गई है और प्रधान मंत्री का कल इस क्षेत्र का दौरा करने का विचार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री कल आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : समुद्री तूफान का क्या प्रभाव पड़ा है? सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? हम यही पूछना चाहते हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : क्या हम उम्मीद करें कि आज शाम तक सदन को सूचना मिल जायेगी।

श्री पी० उपेन्द्र : हम इन्फार्मेशन कलैक्ट कर रहे हैं।

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली, में भारत के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों रोगी इलाज हेतु आते हैं, मगर यहां की कुव्यवस्था एवं उचित मशीनों के अभाव में उन्हें निराश होकर जान से हाथ धोना पड़ता है। रोगियों के साथ प्रेम-पूर्वक व्यवहार के स्थान पर उन्हें फटकारा जाता है। इस अस्पताल की कैट-स्कैनिंग जैसी मशीनें अक्सर खराब पड़ी रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप तो कुछ पढ़ रहे हैं।

श्री जनार्दन यादव : इस कारण रोगियों को बाहर से तीन हजार से चार हजार रुपये तक की राशि खर्च करके अपने टैस्ट करवाने पड़ते हैं। जो इतना पैसा खर्च करने में समर्थ नहीं होते, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कई आयातित मशीनों को अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका है। सफदरजंग जैसे अस्पताल में अल्ट्रा साउंड एवं कैट-स्कैनिंग जैसी मशीनें नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आपका प्वाइंट हो गया, आप समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री जनार्दन यादव : यहां की व्यवस्था भी काफी खराब है। उचित सफाई के अभाव में यह अस्पताल भी नर्क के समान बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार इन अस्पतालों की स्थिति

पर अविलम्ब विचार कर, अभावों को दूर करे और लाखों रोगियों के प्राण बचाने की दिशा में पहल करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में बोलिये। आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुद्दा उठाइए।

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुजा) : विपक्ष के नेता का आज व्रत है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुद्दा उठाइए।

श्री पी० सी० थामस : इस महान उद्देश्य के खिलाफ कोई राय नहीं हो सकती है जिसके लिए विपक्ष के नेता जो निश्चय ही दल के अध्यक्ष हैं, आज पूरे दिन उन्होंने व्रत रखा है। यह अत्यन्त महान उद्देश्य के लिए है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो गया। बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : उन्होंने आज बहुत ही महान उद्देश्य के लिए व्रत रखा है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात मैं कहूंगा आप उसका विरोध नहीं करेंगे। जहाँ तक उस उद्देश्य का संबंध है, जिसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल की है मुझे विश्वास है कि इसका कोई विरोध नहीं करेगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, पासवान जी, आप बैठ जाइये। कोई और सवाल नहीं उठेगा।

[अनुवाद]

श्री पी० सी थामस : आज प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की 133वीं वर्ष गांठ है। यह एक ऐसा स्मरणीय दिवस है जिस दिन हम सभी वास्तव में श्रद्धांजलि देने में दिलचस्पी रखते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्बंध में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : मुझे नहीं मालूम कि वे क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए और अपना मुद्दा सभा के समक्ष रखिये ।

श्री पी० सी० थामस : हमारे माननीय वित्त मंत्री दंडवते जी पिछले सप्ताह वाशिंगटन में थे……

अध्यक्ष महोदय : अब वह मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है । कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि क्या वह वापस आए हैं या नहीं । वह पिछले सप्ताह वाशिंगटन में थे । उन्होंने वहां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में हुई चर्चा में भाग लिया था । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समिति की बैठक में एक निर्णय लिया गया है जो भारत और सभी विकासशील देशों के विरुद्ध है और यह हमारे हितों के भी विरुद्ध है । निश्चय ही दंडवते जी ने यह मुद्दा उठाया है किन्तु मैं समझता हूं कि जिस मुद्दे का हम सामना करने जा रहे हैं यह अत्यन्त गम्भीर मुद्दा है और संयुक्त राज्य अमरीका की ओर से जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उससे हम भारी कठिनाइयों में पड़ रहे हैं और इसकी निन्दा की जानी चाहिए । वास्तव में दंडवते जी ने समिति की उस बैठक में भाग लिया । उनके प्रति पूरे आदर मान के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि उन्होंने वास्तव में यहां किसानों को दो टूक जवाब दिया । उन्होंने कहा कि वह किसानों के सभी ऋणों को माफ करेंगे और जब उन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने अपनी राय ही पूरी तरह बदल दी और कहा है कि वह इसे कुछ लोगों तक ही सीमित रखेंगे और यह बहुत कम होगा। यही बात अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हम पर लागू कर रहा है और इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हम से कह रहा है कि कोटा में 50 प्रतिशत वृद्धि होगी जो भारत समेत सभी देशों को दिया जा रहा है फिर भी इस पर अन्य पहलुओं के साथ-साथ विचार किया जाएगा कि क्या किसी ऋण के भुगतान में जानबूझ कर चूक की गई है । अब हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । अब इसी मुद्दे को प्रस्तुत किया जा रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमें समस्या का सामना करना है । जो निर्णय अब आया है कि जिस किसी देश ने ऋण चुकता नहीं किया है तो उसको अन्य देशों के समान नहीं माना जाएगा। निश्चय ही एक बात यह भी कही गई है कि यदि किसी देश के द्वारा ऋण जान-बूझकर नहीं चुकता किया जा रहा है तब तो फिर ऐसे देश को अन्य देशों के बराबर नहीं माना जाएगा । अत: मेरा निवेदन यह है कि इस सभा और भारत सरकार को भी इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिये और उस समिति के समक्ष इस देश की ओर से विरोध व्यक्त करना चाहिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, इस सभा में अनेक बार मैंने और अन्य मित्रों ने भी हरिजनों पर अत्याचार का प्रश्न उठाया है विशेषकर जब यह हरिजन महिलाओं का प्रश्न है, तो स्वभावत: मुझे अत्यधिक चिंता होगी । सातो धर्मपुर की श्रीमती कुच्ची देवी के पति की निर्दयता से हत्या की गई । यह प्रश्न सभा में भी बहुत समय तक उठाया गया । मेरा यह विचार है कि जब कभी इस प्रकार की भयानक घटना होती है, हमें किसी प्रकार का राजनीतिक पक्षपात नहीं करना चाहिए और इसकी सार्वजनिक रूप से निन्दा होनी चाहिए तथा जो दोषी पाए जाएं उन्हें दंड दिया जाना चाहिये । मेरे दल के मुख्य सचेतक श्री राम सजीवन यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कुछ उपाय किये हैं । मैं विस्तार से नहीं जानती । मैं गृह राज्य मंत्री जी से यह निवेदन करती हूं कि वे इस मामले की जांच करें और पता लगायें कि क्या और कड़ा और सुदृढ़ कदम इस दिशा में उठाया जा सकता है । मुझे विश्वास है कि

राहत राशि के भुगतान के लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जा रहा है। यद्यपि उसके पति की कमी को कोई भी सहायता राशि पूरी नहीं कर सकती फिर भी उसकी सुरक्षा और आर्थिक सहायता का प्रश्न अवश्य उठता है। मेरी यह प्रार्थना है कि हम इस मामले को राजनीतिक रंग न दें। हमें ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अत्याचारों की छानबीन भी दूसरे अपराधों के स्तर पर ही हो। मेरा विश्वास है कि गृह राज्य मंत्री मेरी अपील पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया है, सरकार उसकी गम्भीरता को पूरी तरह से समझ रही है। जहां तक उस महिला की अब और भविष्य में सुरक्षा और मदद करने का सवाल है चूंकि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है इसलिए मैं उनको लिखूंगा कि वे इस पर अविलम्ब कार्रवाई करें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, उसे मात्र दस हजार रुपये दिये गए हैं जब कि आम आदमी यदि रेल दुर्घटना में मरता है, तो उसे एक लाख या पचास हजार रुपए दिये जाते हैं, किन्तु उस को मात्र दस हजार रुपये दिये गये हैं, उस में से भी चार हजार रुपये उसके ससुर को चले गये, दो हजार रुपये उसके पति के क्रियाकर्म में चले गये, उसे मात्र चार हजार रुपये अपने भविष्य को चलाने के लिये मिले हैं। क्या वह इतने कम रुपये में अपना जीवन बिता सकती है ? **(व्यवधान)**

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी उस कुन्चू देवी को दूसरे किसी हरिजन के साथ विवाह करने के लिये बाध्य कर रहे हैं। वह गर्भवती है। उसको अपनी सुरक्षा चाहिये। जानबूझकर मर्डर करने वाले अर्जुनसिंह को पकड़ने में अब तक नाकामयाब रही है और उसके बाद भी उसको 10 हजार रुपये देकर हम अपने काम की इतिश्री समझ लें, तो यह महिला के साथ मजाक है, मानवता के साथ मजाक है और उसके जख्मों पर नमक लगाने की बात आप कर रहे हैं। इसलिए महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार की बात हमारी गीता मुखर्जी अभी कर रही थीं, मैं उनकी बात को समर्थन देते हुए यह कहना चाहती हूं कि उस महिला के साथ न्याय की दृष्टि से काम किया जाए और इसको पोलिटिकल पार्टी का रूप न दिया जाए। महिला समाज के गौरव के लिए इस सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिए और उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये। पुलिस के अधिकारियों को कहीं पर भी किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और दूसरे विवाह के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये। आज वह दिल्ली में उपस्थित है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार को करनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : यह प्रश्न यद्यपि हाउस में कई बार उठा है, अमृतसर में कल बम ब्लास्ट हुआ अगर दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता तो भयंकर स्थिति पैदा हो जाती। बम ब्लास्ट होने के बाद सरकार कोई विशेष कार्यवाही कर रही है, ऐसा नहीं लगता है। अमृतसर में जो बम ब्लास्ट हुआ, वहां लोगों को पता लग गया था कि इसमें बम रखा हुआ है, पचासों आदमी उसके गिर्द इकट्ठे हो गये परन्तु उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो लोग देख रहे थे, उनमें से अनेक घायल हो गए और पांच आदमी मर गये बम फटने के बाद। जब पुलिस को पता लग गया था कि यहां पर बम है, यह भी मालूम है कि दो बम रखे जाते हैं और दोनों फटते हैं, तीन मिनट के

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

बाद दूसरा बम फट गया उसमें भी कई लोग घायल हुए और मृत्यु को प्राप्त हुये। इस प्रकार से दिल्ली के रेलवे स्टेशन में रात को जो बम रखा गया, पास जो व्यक्ति सोया हुआ था, यदि वह उठकर स्वयं तार को न काटता तो क्या होता। ऐसा लगता है कि पुलिस से ज्यादा जनता इस बारे में जानती है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगले तीन-चार महीने में बम ब्लास्ट देश में अनेक स्थानों पर होने वाले हैं, ऐसा लोगों को अन्देशा है, सरकार को इसकी जानकारी है परन्तु जानकारी होने के बाद भी कहीं से बम की सूचना मिलने के बाद प्रमुख जगहों पर तुरन्त कार्यवाही का प्रबन्ध क्यों नहीं हो सका है। इसका जिक्र केवल कागजों में किया जा रहा है। यदि देश में जगह-जगह पर बम ब्लास्ट हुए तो सारे देश में असुरक्षा का, खतरे का वातावरण बनेगा। अमृतसर और दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसको गम्भीरता से लें, इसके बारे में प्रबन्ध करें।

श्री हरि शंकर महाले (माले गांव) : महाराष्ट्र में विशेषकर नासिक जिले में सूखा पड़ा है, बारिश कम हुई है। इसलिए जानवरों और आदमियों के लिए पानी का बहुत अभाव है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार तुरन्त कमेटी बनाने के लिए कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय), भारतीय होटल निगम, जो कि एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, एयर इंडिया की एक इकाई है। पिछले दिनों इसके चेयरमैन श्री राजन जेतली ने एक चौंकाने वाली घोषणा की कि इस निगम के 60 प्रतिशत शेयर एक आस्ट्रेलियाई कम्पनी को दिए जा रहे हैं और इस निगम का निजीकरण किया जा रहा है। पिछले साल भूतपूर्व मंत्री श्री शिवराज पाटिल ने यह घोषणा की थी कि भारतीय होटल निगम का निजीकरण नहीं किया जायेगा। पिछले साल भारतीय पर्यटन निगम ने अपने साथ विलय का सुझाव दिया था। परन्तु श्री जेतली ने इसका विरोध किया था। पिछले साल इसकी आय 25 करोड़ रुपए थी और इस वर्ष 40 करोड़ रुपए है। इसमें सुधार हो रहा है। यह अफवाह भी है कि जो आस्ट्रेलियाई कम्पनी इसे खरीद रही है, उसके किसी अति विशिष्ट भारतीय व्यक्ति से निकट सम्बन्ध हैं। पिछली सरकार के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बन्धियों को ठेके दिलवाकर लाभ पहुंचाया गया। अगर 60 प्रतिशत हिस्सा बेच दिया गया है और यह खरीदार भारत के किसी अति विशिष्ट व्यक्ति का सम्बन्धी है तो हम यह नहीं चाहते कि यह सरकार भी बोफर्स जैसे किसी घोटाले से अपने हाथ गंदे करे। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हमारी यह मांग है कि सार्वजनिक क्षेत्र के एकक किसी विदेशी कम्पनी को नहीं बेचे जाने चाहिए। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाया जाना चाहिए। इन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को कार्यशील रहना चाहिए। अगर कोई बिचौलिए का प्रश्न उठता है तो इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है। नागरिक उड्डयन मंत्री यह आश्वासन दें कि इसे किसी निजी कम्पनी या विदेशी के हाथों नहीं बेचा जायेगा।

[हिन्दी]

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक स्तर जिनका गिरा हुआ है और राजनीतिक चेतना का जिन में अभाव है, सारे देश के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इस सदन में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। सारे सदन ने एकमत से इस पर अपनी चिन्ता प्रकट की थी। यह इतना बड़ा सत्र चला है, लेकिन इस सत्र में

शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशनर की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। उस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा होती है और कहां-कहां क्या हुआ है, उन बातों पर इस सदन में चर्चा होती है। मैं चाहूंगा कि वह रिपोर्ट तुरन्त इस सदन में रखी जाये। सारे देश में हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनायें हो रही हैं और रिजर्वेशन और प्रमोशन से संबंधित जितने मसले हैं, उन सब को देखते हुए वह रिपोर्ट यहां पेश की जानी चाहिये। हम उस रिपोर्ट पर चर्चा करने की आपसे मांग करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे इसी सत्र में पेश करें और उस पर चर्चा करायें।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई चिट्ठियां लिखी हैं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जहा पैसेंजर गाड़ियां नहीं रुकती हैं। मैंने उनको लिखा था कि बरेली और दिल्ली एक्सप्रेस जो वाया चंदौसी आती है, उसका निसुई में स्टापेज बनना चाहिये। कई बार मुझे क्षेत्र का दौरा करने जाना पड़ता है। दिल्ली आने के लिए वहां से कोई गाड़ी नहीं है। एक मई को जो टाइमटेबल आया है उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार मे पीलपुर रेलवे स्टेशन है। फतेहगंज पूर्वी तीन जिलों का सेंटर पड़ता है। वहां स्टेशन पर गाड़ी रुकना बहुत आवश्यक है। बालामऊ-दिल्ली एक्सप्रेस वहां रुक जायेगी तो पालियामेंट के दो एम० पीज० को फायदा होगा और क्षेत्र की जनता को भी दिल्ली आने के लिए और लखनऊ जाने के लिये फायदा होगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मेरे हाथ में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की रिपोर्ट है। इस सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ के बारे में सुधार करने के लिए सारे मजदूर संगठनों और मालिकों की बाईपार्टाइट एक कमेटी बनायी है और उसे 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उस कमेटी में सारे मजदूर संगठन हैं लेकिन केवल दो नही हैं जिनकी सदस्य संख्या इंटक के बाद सबसे ज्यादा है, ऐसे भारतीय मजदूर संघ को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। जार्ज फर्नान्डीज साहब हिन्द मजदूर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उसको भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। सरकार का यह कहना है कि लेबर कानूनों पर पूर्ण सहमति से विचार किया जाये। तो ऐसे में ऐसे महत्वपूर्ण संगठन को इसमें स्थान न देने का क्या कारण है? इसका खुलासा करने की आवश्यकता है। 22 और 23 अप्रेल को पालियामेंट एनेक्सी में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया था। उसमें यह फैसला हुआ था कि इस प्रकार की कमेटी बनायी जायेगी। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि ···व्यवधान···

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर मंत्री जी को बयान देना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसलिये उन्हें बोलने की इजाजत दी गई है।

श्री मदन लाल खुराना : जिसका हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर का स्थान है, उसको इसमें स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है?

श्री राम नाईक : भारतीय मजदूर संघ और हिन्द मजदूर पंचायत के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। ····**(व्यवधान)**···

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मजदूर किसी की जेब में नहीं हैं। इनकी जायज मांग है ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : कैबिनेट मंत्री यहां मौजूद हैं। वह सब नोट कर रहे होंगे। राम नाईक जी, अब आप खत्म कीजिए।

श्री राम नाईक : मैं चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ को इस बाइपार्टाइट में लेना चाहिए। ···(**व्यवधान**)···

श्री मदन लाल खुराना : इसमें सभी को लेना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिये, मजदूर संगटन किसी की जेब में नहीं हैं।

श्री रेशम लाल जांगड़े : (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के करीब 10 हजार अवांछनीय लोगों को तथाकथित आजाद कश्मीर में बुलाकर पाकिस्तान सरकार उनको प्रशिक्षण दे रही है और आने वाले समय में कभी भी भारत के कश्मीर में आक्रमण करने के लिए गुरिल्ला वार करने की तैयारी कर रहा है और इसलिए इस देश को बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है। शासन के अभी जो कदम हैं, वह सतोषजनक नहीं हैं। दुर्गम घाटियों को पार करके कश्मीर को अलग-थलग कर इस देश की अर्थव्यवस्था और आजादी पर, भारत के अमन चैन में यह बाधा पैदा करेंगे इसलिए मेरी शासन से प्रार्थना है कि समय रहते शासन तत्काल कार्यवाही करें।

श्री आरिफ बेग (बेतूल) : अध्यक्ष जी, इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश पानी के अभाव में है, सूखा पड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र बेतूल में शाहपुर तहसील में एक स्थान है, जिसका नाम चोपना है। यहाँ पर पिछले 20 वर्ष से 40 हजार बंगाली विस्थापित भाई बहन रहते हैं, एक ही स्थान पर 40 हजार बंगाली भाई बहन बीस वर्ष से। शासन ने उनको जो जमीन दी है वह बियाबान जंगल में है, वहां पर एक बूंद पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यह लोग बहुत ही परिश्रमी और मेहनती हैं। अगर शासन, जिसने 20 साल से वादा कर रखा है, कि इस क्षेत्र के लिए, इन 40 हजार बंगाली विस्थापितों के लिए लतिया बिछुआ की सिंचाई योजना देना चाहता है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अगर इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जाय और तवा नदी पर पुल बना दिया जाय तो मेरे क्षेत्र का यह सबसे समृद्धशाली इलाका बन जायेगा और 40 हजार लोगों को वहां पर सुख से रहने का अवसर मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर शासन ने इसकी अनदेखी की तो वहां पर रहने वाले मेरे बंगाली भाई वहां से पलायन करना चाहते हैं। वहां एक बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा हो जायेगा और उस क्षेत्र के अन्दर शान्ति व्यवस्था खतरनाक हो जायेगी इसलिए उस इलाके के जनप्रतिनिधि के नाते मैं शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना पर तुरन्त कार्यवाही की जाय। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ ?

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : अध्यक्ष महोदय, आपने पुजारी कह दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जनार्दन तिवारी कहा, पुजारी नहीं कहा।

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत दिनों से एक झगड़ा चल रहा है, बोर्डर पर। नदी किनारे कुछ नदी का पाट उत्तर प्रदेश में चला गया है, बिहार का, जिसमें 50 हजार एकड़ जमीन है, उस पर वह लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के

लोग। त्रिवेदी एवार्ड के अनुसार उनको जमीन मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश में जो जमीन उत्तर प्रदेश वालों की आई है, हमारी सरकार ने विधिवत् उस पर सब कुछ करा दिया है, सर्वे खाता नम्बर वगैरह सब कुछ दे दिया है। हमारे प्रदेश की जो जमीन है, वहां पर अभी तक नहीं मिला है उसमें बराबर मारपीट हो रही है और एक सौ से अधिक जानें गई हैं। तीन महीने पूर्व भी वहां मार हुई। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार इस जमीन के विवाद को खुद हल करवाए, ताकि यह समस्या खत्म हो सके।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सरकार का ध्यान बी० एस० एफ० द्वारा चकमा शरणार्थियों की त्रिपुरा के कदलछारी की एक कालोनी में गोली चलाने की घटना की ओर दिलाना चाहता हूं।

कैम्प के शरणार्थी शान्तिपूर्वक ढंग से त्रिपुरा सरकार तथा कैम्प अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शरणार्थियों में राहत सामग्री के वितरण में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने सदन में कुछ समय पहले यह प्रश्न उठाया था। मैंने विस्तार सहित एक पत्र भी लिखा था जिसमें चकमा शरणार्थियों के लिए राहत सामग्री के वितरण में धांधली की चर्चा की थी। परन्तु सरकार ने अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उन अभागे शरणार्थियों की मांगों पर भी कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई जिन्हें अपने देश बंगलादेश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। यह घटना और भी चिन्ता का विषय बन गई है क्योंकि यह घटना बंगलादेश के उस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के आगमन के एक दिन पहले घटी है जो कि इन शरणार्थियों को वापिस बंगलादेश जाने के लिए राजी करने के लिए आ रहा है।

मेरे विचार में विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को इस विषय में जांच पड़ताल करनी चाहिए। भारत सरकार को इस घटना की जांच करनी चाहिए ताकि दोषी व्यक्तियों का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान के बहुत बड़े एक उद्योगपति का उद्योग "सैन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स" के नाम से है। इस मिल में पिछले 40 दिनों से हड़ताल चल रही है, जिसके कारण तीन हजार मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। प्रबन्ध तन्त्र की अधर्मता बढ़ती जा रही है, वह चाहता है कि यह लाक-आउट हो जाए। प्रदेश सरकार के सुझावों को प्रबन्ध तन्त्र बिल्कुल नहीं मान रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसमें हस्तक्षेप करें और तीन हजार मजदूरों की समस्याओं का तुरन्त निराकरण करे।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में कई भट्टी खाने हैं। उसमें अभी दो-तीन दिन पहले राजस्थान के अजमेर जिले के एकलसिंघा गांव के रहने वाले तीन मजदूर दब कर मर गए। उसमें ठेकेदार की लापरवाही है और मजदूरों के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। मेरा श्रम और कल्याण मंत्री जी से अनुरोध है कि इन निरीह गरीब मृतकों के परिजनों को समुचित आर्थिक सहायता अविलम्ब दी जाए। खान श्रमिकों के हितों की पूरी देखभाल रखी जाए तथा दोषी खान मालिकों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाए।

[प्रो० रासा सिंह रावत]

दिवंगत लोगों के परिजनों को पूरा मुआवजा दिलवाया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए।

श्री बसई चौधरी (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कालाजार बीमारी से अभी तक सात हजार लोग मर चुके हैं और लगभग 25 हजार लोग प्रभावित हैं। कालाजार बीमारी की दवाई लोमोदीन थौर पैंटामैडीन—विदेशों से आती है। यह दवाई यहां कहीं देश में नहीं मिलती है। भारत सरकार ने अभी तक उस दवा को नहीं मंगवाया है और न बिहार में भेजा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि दिनोंदिन लोग मरते जा रहे हैं और उपचार का कोई साधन नहीं है। जो थोड़ी बहुत दवा है भी, वह कालाबाजार में बेच दी जाती है। बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली जिला, मधुबनी जिला, रोहतास और बरौनी आदि जिलों में बड़े भारी पैमाने पर लोग ग्रसित हो गये हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार में भारत सरकार की तरफ से सर्वेक्षण टीम भेजी जानी चाहिए। सर्वेक्षण करवा कर उसके रोकथाम के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए।

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक भयानक समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिध-गंगा इन्स्टीचूट आफ टैक्नोलाजी, तनकूर—कर्नाटक से सत्तर मील की दूरी का यह वाक्या है। वहां पंजाबी बोलने वाले सवा-ड़ेढ़-सौ नौजवान पढ़ते हैं। वहां दो नौज-वानों के झगड़े ने इतना तूल पकड़ लिया कि वहां के लोकल नौजवानों ने मॉब को इकट्ठा कर लिया और पंजाबी बोलने वाले लड़कों पर हमला कर दिया। वे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल पर भी हमला हुआ। जिस एस० एच० ओ० ने उन पंजाबी बच्चों की रिपोर्ट लिखी थी, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। वे नीरज, दिगरबा, गुड़गांवा के लड़के हैं। वे पंजाबी बोलने वाले बच्चे अब वहां से जा रहे हैं। उनका 25-5-90 को इम्तिहान है। या तो उनका सेंटर यहां पर बनाया जाए या वहां उनकी हिफाजत का इंतजाम किया जाए क्योंकि वहां नौजवान यह कह रहे हैं कि हम तुमको यहां पर आने नहीं देंगे। मैं हाऊस का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में कोयले का बहुत बड़ा भंडार हैं। उसके बावजूद भी वहां पर बिजली का उत्पादन कम होने के कारण वहां के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जितना उत्पादन होना चाहिये था, बिजली की कमी के कारण दो-तिहाई भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है। भविष्य में बिजली का जो संकट आने वाला है उसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी योजनाएं बिजली की यहां पर भेजी हुई हैं उनको मंजूरी दी जाए ताकि वहां पर बिजली की कमी का मुकाबला किया जा सके। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कटरा वैष्णवदेवी के पास में एक विश्वायतन योगाश्रम है। वहां ट्रेनिंग के लिए गए 80 विद्यार्थी मुझे मिले। जिनकी आंखों में आंसू थे। यह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का आश्रम है। उन्होंने 18 अगस्त, 1988 को हिन्दुस्तान टाइम्स में एक विज्ञापन दिया—

[अनुवाद]

एक वर्ष का योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

[हिन्दी]

इसके बाद देश भर के विद्यार्थियों ने इस आश्रम में अप्लाई किया। उसमें लिखा था कि जो विद्यार्थी इसमें सफल होंगे उनको एक साल के बाद केन्द्रीय विद्यालय में नौकरी देंगे।

[अनुवाद]

ऐसा कहा गया है : "प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 1,000 रु० जमानत की राशि के रूप में जमा कराने होंगे जिसे कोर्स समाप्त होने की अवधि के बाद उन सफल उम्मीदवारों को वापिस कर दिया जाएगा जिन्हें कि देश के विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में नौकरी दे दी जायेगी इत्यादि।"

[हिन्दी]

यह उसमें लिखा था कि उनको नौकरी मिल जाएगी। उनसे एक हजार रुपया काशन मनी का लिया गया और चार सौ रुपया मेस का खर्चा लिया गया। मेस में न रहने की समुचित व्यवस्था है, न खाने का अच्छा प्रबंध है। उन्होंने तीन फरवरी को इसके खिलाफ आंदोलन किया और कहा कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें धोखा दिया गया है। जब उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से मिलना चाहा तो उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने 30 अप्रैल को योगाश्रम बंद कर दिया। आज ये गरीब विद्यार्थी दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एजूकेशन मिनिस्टर इसके बारे में सोचें और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जो गलत ढंग से इतना पैसा लिया उसके लिए उस पर कार्यवाही की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। (**व्यवधान**) ये 15-20 साल के बच्चे हैं। इनमें लड़कियां भी हैं। ये आज दिल्ली की सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इन विद्यार्थियों से तीस हजार रुपया इकट्ठा किया है। इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मेरे पास इन विद्यार्थियों का जो पत्र आया है उसकी कापी मैं आपको दूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सहरसा, मधेपुरा और पूर्णियां जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था। दस वर्ष के बावजूद भी वहां कोई फैक्टरी प्रारंभ नहीं हुई है। वहां उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मैटीरियल है। चीनी मिल लगाने के लिए बिहार सरकार ने घोषणा भी की थी कि वह सहरसा, मधेपुरा आदि इन सब जिलों में चीनी मिलें को शीघ्र प्रारम्भ करेगी, लेकिन जब मैं गांव की बात करता हूं, औद्योगिक उत्थान की बात करता हूं तो न पेपर में निकलता है और न ही दूरदर्शन में आता है। यह एक औद्योगिक पिछड़ा इलाका है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र ही वहां औद्योगिक उत्थान के कार्य प्रारम्भ करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, जिला पाली में सारे लोग प्यास के कारण से, पेयजल के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मेरे पाली जिले में पानी का इतना अभाव है कि आज के युग में भी वहां पर महिलाओं को सर के ऊपर मटका ले करके 10 किलोमीटर दूरी पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और 3-4 दिन में एक बार उनको पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय: जयपुर व पाली जैसे स्थान पर तीन दिन में एक बार आधे घण्टे के लिए पानी उपलब्ध होता है।

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

मेरा निवेदन है कि भारत सरकार राजस्थान में अकाल और पानी से त्रस्त, जहां का सारा इलाका रेगिस्तान है, इसके लिए संविधान की धारा 371 के अनुकूल विचार करके आयोग का निर्माण करे और इसके साथ ही जिस प्रकार से पिछली सरकार इसके लिए विशेष अनुदान देती रही है वैसे ही एक दो करोड़ रुपए का अनुदान इस समय भी मई और जून के महीनों में राहत कार्य खोलने के लिए और गांव के घर-घर में टैंकर ले जा करके पेयजल की सुविधा वहां के लोगों को प्रदान करे। मेरे पाली जिला में ग्यारह सौ गांव हैं और जब मैं उन स्थानों पर गया तो मैंने देखा कि वहां के लोग पेयजल के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वहां पर जो डिपार्टमेंट टैंकर पानी सप्लाई करता है, उसने पानी को रोक लिया है। अत: मेरा निवेदन है कि भारत सरकार और हमारे भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर इसके लिए विशेष अनुदान देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री रवि नारायण पाणि (देवगढ़) : महोदय, मुझे अपने चुनाव क्षेत्र से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें बेलफार में महत्वपूर्ण गाड़ियों को रोकने का प्रावधान करने के लिए कहा गया है। गाड़ी नं० 8029 डाऊन मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस तथा 8034 अप हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ियां मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर निकलती हैं; परन्तु यह गाड़ियां बेलफार रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकतीं। यह औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यद्यपि ये गाड़ियां तथा दूसरी महत्वपूर्ण गाड़ियां इस क्षेत्र से होकर निकलती हैं परन्तु महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यह ठहरती नहीं विशेषकर बेलफार स्टेशन पर। मैं सरकार के समक्ष इस क्षेत्र में गाड़ियों को रुकवाने का प्रावधान करने का मामला प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 मई को इस क्षेत्र के लोगों ने गाड़ी को तीन घण्टे तक रोके रखा। लोगों ने मुझे नोटिस दिया है कि अगर 15 दिनों के भीतर गाड़ियां रोकने का प्रावधान नहीं किया गया तो लोग अपनी मांग मनवाने के लिए किसी दूसरे तरीके पर विचार करेंगे।

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : महोदय, मैं सदन का ध्यान महाराष्ट्र के एक बहुत ही गंभीर मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए अलग राज्य की मांग की है। विदर्भ और मराठवाड़ा महाराष्ट्र के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(2) के अन्तर्गत विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर भी, अनुच्छेद 371(2) के

1.00 म०प०

अनुसार, अलग बोर्डों का गठन किया जाना था और इस सम्बन्ध में 24 जुलाई, 1984 को महाराष्ट्र विधान सभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि इन बोर्डों का गठन किया जायेगा परन्तु इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि वर्तमान सत्र के समाप्त होने से पहले कुछ कार्यवाही की जायेगी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। 5 और 6 मई को औरंगाबाद में हुई क्षेत्रीय बैठक में भी मराठवाड़ा के लिए बोर्ड के गठन की मांग की गई। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन बोर्डों का तुरंत गठन किया जाना चाहिए ताकि अलगाववादी ताकतें स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव न डाल सकें।

[हिन्दी]

श्री ललित विजय सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का

ध्यान बिहार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक महीने बाद आने वाली बाढ़ की विपत्ति की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश का 16 प्रतिशत फ्लडप्रोन एरिया हैं और बिहार के भौगोलिक भूभाग का 37 प्रतिशत एरिया बाढ़ से हर वर्ष जल-मग्न होता है।

बिहार सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय से 200 करोड़ रुपये की मांग की थी जिससे बाढ़ सुरक्षा के स्थायी उपाय किए जा सकें। जल संसाधन मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी बिहार भेजी थी, जिस कमेटी ने बिहार सरकार से मतैक्य स्थापित करते हुए 200 करोड़ रुपए का लांग टर्म लोन स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ओर जल्दी ध्यान दिया जाए ताकि इस तरह की विपत्ति का मुकाबला किया जा सके।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हजारी बाग जिले में रामनवमी से आज तक 3500 महावीरी झंडे अखाड़े में पड़े हैं, जिनको परंपरागत मार्ग से नहीं निकलने दिया गया है। इस कारण बड़का थाने के महीदी गांव में झंडे रखे हुए हैं और यह सब कार्य प्रशासन और कांग्रेसी नेताओं की मिलीभगत से हो रहा है। इस तरह से वहां की जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है। स्थिति को सुधारने में बिहार सरकार असफल हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय से अनुरोध है कि तुष्टिकरण की नीति से ऊपर उठकर इस विस्फोटक स्थिति और तनाव को खत्म करने के लिए कदम उठाएं और परंपरागत मार्ग से झंडों को जाने की अनुमति दें।

1.02 म०प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

1.03 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

फिजी में भारतीय मूल के फिजीवासियों का कथित उत्पीड़न

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"फिजी में भारतीय मूल के फिजी लोगों को परेशान किए जाने के आरोप से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हां, मंत्री महोदय।

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुजा) : महोदय, मैं आपका ध्यान की···ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय को पहले ही बुला चुकी हूं। वे बोलने के लिए खड़े हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : मई और सितम्बर, 1987 में सैनिक राज्य विप्लव और भूतपूर्व प्रधानमंत्री रातूमारा द्वारा गैर कानूनी "अन्तरिम सरकार" की स्थापना के बाद से भारतीय मूल के फिजीवासियों को दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में भेदभाव का सामना करना पड़ा है जिसमें शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, छात्रवृत्ति, सिविल सेवा में भर्ती, पदोन्नति की संभावनाएं तथा आर्थिक भेदभाव भी शामिल हैं (जैसे व्यापार के लिए बैंक ऋण आदि)। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मूल के करीब 20 हजार फिजीवासी फिजी छोड़कर चले गए हैं जिनमें अधिकांश व्यवसायी थे। धार्मिक कट्टरपंथियों ने भारतीय समुदाय के पूजा स्थलों पर आक्रमण भी किए हैं। धार्मिक कट्टरवादी तत्वों ने भावनाएं भड़काने वाले बयान दिए हैं और राज्य विप्लव के नेता राम्बूका ने भारतीय मूल के फिजीवासियों के मन में भय और अनिश्चितता की स्थिनि पैदा कर दी है। भारतीय मूल के फिजीवासियों की मनमानी गिरफ्तारी और सताए जाने के मामले भी हुए हैं। ऐसे नए कानून लागू करने का विचार किया जा रहा है जिनसे भारतीय मूल के फिजीवासियों के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा जैसे नया "मास्टर सूगरकैन अवार्ड" और "एग्रीकल्चरल लैंड लार्ड एण्ड टेनेंट एक्ट" में परिवर्तन आदि।

सबसे ज्यादा विचलित करने वाली तो यह बात है कि वहां संवैधानिक परिवर्तनों के माध्यम से जातीय भेदभाव को संस्थागत रूप देने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। "अन्तरिम सरकार" द्वारा प्रस्तावित संविधान प्रारूप तथा बाद में संवैधानिक जांच एवं सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में साम्प्रदायिक और भेदभावपूर्ण आधार पर मतदान की सिफारिश की गई है जिसका बहु जातीय लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मूल के फिजीवासियों को जातीय भेदभाव के आधार पर अनुपात से बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

भारत सरकार ने फिजी के मसले को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तथा संबद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी उठाया है। इनमें 1987 और 1989 में वेनकुअर, कुआलालम्पुर में आयोजित चोगम शिखर सम्मेलन, 1987 के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीनों अधिवेशन तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठकें भी शामिल हैं। हमने विभिन्न अवसरों पर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दोहराया है जैसा कि जनवरी, 1990 में मारिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा के समय हमारे प्रधानमंत्री के निम्नलिखित वक्तव्य से देखा जा सकता है :

"हमारे करीब ही एक और क्षेत्र है जहां की घटनाओं ने हमारे लिए बहुत चिंता पैदा कर दी है। फिजी के भारतीय समुदाय के राष्ट्रीय अधिकारों के कुचले जाने पर और वहां के

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भेदभावपूर्ण संविधान पर हम दोनों समान रूप से चिंतत हैं । हम यह आशा करते हैं और हमें यह उम्मीद है कि फिजी के समाज के सभी जिम्मेदार वर्ग आपस में वास्तविक और सही बातचीत के लिए काम करेंगे क्योंकि फिजी में शांति, स्थायित्व और जातीय समरसता कायम करने का यही एक तरीका है । हम सभी जातियों के उन फिजीवासियों की कोशिशों का समर्थन करते हैं जो "अन्तरिम सरकार" द्वारा जातिवाद को संस्थागत रूप देने का और उसकी भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करते हैं । हम अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने में निरन्तर उनकी सहायता करते रहेंगे ।"

एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था—जो सैद्धान्तिक स्तर पर लोकतांत्रिक हो, जातिगत स्तर पर भेदभाव से ऊपर हो और जो फिजी में रहने वाले सभी समुदायों को स्वीकार्य हो--ही समस्त फिजीवासियों के बीच जातीय समरसता, शांति-स्थायित्व पुनः स्थापित करने और उनके हित-कल्याण का एक मात्र तरीका है जिसमें, भारतीय मूल के फिजीवासी भी शामिल हैं ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदया, मैंने मंत्री महोदय का बयान बहुत ध्यान से देखा । इसमें वहां की समस्या का जिक्र किया गया है । परन्तु समस्या का जो हल सुझाया है वह इतना साधारण है, लुंज-पुंज है कि समस्या का विशेष हल होने वाला नहीं है । फिजी में जो समस्या है वह यह है कि वहां पर भारतीय मूल के करीब 53 प्रतिशत लोग हैं और इतनी पापुलेशन होने के बाद उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी अधिकारों से पूरी तरह वंचित किया गया है । भारतीयों को वहां पर तीसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है । पैलेनेशियन और मैलेनेशियन, जिनको मूल निवासी कहा गया है उनको प्राथमिकता के आधार देने की बात की गयी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका की जो नस्लभेद समस्या है उससे गम्भीर यह समस्या है । दक्षिण अफ्रीका के लिए हमने बहुत आवाज उठायी है, सारे विश्व ने आवाज उठायी है और ठीक आवाज उठायी है । दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर लोगों ने आर्थिक 'सैंग्शनज' भी किए हैं, पॉलिटीकल सैंग्शन भी किए हैं और दक्षिण अफ्रीका को अन्तर्राष्ट्रीय दायरे से निकाल कर बाहर किया । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि फिजी के प्रश्न पर विश्व की आत्मा क्यों सोयी हुई है और भारत ने भी इस सवाल को जोर-शोर से क्यों नहीं उठाया । मैं आपके सामने वहां के कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने नहीं किया । वहां पर इस समय नया संविधान बन रहा है । भारतीय मूल के लोग यद्यपि वहां पर 53 प्रतिशत हैं और संविधान में यह कर दिया है कि जो मूल निवासी हैं उनकी 37 सीटें रहेंगी लोअर हाउस में और भारतीय मूल के लिए 27 सीटें होंगी । इस तरह से हमेशा के लिए भारतीयों को पूरी तरह से घटिया स्थिति में रखा जाये इसकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है । अब जो उन्होंने नया संविधान बनाया है उसके अनुसार अपर हाउस में मूल निवासियों के लिए 29 सीटें होंगी और बाकी के लिए 10 सीटें रखी जायेंगी । यह जो नया संविधान बन रहा है इसके खिलाफ भारत सरकार ने क्या आवाज उठाई है और उसको रोकने की कैसे कोशिश कर रहे है इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया है । सभापति महोदया, पिछले वर्ष भारतीय राजदूत को वहां से निकाल दिया गया और श्री पी०पी० श्रीनिवासन यहां आ गये । उनका कुसूर यह था कि वहां पर दो मन्दिरों, एक गुरुद्वारे और एक मस्जिद को आग लगा दी गई थी वह उसको देखने के लिए गये थे । ये सब स्थान भारतीयों के पूजा के स्थान

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस सवाल को पूरे जोर से नहीं उठाया। वहां पर भारतीय मूल के लोगों के घरों और दुकानों पर हमले किये जा रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। वहां पर 17 सदस्यीय मंत्रिमण्डल है और उसमें केवल एक भारतीय मूल का मंत्री है। जहां पर 53 प्रतिशत जिस वर्ग की आबादी हो और एक मंत्री उसमें से बनाया जाये तो वहां पर क्या स्थिति है यह आप समझ सकती हैं। सेना की संख्या पांच हजार है, उसमें एक भी भारतीय मूल का नहीं है। सिविल सर्विस में भी इनका नगण्य स्थान है, कहीं एक या दो हों तो हों, बाकी सब भारतीय मूल के लोगों को निकाल दिया गया है। वहां पर भारतीयों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। जो वहां पर वजीफे दिये जाते हैं उनमें से अधिकांश मैलेनेशियन और पैलेनेशियन, के लिए रिजर्व कर दिये गए हैं। यह भी कहा है कि अगर कोई मैलेनेशियन होगा तो 600 में से 230 नवम्बर उसको मिल जायें तो उसको वजीफा मिल जायेगा, लेकिन भारतीय मूल वालों के लिए 330 नम्बर की अनिवार्यता कर दी गई है कि इतने नम्बर आने पर उनको वजीफा मिलेगा। उसको इस तरह से कर दिया है कि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को वजीफा न मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने 10 मिनट का समय ले लिया है। क्या आप अपना भाषण समाप्त करने वाले हैं। नियम के अनुसार आपको केवल प्रश्न पूछने चाहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं नियम जानता हूं।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : पहले वक्ता को पूरा मौका मिलना चाहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : ये सवाल क्यों नहीं उठाये गये, यह मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने जो जवाब दिया है उस पर भी आप देखें तो पता चलेगा कि इनमें ये बातें नहीं हैं जो मूल संविधान फिजी का 1970 में बना था तो उसमें तीन दल थे। एक तो भारतीय मूल के लोग थे, वहां के मूल निवासी थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका बनाया हुआ संविधान था उसको खत्म कर दिया गया है। इसमें भारतीयों की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अब जो सेकुलर शब्द था वह भी संविधान से निकाल दिया है और उनको पूरी तरह से क्रिश्चियन कांस्टीट्यूशन बनाने की वहां पर घोषणा की है। इस बारे में मंत्री महोदय ने जिक्र नहीं किया है। 1986 में सरकार में जो 15 सचिव थे उनमें आठ भारतीय थे? अब केवल एक रह गया है। शेष भारतीय मूल के सचिवों को निकाल दिया गया है। इसमें मंत्री महोदय ने कहा है कि 23 हजार लोग निकले हैं। क्या आपकी सूचना में है कि वहां पर 30 हजार से लेकर 1 लाख तक भारतीय मूल के लोग फिजी को छोड़ कर चले गये हैं। जो उनकी आबादी का अनुपात था वह भी बदला जा रहा है। क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह सारी चीजें आ रही हैं जिन चीजों का मि० राम्बूका ने जिक्र किया है। उन्होंने यह शब्द वहां पर कहे हैं :

[अनुवाद]

"भारतीय मूल के फिजी में रहने वाले लोग जो इस्लाम अथवा हिन्दू धर्म का पालन करते हैं उन्हें ईसाई बनाया जाना चाहिए।"

वे विश्वास करते हैं कि धर्म परिवर्तन ईश्वर की "एक प्रेरणा" है।

[हिन्दी]

उन्होंने एक किताब लिखी है उसमें लिखा है नो अदर वे में

[अनुवाद]

"जो ईसाई बनना नहीं चाहते यहां रह सकते हैं, परन्तु वे शायद पायेंगे कि उनके रहने के लिए यह उचित स्थान नहीं हैं।"

[हिन्दी]

क्या यह जो धार्मिक उन्माद चल रहा है कि कोई हिन्दू फिजी में नहीं रह सकता, मुसलमानों के लिए भी कहा है कि उनको भी नहीं रहने दिया जायेगा, मस्जिदें तोड़ दी जायेंगी, क्या आपके ध्यान में यह आया है ? इतवार के दिन कोई आदमी सिनेमा नहीं जा सकता है, कोई खेल नहीं सकता है, यदि कोई पिकनिक पर जाना चाहेगा तो उसे नहीं जाने दिया जायेगा। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। परन्तु वहां कानून बना दिया गया है और जब इनके पूछा गया कि आपने भारतीयों को क्यों गिरफ्तार किया है तो उसको जबाब दिया गया कि यहां पर संडे को क्रिश्चियनिटी के मुताविक कोई आदमी खेल नहीं खेल सकता। जो खेल खेलेगा, उसे पकड़कर हम बंद कर देंगे। उनपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। श्रीमान्, मि० जेम्स संकर, फिजियन स्पोर्ट्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है :

1.16 म० प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

"भारतीयों का मुंह बन्द किया गया है। यदि वे विरोध करते हैं तो उन्हें बन्द कर दिया जाता है। नया संविधान यह आश्वासन देता है कि भारतीय तीसरे दर्जे के नागरिक हैं।"

[हिन्दी]

उसके बाद श्रीमती मार्गरेट थैचर, जो दुनिया में डैमोक्रेसी की बात करती हैं, नस्ल-भेद को खत्म करने की बात भी कहती हैं, उन्होने फिजी के आफिसर्स को लंदन में ट्रेनिंग देने के लिए सुविधायें दी हैं। इसके साथ ही अन्य तीन देश फ्रास, अमेरिका और कनाडा फिजी के अन्दर नस्ल भेद और धर्म भेद की सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। शुरू-शुरू में तो आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के निवासियों के लिए आवाज उठायी और यह कहा कि यह नस्ल भेद नहीं चलनी चाहिये। उस समय तो भारत ने अपनी आवाज इतनी हलकी रखी कि उनको भी अधिक विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। जहां तक कि श्री राम्बूका साहब ने कहां कि वहां आस्ट्रेलिया इनके लिए आवाज उठा रहा है परन्तु

[अनुवाद]

क्या आप प्रशान्त महासागर में रूस और लिबिया के प्रभाव का बिस्तार चाहते हैं, रूस का प्रभाव भारत के हिन्दू आप्रवासियों और लिबिया का प्रभाव इनके मुस्लिम आप्रवासियों के

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

[हिन्दी]

माध्यम से होगा । तो फिजी में एक इतना भयंकर तरीके, भेद से नस्ल भेद चल रही है और मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस सवाल को सबसे पहले उठाना चाहिये था । दक्षिण अफ्रीका का सवाल उठा रहे हैं, ठीक है और काम भी किया है, इसमें मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है और उसके लिए हिन्दुस्तान ने करोड़ों रुपये खर्च किए। इसके लिए यू०एन०ओ० और दूसरी जगहों पर 24 घण्टे रात-दिन हमारी कोशिश रहती है। फिजी के बारे में केवल एकाध जगह आवाज उठाना काफी नहीं था । इस सवाल को भारत को सभी जगह उठाना चाहिये था । फिर भी फिजी के भारत मूल के निवासी हिन्दुस्तान की तरफ देखते हैं । वहां के 50 प्रतिशत डाक्टर्स और 50 प्रतिशत एकाऊटैंस फिजी छोड़कर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले गये हैं। वहां अब यह नियम बना दिया गया है कि कोई भारतीय वीसा के बिना नहीं जा सकता है। जितने वहां के स्कूल टीचर्स थे, वे प्रायः छोड़कर चले गये । ऐसा वहां नर्क बन गया कि भारतीय मूल के निवासी "थर्ड ग्रेड" बना दिये गये हैं । भारत ने कॉमनवैल्थ फोरम में इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठायी, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं । कॉमनवैल्थ फोरम के अन्दर एक स्पेशल मीटिंग कन्वीन करके ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए बेनकाब करना चाहिये था क्योंकि इंग्लैंड की क्वीन ही फिजी की रिप्रेजन्टेटिव होती हैं । यह भी पूछना चाहिये था कि किस तरह से वह इस नस्ल-भेद को समर्थन दे रही हैं ? अमेरिका भी उसको समर्थन दे रहा है तो उसे भी बेनकाब किया जाना चाहिये था । इस तरह से मैथोडिस्ट चर्च के नाम पर, आज पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी के नाम पर यह षड़यंत्र चल रहा है कि जो सारे हिन्दू वहां रह रहे हैं, ज्यादातर मूल निवासी वहां हिन्दू हैं, किसी तरह से हिन्दू नहीं रहने दिया जाये, उनको पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें या वहां से निकालकर हिन्दुस्तान में भेज दिया जाये, 18-19वीं शताब्दी में हिन्दुओं को जबरदस्ती वहां ले जाया गया था और उनपर भयंकर अत्याचार हुए थे । 1910-20 में महात्मा गांधी ने आन्दोलन किया था जब हमारा देश आजाद नहीं था और उन्होंने इस आवाज को दुनिया भर में जागृत किया था । आज आजाद होने के बाद कोई उस सवाल को मजबूती से नहीं उठा रहा है। इसलिए मुझे दुख है कि जो हमारी पिछली सरकार थी, उसने इस सवाल को पूरी तरह से बरबाद किया । वहां के लोगों की आवाज को दुनिया में नहीं जाने दिया । हमारे अम्बेसेडर को चुपचाप वहां से आ जाना पड़ा परन्तु नयी सरकार के द्वारा भी जो कदम उठाये जाने चाहिये थे वह नहीं उठाये गये । पिछले हफ्ते जो अखबारों में खबरें छपी थी, उनमें कहा गया है कि अब भारतीय मूल के लोग वहां से और ज्यादा तेजी से निकल रहे हैं । उनके लिये वहां रहना नामुमकिन बना दिया गया है । मेरा कहना है कि केवल संयुक्त राष्ट्र संघ में, कोमनवैल्थ फोरम में या नॉन-एलाइंड फोरम में कभी कोई मीटिंग हो और उस अवसर पर एक लाइन लिख देना या मौरिशस के नेता यहां आ गये तो उनके साथ मिलकर आवाज उठाना ही काफी नहीं है । जैसे दक्षिण अफ्रीका के सवाल पर सारी दुनिया की आत्मा को जगाने का प्रयत्न किया गया था, वैसे ही आज इस सवाल पर कुछ करने की जरूरत है क्योंकि यहां उससे भी ज्यादा नस्लभेद का सवाल है । इसके लिये हमें सारी दुनिया में जनमत एकत्र करना चाहिये। विदेश मंत्रालय को अपने यहां एक स्पेशल सैल गठित करना चाहिये, जैसा पिछली सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में बनाया हुआ था । उसके लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिये । सारी दुनिया में इस तरह के कन्वेंन्शन्स किये जायें, दुनिया के विभिन्न देशों में समय-समय पर दिवस मनाये जायें। विदेश

मंत्रालय इस सवाल को इतने घटिया, लुंजपुंज या कंजुअल तरीके से न ले क्यों कि यह लाखों भारतीय मूल के लोगों की जिन्दगी का सवाल है। फिजी में मैजोरिटी में भारतीय मूल के निवासी रह रहे हैं। इसलिये इस सवाल को महत्वपूर्ण तरीके से उठाये जाने की आवश्यकता है, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : सभापति महोदय ··

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उत्तर बाद में दे सकते हैं। यह मंत्री महोदय की जानकारी के लिए है कि राज्य सभा में ऐसी प्रथा रही है।

श्री ईश्वर चौधरी।

[हिन्दी]

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : सभापति जी, फिजी में जो कुछ हो रहा है, उसे हम चुपचाप बैठे देखते नहीं रह सकते। वहां 1989 के लगभग जो लोकतंत्रीय पद्धति की सरकार थी, उस सरकार को बलात, बलपूर्वक, सैनिक शासन के बल पर अपदस्थ कर दिया गया और बहुमत में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर वहां अत्याचार के बादल मंडराने लगे। जैसा अभी यहां मल्होत्रा जी कह रहे थे कि वहां उन्हें इस कदर विवश कर दिया गया कि भारतीय मूल के लोगों को न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया या अन्य देशों में भागने पर मजबूर होना पड़ा। उसका प्रतिफल विश्व के अन्य भागों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर भी पड़ रहा है। यदि ऐन टाइम पर, उचित अवसर पर भारत सरकार अपनी चेतना को राष्ट्र संघ के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उजागर करती तो सम्भव है कि आज जो परिस्थितियां वहां पैदा हो गयी हैं, वे उतनी न बिगड़ती। उचित समय पर उजागर न करने के कारण ही, आज फिजी मूल के लोगों को, आन्द्रे रम्बुका सहित, जो अभी वहां सैनिक शासन की बागडोर सम्भाले हुए हैं और गृह मंत्रालय का काम देख रहे हैं, इतनी हिम्मत मिली है कि वे एक नये संविधान का मस्विदा तैयार करके भारतीय मूल के लोगों पर काला कानून थोपना चाहते हैं। यदि वे अपने उद्देश्य में कामयाब हो गये तो भारतीय मूल के लोग फिजी में एक दिन भी नहीं ठहर पायेंगे। सभापति जी, वहां इतना भेदभाव बढ़ गया है कि रंगभेद, नस्लभेद, जातीय भेद और सब तरह के उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, राजनैतिक उत्पीड़न का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। असलियत यह है कि जब अंग्रेज यहां से भारत मूल के कुछ लोगों को फिजी में ले गये थे उन्हें एरियाज के विकास के लिये ले गये थे। वहां अधिकांश भारत मूल के लोग गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की खेती के आधार पर ही वहां अनेक मिलें चलती हैं। पहले उन लोगों को वहां जो जमीन दी गयी थी, उन जमीनों को भी 100 वर्ष या एक निश्चित समय के लिए लीज पर दिया गया था। वह लीज 1997 में समाप्त होने वाली है, अगर वह काला कानून लागू हो गया, मास्टर शुगरकेन अवार्ड, एग्रीकल्चरल लैण्ड लॉर्ड, टेनेण्ट में परिवर्तन ही गया, उसको मान लिया गया, तो भारतीय मूल के लोग 100 साल पहले जिस फटे हाल में गये थे, उसी फटे हाल में चले आएंगे। भारत सरकार ने इतने गम्भीर मसले को क्यों हलके-फुलके तरीके से लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में अपने पड़ोसी देशों को जगाने का प्रयास किया है ? क्या मानव अधिकारों के लिए आपने लड़ाई की है ? अगर इस सदन में चर्चा हो गई होती, तो मैं समझता हूं कि इस पर चिन्तन बढ़ता, किन्तु इसको हलके-फुलके तरीके से राज्य सभा में हमारी पार्टी के श्री श्रीकान्त मिश्र ने उठाया और सत्ता का ध्यान आकर्षित करने का

[श्री ईश्वर चौधरी]

प्रकाश किया। अगर यह राज्य सभा में आया है, तो वहां कोई अलग सरकार नहीं है, और यदि यहां लोक सभा में भी आ जाता तो यहां कोई अलग सरकार नहीं है, दोनों जगह सरकार तो एक ही भारत की है।

सभापति महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि वहां पर भारतीय मूल के फिजी लोगों को नाना-प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं और सरकार की यह भावना भी समझ में आती है कि सरकार इससे काफी चिन्तित है, लेकिन सरकार इस बारे में कोई पग अभी तक उठा नहीं सकी है। आप कैसे बताएंगे कि कि आप उनके लिए चिन्तित हैं, आप कैसे बताएंगे कि आप भारतीय मूल के लोगों पर फिजी में जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उनसे उत्तेजित है? इसलिए भारत सरकार भारतीय मूल के फिजी लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार मूलक प्रस्ताव के लिए, उन्हें सांवैधानिक अधिकार देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के लिए क्या काम कर रही है? क्या सरकार जनरल राम्बूका द्वारा भारतीय मूल के फिजी लोगों को समाप्त करने से उबारने के लिए कोई कदम उठा रही है? क्या यह सिद्ध हो गया है कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों के ऊपर नस्लवाद करने, रंगभेद करने और उनको जड़-मूल से समाप्त करने के इरादे में अमरीका का भी हाथ है, इसका पता लगाएगी, और यदि पता लगाया है, तो क्या सरकार ने इस बात को उजागर किया है और यदि आपके समझ में यह बात आती है, तो क्या आपने इसके लिए कोई सुरक्षात्मक पहलू पर सोचा है और वैसे कदम उठाए हैं? इसके साथ-साथ क्या भारतीय मूल के फिजी लोगों के घर, जान, माल और मानव और लोकतन्त्र के प्रति मौलिक प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए कोई नीतिगत सिद्धान्त तय किए हैं, यदि किए हैं, तो वे क्या हैं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में जो अभी नई नीति बनाने जा रहे हैं और एक नए तरीके से विदेश नीति में संशोधन करने जा रहे हैं और फिजी में भारतीय मूल के फिजियों और वहां के रहने वाले फिजियों में जो भेदभाव किया जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए क्या कोई नई योजना है? मैं चाहूंगा कि इन सब बातों पर विस्तारपूर्वक सदन के माध्यम से देश को बताएं। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस तरह से फीजी में रह रहे भारतीयों को हलके तरीके से सोचकर छोड़ दें, तो यह नहीं चल सकेगा क्योंकि आज तो यह स्थिति भारतीय मूल के फिजियों के साथ हो रही है, कल को यह स्थिति कहीं और भी हो सकती है क्योंकि भारतीय मूल के लोग तो कई देशों में रह रहे हैं। उन पर भी फिजी की स्थिति का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मैं इतना कह कर ही अपना निवेदन समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री से पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हमारी भावनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से अपनी योजना इस सदन में बताएं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ कहने से पहले मैं यह कहूंगा कि यह जो वक्तव्य आया है, अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो वह

[अनुवाद]

यह कि यह सब बड़े जोशोखरोश से बताया गया परन्तु इसका कोई अर्थ नहीं निकलता।

[हिन्दी]

वास्तविक प्रश्न मेरा यह है कि जैसे हमारे मित्र मल्होत्रा जी ने इसका राजनीतिक पहलू रखा, वास्तव में आज वहां के हिन्दुस्तानियों को, जो आज वहां बस गए हैं, वहां के नागरिक हैं, उनका आर्थिक शोषण कर के उनको समाप्त किया जा रहा है, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ? मैं उदाहरण दूं, और आप तो साम्यवादी विचारधारा के हैं, मैं आपके सामने उदाहरण रखकर कहना चाहता हूँ कि वहां मास्टर प्लान जो बना है शुगर के लिए, क्योंकि वहां का मुख्य उद्योग गन्ना और चीनी है, तो मिल मालिक जो गन्ना खरीदते हैं, उनका पैसा पूरा न देकर चीनी बनाने में जो खर्चा होता है, वह उनके पैसे में से काट दिया जाता है। यह कैसा अन्याय है ? यह किस समाज का न्याय है ? नतीजा यह है कि उत्पादक अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते हैं। इस मास्टर प्लान के ऊपर आप ने क्या कदम उठाया है, यह मैं जानना चाहूंगा ? दूसरी ओर जो सवाल खड़ा हुआ है, यह सही है कि वहां की जमीनें पट्टे पर हैं, उनका पट्टा समाप्त हो रहा है और अब जो कानून बन रहा है, उस कानून का अर्थ यह होगा कि वहां का जो किसान है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वे अपनी जमीन से निकाल दिए जायेंगे वे भूमिहीन हो जायेंगे और वे दरिद्र होकर जिस फटे हाल में यहां से गए थे, उसी फटे हाल में होकर दुनियां में घूमेंगे, इनका क्या होगा ? बड़े जोर से कहा कि चोगम में बात रखो, शायद क्वालालामपुर में भी बात रखी होगी। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि माग्ररेट थैचर ने बहामा में और क्वालालामपुर में उस समय के प्रधान मंत्री से क्या शब्द प्रयोग किया और इनकी बात वहीं की वहीं रह गई। हम अपने लोगों के लिए कुछ करने को तैयार नहीं हैं और दुनिया के लिए हम ढोल पीटते हैं। कहां है आपका ढोल कि रेशियल प्रौसीक्यूशन के खिलाफ इस देश की राजनीति खड़ी हो, क्या यह रेशियल प्रौसीक्यूशन वहां पर नहीं हो रहा है ? इंडियन वर्सेस अदंस, कहां है आपका धर्मनिरपेक्ष, वहां पर धर्म के नाम पर हिन्दुओं के साथ भयंकर अत्याचार किया जा रहा है ? कहां है आपका धर्मनिरपेक्ष वाला प्रेत कि वहां पर मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे फूंके जा रहे हैं और आपके सिर पर जूं नहीं रेंग रही। आपने यह हल्ला किया कि हमने चोगम में यह मामला उठाया। मुझे क्षमा करें, मैं हिन्दी शब्द का प्रयोग करूं। मुझे चोगम से कभी-कभी मोगम वाली बात याद आ जाती है कि खाओ, पीयो, शैम्बेन पीयो और फिर घर चले जाओ। हमारे मित्रों ने स्वयं बात कही और मैं मानता हूं। इनके विभाग में ऐसे सेक्रेटरी मौजूद हैं जिनकी भारतीयता की जड़ कटी हुई है, नाम नहीं लेना चाहता। उदाहरण देता हूं 28 सितम्बर, 1988 को फिजी के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विषय में यहां कान्फ्रेंस करने का पत्र भेजा था, अन्तर सहयोग जो समिति है उसके महा मंत्री ने, आज तक जवाब नहीं आया। जब मैंने प्रश्न किया तो उत्तर यह लिखकर आया कि ऐसा कोई पत्र नहीं है। जब मैंने पूछा कि 28 सितम्बर का पत्र कहां गया तो मुझे जवाब मिला नहीं ? इनके वे सेकेटरी हैं जो फरमाते हैं गीता फुंक जाए तो कोई आपत्ति नहीं। मैं जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। इन्होंने यू०एन०ओ० में यह मामला क्यों नहीं उठाया ? यू० एन० ओ० में जिस प्रकार अफ्रीका के एपारथीड का मामला उठाया, वहां पर यह क्यों नहीं उठाया ? यहां चोगम, मोगम में खाली विस्की पीकर क्यों बैठ गए ? इसके ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण क्यों नहीं बनाया, जिस प्रकार अफ्रीका के एपारथीड के खिलाफ सारा वातावरण दुनिया में बना, इसके खिलाफ क्यों नहीं बनाया गया, यह भी रेशियल प्रौसीक्यूशन है ? यह रीलीजियस भी है, रेशियल भी है। मैं मंत्री जी से एक और चीज जानना चाहूंगा। इनको न मालूम हो तो सेक्रेटरी से पूछ लें। जिस तरह राम्बुका और तुमारा ने मिलकर मई में वहां पर एक कू डीटाट किया था

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

तो आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जहाज वहां पर गए, सात दिन तक लड़ाई के जहाज वहां पर खड़े रहे, भारत सरकार क्यों मौन साधे बैठी रही ? वह प्रतीक्षा करते रहे कि भारत सरकार कोई रीऐक्शन लाए, कोई रीऐक्श नहीं आया। बहाना बनाया गया कि फेलियर आफ कम्युनीकेशन। शायद इनके हाई कमीश्नर का कम्युनीकेशन नहीं आया। आस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड हाई कमीश्नर से क्यों नहीं कम्यूनीकेशन लिया गया ? मैं यह मांग करूंगा कि यह मामला यू०एन०ओ० में उठाया जाए और इकोनोमिक वायकाट की बातचीत की जाए और क्योंकि वहां की सारी आर्थिक व्यवस्था चीनी पर निर्भर है। चीनी के बहुत ज्यादा सप्लायर दुनियां में मौजूद हैं, इनकी सहायता क्यों नहीं ली जाती ? यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फिजी की चीनी का बहिष्कार है। यू०एन०ओ० में मामला उठाया गया, जितने भी नान-ऐलाइन्ड फोरम हैं, वहां क्यों नहीं मामला उठाया गया ? जिस प्रकार से ऐपारथीड के खिलाफ हुआ वह सही था, देश भर में, दुनिया भर में बवंडर उठाया, यहां भी उठाइए।

उसके साथ-साथ सैल की जो बात कही जाती है, उसका तमाशा भी अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रश्नकाल में देख लिया होगा। वह सैल कुछ नहीं वह कैरो की टोम्ब है। इतिहासकार खोजेंगे तो शायद कैरों की टोम्ब निकल आये। मिनिस्ट्री आफ इंडियन ओवरसीज बनाया जाये। जैसे कि चाइना में मिनिस्ट्री आफ चाइनीज ओवरसीज है। आप अपने लोगों को स्वीकार करने में क्यों घबराते हैं। फिजी से जब आप के लोग निकाल दिये जायें तो गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनीडाड, जमायका आदि से वहां आपके लोग निकाल कर बाहर किये जायेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

आप साउथ अफ्रीका की तरफ ध्यान दें, तो पता लगेगा कि मेलविली में क्या हो रहा है। नेटाल प्रान्त में मेलविली नगरी से 40 हजार हिन्दुस्तानी डर कर भाग गये हैं। एक प्रकार से अंग्रेजों ने वहां सिविल वार खड़ा कर दिया

[अनुवाद]

जुलु और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच

[हिन्दी]

उनकी रक्षा के लिये आप सोचें। अगर आप फिजी में दबे तो आप यह मान कर चलें कि करोड़ों हिन्दुस्तानी मूल के लोग जो बाहर हैं, उनकी दुर्दशा होगी और वह होकर रहेगी।

तीसरी मेरी मांग है कि फिजी के लोगों को फूल मारेल मैटिरियल, पालिटिकल और इकोनोमिकल सपोर्ट दें और एक स्पष्ट घोषणा करें। इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। आपने अफ्रीका फंड बनाया और उसमें करोड़ों डालर और पौंड दिए ? विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है और वहां इनके लिए फंड क्यों नहीं बना रहे हैं। वह हमारी ओर देखते हैं कि हम उनकी हैल्प करें। यह विचित्र सैकुलरिज्म है। अपने से लज्जा करेंगे

और दूसरों की प्रशंसा करेंगे। मुझे कई बार यह ध्यान आता है कि पता नहीं उनका आगे क्या हाल होगा। यह तो वही बात हुई :

"याम चिन्तायन सततम महसा,
विरक्ता सापन्य निध्यती,
स्वजनों निस्कता धिकतंच,
तंछ मदनच्छ इमान मानच:"

यही इनकी दुर्दशा हो सकती है। अगर नीति में परिवर्तन नहीं करते हैं तो

[अनुवाद]

फिजी का मसला हमारी विदेश नीति के लिए एक चुनौती बनने जा रहा है।

[हिन्दी]

यह ध्यान रखें। आप इसके लिये एक शक्तिशाली नीति खोजें। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पहले बात करें क्योंकि वह उसके सबसे निकट हैं। आस्ट्रेलिया में लेबर गवर्नमेंट है और वह बोब होक की है। वहां आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है। न्यूजीलैंड में भी यह सपोर्ट आपको मिल सकता है। ये जो मेरी 3-4 मांगें हैं, मैं आशा करता हूं कि अपने उत्तर में इसका जवाब देने की आप कृपा करेंगे।

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : माननीय अध्यक्ष जी, फिजी में सैनिक परिवर्तन के बाद और सत्ता परिवर्तन के बाद फिजीवासियों के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय की कहानी है, उस पर अभी मुझ से पूर्व मल्होत्रा जी और अन्य कइयों ने विस्तार से वर्णन किया।

रातू कामीसीसी मारा गैर कानूनी ढंग से सत्ता हथिया लेने के बाद फिजी के वासियों पर वहां भेदभाव का व्यवहार कर रहे हैं। उनका शिक्षण संस्था में प्रवेश बंद कर दिया है। तमाम सिविल सेवा में भर्ती, पदोन्नति, छात्रवृत्ति तमाम जो सुविधायें थीं वह समाप्त कर दी गई हैं। इन सबसे परेशान होकर बीस हजार से अधिक फिजीवासी फिजी छोड़ कर चले गये हैं। फिजी में भारतीय मूल के लोगों का रहना दूभर हो गया है। वहां धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा भी धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचायी जा रही है। फिजीवासियों के मन में एक अनिश्चितता की स्थिति और भय का वातावरण पैदा हो गया है। उनके आर्थिक हितों पर भी कुठाराघात हुआ है। फिजी के जो कानून हैं उनमें परिवर्तन किया जा रहा है जिससे वहां के निवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फिजी की यात्रा पर गये थे तो वहां उन्होंने उनके ऊपर भी तमाम एलीगेशंस लगाये थे, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं चाहूंगा कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जब फिजी की यात्रा पर गये थे तो उनके ऊपर और भारत सरकार पर क्या-क्या एलीगेशंस लगाये गये, यह भी बतायें। साथ ही इस सारे मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जो भारतीय मूल के लोग फिजी में रह रहे हैं उनकी क्या दशा है, इसे देखने के लिए अपना प्रोग्राम बनाकर फिजी की यात्रा करें। फिजी की पार्लियामेंट में भी वहां के संविधान पर, गैरकानूनी ढंग से संविधान में कानून बनाये जाने पर आपत्ति प्रकट की थी और पार्लियामेंट में यह भी मांग की गई थी, भारतीय मूल के जो फिजी में रहने वाले हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में वहां उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाय लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ है। फिजी में भारतीय मूल के फिजीवासियों की सिक्योरिटी को तो खतरा है ही, इसके साथ-साथ वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को, पार्लियामेंट के मैम्बरों की सुरक्षा

[श्री छविराम अर्गल]

की भी वहां खतरा है, उन्होंने भी भारत सरकार से सहायता मांगी है तो उनको सहायता दी जानी चाहिए। भारत के एम्बेसडर को वहां से निकल जाने को भी कहा, अपमानित किया, इस सारे के सारे घटनाचक्र पर भी विचार किया जाना चाहिए और इस सारे मामले को, हमारे फिजी के लोग वहां आत्मसम्मान के साथ जीवन-यापन करें, इसके लिए फिजी के मूलवासियों को कुछ पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और इस सारे के सारे घटनाक्रम को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाना चाहिए। अब तक अत्याचार के कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन घटनाओं से सम्बन्धित मुद्दों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया है, इसका जवाब भी माननीय मंत्री महोदय की ओर से आना चाहिए। फिजी के लोगों की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, इस हेतु भी भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? अगर हम यह नहीं कर पाये तो विश्व भर में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, उनमें भी असुरक्षा की भावना पैदा होगी और उनमें भी, दूसरी जगह भी असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती हैं। इस सारे घटनाक्रम का विस्तार से मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। वहां की अन्तरिम सरकार द्वारा जातिगत और संस्थागत तथा भेदभाव की नीतियों के कारण वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है इसके लिए हमें अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करके फिजी की सरकार पर दबाव डालना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार सारे के सारे मामले पर गौर करे और फिजीवासियों को पूर्णरूप से सहायता प्रदान करे।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, फिजी को आज जो एक आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है, उसका जो आधुनिक स्वरूप बना है उसमें मूल रूप से जिनको श्रेय जाना चाहिए वह भारतीय मूल के आज के फिजीवासियों को है। उन्होंने वर्षों पहले वहां जाकर फिजी में जो श्रम किया, अपना जो खून-पसीना बहाया आज की फिजी उसी का परिणाम है कि उसके कारण आज फिजी में उनकी जो एक स्थिति बननी चाहिए वह नहीं है उस स्थिति को आज नकारा जा रहा है इसलिए यह समस्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने खड़ी हो गई है वहां की नई सरकार, जिसे अवैधानिक सरकार भी कहा जा रहा है, विद्रोही सरकार भी कहा जा रहा है, विप्लवी सरकार भी कहा जा रहा है, उसके रहते शायद फिजी में जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं, उनको सुरक्षा की गारण्टी दी जानी चाहिए। अन्यथा जो फिजी छोड़कर अन्यत्र जाने वालों की जो संख्या सरकार की तरफ से 20 हजार की बताई गई है, वह अनधिकृत तौर पर लगभग एक लाख के लगभग पहुंच चुकी है। वहां से लोग आ रहे हैं। यदि यही क्रम बना रहा तो शायद हम को एक ऐसी विषम स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं होगी। आज यह भी प्रश्न है कि जहां-जहां भारतीय मूल के लोग हैं, वहां उनकी सुरक्षा है या नहीं, एक असुरक्षा की भावना सभी स्थानों पर, सभी देशों में, जहां भारतीय मूल के लोग हैं, उन पर पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला काम सरकार को यह करना चाहिए कि उनकी सुरक्षा की गारन्टी के लिए उनमें आत्म विश्वास जगायें। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं और उनसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आश्वस्त करें कि भारतीय मूल के लोगों को वहां किसी प्रकार से भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां जो उनको तीसरे दर्जे का नागरिक गिना जा रहा है, उनको तीसरे दर्जे का नागरिक नहीं गिना जाएगा। 53 प्रतिशत के आधार पर, जो उनकी प्रतिशतता का आधार है, उस आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर और जो विभिन्न प्रकार के स्वरूप हो सकते हैं, वहां जाकर इसकी चर्चा करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं

कि वहां की सरकार ने कानून में संशोधन करके, भारतीय मूल के लोग जो वहां पर खेती कर रहे थे, "मास्टर सूगरकैन अवार्ड" और "एग्रीकल्चर लैंड लार्ड एण्ड टेनेंट एक्ट" में परिवर्तन करके, उनके जीवनयापन का जो मूल आधार है, जैसे गन्ने को काश्त है, उस आधार को छीना जाकर के उनको एक प्रकार से वहां से निष्कासित करने का उपक्रम शुरू हो गया है। इस उपक्रम को रोकने के बारे में सरकार ने क्या उनसे बातचीत की है या सरकार ने किस प्रकार का दबाव डालने का प्रयत्न किया है ?

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो वहां भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। उनको जो वहां प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वह प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उनके साथ भेद-भाव करके संविधान में संशोधन किया जा रहा है। संविधान में इस प्रकार के संशोधन प्रस्तावित है जिससे जातिगत आधार पर, वहां बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक बनकर रह जायें और हमारे सारे अधिकार समाप्त हो जायें, जो हमारे अपने अधिकार हैं। हमारे अधिकार वहां हमें प्राप्त होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां जो संवैधानिक व्यवस्था है वह आज असंवैधानिक है, वहां लोकतन्त्र की मर्यादा को समाप्त करके जातिगत आधार पर, जातिगत आधार पर ही नहीं केवल धर्म विशेष के आधार पर, जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उस स्वरूप को समाप्त करके धर्म विशेष के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, उससे निश्चित ही वहां जो भारतीय मूल के हिन्दू लोग हैं, उनके मन में भावना जागृत होना स्वाभाविक है कि आखिर हमारी सुरक्षा की कोई गारन्टी है या नहीं है। वहां जो उनके धार्मिक रीति-रिवाज हैं, रीति-रसम हैं, स्थान-स्थान पर जहां तो उनके कार्य हो सकते हैं, उन कार्यकलापों के अंदर भी उनके साथ दुर्व्यवहार या भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण आज उन की स्थिति नगण्य सी हो गई है। वे अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से किन-किन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके बारे में चर्चा की गई है। किस प्रकार से फिजी मूल के भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अब वहां पर क्या कार्यवाही की है ? जैसा कि माननीय मल्होत्रा जी ने भी बताया है कि राजदूत को वहां से अपमानित करके निकाला गया और जिन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जिस प्रकार की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन कठिनाइयों के बारे में सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न अवसरों पर किस प्रकार से कार्य किए गए हैं—इनके बारे में भी माननीय मंत्री महोदय जानकारी देने का कष्ट करें ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां पर भारतीय मूल के लोग, जैसा कि मैंने बताया है बहुसंख्य होते हुए भी या 53 प्रतिशत होते हुए भी, उनको नौकरियों में, पदोन्नतियों में जिस प्रकार से अड़चन पैदा की जा रही है, अड़चनें खड़ी की जा रही हैं, उन लोगों को नौकरियों से पृथक किया जा रहा है। नौकरियों में उनको जो अवसर मिलना चाहिए समानता का, समान दर्जे के आधार पर नहीं मिल रहा है। उनको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि शायद भारतीय मूल के लोग वहां की नौकरियों में न रहें और हटा दिए जायें और उनकी पदोन्नतियों के अवसर स्वतः समाप्त हो जायें। अर्थात् कुल मिलाकर वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गयी है कि भारत मूल के लोगों का वहां कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। वहां उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिएं। भारत मूल के लोगों ने फिजी को अन्तर्राष्ट्रीय नक्शे पर एक स्वरूप प्रदान किया है। फिजी को आधुनिक रूप देने में भारत मूल के लोगों ने बहुत श्रम किया है। उनके अधि-

[डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

कारों को पूरी तरह से सुरक्षित किए जाने के संबंध में क्या क्या उपाय किए गये हैं, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : महोदय, आप मुझे एक या दो मिनट का समय दे सकते हैं। मैंने नोटिस भी दिया है।

सभापति महोदय : यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं अपनी बात एक मिनट में पूरी कर लूंगा।

मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि हमारे युवा मंत्री महोदय को इस समस्या पर गहराई से विचार करना चाहिए। भारतीय मूल के जो लोग विभिन्न देशों में रहते हैं उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण पर अच्छी प्रकार से चर्चा करने तथा उचित नीति तैयार करने की जरूरत है।

फिजी का मुद्दा एक अत्यधिक नाजुक मुद्दा है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि उपेक्षा के कारण अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पिछली सरकार ने वास्तव में इस समस्या की उपेक्षा की थी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होने जा रहा है परन्तु यहां फिजी में एक नई किस्म के रंगभेद को संवैधानिक मंजूरी मिल रही है। मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता।

मंत्री महोदय ने एक अच्छा वक्तव्य दिया है। हम रंगभेद, सामाजिक और जातीय भेदभाव के खिलाफ आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। यहां भारतीय मूल के फिजीवासियों जिन्होंने फिजी की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है और फिजी को सम्पन्न बनाया को एक तानाशाह की साजिश के कारण बाहर निकाला जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से मंत्रालय में अथवा दूसरे किसी मंच पर इस बात पर विचार करने के लिए कहना चाहता हूं कि रगभेद की समस्याओं का अध्ययन करने और वहां प्रचलित रंगभेद की समस्याओं के बारे में समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र से सिफारिश करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार समिति हैं। मुझे बताया गया है कि चूंकि दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र होने जा रहा है तो उस समिति की भूमिका समाप्त हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में उठाये और देखें कि दक्षिण अफ्रीका के लिए बनी यह मानव अधिकार समिति जारी रहे और इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा रंगभेद के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच करें। भारत सरकार को भी यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाना चाहिए। यदि इस मामले में दक्षिण एशियाई देशों का एक सम्मेलन भारत में किया जाए तो यह इसका समाधान करने में लाभदायक होगा।

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की जो अनुमति दी है उसका एक कारण यह है कि इस सदन में ध्यान आकर्षण प्रक्रिया की वर्तमान प्रणाली असन्तोषजनक दिखाई पड़ती है। अत:, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नियम समिति को यह सुझाव दें कि नियमों में कुछ परिवर्तन होने चाहिए।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : मैं नियम समिति को पत्र लिखूंगा।

[हिन्दी]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : सभापति जी, मैंने माननीय सदस्यों—मल्होत्रा जी, चौधरी जी, यादवेंद्र दत्त जी, अरगल जी, पाण्डेय जी और समरेन्द्र कुन्डू जी के विचारों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। सरकार उनकी इस भावना से सहमत है कि भारतीय मूल के लोगों की फिजी में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी समस्यायें उठ सकती हैं। माननीय दुबे जी ने दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में भी चर्चा की और कहा कि आने वाले दिनों में दक्षिण अफ्रीका में भी यह समस्या खड़ी हो सकती है और पिछले दिनों में दक्षिण अफ्रीका में जो घटनायें घटीं उनकी भी उन्होंने चर्चा की।

भारतीय मूल के लोग विभिन्न देशों में गये हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के 1879-1889 से लेकर के 1920 तक काफी संख्या में लोग गए हैं। 1986 के आंकड़ों के मुताबिक फिजी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 3 लाख 47 हजार 4 सौ 65 थी जो वहां की आबादी की कुल संख्या का 48.6 प्रतिशत थी। इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है कि चाहे संख्या 48 फीसदी हो या 53 फीसदी हो या 2 फीसदी हो, वर्ग के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जनमत के आधार पर, जहां भी दुनिया में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, भारत सरकार और भारत की जनता अपने कर्त्तव्य का पालन करती है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : 48 परसेंट से कहीं गलतफहमी न हो जाए कि हम माइनारटी में हैं। **(व्यवधान)**

मूल फिजियन 42 परसेंट थे और बाकी जो 12 परसेंट थे, 1986 में, उनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के लिए नहीं गए, वैसे 53 परसेंट हैं। तो 48 परसेंट से कहीं यह इंप्रेशन न हो जाए कि हम माइनारटी में हैं। **(व्यवधान)**

श्री ईश्वरी चौधरी : सभापति महोदय, 50 परसेंट भारतीय मूल के हैं, 47 परसेंट लोकल फिजियन हैं और 3 परसेंट अन्य यूरोपीय देशों के, चाइना आदि देशों के हैं, लेकिन भारतीय वहां पर बहुमत में हैं। **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : मैं चाहता था कि भारतीय संसद में, आंकड़ों के बजाए तथ्यों को रखा जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप याद रखें कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह उनका प्रथम उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : मैं कह रहा था कि मूल बात यह है कि भारतीय मूल के जो लोग विदेशों में ले जाए गए, भारतीयों ने उन देशों को आबाद किया, वहां पर संपन्नता लाए और आज कहीं न कहीं ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, कहीं पर षड़यंत्र भी देखा जा रहा है कि उनको बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की जा रही है और फिजी उसका एक नमूना है।

जिस भावना का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है, जिस तरह से इस समस्या को उजागर किया है, हो सकता है कि पिछली सरकार ने इतने जोरदार तरीके से इसका उल्लेख न किया हो,

[श्री हरि किशोर सिंह]

लेकिन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस समस्या को उजागर करने की कोशिश की गई है और राष्ट्रमण्डल से फिजी की सदस्यता समाप्त हो गई है। फिजी कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता उसको पुन: प्राप्त हो जाए, मगर हमारी सरकार की भरपूर कोशिश है कि फिजी को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता न मिले, जब तक वहां पर आवश्यक सुधार नहीं कर दिए जाते।

सभापति महोदय, यह सही नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में या विचारगोष्ठियों में जाने के लिए भारत सरकार ने लोगो को प्रोत्साहित नहीं किया। आस्ट्रेलिया में इस संबंध में हुई संगोष्ठी में भारत सरकार ने यहां के लोगों को शरीक होने के लिए भेजा था।

निर्गुट आंदोलन, राष्ट्र मण्डल का मंच और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनके द्वारा भारत मानव अधिकारों की समस्या को पहले भी उजागर करता रहा है और अब भी उजागर कर रहा है, आने वाले आगामी राष्ट्रमण्डल की बैठक में, चोगम की आगामी बैठक में या गुट-निपेक्ष आंदोलन की आगामी बैठक में फिजी समस्या को अवश्य उजागर किया जाएगा।

श्री ईश्वर चौधरी : भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं को ?

श्री हरि किशोर सिंह : भारतीय मूल के लोगों की समस्या ही नहीं है, फिजी की समस्या भी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : फिजी में यह समस्या केवल भारतीयों के लिए ही नहीं पूरे फिजी के लिए है। ये जो कुछ कहते हैं वह पूरे फिजी के लिए है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति महोदय, भारत सरकार का दृष्टिकोण केवल भारतीय मूल के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में हमारी जो तस्वीर रही है, जो छवि रही है, उसको और अधिक उजागर करना है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : और कोई उठाएगा भी नहीं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा।

श्री हरि किशोर सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि हम नहीं उठायेंगे, हम ही उठायेंगे, हमने पहले भी उठाया है, अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठायेंगे।

2.00 म० प०

जहां तक आर्थिक बहिष्कार की बात कही गयी है, आस्ट्रेलिया ने इस सम्बन्ध में कदम उठाया है और 5 मिलियन डालर की जो ऐड थी उसको सस्पेंड किया है। भारत ने फिजी से सारे आर्थिक सम्बन्ध तोड़ लिए है। अर्गल जी ने पूर्व प्रधान मंत्री की फिजी यात्रा की चर्चा की। हमें सूचना है कि पूर्व प्रधान मंत्री ने फिजी की कोई यात्रा नहीं की थी। अगर इन्हें गुप्त सूचना हो तो मैं कह नहीं सकता।

पाण्डे जी ने सही रूप में वहां की सरकार मास्टर शूगरकेन अवार्ड तथा खेती के सम्बन्ध में जो नीति अपना रही है उसकी चर्चा की। उससे शुद्ध रूप में भारतीय मूल के लोगों को नुकसान

होगा। भारत सरकार ने इस बात को विभिन्न मंचों से उजागर किया है चाहे राष्ट्रमण्डल मंच हो, संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या गुटनिरपेक्ष मंच हो। हम फिर इसकी चर्चा करने जा रहे हैं।

जहां तक दुबे जी ने सुझाव दिया है वह बहुत गम्भीर सुझाव है। आज एक प्रश्न के जवाब में विदेश मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि हम विदेश मंत्रालय में भारतीय मूल के लोगों की समस्या के लिए अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में दुबे जी ने सुझाव दिया है। इनके सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। कुण्डू जी ने ह्यूमन राईट्स कमीशन में इस समस्या को उठाने का सुझाव दिया। हम इसे जरूर उठायेंगे। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था में इस समस्या की चर्चा करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर जबरदस्त अभियान चलाया जाएगा जिससे वहां की सरकार मजबूर होकर भारतीय मूल के नागरिकों सहित सारे नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था कर सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस मामले को उठाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री छविराम अर्गल : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि फिजी के मूलवासियों ने भारत सरकार से अपनी सिक्योरिटी के बारे में कोई सहायता मांगी है ? वहां के जन प्रतिनिधियों ने भारत सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

श्री हरि किशोर सिंह : सभापति जी, इस सम्बन्ध में दूसरे देशों के नागरिकों को सुरक्षा देने की हम व्यवस्था नहीं कर सकते। अन्तर्राष्ट्रीय मंच से उनकी असुरक्षा की स्थिति को हम उजागर कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस : महोदय, एक निवेदन करने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं ? मैं महसूस करता हूं कि यह मेरा नैतिक कर्तव्य है क्योंकि आज मैं ही अकेला एक सदस्य हूं जो विपक्ष की ओर बैठा हूं। मैं यहां कोई विवादास्पद वक्तव्य नहीं देना चाहता ! मैं सदन की जानकारी में केवल यह बात लाना चाहता हूं कि कांग्रेस दल से सम्बन्धित अधिकांश विपक्षी सदस्य आज अनुपस्थित हैं क्योंकि वे अपने नेता के साथ भूख हड़ताल पर हैं। मैं यह अपील कर रहा हूं कि हम सबको इस महान उद्देश्य का समर्थन करना चाहिए क्योंकि हम सब साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष करने और अपनी राष्ट्रीय अखण्डता को मजबूत करने के लिए एकमत हैं। मैं यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं ताकि इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित कर लिया जाए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। अभी हम भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी से मिलकर आ रहे हैं। वह डिसेंटरी से परेशान हैं ज्यादा खाना खाकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : ऐसा कहना बहुत अनुचित है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अच्छा। अतः हम अगला विषय लेंगे।

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : मैं यह नहीं कहता कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान नहीं किया। परन्तु मैं सोचता हूं कि श्री राजीव गांधी की अनुपस्थिति में ...(**व्यवधान**) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : हमें आगामी विषय पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

श्री पी० सी० थामस : उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के नेता के सम्बन्ध में कहा है। विपक्षी सदस्य के नाते मुझे आपको यह बताना है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। महोदय उन्हें इसे वापस लेने का निर्देश दिया जाए।

सभापति महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी।

(**व्यवधान**)

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने केवल यही कहा था कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री फिजी नहीं गए।

सभापति महोदय : ऐसी बात नहीं है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (पटना) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री को डिसेंटरी हो गई है इसको कैसे काट सकते हैं यह तो किसी डाक्टर से जांच करने के बाद ही पता लगेगा कि उनको डिसेंटरी है या नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें अगले विषय पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री पी० सी० थामस : उन्होंने कहा का था कि विपक्ष के नेता खाना खाने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह बहुत अनुचित है। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं इसकी निन्दा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि माननीय सदस्य के मन में इस सभा, विपक्ष के नेता तथा समूची सभा के प्रति कुछ सम्मान है तो उन्हें यह बात वापस लेनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जाए? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब मैं अगला विषय ले रहा हूं। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे क्योंकि अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श करना है। हमें अनुदानों की मांगों पर चर्चा करनी है।

अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

2.08. म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार में किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी एजेंटों की बढ़ती हुई जासूसी गतिविधियों को रोकने की मांग

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज से लगी हुई बंगलादेश और नेपाल की सीमा पर पिछले कुछ वर्षों से विदेशी जासूसों की गतिविधियां बराबर जारी हैं, जो कि अब किशनगंज को एक विदेशी जासूसी अड्डे में बदलती जा रही हैं। अभी पिछली 31 जनवरी को इसी सीमावर्ती क्षेत्र के काकड़ा मीठा नामक स्थान पर चार चीनी जासूस बंदी बनाए गये हैं। इसी तरह अक्तूबर, 1989 में एक फ्रांसिसी गुप्तचर तथा श्रीलंका के जाफना के गुप्तचर बंदी बनाये गये थे। इसी तरह फरवरी 1990 में ही भारत बंगलादेश सीमा के सोनधारा फुलवारी के पास दस पाकिस्तानी तथा दो बंगलादेशी गुप्तचर पकड़े गये। इसी वर्ष जनवरी में सीमा सुरक्षा बल ने कई तस्कर भी पकड़े हैं। इन सभी गुप्तचरों तथा तस्करों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा और धनराशि बरामद की गई है।

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि किशनगंज एवम् बंगलादेश नेपाल के सीमावर्ती स्थानों को विदेशी जासूसी अड्डे बनने से रोकने हेतु कड़ी कार्रवाई की जाये। मेरी मांग है कि अविलम्ब इन इलाकों में सरकारी मशीनरियों के अन्दर मौजूद पाक, चीनी एवम् बंगलादेश परस्त तत्वों की गृह मंत्रालय खुफिया जांच कराये और कड़ी कार्यवाही करे अन्यथा दूसरा कश्मीर बिहार के अन्दर जन्म ले रहा है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नियम 377 के अधीन जिस विषय पर आपको बोलने की सहमति मिली है, उससे हटकर बोलेंगे तो जो टैक्स्ट एप्रूव्ड है, उसके अतिरिक्त बात रिकार्ड में नहीं आयेगी।

श्री ईश्वर चौधरी (गया) : सभापति जी, आज नियम 377 के अधीन कार्यवाही में बहुत से माननीय गैर-हाजिर है, जिनका नम्बर पीछे है, क्या उनको कल मौका मिलेगा ?

सभापति महोदय : यह बात स्पीकर साहब से बता दी जायेगी।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता की सहायक कम्पनी "बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड" के अधीन चलने वाली "रिफ्रैक्टरीज एण्ड सिरेमिक यूनिट्स कलकत्ता" के प्रबन्धकों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कामगारों को पूर्ववर्ती प्रभाव से अन्तरिम राहत दिए जाने के लिए निदेश दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता की सहायक कम्पनी बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के अधीन चलने वाली रिफ्रैक्टरीज एड सिरेमिक

[श्री हाराधन राय]

यूनिट्स ने अभी तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के 4 दिसम्बर, 1989 के उस निर्णय को, जिसमें प्रबन्धकों को यह निर्देश दिया गया है कि कामगारों को अन्तरिम राहत की राशि का भुगतान लोक उद्यम ब्यूरो के 8 सितम्बर, 1987 के ज्ञापन के अनुसार उक्त आदेश की तिथि से तीन महीने के अन्दर किया जाये, कार्यान्वित नहीं किया है। रिफ्रैक्टरीज एंड सिरेमिक यूनिट्स के कामगारों को 1979 से अब तक बढ़ी हुई संशोधित मजदूरी नहीं मिली है।

इसलिए मेरा उद्योग मंत्री से अनुरोध है कि दोषी प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्काल कदक उठायें और उन्हें निदेश दें कि अन्तरिम राशि का भुगतान कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से किया जाए।

(तीन) ओरिएन्ट पेपर मिल, ब्रजराजनगर (उड़ीसा) से ईब नदी में होने वाले निःस्राव को रोके जाने की मांग

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : ओरिएन्ट पेपर मिल, ब्रजराजनगर उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में ईब नदी के किनारे पर है। इस मिल द्वारा अपने गाढ़े द्रव पदार्थ, कीचड़ और निःस्राव अपरिष्कृत रूप में ही ईब नदी में, जो महानदी की सहायक नदी है, डाले जा रहे हैं। हीराकुण्ड बांध महानदी पर स्थित है। ओरिएन्ट पेपर मिल से निकलने वाले रसायनों से हीरा कुंड बांध को खतरा हो गया है। बांध में कई जगह दरारें पड़ गयी हैं। इसके अतिरिक्त, इस निःस्राव से नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। पानी में पारे की मात्रा खतरे की सीमा तक पहुंच गई है। महानदी का पानी और मछली मानव उपभोग के अयोग्य हो गया है। यह मामला अनेक मंचों पर उठाया गया है परन्तु अभी तक इसका कोई फल नहीं निकल पाया है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इसके संबंध में प्रभावी कदम उठाए।

(चार) शालीमार टार प्रोडक्टस (1935) लिमिटेड, लोदना (बिहार) का प्रबन्ध ग्रहण किए जाने की मांग

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सबसे पुरानी प्रीमियर टार बाइप्रोडक्ट्स यूनिट एस० टी० डी० लिमिटेड, शालीमार टार प्रोडक्टस (1935) लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध है जो धनबाद जिला के झरिया कोल क्षेत्र के बीचोंबीच लोदना में हैं तथा यह बिहार लोदना कम्पनी (1920) लिमिटेड का एक भाग था और प्रबंध टर्नर एंड मोरिसन कम्पनी लिमिटेड के अधीन था, परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि जब लोदना कोयला खान तथा इसके कोयला संयंत्र का 1972 में राष्ट्रीयकरण हुआ तो यह टार संयंत्र जो उनकी श्रृंखला में सम्मिलित था और जो पाइप लाइन के माध्यम से उनके साथ जुड़ा हुआ था तथा जनशक्ति, सामग्री, उत्पाद आदि के परस्पर आदान-प्रदान के प्रावधानों से सहयोजित था, उसे कम्पनी के भूतपूर्व मालिकों की दया पर छोड़ दिया गया; यद्यपि भूतपूर्व मालिकों के झरिया स्थित सिनेमा हाल के प्रबन्ध का अधिग्रहण करके भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भाग बना दिया गया था कोयला खान के भूतपूर्व मालिक ही शालीमार टार प्रोडक्टस के मालिक हैं यद्यपि टार संयंत्र चलाने की उनकी कोई मंशा नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस फैक्ट्री का प्रबन्ध ग्रहण करें।

12.5 म०प०

अनुदानों की मांगें—(सामान्य), 1990-91

जल संसाधन मंत्रालय
और
कृषि मंत्रालय—(जारी)

सभापति महोदय : अब हम जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या-18 के सम्बन्ध में आगे चर्चा और मतदान शुरू करेंगे तथा साथ ही कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या 1 से 5 के बारे में भी, जो 7 मई, 1990 को प्रस्तुत हुई थीं, आगे चर्चा और मतदान करेंगे।

अब श्री कल्याण सिंह कालवी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह कालवी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, आज पूरे का पूरा देश एक विरोधाभास में से होकर गुजर रहा है। यदि किसानों के बीच में बैठकर बात करते हैं तो किसान कहता है कि अब खेती अपने आप में लाभप्रद धंधा नहीं रह गयी है। यदि खेती में उत्पादित चीजों का उपभोग करने वाले लोगों के बीच बैठते हैं तो उपभोक्ता कहता है कि हर चीज की कीमत इतनी ऊची चढ़ गयी है कि उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। वह भी आज कठिनाई में है। देश के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है कि विरोधाभास के इस वातावरण से जहां किसानों को बचाया जाये, कृषि इस देश में घाटे का धंधा न रहे, साथ साथ उपभोक्ता को भी बचाया जाये ताकि उसका शोषण न होने पाये, उसकी जेब से अतिरिक्त पैसा भी न निकले। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ग्रामों में रहने वाले अधिकांश लोग खेती पर आश्रित हैं और खेती के सहारे अपना जीवन बसर करते हैं। हमारे गांवों का विकास तभी सम्भव है जब खेती करने वाले लोगों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और उनका धंधा लाभप्रद हो। खेती के जरिये उन्हें इतनी कमाई हो सके कि वे अपने घर में खुशहाली ला सकें, अपने जीवन-यापन के लिये आवश्यक सुख-सुविधायें प्राप्त कर सकें। आज आवश्यकता इस बात की है कि खेती में प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन बढ़े। जब प्रत्येक किसान का उत्पादन बढ़ेगा तभी राष्ट्र का उत्पादन भी बढ़ सकता है और हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि सम्भव है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ाने की तरफ हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा। कुछ समय पहले तक इस देश में जो राज चलता था, या मैं और स्पष्ट कहूं तो कांग्रेस संस्कृति के अंदर, पूरे देश को इस तरह की मान्यताओं के आधार पर ढ़ाल दिया गया था, गलत नारे देकर देश की मानसिकता ऐसी बना दी गयी थी कि इस देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रयशक्ति बढ़ाने के प्रति ही अधिक चिन्तित था। वह उत्पादन बढ़ाकर अपनी क्रयशक्ति बढ़ाने के प्रति चिन्तित नहीं था बल्कि अपनी क्रयशक्ति बढ़ाने के लिये उसे चाहे जो भी भ्रष्ट से भ्रष्ट तरीके अख्तयार करने पड़ें, उन तरीकों को अख्तयार करके, वह अपनी क्रयशक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा था। उसी का परिणाम है कि आज देश के जनजीवन में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त दिखायी पड़ता है। भ्रष्टाचार सामान्य जन तक पहुंच गया है। यदि हमें इस देश का समग्र विकास करना है तो आवश्यकता इस बात की है कि देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ायी जाये। उत्पादकता बढ़ाने से उसकी आय में वृद्धि होगी, उसकी क्रयशक्ति बढ़ेगी, यही अर्थशास्त्र का सामान्य नियम भी है। इसी नियम के आधार पर देश की मानसिकता

[श्री कल्याण सिंह कालवी]

को ढालना पड़ेगा, तभी जाकर देश का समुचित विकास हो सकता है। आज हर क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमारा कृषि विभाग मुख्य रूप से विस्तारात्मक योजनाओं पर टिका हुआ है। इस देश के रहने वाले हर किसान में इतनी अडैप्टेबिलिटी आ चुकी है कि आज विस्तारवादी योजनाओं की उतनी आवश्यकता नहीं रह गयी है। आज हमें रिसर्च की तरफ ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। यह बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश में रिसर्च की तरफ अब तक जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, उतना नहीं दिया गया। आज हर विभाग का ढांचा कुछ इस तरह फैल गया है कि गांव में बठने वाले किसी विभाग के किसी कर्मचारी की विशेष तौर से कोई उपादेयता नहीं रह गयी है, उसकी कुछ यूटिलिटी नहीं है, फिर भी वे लोग गांवों में बैठे हैं और उनकी तनख्वाहों का भार इस देश के लोगों पर, सारे राष्ट्र को वहन करना पड़ता है। हमें अपनी सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा, सुधार करना होगा और हर विभाग को बैठकर गहराई से विचार करना होगा, तभी जाकर हम वास्तविक सुधार कर पायेंगे।

आज कृषि के क्षेत्र में रिसर्च की बहुत आवश्यकता महसूस की जाती है। यदि मैं कहूं कि अब तक हम रिसर्च के मामले में बहुत पीछे रह गये हैं, रिसर्च बिल्कुल नगण्य हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। आप देखिये कि कृषि विभाग में देश का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अब तक कितनी रिसर्च की गयी है। पंचायत समितियों के पास स्थानीय स्तर पर रिसर्च करने का जो काम सौंपा गया था, वह करीब-करीब खटाई में पड़ा है। पंचायत समितियों के फार्म्स की कोई उपादेयता नहीं रह गयी है, कोई उपयोग नहीं है और वे सारे के सारे बंजर भूमि में परिवर्तित हो चुके हैं, यह उनका हाल है।

सभापति महोदय, जहां तक सीड मल्टीप्लिकेशन के फार्म का सवाल है, उनमें भी कोई बीज विशेष का गुणन जैसा कोई काम हो नहीं रहा है जब कि आज देश भर में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस बारे में रिसर्च की जाए और उस रिसर्च की जानकारी जल्दी से जल्दी प्रत्येक किसान तक पहुंचे, इस बात की बड़ी आवश्यकता है। आज देश को इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में इस प्रकार की नई तकनीक विकसित हो जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े। इस बात के प्रयास देश में चल रहे हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक आविष्कार करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, किसानों को लाभप्रद मूल्य कैसे दिया जाए। किसानों को किस प्रकार से नफे का धंधा देकर उनके घर में खुशहाली लाई जाए, यह तो किसान की आज मूलभूत आवश्यकता है। आज जो वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने यह एक चुनौती है कि किसान की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करें और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार और विभाग को इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तभी आगे जाकर इनका सम्यक लाभ हो सकता है। आज गांव के विकास के लिए, खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों के विकास के लिए तरह-तरह की योजनाएं बन रही हैं और मैं यह कहना चाहूंगा कि इन तरह-तरह की योजनाओं की अनेक खिड़कियां कायम न हों, बल्कि इन सब के लिए एक ही दरवाजा कायम हो और एकीकृत विकास के आधार पर जो खेती करते हैं, खासतौर पर जो गांवों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका एक ही दरवाजे से सारा का सारा काम होना चाहिए, ताकि लंबे-चौड़े लुवाज्मे खड़े न हों, इन योजनाओं की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है और मेरी मांग है कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

सभापति महोदय, जहां तक कृषि मूल्य आयोग का सवाल है, इसका सबसे बड़ा काम यह है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाए। किसान की समता मूल्य के आधार पर कीमतें तय की जाएं और किसानों को लाभप्रद मूल्य देकर उनसे किसान लाभान्वित हो, इस काम को करने की जिम्मेदारी आज कृषि मूल्य आयोग की है। खुशी की बात है कि इस बार कृषि मूल्य आयोग ने समर्थन मूल्य बढ़ाकर के किसान को जो फायदा पहुंचाया है, उसका तो आज चारों तरफ स्वागत किया जा रहा है, किन्तु किसान की पैदावार में मूल्य की दृष्टि से उतार-चढ़ाव न आएं इस बारे में सरकार को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। आज जो विकसित देश हैं, उन देशों के अंदर कृषिजन्य उत्पादन में 10 प्रतिशत से ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आता है, किन्तु कांग्रेस राज में हमारे देश में जिस तरह का ढांचा खड़ा किया गया था और उस ढांचे में जिस तरह की विकृतियां आ गई थीं, उसमें आज इस तरह की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है कि 10 प्रतिशत के आसपास हमारे कृषि उत्पादन की कीमतें घूमती रहेंगी, परन्तु हम इस विभाग से यह जरूर चाहते हैं कि हमारी कीमतों में बीस प्रतिशत से ज्यादा उतार-चढ़ाव न आए। यदि कीमतें बीस प्रतिशत से ज्यादा ऊंची जाती हैं, तो सरकारी गोदामों से इतना अनाज बाजार में भेज दिया जाए, जिससे कीमतें वापस नीचे आ जाएं और यदि कीमतें बीस प्रतिशत से ज्यादा नीचे जाती हैं, तो सरकार की तरफ से बाजार में अनाज खरीदने के लिए इतनी दुकानें और केन्द्र खोल दिए जाएं जिससे कीमतें ऊपर आ जाएं और एक स्तर पर स्थिर हो सकें। यदि ऐसा किया जाएगा तो किसानों की अपनी चीजों को बेचने में लूट न हो सकेगी। इस तरफ हमें जागरूक रहना पड़ेगा। समर्थन मूल्य के बारे में, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें चावल, चना, गेहूं, सरसों और कपास आदि तो शामिल कर लिए गए हैं, परन्तु जिनको मोटे अनाज कहते हैं और जो देश के अनेक भागों में पैदा होते हैं जैसे—बाजरा, मोठ, ग्वार, ज्वार और मक्का आदि, इन सारी चीजों का भी समर्थन मूल्य तय हो जाना चाहिए। किसानों को इसके माध्यम से राहत मिलनी शुरू हो जाए। आज देश की मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि जो आवश्यकताएं सीधे किसान से, गांवों से जुड़ी हुई हैं, आज उनको पानी की प्राथमिकता देनी पड़ेगी, चाहे पीने का पानी हो, चाहे खेत को देने के लिए पानी हो। बिजली को भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी जिससे गांवों में खेत तक पानी, पीने के लिए पानी मिले, बिजली की सेवाएं उपयोग में लाई जा सकें। गांवों में जो दो हाथ पैदा हो रहे हैं, उन हाथों को काम, कारोबार, रोजगार देना पड़ेगा तभी हम खुशहाली ला सकते हैं। यदि यह सोचें कि केवल नौकरी के जरिए देश में से बेरोजगारी मिटा देंगे, देश में खुशहाली ला सकेंगे, यह केवल मात्र स्वप्न है, इसमें सच्चाई नहीं हो सकती है। देश की तकदीर तभी बदल सकती है जब देश में आबाद होने वाले दो हाथों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी, व्यवस्था करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और उस काम को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाएगी। राजस्थान के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय जल नीति बननी चाहिए, जल नीति को सख्ती से लागू करना चाहिए, साथ-साथ अन्तर्राज्यीय जल विवाद जितने हैं, उनको अतिशीघ्र निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए चाहे उच्चस्तरीय कमेटी बने, चाहे प्रधानमंत्री के खुद के स्तर पर कोशिश हो क्योंकि इस तरह के विचार जितनी जल्दी निपटे उतना ही फायदा है। आज गंगा और जमुना में बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी क्षेत्रों में तबाही मचाता है। जिस इलाके से मैं चुनकर आया हूं, उस इलाके में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, खेत हजारों बरसों से प्यासे हैं, मानसून से भी उनकी प्यास नहीं बुझती है, पानी देकर भी धरती की प्यास नहीं बुझा सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गंगा, जमुना में बाढ़ से जो पानी

[श्री कल्याणसिंह कालवी]

अभिशाप के रूप में जाना जाता है उस पानी को यदि दो जगह लिफ्ट करके उसको लूनी नदी में डाला जाए और सतह प्रवाह से उसको कच्छ रण के अन्दर पहुंचा दिया जाए तो सारी नदी, कैनाल में पानी पहुंच जाएगा। जहां तक नहर के रूप में आएगा वहां पर सिंचाई के जरिए उस जमीन को हरा-भरा बनाया जा सकता है। हमारे लिए यह वरदान साबित हो सकता है। नर्मदा का पानी जिसमें राजस्थान का हिस्सा है, आज वह उलझा हुआ है। कहा जाता है कि राजस्थान को पैसा नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने विधान सभा में भी हमको आश्वासन दिया था कि हम नर्मदा के हिस्से का पैसा दे चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा कि रेगिस्तानी इलाके का जो हिस्सा नर्मदा में है, वह हिस्सा उस इलाके को मिलना चाहिए ताकि रेगिस्तान की रोकथाम के लिए पुख्ता कदम उठाए जा सकें और रेगिस्तान को हरा-भरा किया जा सके। घर के अन्दर बाढ़ आती है जो हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान के काफी इलाकों में तबाही मचाती है। उस पानी को सिस्टमाईज ढग से चैनलाईज करके रेगिस्तान इलाके में पहुंचा दिया जाए तो उससे नागोर, बीकानेर हरा-भरा हो सकता है, वहां के लोगों की पानी की व्यवस्था हो सकती है, पीने के पानी और खेत के पानी की व्यवस्था भी हो सकती है। कुछ दिन पहले पंजाब से आने वाले माननीय सदस्य श्री कृपालसिंह जी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि पंजाब के अन्दर सीमेज हो रहा है, वाटर लौगिंग हो रही है जिससे वहां पर भूमि में सैलीनिटी डैवलप हो रही है, जमीन ऐलक्लाइन होती जा रही है। इस सारी चीज की रोकथाम के लिए उस पानी को ड्रेनआउट करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पंजाब सरकार ने उस समय व्यवस्था की थी कि उस पानी को वापिस नदी में डाल दिया जाए जिससे वह पानी पाकिस्तान होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता। उस नाले को यदि कुछ दूर तक एक नहर, कैनाल के जरिए पश्चिमी रेगिस्तान में पहुंचा दिया जाए और जैसलमेर से जो नदी, जिसको लीक नदी कहते हैं उसमें डाल दिया जाए तो वह लीक नदी बाड़मेर जिले के उस सारे भूभाग को, जिसको रेगिस्तान कहते हैं, जिसके लिए आज देश के लोग चिन्तित हैं कि रेगिस्तान बढ़ रहा है, वह नदी रेगिस्तान को बढ़ने नहीं देगी और सारे इलाके को हरा-भरा कर देगी। इस व्यवस्था के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आज सामाजिक वानिकी के आधार पर हमारी एक नई योजना है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन के अन्दर जहां रेगिस्तानी रोकथाम के लिए नारा तो दिया गया परन्तु रेगिस्तान बनाने का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं का है। बन लगाने की बात कही गई, वह तो भ्रष्टाचार के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी, जो बन काटने का काम था वह इतनी तेज गति से किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अरावली सरकार का बनाया हुआ रेगिस्तान है। हमारे यहां के रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते, झाड़ियां होती हैं। उनको काटकर लोगों ने जलाऊ लकड़ी के रूप में लाकर बेच दिया केवल पेट पालने के लिए, सरकार इसकी रोकथाम नहीं कर सकी। उस लकड़ी के विकल्प के रूप में दूसरा जरिया देना चाहिए था। जिस इलाके से मैं जीतकर आया हूं, यदि वहां पर बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकना है तो आपको ईंधन की दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ईंधन की व्यवस्था तीन तरह से की जा सकती है। हमारे यहां पर गैस है, वह हमारे इलाके में मिल चुका है, जैसलमेर में मिल चुका है, उस गैस को ईंधन के रूप में चूल्हे के लिए दिया जाए तो लोग लकड़ी जलाना बन्द कर देंगे। हमारे इलाके में गोबर की कोई कमी नहीं है। गोबर गैस प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाकर पूरे गांव को ईंधन की व्यवस्था कर दी जाए तो लकड़ी काटना लोग बन्द कर देंगे। जब तक उसका सबस्टीट्यूट नहीं देंगे तब तक लोग लकड़ी काटना बन्द नहीं करेंगे। ये बंद करने के लिये ये व्यवस्थायें करनी होंगी। यदि बीज छिड़क

कर या पौधे बांट कर रेगिस्तान को विकसित करना चाहें और सोचें कि इससे रेगिस्तान में हरियाली आ जायेगी तो यह सम्भव नहीं है। यह आपका केवल दिव्य स्वप्न मात्र है और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पायेगी। वहां पानी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो सात-सात और आठ-आठ साल तक वहां बरसात की बूंद नहीं गिरती है।

अब मैं सहकारिता के बारे से कहना चाहता हूं। सहकारिता जब इस देश में आई थी तो यह सोचा गया था कि यह देश की काया पलट कर देगी। सहकारिता ने कई राज्यों में सुधार भी किया और सम्पन्नता लाने में उसका बड़ा योगदान रहा है। परन्तु कुछ राज्यों में कोआपरेटिव का मतलब करप्शन हो गया है और करप्शन का मतलब कोआपरेटिव हो गया है। यह एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। राजस्थान के अन्दर यही हाल कोआपरेटिव का है। अगर हम चाहें कि कोआपरेटिव से हम राजस्थान में रहने वाले गरीब लोगों की काया पटल कर देंगे और उनकी तकदीर सुधार देंगे तो इसमें सच्चाई कुछ नजर नहीं आती है। सरकार का सबसे बड़ा काम इसमें यह करने का है कि वह इसको ज्यादा से ज्यादा सुधारे जिससे इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। कोआपरेटिव में जो यह करप्शन पैदा हो गई है वह पूर्व सरकार की देन है। इस क्षेत्र में पूंजी की और अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है—चाहे ग्रामीण आंचलिक बैंक करें, चाहे कर्मशिलय बैंकों के माध्यम से इसको किया जाये।

सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कर्ज उठाने के लिये और उसको चुकाने के लिये सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दोनों जगह उनका शोषण होता है। पंचायत समितियों से और कर्ज दिलाने वाली एजेंसियों से उनका शोषण होता है। जब कर्जा चुकाने के लिए वह जाते हैं तब भी उनका वहां शोषण होता है। मैं चाहता हूं कि किसान के पास जितनी भूमि है, उसके आधार पर उसके लिये एक क्रेडिट लिमिट मुकर्रर होनी चाहिये और फिर उसी के आधार पर पास बुक इशू होनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था करने के बाद वह हर किसी बैंक से कर्जा ले सकें, ऐसी आप व्यवस्था कर दें। कर्जा मिलने का अधिकार उन्हें अवश्य ही मिलना चाहिये। अगर आप इसकी व्यवस्था नहीं कर सके तो किसान कर्जा देने वाले लोगों से शोषित होगा।

कृषि जन्य वस्तुओं के विपणन का सवाल भी बहुत उठाया जाता है। विपणन के लिये आपने कृषि युक्त मंडियों के विकास की व्यवस्था की थी व मार्किटिंग बोर्ड बनाये। इस काम को सुचारु रूप से चलाना होगा और कृषियुक्त मंडियों के माध्यम से किसानों का शोषण न हो और उनको बिचौलिये न लूटें इसको दृष्टि में रखते हुए कुशलता लानी पड़ेगी।

किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिले और तभी वह अपने माल को बेचे इसके लिये भंडारण की व्यवस्था आपने की है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सात लाख टन क्षमता के भंडारण की व्यवस्था हमारे देश में है। परन्तु इसमे किसान का माल मात्र एक परसेंट है। जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसके मुताबिक 7.5 परसेंट माल किसान का उसमें रहता है, बाकी दूसरों का रहता है। यह सोचने की बात है। कृषि मंत्री जी से हमने इस बारे में बात की थी और उनसे निवेदन किया था कि किसानों को भंडारण की सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले।

फसल बीमे के बारे में बहुत से लोग कह चुके हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आयात निर्यात जो होता है, कृषि जन्य चीजों का, उसके प्रति सरकार को सबसे ज्यादा संवेदनशील रहना पड़ेगा, सैन्सिटिव रहना पड़ेगा, किस चीज का कितनी मात्रा में निर्यात करना है, किस माल का कितनी मात्रा में आयात करना है ताकि मांग और सप्लाई में संतुलन बना रहे, यह संतुलन कहीं गड़बड़ाना नहीं चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए, यह संतुलन जहां बिगड़ता है, वहीं

[श्री कल्याण सिंह कालवी]

भ्रष्टाचार फैलता है। वहीं लोगों को मौका मिलता है और उसके साथ ही साथ लोगों का शोषण होता है, उत्पादक को पूरा दाम नहीं मिलता है और उपभोक्ता लूटा जाता है, यह व्यवस्थाएँ होती हैं, मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे हमारे यहां दाल का आयात होता है, क्योंकि हमने दूसरे सारे अनाजों के अन्दर हिन्दुस्तान में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, इसके लिए चाहे विभाग को धन्यवाद देना चाहिए, चाहे किसान को धन्यवाद देना चाहिए परन्तु हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है और तेल के अन्दर आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे, इस पर मैं बाद में आऊगा। परन्तु दालों के अन्दर हमारे उत्पादन में विशेष उतार चढ़ाव नहीं आता। करीब-करीब उसी स्तर पर हम चल रहे हैं, आज दालों का उत्पादन बढ़े, इसका प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा परन्तु दाल की पूर्ति के लिए हम जो आयात करते हैं, उसके ऊपर भी हमको निगरानी रखनी पड़ेगी। हम जो दाल आयात करते हैं, उसका 70-80 प्रतिशत का केवल एक ही परिवार के लोग लाभ उठा रहे हैं या एक ही परिवार ने ठेका ले रखा है, एक एजेन्सी उसके खुद के नाम से है, एक उसकी पत्नी के नाम से है, एक उसके पुत्र के नाम से है, एक उसकी पुत्रवधू के नाम से है, एक उसके साले के नाम से है, एक साले की बहू के नाम से है और 70 प्रतिशत दालों को मंगाकर वह अपने स्टोर में रख लेता है और स्टोरेज का क्लियरेंस 90 दिन के अन्दर-अन्दर करना पड़ता है। कुछ तो कहता है कि मेरे को डिलीवरी देरी से मिली, इसलिए समय बढ़ा लेता है या एक से दूसरे गोडाउन के अन्दर बिका हुआ बताकर वह जितना ज्यादा हिन्दुस्तान के उपभोक्ता का शोषण कर सकता है, वह कर रहा है। आज इसके प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा, विभाग को ज्यादा से ज्यादा मोनेटरिंग करनी पड़ेगी, निगरानी रखनी पड़ेगी कि आज कोई भी व्यक्ति इस तरह अपनी मोनोपली बनाकर, एकाधिकार बनाकर लोगों का शोषण करने का अवसर प्राप्त न कर सके, जबरदस्ती। यह हमको नहीं करने देना है, यह भी हमको सावधेती बरतनी है।

अब मैं अपने इलाके के बारे में छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे इलाके को, जिस इलाके को लोग रेगिस्तानी मानते हैं और मानते हैं कि वहां तो भयंकर धूल उड़ती होगी, मिट्टी उड़ती होगी, मैं कह देना चाहता हूं कि हमारा इलाका इस तरह का नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से तो इतना रिच हिन्दुस्तान का कोई भूभाग नहीं है परन्तु हमारा इलाका आर्थिक दृष्टि से भी उतना गरीब नहीं है, जो गरीब कहते हैं तो उनको अपनी मानसिकता या अपनी मान्यताओं को दुरुस्त कर लेना पड़ेगा। परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि मेरा इलाका सरकार की दोहरी नीति के कारण अभावग्रस्त जरूर रहा है। हमारी राजस्थान सरकार ने उस इलाके के साथ जिस तरह का न्याय उसे करना चाहिए, जिस तरह के विकास के साधन मुहैया कराने चाहिए, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था, वह नहीं कर पाई और यही कारण है कि वह इलाका आज अभावग्रस्त है परन्तु वह इलाका अपने हिसाब से तरक्की कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि दो हाथों को काम देने की, ग्रामीण विकास की हम बात करते हैं तो वहां उन पर, बकरी की चट पर, भेड़ के बालों के ऊपर और ऊंट के बालों पर हाथ से कशीदे के ऊपर 30 करोड़ के आसपास अपने यहां का माल हमने बाहर भेजा है, जब यह आंकड़े बताते हैं तो लोगों को ताज्जुब होता है, लोग विश्वास नहीं करते परन्तु यही कारण है कि हमारा इलाका खुशहाल होता जा रहा है।

आज हमारे यहां जीरा उत्पादन के अन्दर, यह कृषि विभाग सुन रहा है, देश के अन्दर पैदा होने वाले 60 प्रतिशत जीरे को हमने बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सांचौर के अन्दर उत्पादन किया

है पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जीरे के विपणन की व्यवस्था हमारे यहां आज तक नहीं है। आज मण्डी के लिए हमको गुजरात जाना पड़ता है, ऊंझा जाना पड़ता है, हमारे उत्पादित माल को ऊंझा जाकर बेचना पड़ता है, यह हमारे किसान को भुगतना पड़ता है और इसके लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, बाहर ले जाने का सर्टिफिकेट लाओ, लाइसेंस लाओ, परमिट लाओ, आगे मण्डी में जाओ, मंण्डी के अन्दर माल पड़ा है, पैसे नहीं मिले, यह सारी तरह की असुविधाएं उसको भुगतानी पड़ती हैं।

हमारे यहां एक घोड़ा जीरा होता है, उसको इसबगोल कहते हैं लेकिन हमारी लोकल भाषा में उसको घोड़ा जीरा कहते हैं। देश के अन्दर पैदा होने वाले 75 प्रतिशत इसबगोल को हमने पैदा किया है परन्तु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि एक्सपोर्ट की जो मिनिमम प्राइस मुकर्रर की जाती है, वह कीमत मुकर्रर हो गई, किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता, बिचौलिया उस किसान से उस माल को खरीद रहा है और अपने पास रखकर वह भेजेगा और सारा नफा बिचौलिया कमाएगा लेकिन जो उत्पादन करने वाला है, जिसने 5 महीने तक अपने खेत पर मेहनत की है, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आज इस बारे में भी हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। आज प्राथमिकता देने के लिए आपको मापदण्ड बदलना पड़ेगा। अभी तो बैनीफिट कास्ट रेश्यो पर काम कर रहे हैं, जैसे हमें सैण्ट्रल ग्रिड से बिजली मिलेगी, तो बिजली इस आधार पर मिलेगी कि हमने पिछले साल में कितनी कंज्यूम की, उपभोग की। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह इलाका हमारा पिछड़ा हुआ है, तो हमने कम ही कन्ज्यूम की होगी, उपभोग में कम लाए होंगे। उसके आधार पर आप कॉस्ट आफ रेशो लागू करोगे तो उसके लिए तो हम फिट नहीं होंगे। इसलिए उन सारी चीजों को मानवीय आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। पिछड़े हुए इलाके के दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। उस इलाके के विकास के लिए हमको काम करना है और काम करने के लिए आपको काम करना होगा। इस निमित्त मैं यहां पर रेलवे मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे यहां पर जो माल पैदा होता है, राजस्थान कैनाल हमारे यहां आ गई, इंदिरा कैनाल आ गई, गंगा नहर आ गई और उन इलाकों मे पैदावार ज्यादा बढ़ गई, वहां बड़ी लाइन नहीं थी, जिससे हमारी पैदावार को बाहर भेजा जा सके। जब वहां जुलाई के महीने में कई बार बर्षा हो जाती है तो हम अपनी पैदावार को हटा नहीं पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं, इसलिए बड़ी लाइन से तो हम को लाभ होगा। इसके लिए तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरह के परिबहन के सारे जो साधन हैं, वे आपको मुहैया कराने पड़ेंगे। इसके साथ-साथ जो पानी जाता जा रहा है, उससे फसल बढ़ेगी, उसके साथ-साथ सारी की सारी व्यवस्थायें हो जायें।

मैं बिजली के उत्पादन की बात कहना चाहता हूं। बिजली के उत्पादन को आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हमारे इलाके में बिजली उत्पादन की बहुत गुंजाइश है। आज पन-बिजली और ताप बिजली की चर्चा है। हमारे इलाके में लिग्नाईट प्रचुर मात्रा में मिल चुका है। इसलिए लिग्नाईट के आधार पर बिजली घर स्थापित किए जाने चाहिए। यह हमारे इलाके में हो सकता है। इसके साथ ही हमारे यहां एक अणु बिजली घर मिला हुआ है, यदि वहां पर इसका एक और यूनिट लगा दिया जाए तो राजस्थान की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकता है। बिजली उत्पादन के तीन और साधन मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे यहां पर गैस पर्याप्त मात्रा में मिली है। गैस पर आधारित बिजली पैदा की जा सकती है। इसी प्रकार हमारे यहां पर तेल मिल चुका है, इम्फिरियर क्वालिटी का तेल है। बिजली उत्पादन के अन्दर क्रूड ऑयल की जगह

[श्री कल्याणसिंह कालवी]

पर वह तेल काम में लाया जा सकता है और लाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरह से सूर्य ताप से भी बिजली पैदा की जा सकती है। राजस्थान में तो करीब-करीब सारे इलाकों में पैदा की जा सकती है। इस पर थोड़ा सा लागत खर्च अधिक होता है, तो उस इलाके की तकदीर को बदलने के लिए, उनका विकास करने के लिए यदि थोड़ी बहुत लागत खर्च ज्यादा होता है तो सरकार को करना चाहिए। बाहर तो इतनी टैक्नीक डवेलप हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, उस तकनीक के आधार पर इस तरह की व्यवस्थायें करने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां पर पानी बहुत है, लेकिन हम उस पानी का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जितना पानी सारे देश के अन्दर है, उसका हम सात प्रतिशत उपयोग करते है। हमारे राजस्थान में नहर बनी है, उस नहर का पानी 70 प्रतिशत उपयोग में आना चाहिए, लेकिन हम 27.4 प्रतिशत ही उपयोग कर पा रहे हैं। यह भी एक चिन्ता का विषय है और इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर खाद्य का वितरण को-ओपरेटिव्स के माध्यम से किया जाता है, ताकि करप्शन को मिटाया जा सके। को-आपरेटिव सबसे बड़ी एजेंसी है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सब्सिडी देने की योजना है, मिनि-किट देने की योजना है, मैं इसके मूलतः पक्ष में नहीं हूं। न हमको सब्सिडी देने की आवश्यकता है, न मिनि-किट देने की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है मिनि-किट समय पर मिले, खाद समय पर मिले, चाहे कर्ज के रूप में मिले और कर्ज हम वापिस चुका देंगे। इस काम को सरकार को समय पर करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो मिनि-किट मिल रही है, मान लीजिए जैसे गुजरात में मिलती है तो यह राजस्थान में आकर बिक जाती है, राजस्थान में मिलती है तो वह हरियाणा में आकर बिक जाती है और हरियाणा में मिलती है तो कहीं ओर जाकर बिक जाती है। यह सारा काम हकीकत में हो रहा है। इसको हमारी सरकार रोकना चाहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार स्वच्छ सरकार है। कांग्रेस शासन में जिस तरह की व्यवस्था कायम हो गई थी, उन सारी व्यवस्थाओं को आपको मिटाना पड़ेगा। यह मैंने आपसे पहले ही कहा कि सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को पूंजी मिलनी चाहिए और समय पर मिलनी चाहिए। जो सब्सिडी आप देते हैं, उसके बटवारे हो जाते हैं, भाई-बंटे हो जाते हैं। मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं आपको औजारों के बारे में कहना चाहता हूं। एग्रो इन्डस्ट्री कारपोरेशन्स के जरिए औजार दिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह करीब-करीब सब फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। इस प्रकार की चीजों से विभाग के ऊपर भार रहे, लोगों के ऊपर भार रहे, इसलिए इस तरह के भार से लोगों को मुक्त करना चाहिए। औजारों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने जो औजार बनाए थे, वे औजार बिहार में बिक नहीं रहे थे, चूंकि वे बिक नहीं रहे थे इसलिए उन औजारों को जबरदस्ती पंचायत समितियों को दे दिए, जिला परिषदों को दे दिये। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में यह करोड़ों रुपये का लोहा जगह-जगह पर पड़ा है। उसमें से कितनी छीजत हो गयी, कितना गुम हो गया, कितना चला गया, इसकी न तो विभाग को जानकारी है और न उसने यह जानकारी करने की कोशिश की है। विभाग यह सारा का सारा काम कर सकता था।

बीज की बात है। बीज किसानों को अच्छा से अच्छा मिले, इसके लिए हमें सब से अच्छी कुशल एजेंसी विकसित करनी पड़ेगी। गेहूं का अच्छा बीज विकसित करने के लिए कृषि विभाग ने अच्छा काम किया है। उसके लिए वह बधाई का पात्र है। लेकिन दूसरी तरह के जितने भी बीज हैं उनको विकसित करने में वह अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। सरसों का बीज है। हमारे यहां सरसों से 35 से 37 प्रतिशत तक ही तेल निकलता है जबकि विदेशों के अन्दर सरसों से तेल लेने की क्षमता 44-45 प्रतिशत तक है। विदेशों में सरसों के इस तरह के बीज विकसित कर लिये गये हैं कि तेल के अन्दर जो हीक होती है, एसिड होता है उससे उसको मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने तेल की ज्यादा पैदावार करने की क्षमता बढ़ा ली है। विदेशों में 17 परसेंट हमसे ज्यादा पैदावार होती है। तेल में 6-7 परसेंट ज्यादा पैदावार होती है। इस तरह के बीजों को हमारे यहां लाना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल विदेशी नीति के आधार पर हिन्दुस्तान चलता रहा तो आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। आपको तीन चीजें एक साथ सोचनी पड़ेंगी। हमारे यहां जो किसान है उसके अनुभूत ज्ञान के आधार पर, आपके टेक्नीकल नो हाऊ के साथ, भौगोलिक और इकोनोमिक कंडीशंज में समन्वय बिठा कर के जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं करेंगे तब तक पूरा लाभ नहीं मिल पायेगा जितना कि मिलना चाहिए।

प्राकृतिक विपदाओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, पाला पड़ जाता है, ये सारी की सारी विपदाएं हमारे देश के अंदर आती रहती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इनके बारे में मानवाधार पर नहीं सोचा जाता है। इनका राजनीतिकरण कर दिया गया है। वोट लेना है तो अकाल राहत कार्य खुल गये, बाढ़ राहत कार्य खुल गये। बाई इलेक्शन होना है तो जिले के अंदर राहत कार्य खोल दो। राहत कार्यों को वोट लेने की एजेंसी के रूप में बना दिया गया है। इन राहत कार्यों से हमारे देश के अंदर जितनी अकर्मण्यता आयी है उतनी किसी और चीज से नहीं आयी है। इस पर हमें गहराई से सोचना पड़ेगा। राजस्थान में अकाल पर जितना पैसा खर्च हुआ है अगर उससे रेगिस्तान में ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाती, नहरों से पानी लाने की समुचित व्यवस्था कर दी जाती, नहरों के निर्माण के अंदर से भ्रष्टाचार को अगर गायब कर दिया जाता तो आज हमारी कायापलट हो गयी होती, सारा इलाका उन्नत हो गया होता। लेकिन ये सारी बातें नहीं हो सकीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के मसले के पुख्ता हल ढूंढ़ने और इसका मानवीकरण करने की आवश्यकता है।

वन नहीं कटें, इन के लिए हमें गैर-परम्परागत स्रोतों को विकसित और उपलब्ध कराना पड़ेगा। तभी वनों की रक्षा हो सकेगी। वनों में रहने वाले व्यक्ति का पेट भरने का तरीका भी विकसित होना चाहिए। वन ठेकेदार या दूसरे लोगों के पेट भरने का जरिया नहीं हैं। इसके बारे में आपको गहराई से विचार करना पड़ेगा।

देश के अन्दर एक बार हरित क्रांति आयी। उसके आने से किसान के एक सेक्शन को बहुत बड़ा लाभ हुआ। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के अंदर दूसरी बार हरित क्रांति लायी जाए। देश के अंदर श्वेत क्रांति लायी जाए। देश के अंदर लोगों को पेट भरने के लिए पर्याप्त दूध मिले, पौष्टिक आहार मिले। उसी तरह की हरित क्रांति ला कर के देश की तकदीर को बनाया जाए जिससे कि खेती की लाभप्रद क्षमता बढ़े। देश का उत्पादन बढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि

[श्री कल्याण सिंह कालवी]

किसान को बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले, खेती के लिए भ्रष्टाचार रहित वितरण की व्यवस्था हो, बीज अच्छे से अच्छा मिले। अनुसंधान की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जोह दी जाए। अनुसंधान के जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी जानकारी किसान को जल्दी से जल्दी पहुंचे। इन सारी चीजों की किसान आवश्यकता महसूस कर रहा है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग को तैयार रहना चाहिए। इनकी पूर्ति को एक चुनौती के रूप में विभाग को एक्सेप्ट करना चाहिए। इन सब की पूर्ति का जिम्मा हमारे वैज्ञानिकों और टेक्नीकल लोगों का है। अगर हमारा विभाग इन चीजों को कर सका तो निश्चित रूप से देश का कायापलट हो जाएगा, इस देश की तकदीर पलट जाएगी।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करती हूं। साथ ही मैं ऐसी कुछ विसंगतियों और विरुपीकरण की ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं जिनमें तुरंत ही सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

यह विषय हमारी जनसंख्या के कम से कम 80 प्रतिशत भाग से सम्बन्धित है और हमारे देश की आर्थिक सम्पन्नता हमारे जल संसाधनों के विकास पर निर्भर है।

इन पर वर्षों में हमने किसानों के हित के लिए किये गये अनेक अच्छे कार्यों के बारे में कांग्रेस को बातें बनाते सुना है। वास्तव में इसने कुछ भी नहीं किया है। इन वर्षों में कुल सिंचाई क्षेत्र में मात्र 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। वर्ष 1987 के अन्त में कुल सिंचाई क्षेत्र सिर्फ 30.7 प्रतिशत था जबकि कृषि योग्य भूमि का 69.3 प्रतिशत अभी भी शुष्क है और इनमें अच्छी फसल नहीं होती है।

हमारे माननीय मित्र श्री धर्मपाल सिंह गुप्त ने 26-3-1990 के अपने बजट भाषण में आर्थिक सर्वेक्षण का उद्धरण देते हुए इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था :

> "वर्ष 1965 में कुल खाद्यान्न की उपलब्धता 480.1 ग्राम प्रतिदिन थी। इसमें से 61.6 ग्राम दालों की और 418.5 ग्राम अन्य अनाजों की थी। वर्ष 1989 में अर्थात् 25 वर्ष बाद इन आंकड़ों में गिरावट आयी है अर्थात् दालों का उपभोग घट कर 40.4 ग्राम और अन्य अनाजों का 456 ग्राम हो गया जिससे प्रति व्यक्ति उपलब्धता में केवल 1.5 तोला की वृद्धि हुई। यदि आप समृद्ध और विशिष्ट वर्ग के अपव्यय पर विचार करें तो उसके तुल्य भी खाद्यान्न उन्हें प्रदान नहीं किया गया है।"

ऐसा कहा जा सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इस कारण कुछ दवाब भी उत्पन्न हुआ है। यह भी बहुत हद तक हमारी खराब सिंचाई नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए हम इस 'ग्रामीणोन्मुख' सरकार से इस नीति में सुधार लाने की आशा करते थे। मुझे यह देखकर निराशा हुई है कि वर्ष 1990-91 के बजट योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत सिर्फ 223 करोड़ रुपये ही निर्धारित किये गये हैं जो कि विगत कांग्रेस(ई) बजट से सिर्फ 30 करोड़ ही अधिक है। यह 39,329 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय, का सिर्फ 0.567 प्रतिशत है।

भारत सरकार द्वारा मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के लिए निवेश और तकनीकी स्वीकृति दी जाती है लेकिन कुछ को छोड़कर अधिकांश मामलों में धनराशि की स्वीकृति राज्य सरकारों की है। मैं समझता हूं यह पूरी तरह से उचित नहीं है। अधिकांश नदियां अन्तर्राष्ट्रीय हैं और सभी नदी के बेसिनों का विकास जो कि उनके ऊपरी बहाव और तलीय जल से सम्बन्धित है, उसे मास्टर प्लान के आधार पर किया जाना चाहिए जो केन्द्र सरकार और वर्ष 1987 में घोषित राष्ट्रीय जल नीति में प्रस्तावित कुछ नदी बेसिन प्राधिकरणों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

मानसून सत्र के दिनों में अधिकांश नदी बेसिनों में अत्यधिक जल प्रवाह रहता है और उस जल को कम जल वाले क्षेत्रों में ले जाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में भी केन्द्र द्वारा कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिये जाते समय सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर जोर दिया जाना चाहिए जैसा कि वर्ष 1968-70 के गाडगिल फार्मूले में कहा गया है। नये फार्मूले में इसका उल्लेख नहीं है और इसे इसमें शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को दी जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता का दस प्रतिशत सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को दिया जाना चाहिए और इसे कुछ साधनों के द्वारा जैसे विद्युत वित्त निगम—सिंचाई वित्त निगम द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि कुछ बड़ी परियोजनाओं को सहायता मिल सके और जल्दी ही उन्हें पूरा किया जा सके।

2.54 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कृपया इन बढ़ती हुई लागतों पर ध्यान दीजिए जिस कारण ये परियोजनायें हमारी पहुंच से बाहर हो रही हैं और हमारे लिये ये एक सपना मात्र होकर रह गई हैं।

उदाहरणस्वरूप हम राजस्थान को लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I और चरण-II की प्रारम्भिक अनुमानित लागत 66.46 करोड़ रुपये थी। आज इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I की लागत 66 46 करोड़ रुपये है, चरण II की 89.12 करोड़ रुपये है और इन दोनों की उद्यतम संशोधित लागत 258 करोड़ रुपये और 1,430 करोड़ रुपये है। जाखम परियोजना जिसकी लागत 2.33 करोड़ रुपया थी अब 71.27 करोड़ रुपया हो गयी है। माही बजाज सागर परियोजना जो कि 31.66 करोड़ लागत की थी आज 217.68 करोड़ रुपए की हो गयी है। क्या हम इस लागत वृद्धि को वहन कर सकते हैं ? यदि यह रवैया जारी रहा तो क्या हम राजस्थान जैसे राज्य को आत्मनिर्भर बना सकते हैं ?

अनेक अन्तर्राज्यीय नदियों के मुद्दे भारत सरकार के पास लम्बित पड़े हैं जिनसे व्यापक सिंचाई क्षमता निहित है; इसमें से कम-से-कम तीन या चार राजस्थान से सम्बन्धित है। मैं संक्षेप में इनकी चर्चा करता हूं।

सबसे पहले यमुना नदी विवाद है। यह वर्ष 1974 से लम्बित है। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आते हैं। कावेरी नदी विवाद, जिसकी चर्चा इस सभा में अनेकों बार की गयी है और जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पॉडिचेरी राज्य आते हैं, वर्ष 1958 से लम्बित है। तेलगू गंगा परियोजना जल विवाद, जिसमें कि आन्ध्र-प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य आते हैं, वर्ष 1983 से लम्बित है। रावी-व्यास, जिसके

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

अन्तर्गत नोहर और सिदमुख परियोजनायें हैं और जिसके अन्तर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर तथा दिल्ली आते हैं, बहुत लम्बे अर्से से लम्बित है । माही बजाज जल विवाद, जिसके अन्तर्गत गुजरात और राजस्थान राज्य आते हैं वर्ष 1980 से लम्बित है। राजस्थान गंगा नदी के बाढ़ के अतिरिक्त जल का 12 एन०ए०एच० मांग रहा है। और यह विवाद भी काफी अर्से से लम्बित पड़ा है ।

प्रशासनिक लागत और परियोजना लागतों के बढ़ने से कृषि उत्पाद प्रभावित होते हैं और इससे आयात में वृद्धि होती है। कोई भी विकासशील अर्थव्यवस्था इसे वहन नहीं कर सकती है।

अब हम राजस्थान के लिए सिंचाई क्षमता से सम्बन्धित सरकारी आंकड़े देखें।

पूर्व योजनावधि में सिंचाई क्षमता 0.32 मि० हेक्टयर थी । वर्ष 1951-85 की योजनावधि के दौरान यह 1.39 मि० हेक्टयर थी। सातवीं योजना 1985-90 में 0.39 मि० हेक्टयर का लक्ष्य था और 0.21 मि० हेक्टयर का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है । सातवीं योजना के अन्त में 1.92 मि० हेक्टयर क्षमता सृजित किये जाने की सम्भावना है।

यह 0.05 मि० हेक्टयर प्रतिवर्ष से कम है और 0.25 मि० हेक्टयर प्रति 5 वर्ष से कम है। यदि हम योजना पूर्व अवधि की 0.32 मि० हेक्टयर क्षमता हटा दें तो यह 0.04 मि० हेक्टयर प्रतिवर्ष (1951-90) के लगभग है जो कि 0.02 मि० हेक्टयर प्रति पांच वर्ष है।

आठवीं योजना में 0.68 मि० हेक्टयर को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जो कि विगत चालीस वर्षों का तीन गुना से अधिक है। यह थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, वास्तव में मुझे तो यह थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही अधिक कठिन प्रतीत होता है। और यदि यह स्थिति राजस्थान के सम्बन्ध में है तो मैं पूरे आंकड़े देखना ही नहीं चाहूंगा।

राजस्थान के बंजर और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए सिंचित कृषि समय की मांग है। भूमिगत जल जो कि बड़े पैमाने पर निकाला जा रहा है और जिसके पुनर्भरण की संभावना बहुत ही कम है, को पुन: भरने के लिए बड़ी और मध्यम स्तर की परियोजनायें आवश्यक हैं। इस राज्य में, जहां 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है और 72 प्रतिशत आबादी कृषि कर रही है, देश के जल संसाधन का सिर्फ 1 प्रतिशत है। हम इस बार बार पड़ने वाले भयंकर आकाल का सामना करते रहे हैं जिसके कारण वहां का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, और वहां के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यहां हम सिंचाई के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है।

राजस्थान में योजनाबद्ध और यथार्थपरक जल नीति के अभाव में हमारी स्थिति मृतकों जैसी है।

मैं यहां लम्बे अर्से से लम्बित पड़े मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने का अनुरोध करता हूं और विशेष रूप से राजस्थान में इन परियोजनाओं के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध करता हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि न्यायाधिकरणों और न्यायालयों पर भरोसा करने की अपेक्षा, जो कि इन विवादों को निपटाने में अत्यधिक समय लगाते हैं, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निपटाये जाने के लिए एक आपातकालीन योजना बनायी जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी

मेरे अनुरोध को यथाशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे ताकि इस मामले को युद्ध स्तर पर लिया जा सके और इसके लिए अधिकतम छः महीने का समय निर्धारित किया जा सके। इसे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता सूची में रखा जाना चाहिए। हमें अब महसूस करना चाहिए कि सिंचाई और जल संसाधन राष्ट्र के लिए जीवनोपयोगी है और इसे उचित महत्व प्रदान किया जाना चाहिये।

अपने विचारों को प्रकट करने हेतु समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि इन कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तथा राजस्थान के लिए और पूरे भारत वर्ष के लिए इस वर्ष नीतियों में कुछ परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाए तो मैं बहुत ही आभारी होऊंगा।

3.00 म०प०

[हिन्दी]

डॉ० दौलतराव सोनूजी अहेर (नासिक) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और जल संसाधन विषय पर मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होता तब तक इस देश की उन्नति नहीं होगी। किन्तु 40 साल तक सरकार की उल्टी नीतियों के कारण ग्रामीण भागों का विकास नहीं हुआ। 70 प्रतिशत लोगों के लिए केवल 30 प्रतिशत बजट का भाग इस्तेमाल किया गया और 30 प्रतिशत लोग, जो नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए 70 प्रतिशत बजट का भाग इस्तेमाल करने के कारण असंतुलन बढ़ गया। इसके कारण खेड़े उजाड़ हो गये तथा शहरों में झुग्गी-झोपड़ियां और झोपड़-पट्टी बढ़ गयीं।

इलैक्शन के दौरान आज के उप-प्रधान मंत्री श्री देवी लाल जी ने ऐलान किया था, नारा लगाया था कि हम हर खेत को पानी देंगे और हर हाथ को काम देंगे। देहात के लोगों ने खास करके किसानों ने जनता-दल को समर्थन दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा की थी कि 10 हजार तक का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आज सात महीने हो गए हैं, 10 हजार तक का कर्जा माफ करने का जो फार्मूला है वह फार्मूला अभी तक सही मायने में जनता के सामने नहीं आया। किसानों के मन में हलचल मची है और विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है। इस कारण महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और सहकार मंत्री अनशन पर बैठने वाले हैं। कम से कम सात महीने हो गए हैं, दो महीने के दरमियान यानि नौ महीने होने पर जनता दल की सरकार एक फार्मूला बनाए और 10 हजार तक का कर्जा माफ करे।

खेती उपजाने के लिए जो खाद लगती है, अच्छा बीज लगता है उसके दाम भी काबू में रखें। उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में जो गन्ना उत्पादक हैं उनके ऊपर भारी संकट आया है। वास्तव में भारत में चीनी का उत्पादन 80 से 90 लाख टन है। इसमें से महाराष्ट्र राज्य 30 लाख टन चीनी पैदा करता है। 30 प्रतिशत चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। इस साल सरकार के नियोजन कार्यक्रम की वजह से गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा है। कड़ी धूप के कारण फसल खराब होती जा रही है। गन्ने की कटाई पूरी होगी या नहीं इसमें सन्देह है। 15 मई के बाद गन्ना काटने वाली लेबर अपनी गांव लौट जाती है। इस हालत में किसानों को विशेष लाभ देना बहुत जरूरी है। भारत सम्पूर्ण मात्रा में चीनी पैदा नहीं कर पाता। भारत की आबादी के लिए 201.5 लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है। 13 से 15 लाख टन चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ती है। एक लाख टन चीनी इम्पोर्ट करनी होगी तो प्रचलित बाजार भाव से 90 करोड़ रुपया विदेशी

[डा० दौलतराव सोनूजी अहेर]

मुद्रा के रूप में देना पड़ता है। यदि एक लाख टन हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले हमें सिर्फ 60 करोड़ रुपये मिलते हैं। इस हालत को देखें तो गन्ने की फसल के बारे में अगर केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों को दिलासा देना हो तो उसके लिए स्कीम बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र शासन ने केन्द्र शासन को प्रस्ताव दिया है कि जो गन्ना एक अप्रैल के बाद आये और जो उससे चीनी पैदा होगी उसके लिए 100 प्रतिशत शुगर फ्री सेल कर दी जाये इससे किसानों को ज्यादा भाव मिल सकेगा। एक लाख टन चीनी का उत्पादन अगर किया तो केन्द्र शासन को साढ़े चार करोड़ रुपये आवकारी शुल्क के रूप में मिलते हैं। मैं केन्द्र शासन को निवेदन करता हूं अगर वह किसानों को मुनाफा देना चाहती है तो उन्हें इसमें से सब्सिडी दी जाये। इससे हमारे किसान केन्द्र शासन को दुआ देंगे। महाराष्ट्र के कारखानों को सम्पत्त कमीशन द्वारा काफी लाभ होता है मेरी मांग है कि इसकी मुद्दत और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कारखाने अच्छी तरह से चलाने हैं तो जो कार्यक्षेत्र से बाहर से गन्ना लाना पड़ता है और उसको लाने के लिए कम से कम 150 रुपये टन खर्चा होता है वह केन्द्र शासन वहन करे। चीनी का उत्पादन ज्यादा करने के लिए केन्द्र शासन ने महाराष्ट्र में 24 नए कारखानों को इरादा पत्र दिया है। लेकिन जो राष्ट्रीय विकास निगम है उसकी नीति टांग अड़ाने की है। उनकी नीति राज्य शासन की जो राशि दी जाती है उसको पहले अदा करने की है, लेकिन उसके कारण राज्य शासन के आर्थिक नियोजन में बाधा आयेगी। राष्ट्रीय विकास निगम राज्य शासन को वह राशि समप्रमाणिकता पर वितरित करे तो वह प्राब्लम नहीं आयेगी। एक साल में राष्ट्रीय विकास निगम ने राज्य शासन की राशि के लिए केवल दो कोटि का प्रबन्ध किया है। मेरी मांग है कि आठवीं योजना में सवा सौ कोटि का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे जो इरादा पत्र केन्द्र शासन ने दिया है वह पूरा हो सके और वह 24 कारखाने शुरू हो सकते हैं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं उसमें प्याज बड़े पैमाने पर पैदा होता है। देश में तीस लाख टन प्याज की पैदावार होती है उसमें से आठ से दस लाख टन नासिक जिले में पैदा होता है और देश के कोने-कोने में भेजा जाता है। लेकिन प्याज के वितरण के बारे में शासन की कोई अच्छी नीति नहीं होने के कारण हमारे किसानों को हर साल दिसम्बर से मई तक जो प्याज पैदा होता है उसका सही भाव उन्हें नहीं मिलता है जिसके कारण वे कई बार आन्दोलन करने को मजबूर होते हैं। इसके निर्यात के बारे में भी कोई अच्छी नीति बनाने की जरूरत है। नाफेड जो चैनेलाइजिंग एजेंसी है उसका व्यवहार हमारे यहां बोफोर्स जैसा है। नैफेड किसानों के लिए कुछ नहीं करती। लेकिन जब निर्यात करने की बात आती है तो वह चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा कार्य किया जाता है और वह इस पर अपना कमीशन लेती है और करीब पांच प्रतिशत कमीशन लेती है। कुछ न करने के बावजूद भी उनको पांच करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। मेरी सरकार से मांग है कि निर्यात को खुला करना चाहिए और हरेक को इसकी प्रमिशन मिलनी चाहिए। केवल प्याज पर नेफेड को 5 परसेंट कमीशन मिलती होगी तो यह सही बात नहीं है। अगर यह कमीशन 5% से 1% कम कर दी जाये तो किसानों को कम से कम 15/- रु० क्विंटल ज्यादा दाम मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि गये साल केन्द्र शासन ने ट्रांसपोर्ट एक्ट लागू किया है जिससे जो ट्रक 13 से 15 टन माल ले जा सकता था, अब वह साढ़े नौ टन माल ले जा सकता है और उसकी वजह से नासिक से दिल्ली तक ट्रक जाता है उससे 13-15 टन के लिए 4500/- रु० खर्च आता था लेकिन अब इस एक्ट के कारण साढ़े नौ टन के लिए साढ़े पांच और छः हजार रुपये तक खर्च आता है। अतः यह जरूरी है कि इस एक्ट को रिवाईज करने की जरूरत है। इससे किसानों पर 95/- रु० क्विंटल का भार और बढ़ गया है। इसलिए इस कानून को रिवाईज किया जाये नहीं

तो बोफोर्स की दलाली की तरह ही यह काम हो जायेगा। किसानों को ज्यादा प्याज उगाने के लिए 30/- रुपये प्रति क्विटल के भाव ज्यादा मिल सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि किसानों को सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा और न ही आन्दोलन करने की जरूरत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि रेलवे वैगन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए सिस्टम बढ़ाना चाहिए। डिमांड बढ़ने पर वैगन्स भी ज्यादा मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में दूध का उत्पादन, विशेषकर गाय के दूध का उत्पादन 35% होता है। महाराष्ट्र का दूध व्यवसाय शासकीय और सहकारी माध्यम से होता है। शासकीय दूध योजना में 25 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय दूध विकास निगम की गलत नीति के कारण महाराष्ट्र की दूध सोसायटी-शासकीय दूध योजना को कर्जा पूरा नहीं मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत दूध का पॉवडर और मक्खन तैयार होता है। इसकी वजह से ······

उपाध्यक्ष महोदय : आप सारे हिन्दुस्तान को सामने रखकर बोलिए।

डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : अपने महाराष्ट्र का सवाल है। इस दूध व्यवस्था के कारण किसान भारी संकट में हैं। महाराष्ट्र राज्य में 12 हजार मीट्रिक टन दूध पॉवडर और 4 हजार मीट्रिक टन मक्खन तैयार होता है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने ······

उपाध्यक्ष महोदय : असेम्बली में भी इस विषय पर चर्चा होती है।

डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : यह सरकारीकरण हुआ है उसको रोकने की जरूरत है। महाराष्ट्र में केवल 12 टके सिंचाई क्षेत्र है और सिंचाई के जो भी प्रकल्प हैं, वे पूरा करने के बाद केवल 32 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। इसलिए केन्द्र शासन से प्रार्थना है कि लिफ्ट और डीप इरीगेशन की जो योजना है, उससे दो से तीन गुना सिंचाई क्षेत्र बढ़ सकता है और इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि शासन इसके बारे में ख्याल करेगा और देश में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई क्षेत्र कैसे हो, इसके लिए प्रयास करेगी।

[अनुवाद]

***श्री भू० विजयकुमार राजू** (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु सुव्यवस्थित कार्यक्रम क्रमबद्ध कार्यक्रमों की शुरूआत से हुआ था। इससे देश में खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 17·2 करोड़ टन हो गया है। भाखड़ा, ब्यास हीराकुण्ड, रामगंगा तथा नागार्जुन सागर जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं गंगा, यमुना, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा तथा गोदावरी जैसी प्रमुख नदियों पर बनाई गई थीं। जिसके फलस्वरूप सिंचित कृषि क्षेत्र को हम यथा सम्भव बढ़ा सके। इस दृष्टिकोण से भारी लाभ हुआ है जैसे कि देश खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो गया है। परन्तु साथ ही हमें कुछ यथार्थवादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि पानी का असमान वितरण। हम सभी सिंचित क्षेत्रों में अपनी प्रमुख परियोजनाओं के द्वारा वांछित अनुपात में पर्याप्त पानी सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं। हम सभी क्षेत्रों में सभी फसलों को सुनिश्चित जल पूर्ति करने में सफल नहीं हो पाए हैं। हमारे अनुभव से यह ज्ञात होता है कि जहां ऊपरी क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी का दुरुपयोग होता है वहीं निचले क्षेत्रों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में 1130 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी उपलब्ध

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री विजय कुमार राजू]

कराने के लिए 44,000 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे। पानी की उपलब्धता तथा उपयोग के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की सहायता से किए गए अध्ययन में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों ने बहुत प्रगति की है। परन्तु महोदय हमें यह मानना पड़ेगा कि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाई हैं और इसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत कई गुणा बढ़ गई है। यहां तक कि आज स्वतन्त्रता के 42 वर्ष बाद भी मद्रास जैसे शहरों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद में भी लोगों को तीन दिन में एक बार पानी मिलता है। विभिन्न उद्देश्यों जैसे घरेलू, औद्योगिक, कृषि, जल विद्युत तथा नौकायन के लिए पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने मार्च 1989 तक लगभग 28 लाख किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया था। वर्ष 1990-91 तक पूरे देश में ऐसे सर्वेक्षण कर लिए जायेंगे। महोदय, वार्षिक प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि सातवीं योजना अवधि में 2000 करोड़ रुपये खर्च करके 13.5 मिलियन हैक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों को बाढ़ से बचाने हेतु उपाय सुझाने के लिए बाढ़ प्रबन्ध समितियों का गहन किया गया है। देश में अन्य राज्यों में भी ऐसी समितियां गठित की जानी चाहिए ताकि पूरे देश को बाढ़ से बचाया जा सके। महोदय सरकार को बाढ़ प्रबन्ध में अधिक रुचि दिखानी चाहिए। मार्च, 1989 तक बाढ़ प्रबन्ध हेतु किए गए कार्य इस प्रकार र :

(क) तट बन्ध	—	15467 किलोमीटर
(ख) जल निकासी के लिए नालियां	—	30199 किलोमीटर
(ग) नगर संरक्षण कार्य	—	765
(घ) गांवों को उठाने संबंधी कार्य	—	4705

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, 1989-90 के दौरान बाढ़ नियन्त्रण तथा बहु-उद्देशीय उपयोग हेतु 27 परियोजनाओं जिनमें 21 नई तथा 6 संशोधित परियोजनाएं हैं, पर विचार किया गया और 10 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करने हेतु 2400 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय स्वीकार किया गया। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना होगा। अन्यथा लागत में वृद्धि देश को बहुत भारी पड़ेगी। महोदय सुरक्षापायों के नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपए बरबाद किये जा रहे हैं।

प्रत्येक बाढ़ के मौसम में हजारों हैक्टेयर भूमि बाढ़ में डूब रही है जिससे फसलों को भारी क्षति होती है और करोड़ों रुपये की बरबादी होती है। बाढ़ पर लगातार खर्च से बचने तथा फसलों को भारी क्षति से बचाने के लिए परियोजनायें शुरू की जानी चाहिए ताकि बाढ़ की समस्या का स्थाई समाधान किया जा सके।

1989 में भारी बाढ़ के कारण आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इन राज्यों में कुल क्षति का यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 100 लाख एकड़ भूमि बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। लगभग 2000 व्यक्ति और 75 हजार पशु मारे गये थे। सम्बन्धित राज्यों द्वारा लगाया गया क्षति का अनुमान लगभग 2380 करोड़ रुपये है। वर्ष 1977, 1983, 1986 और 1989 में आई बाढ़ से आन्ध्र प्रदेश बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

महोदय, इन सभी वर्षों में आन्ध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। आजादी के बाद गोदावरी डेल्टा में सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई विकास नहीं हुआ है।

यद्यपि ध्वलेश्वरम में अधिक पानी एकत्र करने हेतु एक बांध बनाया गया था तथापि सिंचाई व्यवस्था का विकास कतई नहीं किया गया। सम्पूर्ण सिंचाई जल वितरण व्यवस्था का तत्काल आधुनिकीकरण करना होगा। पुरानी नाली व्यवस्था अभी तक जारी है। जल निकासी-व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है। नदी बांधों की दशा बहुत खराब है। प्रमुख नालों में गाद जमी हुई है। मध्यम तथा छोटे नालों का नामों निशान ही नहीं है। अतः समस्त गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के आधुनिकीकरण हेतु तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। महोदय, हमें पानी के बेहतर उपयोग के लिए हरएक कदम उठाना होगा। हमारे पास प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनायें, भूमिगत जल और बर्फ के पिघलने से प्राप्त होने वाला जल जैसे बहुत से संसाधन हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी की उपलब्ध प्रत्येक बूंद का उपयोग हो और वह व्यर्थ न जाए।

जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, कि हमें बाढ़ से बचने के लिए कदम उठाने चाहिये। हम पानी के नये स्रोत ढूंढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं परन्तु हमने पहले से ही उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। अभी तक खर्च किए गये पैसे का वास्तव में कोई बेहतर परिणाम नहीं निकला है। पैसा ठीक ढंग से खर्च नहीं किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 1989 में आन्ध्र प्रदेश में भारी वर्षा हुई थी। क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार को एक करोड़ बीस लाख रुपये दिए गए थे। परन्तु इस धनराशि का 5% ही वास्तव में खर्च किया गया तथा 95% धनराशि का दुरुपयोग हुआ था। बाद में की गई जांच से यह कटु सत्य साबित हुआ। अतः महोदय, जब धनराशि का केवल 10% भाग ही रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है तो हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि हम प्रगति करेंगे और खुशहाल होंगे।

महोदय, जैसा कि सभा अच्छी तरह जानती है, 1977 में आन्ध्र प्रदेश में अभूतपूर्व चक्रवात आया था। ज्वारीय लहरें सभी कुछ बहा ले गई थीं। जन-धन की अभूतपूर्व हानि हुई थी। अब फिर हमारा राज्य ज्वारीय लहरों के थपेड़े खा रहा है। सभी यह बात जानते हैं कि हमारा राज्य एक बार फिर चक्रवात की जकड़ में आ गया है। जन-धन की उतनी ही क्षति की सम्भावना है जितनी कि 1977 में हुई थी। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अभी भी चक्रवात की चपेट में है। मैं यहां यह मामला सभा में उठाने के लिए ही ठहरा हुआ हूं। वर्तमान चक्रवात में इस क्षेत्र की सभी सड़कें बह गई हैं। रेल गाड़ियों का आवागमन ठप्प हो गया है। इस क्षेत्र के लोग जीवित रहने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मृत्यु तथा सम्पत्ति की क्षति का भय उन्हें लगातार सता रहा है। एक लाख से अधिक परिवार पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। महोदय, पिछले 40 वर्षों के अनुभव से यह ज्ञात होता है कि ज्वारीय तरंग उस क्षेत्र में केवल कुछ हिस्सों को ही प्रभावित कर सकी हैं। ज्वारीय तरंगों द्वारा प्रभावित स्थानों का पता लगाना कतई मुश्किल नहीं है। जब कभी ज्वारीय लहरें इन क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं तो भविष्य में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र के बचाव हेतु एक कार्यक्रम की घोषणा की जानी चाहिए। वे सुरक्षा दीवारों तथा प्रत्येक सुरक्षा एहतियात बरतने की बात कहते हैं। फिर भी वर्षों बीत रहे हैं और इस क्षेत्र को लहरों से बचाने हेतु कोई भी ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है। इस वर्ष एक बार फिर जन-धन की हानि का खतरा पैदा हो गया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह भविष्य में इस क्षेत्र को ज्वारीय लहरों के

[श्री विजय कुमार राजू]

कोप से बचाने हेतु कम से कम अब तो कुछ कदम उठाये। ज्वारीय लहरों से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए। इसकी सिफारिशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने दायित्वों से नहीं भागना चाहिए। यह एक संयुक्त दायित्व है। केन्द्र सरकार के कन्धों पर एक भारी दायित्व है। इसे अपना दायित्व निभाना होगा।

महोदय, सूखा और बाढ़ बार-बार होने वाली घटनाएं हैं। देश के कुछ भाग बाढ़ से तबाह हो गये हैं जबकि कुछ भागों को भारी सूखे का सामना करना पड़ता है। इस प्रमुख समस्या की देखभाल हेतु एक समिति गठित की जानी चाहिए। केवल समिति के गठन से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। इसकी सिफारिशों को कड़ाई और ईमानदारी से लागू करना होगा। सरकारें आयें या जायें। यह बात महत्वपूर्ण है कि समस्याओं का पता लगाया जाए और उनका समाधान ढूंढ़ा जाए और उस समाधान को कड़ाई से लागू किया जाए। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। केवल तभी हम सूखे तथा बाढ़ की समस्याओं से छुटकारा पाने की स्थिति में होंगे।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से एक बार फिर अपील करता हूं कि वह वर्तमान संकट के निवारण हेतु राज्य सरकार के बचाव के लिए आए। सहायता समय पर मिलनी चाहिए। यदि सहायता समय पर नहीं मिलती है तो यह बेकार है। कम से कम इस बार मुझे आशा है कि वर्तमान चक्रवात के शिकार लोगों के बचाव हेतु केन्द्र सरकार पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री पी० उपेन्द्र ने सभा में आज सुबह यह घोषणा की है कि माननीय प्रधानमंत्री चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने कल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस सद्भावना प्रदर्शन के लिए मैं उनका आभारी हूं। मुझे आशा है कि वह मेरे राज्य में चक्रवात से प्रभावित लोगों के साथ न्याय करेंगे।

महोदय, जल-संसाधन मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विद्याधर गोखले (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन के बारे में कुछ मूलभूत विचार हैं, उसे प्रकट करने के लिए आपने अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की बैठक हुई और इस विषय पर अनेक समितियां भी स्थापित हुई, बहुत सी संगोष्ठियां भी हो चुकी फिर भी अभी तक जल संसाधन पर कोई सुसंगठित राष्ट्रीय जल नीति दिखाई नहीं देती, यह वस्तुस्थिति है। जल संसाधन में राष्ट्रीय एकता की भावना चाहिए। भारत की सारी जल सम्पदा सब भारतवासियों की है, इस संस्कार को दृढ़ करने के लिए हमारे देश में मंगल कलश पूजन के समय यह कहा जाता है :

गंगेच यमुनेचैव, गोदावरि सरस्वती।
नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् संनिधि कुरू॥

कहने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण और विकास सिर्फ राज्यों की हद तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। स्वर्गीय आचार्य काका कालेलकर जी नदियों को 'लोक माता'

कहते थे। यह लोक माता, उचित प्रबन्ध द्वारा न केवल अपने क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वरन दूरस्थ पुत्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत का जल एक राष्ट्रीय संसाधन है। यह धारणा पूरे तौर से न मानने के कारण ही अन्तर्राज्यीय जल विवाद उलझ जाते हैं। हमारे सामने जल संसाधन के बारे में अनेकानेक विवाद और सवाल खड़े हुए हैं और वह वास्तविकता पूर्ण निःसंदिग्ध जवाबों की अपेक्षा कर रहे हैं।

भारत में लगातार सूखा और उसके साथ-साथ अतिवृष्टि की आपत्ति गये चार दशकों में दृष्टिगोचर हो रही है। इतना ही नहीं, खरीफ की फसल में असमय सूखा और उसके बाद अतिवृष्टि होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ऐसा क्यों हो रहा है ? चेरापूंजी में 12 हजार मि० मीटर वृष्टि होने के बावजूद भी उत्तर मानसून में जलाभाव क्यों होता है ? पर्वतीय प्रदेशों में भी झरने क्यों सूख जाते हैं ? 1971 में दो करोड़ हेक्टर जमीन बाढ़ग्रस्त मानी जाती थी। और अब लगभग 7 करोड़ हेक्टर भूमि बाढ़ग्रस्त हो गई है। ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई ? आज "भारत तेरी गंगा मैली" ऐसा कहने का अवसर क्यों आया ? भूगर्भ जल भयानक मात्रा में, धनाढ्य वर्ग द्वारा पंपिंग सेटों और नलकूपों से निकाला जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है या नहीं ? समुद्र के किनारों की जमीन पहले से अधिक मात्रा में क्षारीय क्यों होती जा रही है ? ऐसे सैंकड़ों सवालों के समाधान-कारक जवाब हमारी राष्ट्रीय जल नीति के पास नहीं हैं। यह जो शोचनीय स्थिति उत्पन्न हुई है उसका मूल कारण क्या है ?

बिना भारतीय परिस्थिति और परम्परा की तरफ ध्यान दिये, पाश्चात्य विकसित देशों का अंधानुकरण करना—यही है आज की दुखदायक स्थिति का मूलभूत कारण एक नदी घाटी का पानी दूसरी नदी घाटी में छोड़ना यह अमरीका का एक आधुनिक फड़ है। इसका अन्धा और अमर्याद अनुकरण करना केवल बहुत खर्चीला ही नहीं अपितु प्राकृतिक दृष्टि से खतरनाक भी है। इससे यह बात दुर्लक्षित होती है कि हरेक नदी के पानी की जैविक और रसायनिक दृष्टि से कुछ खासियत होती है। विशिष्ट नदी के पानी से विशिष्ट वनस्पति पनपती है और विशिष्ट प्राणियों का पोषण होता है। इसलिए ही 'इंटरबेसिन ट्रांसफर' कतिपय वनस्पति की ओर प्राणी जाति को धीरे-धीरे नष्ट कर सकता है।

राष्ट्रीय जल नीति में जल की सिर्फ विपुलता ही नहीं बल्कि गुणवत्ता भी सर्वप्रथम ध्यान में रखनी चाहिये। कीटाणुनाशक द्रव्य तथा नायट्रेट से जो पानी दूषित हुआ है उसको जल कहना बहुत बड़ी भूल हैं। मार्डन तकनीक से जो खेती आजकल की जाती है उसमें रासायनिक खादों का बेशुमार और बेहद उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप भूगर्भीय जल में नायट्रेट और सल्फाइड सम्मिलित होकर उसे जहरीला बनाते हैं। ऐसे जल को जल कौन कहेगा ? इस देश की परम्पराओं में जल को जीवन कहते हैं, मरण नहीं।

यह जल सम्पदा वन सम्पदा पर निर्भर है। जहां पहाड़ों की चोटियों पर घने जंगल विद्यमान हैं, वहां ही आसानी से वाष्प का पानी में रूपांतर होता है। घने अरण्यों से पर्जन्य जल का रक्षण तो होता ही है, इतना ही नही बल्कि वह जल भूमिगत होकर वाष्पीकरण से बचता भी है। 97 प्रतिशत पर्जन्य जल संग्रहीत करने की क्षमता गहन अरण्यों में रहती है। प्रचन्ड धनराशि बर्बाद करके बड़े जलाशय बांधने के बजाय घने जंगलों को सुरक्षित रखना जल संधारण के लिए निसर्गदत्त और सस्ता इलाज है।

[श्री विद्याधर गोखले]

सिंचाई यानी इरॅगिशन के बारे में संयम की नितान्त आवश्यकता है। मशहूर सोवियत वैज्ञानिक विक्टर कोवडा ने कहा है, उसने बतलाया है कि

[अनुवाद]

जहां सिंचाई की अधिकता होती है वहां समस्या भी अधिक होती है।

[हिन्दी]

अति सिंचाई से जमीन में क्षार पैदा होता है और उसका उपजाऊपन कम हो जाता है इसलिए शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई से बेहतर है, शुष्क खेती (ड्राई फार्मिंग) करना। प्रस्तरमय लेकिन आर्द्र विभागों में पर्कूलेशन टैंकों की—जिनको हम झरना तालाब कह सकते हैं—की निर्मिती होनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था में किसानों का तथा स्वयंसेवाभावी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जहां पानी कम है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत मात्रा में पानी का उपयोग करने वाले बड़े उद्योग खोलने की गलती न करनी चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। यह बात अब सुस्पष्ट होने लगी है कि ऊष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बड़े सीमेंट कंक्रीट के बांध विपरीत फल ही पैदा करते हैं। उनका मुख्य लाभ बड़े उद्योगपतियों को और शहरवासियों को सस्ती बिजली के रूप में मिलता है। इन अजस्त्र बांधों से सुस्थिर जलाशयों की एक श्रृंखला नदियों में पैदा हो जाती है। ऐसा करना मानों नदियों की स्वाभाविक शुद्धिकरण प्रक्रिया रोकना है, जिसको हम नदियों की मौत कह सकते हैं। बड़े बांधों में उच्चस्तरीय पर्जन्य क्षेत्र के वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बांधों के निर्माण के लिए और निर्माण के बाद भी बहुत भारी मात्रा में वृक्ष कटाई होती है। बड़े बांधों के कारण जो सुस्थिर तालाब या सरोवर पैदा होते हैं, उनसे जल प्रसारित रोग भी पैदा होते हैं। इतना ही नहीं भूकम्प की बला भी माथे पर आ जाती है और सबसे अधिक चिन्ताजनक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं, वह यह है कि उनसे वनवासी लोग भिखारी बनते हैं और उनकी पारम्परिक संस्कृति नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है।

सारांश, राष्ट्रीय जल संसाधन का सवाल यह प्रश्न उपजाऊ भूमि, वन सम्पदा, प्रदूषण, अन्नधान्य की गुणवत्ता, ऐसे अनेकानेक मसलों से सम्बन्ध रखता है। इस सिद्धान्त को भूलकर और दिखावटी योजनाओं के अथवा अंधानुकरण के जाल में फंसना नितान्त हानिकारक है।

इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक नया दृष्टिकोण रखा है।

श्री रामदास सिंह (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन और कृषि में हालांकि बहुत अन्तर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ रहे हैं लेकिन जल संसाधन पर हमारे एक माननीय सदस्य मित्र ने एक चीज को रखा, मैं भी गौर से सुन रहा था। जल संसाधन की राष्ट्रीय योजना भारत में नहीं बनी, इस बात से मैं शतप्रतिशत सहमत हूं और 1978 में दक्षिण के पहाड़ों और हिमालय की तराई में जाकर कुछ जूनियर इंजीनियरों की टीम बनाकर हम लोगों ने इसका दौरा किया था और एक योजना उसके बाद बनाकर हम लोगों ने सरकार के समक्ष भी रखी थी लेकिन दुर्भाग्य की बात है सरकार ने इस कार्य में अत्यधिक व्यय आंकते हुए असमर्थता की बात कही, स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडेजी ने भी अपने मंत्रित्व काल में इस बिन्दु को उठाया था, लेकिन वह लागू नहीं हो सका। वह लागू नहीं होने से ही आज भारत में बाढ़ की, सूखाड़ की, बिजली

की समस्या या अन्य तरह के प्रभाव पानी से होते हैं। उनसे जो भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनका एक मात्र कारण यही है। हमारे पुराणों में, हमारी संस्कृति के इतिहास में यहां की नदियों को वर्णन जननी के रूप में किया गया है, जैसाकि हमारे मित्र ने भी कहा है, नदियां दुनिया में भी हैं और दुनियां में भी पानी का कमाबेश प्रभाव होता है। भारत की नदियां जो हैं, वे अपने अलग-अलग ढंग से अलग-अलग विलक्षणता लिए उत्पन्न हुई हैं। जहां समता है, जैसे उत्तर भारत की गंगा, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, लोगों में विश्वास है कि गंगोत्री से ही गोदावरी नदी यानि हिमालय पर्वत के मानसरोवर से निकलकर भीतरी पृथ्वी के अंगों से होकर यहां पर प्रकट हुई है। मैं इसमें सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। जो हम लोगों ने योजनायें सोची थीं, उनको लागू करने से ही जल का सदुपयोग होगा, उसके बारे में आपके समक्ष विचार रखना चाहता हूं। मैं सन् 1978 की बात कह रहा हूं। पिछली सरकार ने यह कह कर कि खर्च ज्यादा होगा, उस प्लान को ही छोड़ दिया था। वह प्लान हम लोगों ने बनाया था कि दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं, विंध्यारेंज हैं, वह समुद्री सतह से 12 हजार फीट से ऊपर स्थित हैं। उत्तरी भारत में हम जहां से पानी लेते, आज सिंध कहने में थोड़ी लज्जा लगती है, अन्यथा सिंध का महत्व भी दुनिया में किसी भी नदी से कम नहीं है, लेकिन जो भी नदी आज भारत की है, जिसको हम राष्ट्रीय नदी कह करके पुकारते हैं, कुछ दिनों पहले हम भारत को, जिस क्षेत्र को राष्ट्र पुकारते थे, वह आज हमारे पास नहीं रहा, हम उसको राष्ट्र कह करके······

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास जी, आप प्वाइंट पर आ जाइए। समय कम है। आप प्वाइंट से हट रहे हैं।

श्री रामदास सिंह : मैं प्वाइन्ट से हट नहीं रहा हूं। आप चेयर पर हैं। मैंने देखा है कि लोगों को काफी समय मिला है। आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा था कि वह नदी 15 हजार फीट की ऊंचाई से पंजाब, भाखड़ा, नांगल के ऊपर से यू०पी० होते हुए, बिहार होते हुए, नहर के रूप में खुदाई करके और सारे जल को ले लें तथा बिहार और यू०पी० में तीनों भागों में दक्षिण की ओर पानी को ले जायें, तो विंध्यारेंज के सैंकड़ों जल प्रपात जो आज भी मौजूद हैं, जिससे हम पानी का निकास करके, यू०पी०, बिहार और बंगाल को बाढ़ से बचा सकते हैं परन्तु सारे देश में सिंचाई का जाल बिछाकर और कम खर्चे में टरबाइन लगाकर, वहां उपज ले सकते हैं और जो भारत में बिजली की कमी है, वह पूरी हो सकती है।

थर्मल पावर स्टेशन से जो बिजली उत्पन्न की जाती है, उसमें देश की सम्पदा का कितना नुकसान होता है। उसमें कोयला लाखों टन जलाया जाता है, लेकिन सबसे कम कीमत में जो बिजली बनाई जा सकती है, वह जल विद्युत है और उसके लिए हमारे मध्य भारत में पहाड़ियों में इतना ज्यादा उपयुक्त स्थान है कि कम से कम खर्च में उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर जल की योजना को क्रियान्वित किया जाता तो बिहार में, यू०पी० में जितनी आज तक 41 वर्षों में जल से फसल की बर्बादी हुई, जितने घर गिरे, जितने मवेशी मरे, जितने आदमी मरे, जितनी सूखे से फसल प्रभावित हुई वह नहीं होती। इसलिए आप अन्दाजा लगाइये कि इन पर हमारे देश का कितना धन खर्च हुआ है। अगर जल की योजना बन जाती तो हमारे देश का बहुत कम खर्च होता। इससे कम खर्च में सूखा कंट्रोल होता, बाढ़ से फसल की रक्षा होती। अभी भी इस योजना को बनाने की जरूरत है। उस पर ज्यादा खर्च नहीं होगा, कम ही खर्च होगा। इससे हम कम खर्च में बाढ़ग्रस्त इलाकों को बचा सकेंगे।

[श्री रामदास सिंह]

हम अपने देश में थरमल पावर स्टेशन बनाते हैं। इन थरमल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए हम कोयले को जलाते हैं। अगर हम इसी तरह से अपने कोयले को जलाते रहे तो हमारे यहां 75 वर्ष के बाद कोयले का रिजर्व्ड नहीं रहेगा। इस कोयले को रिजर्व को बचाने के लिए और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है राष्ट्रीय स्तर पर एक जल संसाधन ग्रिड तैयार किया जाए। हमारी हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं अगर उनका पानी विंध्याचल के पार उतार कर दक्षिण की गंगा गोदावरी में डाल दिया जाय तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो कपास की पैदावार होती है वह उत्तम होगी और बारहों महीने होगी। वहां सिंचाई और बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। हमारे देश में पानी एक ऐसा साधन है जो कि बहुतायत में है। उसको नियंत्रित करने की एक राष्ट्रीय योजना बन जाए तो देश में उसका बहुत उपयोग हो सकता है।

समय कम है इसलिए मैं विस्तार से अभी नहीं कहूंगा। बाद में कभी विस्तार से मैं बताऊंगा। सरकार को सोचना चाहिए कि इन 40 वर्षों में एक प्रदेश के पानी का दूसरे प्रदेश में जा कर के कितना नुकसान हुआ है। अगर उसके 20 प्रतिशत धन से भी हम एक मास्टर प्लान तैयार कर लेते और जल को नियंत्रित कर लेते तो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाता। इसलिए पानी को सुरक्षित करने के लिए, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रभावकारी जल योजना बनाएं।

आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम० सेल्वाराजू (नागापट्टिनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की कृषि नीति का स्वागत करता हूं। सरकार ने बजट राशि का आधा भाग कृषि के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए देने की घोषणा की है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि आवंटित राशि निचले स्तर के हकदार लोगों को मिले। हमारा पिछला अनुभव यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और दूसरी योजनाओं का लाभ केवल 20 प्रतिशत लोगों को ही मिला है। राशि का एक बड़ा भाग बिचौलियों द्वारा हड़प कर लिया गया। सरकार की सभी नीतियां लोगों के सहयोग से कार्यान्वित की जानी चाहिए और जन प्रतिनिधियों की समितियों द्वारा इनका निरीक्षण किया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 43 वर्ष और सात पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी कृषि योग्य क्षेत्रों का दो-तिहाई भाग मानसून पर निर्भर रहता है और उसे कोई सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। किसान खेत जोतकर बीज बो देते हैं और सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। पूरे देश में यही सामान्य स्थिति है। मानसून की असफलता के कारण फसलें सूख जाती हैं और किसानों को सभी खर्चों को वहन करना पड़ता है। विशेषकर डेल्टा-इतर क्षेत्रों में किसानों के अपना धन खर्च करके और राज्य सरकारों से बिना सहायता अथवा अनुदान प्राप्त किए कुएं खोदे हैं।

तमिलनाडु में 'माडर्न बहीराथन' जैसे किसान पहाड़ी जमीन में कुयें खोद लेते हैं। ये कुयें 100 फीट तक की गहराई के होते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु में सिंचाई के लिए

12 लाख से भी अधिक ऊर्जा चालित पम्पसैंट हैं। आजकल भूमिगत जल स्तर नीचा होता जा रहा है।

मैं सदन की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में किसानों का आन्दोलन सातवें दशक के आरम्भ में शुरू हुआ था। आन्दोलन का मुख्य कारण ऋणों की अधिकता था। किसान सहकारी समितियों को ऋण की अदायगी नहीं कर सके थे। परन्तु सरकार और वित्तीय संस्थाओं ने उन्हें जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले घोषित कर दिया।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने का वायदा किया था। यह उनके चुनाव घोषणा-पत्र में है। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि सरकार अपने वायदे से पीछे हट गयी है। आमतौर पर कृषक समुदाय निराश है। सरकार ने घोषणा की थी कि ऋण माफी में केवल अल्पावधि के ऋण ही शामिल किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों का निर्धारण बैंक अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है और वास्तविक लाभभोगियों की संख्या कम हो सकती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऋण माफ करते समय किसानों को कम से कम आश्वासित लाभ अवश्य दिलाये जाने चाहिए।

सरकार को सहकारी वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में उनकी त्रिपक्षीय प्रणाली है। इसके कारण ऊपरी व्यय और ब्याज दर में वृद्धि होती है और दूसरे सभी भार किसानों द्वारा वहन किए जाते हैं। ब्याज दर में 13 से 17 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है। वस्तुत: सहकारी ऋण समितियां साहूकारों का स्थान ले रही हैं। अत: मेरा निवेदन है कि उन्हें द्विपक्षीय प्रणाली में पुनर्गठित किया जाए जिससे कि यह भार कम किया जा सके।

मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि सरकार को धान की कीमत गेहूं के समान ही निश्चित करनी चाहिए। फसल काटने के समय तक धान उगाने के लिए किसानों को गेहूं की तुलना में अधिक पानी देना पड़ता है और इस प्रकार अतिरिक्त खर्चे वहन करने पड़ते हैं। सभी दृष्टिकोणों से ग्रामीण कामगार सबसे अधिक प्रभावित हैं। बुवाई के मौसम के बाद उन्हें अपने घरों से दूर दराज के स्थानों पर रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। विकास और राहत कार्यों में स्थानीय खेतिहर मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठेका प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए।

सरकार को एक व्यापक कानून बनाकर खेतिहर मजदूरों के परिसंघ की मांगों को पूरा करना चाहिए।

अन्त में, मैं नागापट्टिनम निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचित सदस्य हूं जोकि कावेरी डेल्टा में है और यह क्षेत्र कावेरी जल विवाद के कारण पिछले कुछ वर्षों से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। मैं खुले दिल से उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वह लम्बे समय से लम्बित इस विवाद को हल करने के लिए समय-बद्ध आधार एक न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्री राजदेव सिंह (संगरूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जरायत के हर काम के लिए डीजल की जरूरत होती है। डीजल की कीमत में इस बजट में जो इजाफा किया गया है, उसका असर किसानों

[श्री राजदेव सिंह]

पर बहुत अधिक पड़ा है। गेहूं की कीमत में जो इजाफा किया गया है, उसका लाभ किसान को नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि उसके साथ-साथ डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। जरायत का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बगैर डीजल के हो सकता हो। मैं समझता हूं कि इस मामले में सारा सदन एक मत है कि डीजल की कीमत में किए गए इजाफे को वापिस लिया जाए। इससे किसानों का विश्वास हासिल किया जा सकता है। इससे किसानों को यह अहसास होगा कि नेशनल फ्रंट की सरकार उनकी आवाज को सुनती है और समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। डीजल की कीमत में किया गया इजाफा किसी भी बिना पर, किसी भी ग्राउंड पर जायज नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात गेहूं की कीमत में जो इजाफा किया गया है, वह काफी नहीं है। किसान फसल पैदा करने के लिए जिन चीजों का उपयोग करता है, उनकी कीमत भी उसको हासिल नहीं होती। आज से 3-4 साल पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने बताया था कि किसान को 240 रुपए प्रति क्विटल गेहूं घर पड़ता है, इसको ध्यान में रखते हुए ही इसकी कीमत तय की जानी चाहिए। उसके बाद हुई कीमतों में वृद्धि को देखते हुए आज 325 रुपए प्रति क्विंटल किसान को गेहूं घर पड़ता है, उसको देखते हुए गेहूं की कीमत निश्चित की जानी चाहिए। लेकिन आज 215 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की सपोर्ट प्राइस निश्चित की गई है जो किसान के साथ नाइंसाफी है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि किसानों को बोनस देने की घोषणा की जाए। जैसे पहले धान की फसल के लिए बाद में बोनस का ऐलान किया गया था, उसी तरह से गेहूं की कीमत में वृद्धि करके बोनस का ऐलान करके नेशनल फ्रंट की हुकूमत किसान वर्ग की हिमायत करे और किसानों का विश्वास हासिल करे। देश के किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गेहूं की कीमत में इजाफा अब किया गया है, लेकिन इससे पहले ही किसान काफी गेहूं मंडी में ले जा चुका है। उसकी उसको पिछली कीमत ही दी जा रही है, हुकूमत इस तरह का इंतजाम करे कि किसान तो ऐलान की गई सपोर्ट प्राइस मिले।

इस दरख्वास्त के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

4.00 म०प०

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह वर्तमान सरकार सत्ता में आयी थी तो उस समय सरकार की देनदारियां 260,000 करोड़ रुपए और ब्याज का भार 17000 करोड़ रुपये वार्षिक था। यह एक बड़ी देनदारी है जो इस सरकार को पिछली सरकार से मिली थी। वर्तमान सरकार ने घोषणा की है कि बजट का 49 प्रतिशत भाग ग्रामीण जनता के लिए आवंटित किया जायेगा जबकि पिछली सरकार ने 1989-90 में इस उद्देश्य के लिए 44 प्रतिशत भाग आवंटित किया था। वर्तमान सरकार की यह एक स्वागत योग्य कार्यवाही है।

हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन प्रति वर्ष 170 मिलियन टन तक पहुंच गया है और यह केवल दो मुख्य फसलों अर्थात गेहूं और चावल के कारण है इन दोनों फसलों का उत्पादन 56 प्रतिशत है और अन्य सभी फसलों का उत्पादन 44 प्रतिशत है। दालों और खाद्य

तेलों के उत्पादन में कमी आई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकार ने कृषि के विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया।

जैसा कि हम जानते हैं, हमारी 76 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और वह मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन में लगी है जिसकी आपूर्ति पूरे देश में की जाती है। परन्तु यह खेद की बाद है कि ग्रामीण लोगों को उनकी खाद्य आवश्यकता की उचित पूर्ति नही हो रही है। वर्ष 1976 में प्रति व्यक्ति केवल 492 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन मिलता था और वर्ष 1986 में यह घटकर 490 ग्राम रह गया; इसका तात्पर्य यह है कि उपलब्धता में कमी आयी है। हरित क्रान्ति से केवल उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचा है जिनके पास अधिक भूमि है, अर्थात भू-स्वामिकों को और इसका पूरे देश में प्रसार नहीं किया गया है। यह केवल कुछ भागों, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में ही सीमित है। यद्यपि हरित क्रान्ति का अधिक प्रचार किया गया था तथापि वर्तमान में कुल मिलाकर इसके लाभ भूमि-हीन व्यक्तियों, लघु और सीमान्त किसानों और सामान्य व्यक्तियों को नहीं पहुंचे है।

किसानों को समय पर उर्वरकों और बीजों की आपूर्ति करने के लिए सरकार को एक उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए। यद्यपि वर्तमान सरकार ने इस बारे में कुछ उपाय किए हैं तथापि यह दुर्भाग्य की बात है कि उर्वरक और बीज ग्रामीण व्यक्तियों तक समय से नहीं पहुंचते। यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उत्तम निवेश किसानों को समय पर उपलब्ध कराये जायें।

हमें हरित क्रान्ति, नीली क्रान्ति और श्वेत क्रान्ति पर गर्व है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि सामान्य व्यक्ति का वास्तविक उपभोग वांछित स्तर तक नहीं पहुंचा है। अभी भी ग्रामीण व्यक्तियों को उचित भोजन नहीं मिल रहा है।

हमें ईष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए, उर्वरकों और अच्छी किस्म के बीजों आदि के मामले में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। किसानों को विस्तार सेवाओं के माध्यम से निर्देश और शिक्षा देने के लिए सरकार के कुछ कार्यक्रम हैं परन्तु वह प्रभावी नहीं हैं। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनको या तो नौकरशाही रवैये के कारण अथवा राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण कार्यान्वित नहीं किया जाता। मैं सरकार से इन चीजों को अत्यधिक गम्भीरता और ईमानदारी से लागू करने का निवेदन करती हूं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इस वर्तमान सरकार को अपना जनादेश दिया है और वे हमसे काफी आशा करते हैं और इस सम्बन्ध में हमें उनकी आशाओं को नहीं भूलना चाहिए।

भूमि सुधारों के बारे में एक शब्द कहा गया है। इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। भूमि सुधारों के बिना लोगों को अभीष्ट लाभ नहीं मिल पायेंगे।

एक दूसरा अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के काफी स्नातक प्रतिवर्ष उपाधि प्राप्त करके आते हैं। प्रति वर्ष कालिजों से शिक्षा प्राप्त करके आने वाले ऐसे स्नातकों और 8000 कृषि स्नातक, 1800 पशु रोग स्नातक, 510 गृह विज्ञान स्नातक और 900 डेयरी विज्ञान स्नातक आदि हैं, परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि उनका अपने-अपने क्षेत्रों में सदुपयोग नहीं किया जाता और उन्हें फैलोशिप मिल रही है उसकी राशि काफी कम है और उसमें दूसरे व्यावसायिक स्नातकों जैसे इंजीनियरिंग स्नातक, एवं मेडिकल स्नातक आदि के बराबर वृद्धि करने की जरूरत है। व्यावसायिक विषय के

[डा० असीम बाला]

विद्यार्थियों में कोई समानता नहीं होनी चाहिए और जैसाकि मैंने कहा, कृषि और पशु रोग के विद्यार्थियों की शिक्षावृत्ति में वृद्धि की जानी चाहिए।

इन व्यावसायिक श्रेणियों को तकनीकी व्यवसाय की मान्यता दी जानी चाहिए परन्तु उसे अभी तक भी स्वीकार नहीं किया गया है। उनको तकनीकी व्यक्तियों के रूप में मान्यता देने की तत्काल जरूरत है। ये व्यक्ति ग्रामीण विकास में उपयोगी हो सकते हैं। यदि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर और उचित सुविधाएं दी जाएं तो वे अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं। परन्तु उनका अभी तक उचित उपयोग नहीं किया गया है। हम पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन जैसे अंडे, मांस, मछली और पनीर आदि की बात करते हैं परन्तु हम उन्हें किस प्रकार प्राप्त करेंगे, हम नहीं जानते। सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिए।

इसके पश्चात् मैं इस सदन को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारे लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 115 ग्राम दूध, 1 ग्राम अंडा और 4 ग्राम मांस मिल पाता है और कुल कृषि बजट का दसवां भाग पशुपालन उद्योग के लिए दिया जाता है परन्तु पशुपालन उद्योग का योगदान कुल कृषि क्षेत्र के कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तिहाई है।

जैसा कि मैंने कहा, सरकार को ग्रामीण विकास को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। अनेक कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि को गंभीरता से लागू नहीं किया गया उन्हें सख्ती से कार्यान्वित करने की जरूरत है। सरकार को इन चीजों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इस देश में कृषि स्नातक अत्यधिक बेरोजगार हैं। पूरे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल 57744 शाखाएं हैं और केवल 7356 कृषि स्नातक उनमें कार्य कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमें ग्रामीण विकास के लिए इन तकनीकी व्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए। उससे हमारी ग्रामीण जनता को ऊपर उठाने में हमें सहायता मिलेगी।

अन्त में, मैं निवेदन करती हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों की पाठ्यचर्या में भूमि सुधार, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक संस्कृति और साम्प्रदायिकता आदि विषयों को शामिल किया जाना चाहिए अर्थात उन्हें देश के सामाजिक ढांचे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उससे उन्हें वास्तविक विद्यमान परिस्थितियों का पता लगेगा। ताकि जब वे पढ़कर बाहर आएं तो वे उन बातों को ध्यान में रख सकें और अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों की सेवा कर सकें।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, उसके लिए आभारी हूं। भारत अनादि काल से लेकर आज तक एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहां पर जितने भी सांसद हैं, वे किसानों की तरफ से चुनकर आये हैं। हमारे कृषि मंत्री भी किसान हैं और अपने को किसान कहना गर्व समझते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने देखा कि आजादी के 42 वर्षों के बाद भी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इतनी नहीं बढ़ी है जितना कि बढ़नी चाहिये थी। दूसरे देशों में यथा चीन, ताईवान, इजराईल और दक्षिण कोरिया इसकी तुलना में बहुत आगे हैं। वहां यह वृद्धि दर 5 से 10 प्रतिशत तक है। पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका में कलैमिटीज कंडीशन्ज अपने देश से आगे हैं। यह सब क्यों हुआ ? यह सोचनीय विषय है। मैं

इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि नीति पर अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। देश की आठवीं पंच-वर्षीय योजना में इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें जल नियोजन, बागवानी का विकास, कृषि वन, एग्रो प्रोसैसिंग और फार्मिंग सिस्टम प्रमुख हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी खेती के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है लेकिन जल नियोजन कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। आज सरकार के पास ई० सी० जी०, आर० एल० ई० जी० पी०, डी० आर० ए० पी०, और एन० आर० ई० पी० योजनायें हैं लेकिन इम्पलीमेंटेशन होता नहीं है। यदि किसानों को सहयोग दिया जाये तो ये योजनायें अच्छी चलेंगी। बागवानी का विकास खेती के साथ साथ होना चाहिये। इससे गांवों का आर्थिक विकास होगा। इसके लिए पहाड़ी, मैदानी और अधिक पानी वाले क्षेत्रों में यहां की परिस्थितियों के अनुकूल फलदार वृक्षों को बढ़ावा देना चाहिये। अधिक पानी वाले क्षेत्रों में मौसमी, केला, नाशपाती आदि पेड़ों को भारी मात्रा में लगायें और कम पानी वाले क्षेत्रों में बेर, आम आदि को लगाना होगा।

किसानों को नई तकनीक के साथ अनुकूल प्रोसैसिंग उद्योगों की स्थापना करनी होगी जिससे उनको रोजगार तो मिलेगा ही उनको अपने उत्पादन का उचित मूल्य भी मिलेगा। इससे किसान समृद्ध होगा। मेरा एक सुझाव यह भी है कि कोल्ड स्टोरेज अधिक मात्रा में स्थापित किये जायें जिससे किसानों की अपनी फसलों का अधिक लाभ मिल सके। साथ ही मैंगों जूस जैसे कोई फ्रूट जूस को बाहर के देशों में भेजकर किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं क्योंकि मैंगों की ज्यादा खेती करनी होगी।

आज जंगल को फिर से बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। यद्यपि करोड़ों वृक्ष लगाये जा रहे हैं लेकिन इनका रखरखाव बहुत कम होता है। मेरा सुझाव है कि सड़कों, नालों, नदियों के किनारों और बेकार जमीन पर सघन वन विकास कार्यक्रम को चलाना होगा। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि ये प्लाट्स हमेशा कायम रहें। आज भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है और इसका सीधा असर खेती पर पड़ा है।

इसके बाद फार्मिंग सिस्टम आता है। पोलट्री फार्म हों चाहे डेरी फार्म हों। आज भारत में फार्म प्रणाली को अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत एक दूसरे पर आधारित रहने का सिद्धांत कार्य करता है। यदि किसान के पास सिर्फ एग्रीकल्चरल फार्म ही रहेगा तो वह ज्यादा खुशहाल नहीं बन सकता। एग्रीकल्चरल फार्म के साथ कुछ गायें, भैंस, मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी, सीरिकल्चर आदि की व्यवस्था भी रहे तो उसे अधिक फायदा हो सकता है। इससे किसान को फायदा होने के साथ-साथ उसका चहुंमुखी विकास भी होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करे। फार्मिंग सिस्टम का एक लाभ यह भी होगा कि

[अनुवाद]

एक इकाई के ओपाद को दूसरी इकाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

[हिन्दी]

ऐसा उसमें हो सकता है। इन चार-पांच चीजों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक निवेदन मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को यह करना चाहता हूं कि देश में खाद के दाम कम होने चाहियें, इन्सैक्टिसाइड्स के दाम कम होने चाहिये। इसके साथ-साथ बैंकों से किसानों

[श्री अशोक आनन्दराव देशमुख]

को जो कर्ज मिलता है, वह अक्सर जुलाई या अगस्त माह में जाकर मिलता है। मेरा निवेदन है कि किसान को यदि बैंकों से मिलने वाला कर्ज मई के प्रथम सप्ताह में मिल जाया करे तो वह व्यापारियों से कर्ज लेने से भी बच जायेगा और समय पर अपने खेत में सीड डाल सकेगा, दूसरे इन्टर कल्चरल ऑपरेशन्स कर सकेगा, इन्सेक्टिसाइड्स एवं पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी कर सकेगा, वक्त पर खेतों में फर्टिलाईजर का डोज भी दे सकेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करें, निर्देश जारी करें कि प्रत्येक किसान को जुलाई/अगस्त में कर्ज न मिलकर, बैंकों से मई के प्रथम सप्ताह तक कर्ज अवश्य मिल जाना चाहिये। फिर उसे व्यापारियों से कर्जा लेने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि व्यापारी ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता है, किसान डेढ़ गुना या दो गुना देने से भी बच जायेगा। पहले ही उसकी तरफ गवर्नमेंट का कुछ कर्ज होता है और इस तरह घाटे पर घाटा होते जाने से उसकी हालत खराब होती जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार हर किसान को मई माह के प्रथम सप्ताह तक कर्ज दिलाये जाने की व्यवस्था करे, इतना ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं।

हमारे महाराष्ट्र में जायकवाड़ी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है परन्तु उसका 75 प्रतिशत पानी वेस्ट जाता है और मात्र 25 प्रतिशत पानी का उपयोग ही हम कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार पानी के यूटिलाइजेशन पर भी ध्यान दे। अभी तक मेजर कैनाल से किसानों को पानी लेने की अनुमनि है। मेरा निवेदन है कि किसानों के हित में जिन माइनर कैनाल्स में सफीशियेंट वाटर अवेलेबल है, कोआपरेटिक बेसिस पर, यदि किसान लोग इकट्ठा होकर आते हैं तो माइनर कैनाल से भी पानी लेने की उन्हें अनुमति मिलनी चाहिये, लिफ्ट करने की परमीशन भी किसान को मिलनी चाहिये।

मेरा अनुभव है कि आई०सी०ए०आर० की जितनी स्कीमें हैं, उनमें रिपीटीशन बहुत ज्यादा होता है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में रिपीटीशन होता है। इन संशोधनों की वजह से जहां गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसका कोई उपयोग भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जिस वस्तु का क्षेत्र में उत्पादन हो, उसी क्षेत्र में उसके रिसर्च का इंतजाम हो। जैसे शुगरकेन पश्चिमी महाराष्ट्र में ज्यादा होता है तो उसका संशोधन हमारे यहां हो, ज्वार परभनी में ज्यादा होता है, उसका संशोधन वहां मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में किया जाये, व्हीट नोर्थ में ज्यादा होता है, उसका संशोधन लुधियाना में हो। इससे गवर्नमेंट का खर्च भी ज्यादा नहीं आयेगा और एक्स्ट्रा प्रयोग भी नहीं होंगे। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने कृषि के लिये जो 7 हजार करोड़ रुपये का आबंटन किया वह ठीक है, खेती के सम्बन्ध में इस सरकार की जो नीति है, उसे भी मैं ठीक मानता हूँ, किसानों का कर्जा माफ करके भी उसने ठीक काम किया है। आगे चलकर और ज्यादा कर्जा माफ हो सकता है। इतना कहकर समय देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : नई सरकार एक नई कृषि नीति लाने जा रही है। मेरे विचार से सरकार ने इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर लिया होगा क्योंकि काफी लम्बे समय से हमारी एक कृषि नीति चली आ रही है। मैं समझता हूं कि उसमें अनेक नये पहलू शामिल किये जायेंगे। मुख्य पहलू कृषि का आधुनिकीकरण है और उसे उसमें शामिल किया जाना चाहिए।

वास्तव में, हमें कृषि में उपयोग के लिए अच्छी प्रणालियां और अच्छी दस्तकारी अपनानी चाहिए। किसानों को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है । इस बात में कोई शक नहीं कि उनके लिए अत्यधिक उपयुक्त प्रोत्साहन उनके उत्पादनों के लिए उचित कीमतों का आश्वासन देना होगा । वास्तव में, मेरे अनेक मित्रों ने उस बारे में कहा है। हमें न केवल खाद्यान्नों के लिए बल्कि दूसरे कृषि उत्पादों जैसे नारियल, मसाले आदि के लिए भी उचित कीमतें प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का सूचकांक तैयार करना चाहिए । हमें जीवनस्तर लागत के आधार पर मूल्य सूचकांक के समान ही एक प्रकार का सूचकांक तैयार करना चाहिए, उसी के समान प्रत्येक वस्तु के मामले में उचित कीमतें दर्शाने के लिए हमें एक स्थायी सूचिका अथवा स्थायी मापक तैयार करना चाहिए । मैं सुझाव देता हूं कि इस प्रकार का सूचकांक कृषि के क्षेत्र में कृषि उत्पादों की कीमतों के लिए होना चाहिए। इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी है और इसे नई नीति में शामिल किया जाना है। मैं सुझाव देता हूं कि कृषि को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने के लिए यह आवश्यक है और उसके लिए मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में युवकों, विशेषकर केरल के युवकों को अधिक शामिल होना होगा, मुझे दूसरे राज्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी है कि अनेक शिक्षित नौजवान कृषि में जाने और कार्य करने के अनिच्छुक हैं, जबकि वास्तव में उनके पूर्वजों ने काफी लम्बे समय से यह काम किया है। उसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना होगा और उन्हें इस तरफ आकृष्ट करना होगा।

अब, कृषि ऋण के बारे में सरकार की जो नीति है, मैं अपने अनेक मित्रों के इस विचार से सहमत हूं कि यह नीति अच्छी है। परन्तु कार्यान्वयन में, जैसा कि हमने देखा है, यह ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। विशेषकर, मैं पुन: केरल के बारे में कह रहा हूं क्योंकि केरल, कर्नाटक और कुछ राज्यों ने पहले ही बता दिया है कि वे लागत को वहन नहीं करेंगे, केन्द्र को इसके बारे में विचार करना चाहिए। केरल में सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थाओं ने अत्यधिक बड़ी मात्रा में ऋण दिये हैं और अनेक किसानों ने सहकारी समितियों से ऋण ले लिये हैं और इसे अब केन्द्र की योजना में शामिल नहीं किया गया हैं। वास्तव में, अब इस पर नीति तैयार करने के लिए राज्यों को विचार करना चाहिए। परन्तु केरल सरकार ने अति स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह किसी भाग को वहन करने में असमर्थ है, अत: केन्द्र को पूरी लागत वहन करनी चाहिए । मैं समझता हूं कि असली वादा यह था कि जहां तक गरीब लोगों का सम्बन्ध है, कृषि ऋणों की पूरी राशि माफ कर दी जायेगी और मैं समझता हूं सरकार ने इस बारे में जो नीति अपनायी है उसे उस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अब, दूसरा मुद्दा जिसे मैं सदन और मंत्रालय की जानकारी में लाना चाहता हूं वह प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है जो केरल जैसे राज्यों और दूसरे स्थानों पर प्राय: आती रहती हैं क्योंकि वहां रबर के पौधे और दूसरे बागान अत्यधिक मात्रा में हैं। मैं समझता हूं कि जब हवा आती है अथवा कोई आपदा घटती है तो इससे बागान मालिक अथवा किसान को जो नुकसान होता है वह अत्यधिक भारी नुकसान होता है। जहां तक उनकी फसल का सम्बन्ध है, इसकी धन के द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है जैसा कि सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। परन्तु जहां तक कृषि क्षेत्र में जैसे रबर अथवा काली मिर्च के बागानों में लगे लोगों का सम्बन्ध है, सारी फसल नष्ट हो गई है और उन्हें क्षति उठानी पड़ी है। किसानों के सारे प्रयास नष्ट हो गये हैं। अत: जो किसान इस प्रकार के नुकसान उठाते हैं, हमें उनकी क्षति पूर्ति के अच्छे तरीकों पर विचार करना होगा।

[श्री पी० सी० थामस]

केरल सरकार में इसके लिए एक 'रिवोल्विंग फंड' था परन्तु मैं समझता हूं कि अब यह नहीं है और वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने पहले ही उन्हें आश्वासन दिया है कि एक कोष बनाया जायेगा और वह कोष इस प्रकार के संकटों के लिए होगा, केवल फसलों के संकटों के लिए ही नहीं बल्कि रबर के बागानों और दूसरे ऐसे कृषि उत्पादों के विकास के लिए भी होगा।

अब एक और मुद्दा जल संसाधनों के बारे में है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। जैसा कि अनेक मित्रों ने यहां कहा है, पानी की कमी भी उन समस्याओं में से एक है जिनका हम अब मुकाबला कर रहे हैं और मैं केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित केवल एक पहलू का हवाला देता हूं। वहां प्रत्यक्ष में हमारे पास एक विशाल परियोजना है। वास्तव में, यह योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गयी थी, वह मीनाचिल नदी घाटी परियोजना के बारे में है। यह योजना केन्द्र सरकार के सम्मुख पेश की गई। इसे अनुमोदित करके वापस राज्य के पास भेज दिया गया। राज्य ने यह योजना बनाई थी। लेकिन अब किसी कारणवश, कुछ राजनैतिक कारणों से राज्य सरकार इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है और इसलिए इस पर कार्यवाही नहीं कर रही। कृषकों को मिलने वाले अनेक लाभ अब नहीं मिलेंगे। मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि किसानों की मदद के लिए कुछ किया जाए।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह मंत्रालय नारियल, रबर, अनन्नास, काली मिर्च, मसाले इत्यादि क्षेत्रों में कृषकों की व्यथा पर गौर करे। हम जब भी कृषि का उल्लेख करते हैं तो साधारणतया हम केवल अनाजों के बारे में बोलते हैं। निःसन्देह अनाज कृषि का महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने हेतु नारियल को तिलहन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। जहां तक अनन्नास का संबंध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह एक प्रमुख उत्पाद है। वहां कृषकों के सम्मुख यह समस्या है कि सामान्यतः अनन्नास का मूल्य चार रुपये प्रति किलोग्राम होता है लेकिन इसकी फसल के समय यह मूल्य गिरकर 50 पैसे प्रति किलोग्राम रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास इसके भंडारण की सुविधाएं नहीं हैं। इसके उपयोग हेतु वहां पर कोई उद्योग नहीं है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि कृषि मंत्रालय इस मामले पर गौर करे और वाणिज्य मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से केरल में ऐरनाकुलम तथा मुक्तुपुजा में इसके लिए उद्योग शुरू करें।

श्री प्रभातसिंह चौहान (कैरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

लोकतांत्रिक शासन के बयालीस वर्षों में हमने क्या पाया है ? इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। अमीरों तथा गरीबों के बीच अन्तर और अधिक बढ़ा है। अत्यधिक सम्पन्न लोग बहुत कम हैं। ऐसे लोगों के पास व्यय करने तथा अपनी विलासिता के लिए उपयोग करने हेतु काफी धन है। इसके विपरीत अनेक लोग अपना पेट भी नहीं भर सकते। इन वर्षों के दौरान हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। अब, यह सरकार इस बारे में अत्यंत चिन्तित है। इसने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, इसने किसानों के 10,000 रुपये तक के ऋण माफ करने, उनके उत्पादों पर लाभप्रद मूल्य दिलाने, उपलब्ध धनराशि का पचास प्रतिशत उनके लिए रखने तथा कृषि और इससे सम्बद्ध कार्यों पर व्यय करने के लिए कार्यवाही की है। हमारी सरकार ने नर्मदा परियोजना पर अत्यंत स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि वह इसे निर्धारित अवधि

के अन्दर पूरा करने का प्रयास करेगी। इस प्रकार सरकार ने ये उपाय किए हैं । मैं नहीं समझता कि हमारे किसानों को लाभ पहुंचाने तथा हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सिर्फ ये कदम पर्याप्त हैं। इन उपायों से गरीबी समाप्त नहीं हो सकती। इनसे शहर तथा गांव के बीच की असमानता का अन्तर समाप्त नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना है।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, मौजूदा सिंचाई व्यवस्था के तहत 70 मिलियन हैक्टेयर भूमि सिंचित है। यदि हम अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करें तो यह भूमि बढ़कर 110 मिलियन हैक्टेयर हो सकती है जबकि हमारी कुल कृषि भूमि 210 मिलियन हैक्टेयर है । इतना सब करने के बावजूद पैंतालीस प्रतिशत भूमि असिंचित रह सकती है। इसलिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि इस असिंचित भूमि के लिए क्या किया जाए। हमें सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग करना चाहिए। हमारी स्थिति तो यह है कि हमारी जनसंख्या तो विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत है जबकि हमारे पास विश्व में भूतल पर उपलब्ध जल की 3 प्रतिशत मात्रा है। इस स्थिति में हमें इसे अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेना है और परियोजनाओं पर अत्यंत तीव्रता तथा गंभीरता से कार्यवाही करनी है ताकि हम यथाशीघ्र इस स्थिति से बाहर निकल सकें।

केन्द्रीय जल आयोग के पास जब भी कोई परियोजना भेजी जाती है तो उसे अनुमोदित करने में कम से कम 14 महीने लग जाते हैं । आयोग को इतना अधिक समय नही लेना चाहिए । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें तेजी नहीं लाई जा सकती।

बहुत छोटी-छोटी, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो अधूरी पड़ी हैं। अत: यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि जब किसी परियोजना पर कार्य शुरू हो तो पहले उसे पूर्ण किया जाए ताकि उस विशेष क्षेत्र के लोग उसका लाभ उठा सकें। आज यह हो रहा है कि काफी धनराशि व्यय की जा रही है लेकिन, परियोजनाओं को पूरा न होने के कारण कोई परिणाम नहीं मिल रहा है । इसलिए, इस बारे में अत्यंत गंभीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिए। योजनाओं को बिना विलम्ब पूर्ण किया जाए।

अब किसान अपनी आवश्यकता के लिए पूरी बिजली लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर उन्हें उनकी जरूरत के समय पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है, तो यह होता है कि कुएं में पानी है लेकिन वे बिजली की अनुपलब्धता के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई नहीं की जा सकती। उन्हें बुआई के मौसम में पर्याप्त बिजली मिलती है परन्तु जब फसल की कटाई का समय आता है तब बिजली नहीं मिलती जिस कारण फसल नष्ट हो जाती है। किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार को ऐसी स्थिति के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्हें आवश्यकताओं के अनुसार बिजली की आपूर्ति के लिए योजना बनानी चाहिए।

आवश्यकता के समय पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं होते। साथ ही विभिन्न राज्यों में उर्वरकों के मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं। जब फसल बाजार में पहुंचती है तो समूचे देश में एक जैसे मूल्य होते हैं जबकि आदानों के मूल्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होते हैं। इसीलिए इस पर कोई कार्यवाही की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गुजरात के कैरा जिले में गैस पर आधारित टरबाइन के द्वारा बिजली पैदा करने के लिए तथा इसे सहकारी माध्यम से वितरित करने की परियोजना केन्द्र

[श्री प्रभातसिंह चौहान]

सरकार को भेजी है। लेकिन इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस परियोजना को स्वीकृति क्यों नहीं दे रही तथा इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है।

किसानों को केवल प्रमाणित बीजों की आपूर्ति की जानी चाहिए। वर्तमान में, बाजार में अप्रमाणित बीज उपलब्ध होते हैं। अशिक्षित और गरीब किसानों को किसी भी प्रकार के बीच बेचे जा सकते हैं।

किसान ऐसे बीज खरीदते हैं क्योंकि वे सस्ते होते हैं। परन्तु अन्त में इसका परिणाम क्या निकलता है। यदि किसानों पर उत्पादन का प्रभाव पड़ता है तो इसका राष्ट्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बाजार में केवल प्रमाणित बीजों की अनुमति दी जानी चाहिए।

किसानों के लिए अच्छी सड़कों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे अपने उत्पादों को शहरों तक लेजा सकें और कृषि कार्य के लिए आदानों को समय से प्राप्त कर सकें।

कृषि उत्पाद बाजार किसानों के हित में कार्य नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया हमें समझने दीजिए कि क्या कृषि और सिंचाई समवर्ती सूची के विषय हैं। इन चीजों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। हमें विचार विमर्श करने दीजिए कि कौन सी बातें केन्द्र सरकार द्वारा निपटाई जाएं तथा उन मामलों को यहां न उठाया जाए जो विधान सभाओं में उठाए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमको कहना है कि पैसा केन्द्र से जाता है, राज्यों को, वहां पर दुरुपयोग होता है इसलिए इस पर बोलना जरूरी है कि दुरुपयोग जो होता है, उसको ये देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, अपने साथियों को वहां बोलने के लिए बोलिये क्योंकि आपका टाइम यहां बहुत मर्यादित है इसलिए आपका ऐसे इश्यू की चर्चा करना उपयुक्त होगा, जिसका सम्बन्ध सारे देश के साथ हो, अन्यथा असेम्बलीज कैसे चलती हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रभात सिंह चौहान : महोदय, जहां तक दूध का संबंध है, देश में दूध की पर्याप्त मात्रा है। बल्कि हमारे पास दूध का आधिक्य है। कभी-कभी हम दूध एकत्र नहीं कर पाते हैं। दुग्ध सहकारिताओं ने संतोषजनक कार्य किया है। परन्तु पहले से ही किसी ऐसी परियोजना की स्थापना की जाए कि दुग्ध उत्पादकों को कठिनाई न हो।

हमारी भूमि का विभाजन होता जा रहा है और यह छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटती जा रही है जिसके कारण यह और अधिक अलाभकारी होती जा रही है। इसे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए भूमि की चकबन्दी की जानी चाहिए अन्यथा गरीब और गरीब होता जा रहा है क्योंकि उनके पास लाभकारी इतनी भूमि नहीं है कि उन्हें फायदा हो और वे उससे अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

महोदय, गांवों में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त फूलों और सब्जियों का निर्यात भी होना चाहिए। हमारे देश में प्राकृतिक 'ग्रीन हाउस' हैं। हमारे देश में सभी प्रकार की जलवायु है, जबकि हालैंड आदि पश्चिमी देशों में 'ग्रीन हाउस'

हैं जहां वे नियंत्रित मौसम में फूल और सब्जियां उगाते हैं और विश्व के बाजार में उनकी अच्छी बिक्री होती है। अतः यदि हमें प्रकृति ने, प्राकृतिक रूप से हरियाली प्रदान की है, तो हमें भी फूलों और सब्जियों की भारी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए जिनका निर्यात किया जा सकता है और हम विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।

अंत में ग्रामीण तथा शहरी जीवन में बहुत असमानता है। हमें इस समस्या के सम्बन्ध में काफी गम्भीरता से विचार करना चाहिए और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुधारने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि कृषि एक आकर्षक धंधा बने और ग्रामों में रहने वाले किसानों को भी वह सारी सुविधाएं प्राप्त हों जो वह शहरी लोगों को मिलती हैं। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अच्छी तरह अपने परिवारों की देखभाल कर सकते हैं। महोदय इन शब्दों के साथ मै भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी जो चर्चा हुई है, वह ध्यान में रखियेगा।

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : उपाध्यक्ष जी, यह कृषि प्रधान देश है। इस देश में 75 फीसदी किसान बसते हैं और अब तक उनकी बड़ी उपेक्षा हुई है। नई सरकार ने यह आश्वासन दिया है, हमारे दल ने भी यह डिमाण्ड की है कि राष्ट्रीय आय का 60 फीसदी खर्च किसानों के ऊपर हो और यह खर्च गांव तक जायेगा। गांवों में रोड नहीं हैं, किसान बसते हैं, उनके स्कूल नहीं हैं, उनके और भी साधन नहीं हैं इसीलिए हम लोगों की डिमाण्ड है कि राष्ट्रीय आय का 60 प्रतिशत उनके ऊपर खर्च हो और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाय।

जैसे मुर्गीपालन है, गोपालन है, भैंसपालन है, दूध और मुर्गीपालन के केन्द्रों को एक दूसरे का पूरक बनाकर काम हो सकता है और इससे किसानों को काफी आय हो सकती है, इसके लिए सरकार को, खास करके केन्द्रीय सरकार को उस मद में पैसा देना चाहिए ताकि हमारे किसान अपने ढंग से कार्य कर सकें।

जो कृषि उत्पादन होता है, खासकर महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्नाटक में जैसे प्याज है, पिछले साल लाखों क्विटल प्याज सड़ गया, चूंकि इसको रखने की व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये विदेशों को भी प्याज भेजें। पिछले साल विदेशों को भी जो प्याज भेजी गई थी, उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई थी अधिक मे अधिक प्याज विदेशों को जाएगा तो उसका मूल्य मिलेगा और किसानों को उसका लाभ होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य प्रदेश में एक रूप का होना चाहिए—60 रु० क्विटल। किसान काफी मेहनत करता है, खून-पसीना एक करता है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का मूल्य नहीं मिलता है। फैक्ट्री में चीनी बनती है, तो आप देखिए चीनी के दाम कितने बढ़ रहे हैं। चीनी की मांग देश में और विदेश में बहुत है और इसको विदेशों में भी भेजना चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं, वह इस पर गहन दृष्टि से सोचे। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को जो मजदूरी देनी चाहिए, उनकी निश्चित मांग हैं और उसको सरकार ने मान्यता दी हुई है, वह मजदूर को मिलनी चाहिए। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे, हमारे बिहार प्रान्त में बिजली की हालत बहुत ही खराब है। आप कहेंगे कि यह प्रान्त का मामला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं

[श्री जनार्दन तिवारी]

कि पन-बिजली कुवैलकोरा रांची के लिए केन्द्रीय सरकार ने दस बरस पहले तय किया था, लेकिन वह आज तक नहीं बना। उसमें करोड़ों रुपया दिया गया है और यह एक हजार मेगावाट की योजना है। लेकिन प्रान्त सरकार भी सोई हुई है और केन्द्रीय सरकार भी सोई हुई है। यदि बिजली का यह बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो वहां फैक्ट्री भी चल सकती है और पटवन का काम भी हो सकता है। छोटा नागपुर में भी काम हो सकता है। रासायनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराई जाए और उसका पचास प्रतिशत मूल्य किसानों से न लिया जाए। क्योंकि उनकी क्रयशक्ति नहीं है, और यदि यह व्यवस्था कर दी जाए तो किसान अधिक से अधिक रासायनिक खाद खरीद सकता है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह उसमें छूट दे और वह पचास प्रतिशत होनी चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से सदस्य कहेंगे कि यह काम्युनल बात कह रहा है, गौ-वंश की रक्षा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह कृषि से रिलेटेड है और कृषि से संबंधित है और इकोनोमिक आधार है उसका। आप देखेंगे कि पूरे देश में बैलों की कीमत कितनी बढ़ गई है। छोटा-मोटा किसान तो उसको खरीद ही नहीं पा रहा है। हम लोग गांवों से आते हैं, वहां बहुत बड़ी कठिनाई है। ट्रैक्टर का मूल्य भी बहुत बढ़ गया है। जुताई के लिए किसान जो बैल होता है अपने से हांकता है, बोता है और सब कुछ करता है, लेकिन उसकी क्रयशक्ति नहीं है। पांच हजार बैल की जो साधारण बोली है और आगे जाइए तो बीस हजार का बैल बिक रहा है, क्योंकि गौ-वंश का ह्रास हो रहा है। गाय काटी जा रही है, किल-हाउस में काटी जा रही है। मैंने इस बात को इसलिए कहा है कि इसकी बड़ी मान्यता है, हमारे पूर्वजों ने इसको गौ-माता कहा है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है। विश्व बैंक से आपको पूरे देश में मार्केट बनाने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। हमारे बिहार में जो कृषि मार्केट बनती है, वह उचित स्थान पर नहीं बनती है। यह चीज केन्द्र से रिलेटेड है। इंजीनियर उसको बनाते हैं और लूट के चले जाते हैं और वह मार्केट उपयोग में नहीं आती है। गधे रह कर उसका उपयोग करते रहते हैं। मार्केट गांव से बाहर बनती है, चार किलोमीटर और दस किलोमीटर की दूरी पर बनती है और उपयोग में नहीं आने की वजह से डाकू-चोर उस मार्केट में डकैती के प्लान बनाते हैं। बिहार में इस तरह की बहुत सी घटनायें हो रही हैं, इसलिए कृषि मार्केट बाजार से कनैक्टेड होनी चाहिए। जब इतनी दूरी पर बनाते हैं, तो बनिया कैसे वहां जा सकता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कृषि मार्केट शहर के बीच में बनानी चाहिए। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, बहुत सारे राज्यों में पंतनगर जैसे सिर्डलिंग केन्द्र हैं, जो मक्का, गेहूं और गन्ने के बहुत ही उत्तम बीज बनाते हैं, ऐसे ही केन्द्र केन्द्रीय सरकार को हर प्रान्त में पंतनगर टाइप बनाने चाहिए। आपके बहुत से ऐसे फार्म प्रखंडों में बने हैं, कहीं 20 एकड़ में, कहीं 25 एकड़ में। हमारे बिहार में भी बने हैं लेकिन वहां उनका कोई उपयोग नहीं है। उनमें कोई बीज नहीं होता है। इन बीज फार्म के लिए केन्द्र से जो आप पैसा देते हैं उस पैसे का वहां दुरुपयोग होता है। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को जो पैसा जाए उस पर केन्द्र सरकार की ठीक ढंग से निगरानी होनी चाहिए कि वह पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं। प्रदेश में उस पैसे का दुरुपयोग होता है और दूसरी मदों पर उसे खर्च कर दिया जाता है।

हमारे बिहार के उत्तरी हिस्से में समतल भूमि है। उस क्षेत्र में तीन प्रोजेक्ट हैं—गंडक, कोसी और सोन प्रोजेक्ट। इनके माध्यम से वहां काफी सिंचाई का काम होता है। ये प्रोजेक्ट बन

तो गये हैं लेकिन दरभंगा जिले में इस पानी का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि कोशी प्रोजेक्ट से जो पानी आता है उससे यह इलाका फ्लडिउ रहता है। गंडक से अच्छा काम होता है। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं वे बहुत उत्तम कोटि की हैं और बिल्कुल सीमेंटिड हैं। हमारे यहां सीमेंटिड नहरें बनाने का कोई उपाय नहीं किया गया। ड्रेनिज सिस्टम होना चाहिए था। उसके न होने से किसानों की बहुत तबाही होती है। लाखों एकड़ भूमि तबाह हो जाती है। उसमें पानी भरा रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी पैसा दें उसका हिसाब-किताब रखें कि वह सही ढंग से काम में लाया जा रहा है कि नहीं।

हमारे यहां छोटा नागपुर डिवीजन में जो पहाड़ी इलाका है, आज भी वहां आदिवासी बखुआ खाकर के जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि वहां पर खेती का कोई उपाय नहीं है। हालांकि वहां बहुत उपज हो सकती है। लिफ्ट इरीगेशन के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उस पहाड़ी को घेर कर लिफ्ट इरीगेशन कर सकते हैं। कुछ लिफ्ट इरीगेशन का काम वहां हुआ है। कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। हजारों लिफ्ट इरीगेशन बेकार पड़े हैं। जिनमें कि करोड़ों रुपया सरकार का लगा है। छोटे-छोटे लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से हम वहां उपज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इसको देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार जो पैसा दे उसकी देखभाल रखे। यह बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन नहीं चल पा रही है। ऐसे ही पड़ी हुई है।

हमारे बिहार के किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा खेती से रिलेटिड है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, नदी के किनारे उस पार एक तरफ सीवान है और एक तरफ आरा है। उनकी सारी जमीन नदी के कटाव में आ गयी है। उत्तर प्रदेश में जो जमीन चली गयी है उस पर हमारे यहां के किसानों को लोग बसने नहीं देते हैं। मार-पीट होती है। 10-12 वर्षों से यह चल रहा है और सैंकड़ों किसान मारे गये हैं। हमारी तरफ बिहार में उत्तर प्रदेश की जो जमीन आयी उसका हमने विधिवत् सर्वे कराया। लेकिन हमारी जो जमीन 50 हजार एकड़ उधर गयी है उसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं हुई है। इस संबंध में त्रिवेदी आयोग ने जो प्रतिवेदन दिया था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में काम नहीं हो रहा है। बलिया में जमीन का सर्वे अभी तक चल रहा है। 50 हजार एकड़ जमीन में कुछ आरा जिले का हिस्सा है, कुछ सीवान जिले का हिस्सा है। त्रिवेदी आयोग ने जो फैसला दिया था उसके अनुसार काम होना चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि आप दोनों प्रांतों के लोगों को बुलाइये और इस विवाद को सुलझाइये। सर्वे का काम चल रहा है। अगर यह ऐसे ही रहा तो हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर जनतंत्र में हाई कोर्टों का जो खडयंत्र हो जाता है वह बहुत खराब हो जाता है। इसलिए इसकी आप तत्काल व्यवस्था कीजिए। इतना ही मेरा सुझाव है।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष जी, मैं दोनों अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह देश कृषि प्रधान देश है और यहां की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर ही जिन्दा रहती है। यह बात कोई जबानी नहीं है बल्कि जितनी भी किताबें हैं जिसमें देश के आम लोगों का विवरण है कि—आज कितने परसेंट लोग किस चीज पर जिन्दा रहते हैं? ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं लेकिन ये बातें उद्धृत होने के बाद भी और आजादी के 42 वर्ष बाद भी, पूरे देश में सिंचाई का ज्यादा इन्तजाम पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। अगर देश में सिंचाई का इन्तजाम पूर्ण रूप से हो गया होता तो आज देश की स्थिति दूसरी होती। हां, 42 वर्ष की आजादी के बाद केवल दो राज्यों में कृषि का इन्तजाम ठीक ढंग से हुआ—जैसे पंजाब

[श्री तेज नारायण सिंह]

और हरियाणा। मैं आशा करता हूं कि वहां पर बेकारों की संख्या कम है और वहां उत्पादन भी अधिक होता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप वहां देखेंगे तो पता चलेगा कि फसल काटने के दिनों में 5-6 लाख लोग बिहार से आते हैं। अगर फसल काटने के लिए बिहार या देश के अन्य राज्यों में भी कृषि का इन्तजाम, सिंचाई का काम ठीक ढंग से हुआ होता तो लोग हरियाणा और पंजाब में कटाई के लिये न आते। इसलिये सबसे पहले यह देखना चाहिये कि देश में जितनी भी बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उन तमाम नदियों को बांध कर सरकार सिंचाई का इन्तजाम करे। अगर तमाम नदियों को बांध दिया जायेगा तो शायद ही कोई इलाका बकाया रहेगा जहां कृषि के लिये पानी नहीं मिल सकेगा। अभी पंजाब में पांच नदियों को बांध दिया गया है और पंजाब यह दावा करता है कि देश के तमाम लोगों को मैं गेहूं दे सकता हूं। अगर उसी तरह से बिहार में— जहां गंगा नदी पड़ती है, सरजू नदी पड़ती है, यमुना नदी पड़ती है और गोदावरी नदी पड़ती है, इन तमाम नदियों को अगर बांध दिया जाये तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिंचाई का मामला पूर्ण रूप से सफल हो जायेगा। केवल नदियों को बांधने से ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ पानी उठाने के लिए बिजली की भी जरूरत है या डीजल पम्प की भी जरूरत है, इन चीजों की भी पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि जितनी बिजली चाहिये, उतनी बिजली उपलब्ध नहीं है इस कारण से बिहार में कई हजार की संख्या में नलकूप बेकार पड़े हैं और साथ ही साथ डीजल भी उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध भी है तो दाम इतना मंहगा है कि किसान उसको खरीद नहीं पाते हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, बिजली का ठीक तरह से इन्तजाम कर दिया जाये तो जितने नलकूप बेकार पड़े हैं, उनके ठीक होने से पूरे बिहार में खेती का इन्तजाम ठीक से हो सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है बिहार में भोजपुर जिला है—भोजपुर जिले में 485 सरकारी बोरिंग हैं और इन 485 में से केवल 76 ही चलते हैं, बाकी सारे के सारे खराब पड़े हैं। उनमें कहीं नाला नहीं है, कहीं कोई और चीज नहीं है या खराब है—इस तरह से सारे के सारे बेकार पड़े हैं। अगर भोजपुर जिले के इन सारे बोरिंग को ठीक कर दिया जाये तो भोजपुर जिले के लोगों को दूसरे जिलों में खाने और कमाने के लिये नहीं जाना पड़ेगा। इससे देश में जो बेकारी की समस्या इतनी बढ़ी हुई है, वह भी हल हो जायेगी। अगर सिंचाई का इन्तजाम ठीक से हो जाये तो बेकारी की समस्या भी हल हो सकती है। अगर यह काम नहीं किया जायेगा तो केवल बेकारी भत्ता देने से ही काम चलने वाला नहीं है। हमारे यहां जिस समय अंग्रेजों का राज था और हम आजाद नहीं हुए थे, उस समय भोजपुर और रोहतास के अलावा तीन जिले और थे—इन पांच जिलों की स्थिति खराब देखते हुए अंग्रेजों ने सोन नहर का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने अपने दस्तावेज में लिखा था कि यह नहर 100 वर्ष पानी दे सकती है, 100 वर्ष के बाद इसकी हालत खराब हो जाएगी। सन 1864 में इस नहर का निर्माण शुरू हुआ था और सन 1874 में इससे पानी मिलना शुरू हुआ था। 1974 तक इसको बने हुए 100 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस नहर के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया गया है न बिहार सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और न केन्द्र सरकार ध्यान दे रही है। इसके अभाव में 5 जिलों के किसान भुखमरी की कगार पर हैं और 22 लाख एकड़ जमीन रेगिस्तान बनने जा रही है अगर इन 5 जिलों के किसानों को जिंदा रखना है तो सोन नहर को पक्का करना बहुत आवश्यक है। इससे 5 जिलों के किसान खुशहाल हो जाएंगे, और 28 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसके आधुनिकीकरण में 15 रुपए खर्च आएगा, 5 जिलों के किसानों को जिंदा रखने के लिए, किसानों को खुशहाल बनाने

के लिए इस नहर का आधुनिकीकरण करना बहुत आवश्यक है। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो वहां का किसान चुप नहीं बैठेगा, वहां का किसान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि सोन नहर को पक्का बनाने का प्रावधान आठवीं पंचवर्षीय योजना में अवश्य किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। वहां का किसान चुप बैठने वाला नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में खेती का अच्छा इंतजाम हुआ है, इसके बावजूद अभी वहां पर बहुत जमीन पड़ती है, बहुत सी जमीन में पानी का इंतजाम नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि का अधिक विकास हुआ है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार को भी नजरअंदाज न किया जाए। बिहार में सब कुछ होते हुए भी वहां की हालत खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के किसानों की ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इसमें किसानों को बहुत तकलीफ होती है। यदि दस हजार लोन लेना होता है तो उसमें एक हजार रुपए किसान को रिश्वत के रूप में देना पड़ता है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने तो यहां तक कहा था कि जितना पैसा यहां से जाता है उसका 85 प्रतिशत विचौलिए खा जाते हैं और 15 प्रतिशत ही जनता तक पहुंच पाता है। आज भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी सिर्फ 15 प्रतिशत भाग ही किसानों-मजदूरों तक पहुंच पाता है, बाकी का 85 प्रतिशत बिचौलिए खा जाते हैं। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को कर्ज देने की ऐसी प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जिससे रिश्वत से उसको छुटकारा मिल सके और किसान की हालत सुधर सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि ओला पड़ता है या अधिक बारिश होती है या सूखा पड़ता है, इसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं में किसान की फसल बरबाद हो जाती है, लेकिन अफसरान कहते हैं कि रिलीफ कोड में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि इसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाए। मैं भारत सरकार से कहता हूं कि रिलीफ कोड में अमेंडमेंट करके इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि ओला पड़ने, अधिक बरसात होने, सूखा पड़ने या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय में किसान को उचित मुआवजा दिया जा सके। कई बार आग लगने से फसल नष्ट हो जाती है, इन सारी बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके लिए रिलीफ कोड में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। अगर किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों की हालत बद से बदतर होती जाएगी।

अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सोन नहर का आधुनिकीकरण किया जाए, किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए कि ऋण प्राप्ति के लिए रिश्वत न देनी पड़े, प्राकृतिक आपदाओं में अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाए, इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया गया।

5.00 म०प०

श्री जोरावर राम (पलामाउ) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जल और खेती का सांमजस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में जमीन कम है और जनसंख्या अधिक है जबकि रूस,

[श्री जोरावर राम]

अमेरिका आदि देशों में जमीन अधिक है और जनसंख्या कम है। हिन्दुस्तान में जमीन पर जनसंख्या का भार बढ़ गया है, इसको देखते हुए जल का जितना अधिक उपयोग खेती के लिए किया जा सके, उतना करना चाहिए, लेकिन इन 42 वर्षों में यह काम जिस गति से होना चाहिए था, उस गति से नहीं हो सका है।

सिंचाई के बारे में लोक सभा में एक बार चर्चा के दौरान कहा गया था कि जिस तरह से इजराइल आदि देशों में पहाड़ी क्षेत्रों में पानी को लिफ्ट करके सिंचाई के काम में लाया जाता है, उसी तरह से हिन्दुस्तान में भी पहाड़ी क्षेत्रों में पानी को लिफ्ट किया जाना चाहिए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार कई राज्यों में बनी तो सरकार ने लिफ्ट करके जमीन को पानी देने का काम किया। बिहार में हजारों लिफ्ट इरीगेशन की स्कीमें हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में मैं बिहार में मंत्री था। 6 महीने के अन्दर वहां पानी देने का काम किया गया। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि हम दो-तीन साल में पूरे खेतों को पानी देने का काम करेंगे। छोटा नागपुर जो पठारी भाग है वहां पानी नहीं दिया जा सका। सब लिफ्ट इरीगेशन की स्कीमें खराब हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि लिफ्ट इरीगेशन की जो स्कीमें बन्द पड़ी हैं, खराब पड़ी हैं उन्हें चालू किया जाए। सारे देश में ऐसी स्कीमों को सुधारने का काम किया जाए।

मेरे क्षेत्र में 1970 में कोयल नदी पर डैम बन रहा था। पलामू जिले के जितने प्रतिनिधि हैं, पक्ष के हों या विपक्ष, उन्होंने एक स्वर से विरोध किया कि जो डैम बन रहा है वह न बने। क्योंकि उस जिले को इससे फायदा नहीं है। सरकार ने फैसला किया कि वहां पर औरंगा, अमानत और कनहर, जितनी नदियां हैं उन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो साढ़े चार अरब रुपये पलामू जिले को मिले ताकि चारों नदियों पर काम शुरू हो जाए। वह सरकार चली गयी, दो वर्ष के बाद पैसा डायवर्ट करके तत्कालीन मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र उत्तर बिहार में ले गए और वह पैसा वहीं खत्म हो गया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल पर आधारित जो पन-बिजली है इसकी ओर ध्यान दिया जाए। जो कनहर नदी है वह समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है। मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में अपनी तरह की यह पहली नदी होगी जो इतनी ऊंचाई पर होगी। उस पर काम चालू होने से 400 मैगावाट बिजली भी पैदा होगी। 1977 में साढ़े चार अरब रुपये मिले थे, लेकिन उसके बाद इस पर काम शुरू नहीं किया गया। औरंगा नदी पर 12 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस योजना में इसे नहीं लिया गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि औरंगा नदी पर तथा मानत और कनहर नदी पर तत्काल काम शुरू किया जाए। छोटा नागपुर जो पठारी भाग हैं, वहां गरीब लोग रहते हैं, उनको कुछ फायदा हो सके।

5.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय, पलामू में 400-500 किसान फटे-हाल में है वस्त्र अधिकांश के बदन पर नहीं हैं और वे खाली बैठे रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिन किसानों के पास 10-20-25 हजार एकड़ जमीन हैं और वे हल पर हाथ नहीं रखते हैं, जमीन के मालिक हैं, जो लोग हल जोतते हैं, जिनको जमीन से प्यार है और जमीन पर काम करना चाहते हैं, उनको जमीन मिलनी चाहिए। जिससे अनाज की ज्यादा पैदावार हो सके।

गया जिले में बिन्देश्वरी दुबे के समय में अशोक कुमार सिंह डी० सी० थे। वहां पर 35

हजार एकड़ फर्जी जमीन बांट दी गयी थी । पलामू में 25 हजार एकड़ जमीन रखने वाले भी किसान हैं, हमारे जो ग्रामीण मंत्री हैं, वर्मा जी, इन्होंने आन्दोलन किया कि गया जिले में यह गलत बात की गयी है, फर्जी जमीन बांटी गयी है, इन्होंने लाठियां भी खाई और जेल भी गए। अशोक कुमार सिंह ने 25 हजार एकड़ जो जमीन बांटी गयी थी, फर्जी तौर पर बांटी गयी थी उसको रद्द करने का काम किया। इस तरह के जो अफसर हैं, मंत्री हैं जो फर्जी बंटवारा करते हैं, किसानों को रुलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सजा देने काम होना चाहिए। 25 हजार एकड़ जो फर्जी जमीन बांटी गयी थी उसको खत्म किया गया । लेकिन जब यह काम शुरू हुआ था, जिस किसान के पास 3-4 एकड़ जमीन थी उसको भाईयों में बांटने का काम बिन्देश्वरी दुबे ने किया। भाई आपस में एक-दूसरे पर डण्डा चलाने लगे, फौजदारी के केस भी हुए और लगभग 5 करोड़ रुपया कोर्ट-कचहरी में खर्च हुआ। जो उनका प्यार था उसमें भी दरार पड़ गयी।

5.02 म०प०

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी पीठासीन हुए]

हमारे पलामू में 31 लाख 36 हजार एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें से केवल 67 हजार एकड़ जमीन को पानी मिल पाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उत्तरी कोइल जिससे बिजली निकलने की बातें चल रही हैं उसका पानी पलामाउ में मिलने वाला नहीं है अत: उस कोइल से जो नहर निकले उसको लिफ्ट करके उसका पानी पलामाउ एरिया में दिया जाए। आज बिहारमें सबसे ज्यादा ग्रसित लोग पलामाउ में हैं जो कि नक्सलवादी कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में वे दलित लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता है और साहूकार लोग गांवों में उनकी जमीन हड़प लेते हैं। वे लोग कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते हैं और इस तरह से उनको अपनी जमीन से दर-किनार किया जाता है। गांवों में साहूकार लोग और बड़े लोग फर्जी मुठभेड़ कराकर उनको मार देते हैं। इसलिए उनकी जमीन को नौवीं शिड्यूल में डालकर बड़े लोगों की जमीनें उन गरीब लोगों को देने का काम करें जिससे वहां नक्सलवादी की समस्या खत्म हो। आज पलामाउ जिले में 5-6 रुपए की मजदूरी पर उन्हें काम करना पड़ता है। आप जान सकते हैं कि इतने रुपये से कोई कैसे अपना निर्वहन कर सकता है। इसीलिए वे लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बम्बई में जाकर मजदूरी करते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो उसको आप जल्दी से जल्दी दूर करें और पलामाउ के लोगों को वहीं काम की सुविधा दें। मेरे जिले में डीजल पम्प, बिजली पम्प आदि का बांटने का काम हुआ था, लेकिन बिजली उनको पिछले चार वरस से नहीं मिली है। इस पर भी उन पर टैक्स लगा दिया और उनको आज भी बिजली के बिलों का भुगतान करना पड़ता है। इससे हमारे किसानों की कमर टूट गई है। बिहार में आज 320 मैगावाट बिजली पैदा होती है और वह पूरे बिहार में कहीं आती है और कहीं पर नहीं आती है। जबकि आज बिहार को 500 मैगावाट बिजली की जरूरत है। मेरा आपसे निवेदन है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी पन-बिजली योजनायें हैं चाहे जापान से या अमरीका से साहायतार्थ हों उनको जल्दी पूरा किया जाये। क्योंकि पन-बिजली पर पैसा भी कम लगता है और यह बड़ी उपयोगी होती है। इसलिए आप अपने अधिकारियों से कहें कि इस प्रकार की जितनी भी देश में योजनायें हैं उनका अध्ययन करके इनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। इससे हम हिन्दुस्तान के सब लोगों को बिजली दे सकेंगे। क्योंकि आज बिजली के बिना न खेती हो सकती है और न ही उद्योग चल सकते हैं।

[श्री जोरावर राम]

मेरे यहां ईख ज्यादा होता है। लेकिन वहां कोई चीनी मिल नहीं है। पाटन इलाके में जहां ज्यादा ईख होती है आज चीनी की किल्लत है। इसलिए पाटन इलाके में चीनी फैक्टरी खोलने का काम करें जिससे वहां के किसानों को लाभ मिले। चाहे सरकार मिल खोले या को-आपरेटिव के द्वारा खोले, लेकिन चीनी फैक्टरी खोलने का काम सरकार अवश्य करे। वहां पर छतरपुर एक प्रखण्ड है, मैं दस साल पहले वहां जाता था तो यही देखता था कि साहूकारों और सामन्तशाही के लोगों द्वारा वहां के गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया जाता है। एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने वहां पर लछमनिया भुइन है उसकी अपनी जमीन है, लेकिन उन्होंने उसकी जमीन को सामन्तशाही लोगों के साथ मिल कर जबर्दस्ती हड़प लिया और उस पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और वहां से हटने का नाम नहीं लेते हैं। इसी तरह से पलामाउ में और छोटा नागपुर तथा अनेक ऐसे जिलों में सामन्तशाही के लोगों द्वारा गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे होने की कई घटनायें हैं। ये लोग आज भी गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा जमाये हुये बैठे हैं।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप जमीन का बंटवारा ठीक ढंग से नहीं कीजियेगा तो इस सरकार पर जो विश्वास लोगों ने रखा है, गरीबों ने और किसानों ने रखा है, वह टूट जायेगा। इसलिए यह जरूरी है कि जितनी अधिक भूमि बड़े किसानों या जमींदारों के पास है, उसको लेकर उन भूमिहीन किसानों को देने की व्यवस्था करें जो हल जोतना जानते हैं और हल पर हाथ रखना जानते हैं, उनको देने की कोशिश करें ताकि वे उस पर खेती कर सकें और अपना गुजर बसर कर अपना जीवन यापन ठीक से करते रहें।

बस, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : सभापति महोदय, मैं अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कड़गम की ओर से दो शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, यह खेद की बात है कि इस सरकार ने मतदाताओं को यह आश्वासन दिया था कि 10 हजार रुपये तक के ऋणों को माफ किया जाएगा पर इस वचन को पूरा नहीं किया गया। गरीब किसानों में घोर असंतोष है और वे खुले तौर पर अपने इस निर्णय के प्रति दुःख व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी सरकार का चुनाव किया जिसने झूठे वादे किए। इसके कारण कृषि सम्बंधी कार्यों के प्रति उनका मनोबल और भी कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में गिरावट आई है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अपने आश्वासनों को शीघ्र लागू करे। अगले सप्ताह जब वित्त विधेयक पर चर्चा होगी। इस सम्बन्ध में एक घोषणा की जानी चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान बाजार में कपास की भरमार के कारण इसके मूल्यों में भारी गिरावट की ओर और इसके कारण उत्पादकों को हुई भारी क्षति की ओर भी दिलाना चाहता हूं। सरकार को उत्पादकों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि अगले सत्र में कपास के उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े जैसा कि जनता सरकार के दौरान गन्ने की पैदावार पर पड़ा। महोदय, पैरम्बलूर में कपास की भारी पैदावार होती है। मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग गरीब हैं और समाज के दलित वर्ग से हैं। यदि पैरम्बलूर में सूत कातने की मिल स्थापित की जाती है तो इससे इस क्षेत्र के औद्योगी-

करण में निश्चय ही सहायता मिलेगी। सूत कातने की प्रस्तावित मिल पैरम्बलूर में कहीं पर भी विशेषकर वाली कंडापुरम या नेरकूनम में स्थापित की जाए।

महोदय, पैरम्बलूर के निकट प्रेंबूर में जवाहरलाल नेहरू शुगर फैक्ट्री है। इस कारखाने के लिए गन्ना 50 कि० मी० तक की दूरी से लाया जाता है। सेन्दुरई और इसके आस-पास के इलाकों में गन्ने का भारी उत्पादन होता है और यदि सरकार सन्दुरई में ही चीनी की मिल की स्थापना करेगी तो इससे चीनी के उत्पादन की लागत में भारी कमी आएगी। इतना ही नहीं, इससे सहस्रों गरीब किसानों और दलित लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इससे सड़कों आदि की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

मैं इस अवसर पर सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह एक ऐसा कानून बनाए जिससे खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी सुनिश्चित हो। यह चालू अधिवेशन में ही होना चाहिए। मैं सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि संविधान की नौवीं अनुसूची में कुछ भूमि सुधार कानून सम्मिलित किए गए हैं। जब तक कृषि मजदूरों को उन्हें मजदूरी देने के सम्बन्ध में कोई संवैधानिक गारंटी नहीं दी जाती है तब तक इस प्रकार का शोषण जारी रहेगा। एक व्यापक फसल बीमा योजना भी तैयार की जानी चाहिए और सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। समाचारपत्रों में यह समाचार आया है कि एक राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई जा रही है। ऐसी नीति में निश्चय ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू भी सम्मिलित होने चाहिएं जिनसे भूमि सीमा नियमों को और सख्त बनाया जाए जिनका जमीदारों द्वारा अभी भी बेनामी खातों के अंतर्गत उल्लंघन किया जाता है।

मैं सरकार द्वारा व्यवहार्य राष्ट्रीय जल नीति तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब किए जाने की निंदा करता हूं। बहुत समय से कावेरी को गंगा के साथ मिलाने की बात चल रही है या तो आप इनको मिला लीजिए अन्यथा इस बात को केवल बकवाद समझकर छोड़ दीजिए। आप युगों तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तेलुगु-गंगा परियोजना जिसका उद्घाटन स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने पुराची थलैवर डा० एम०जी०आर० और एन०टी० आर० जो क्रमशः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री थे में हुए समझौते के पश्चात् किया था, अब खटाई में पड़ी है। केन्द्रीय सरकार के पास पर्यावरण संबंधी अनुमति देने के लिए यह अभी विचाराधीन है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस माननीय सदन को इस परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। इस परियोजना को गम्भीरतापूर्वक लागू किया जाए ताकि मद्रास नगर के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बहुत से भागों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को एक निर्णय और आदेश दिया था कि न्यायाधिकरण नियुक्त करके कावेरी नदी जल विवाद का निपटारा कराया जाए। यह विवाद बहुत समय से वाद विवाद का केन्द्र बना रहा है। लगभग 25 वर्ष बीत गए हैं और कोई समझौता नहीं हुआ है। यह बात उल्लेखनीय है कि देश के उच्चतम न्यायालय ने द्र०मु०क० सरकार की गम्भीर आलोचना की है कि इसने 1974 में इस विषय पर एक याचिका वापस ले ली। यह द्र०मु०क० सरकार पर एक अत्यन्त गम्भीर आरोप है जो इस समय राज्य में सत्ता में है। उन्होंने तमिलनाडु की जनता को निरन्तर धोखा दिया है। उन्होंने वीरानम परियोजना द्वारा लोगों को धोखा दिया है। अब न्यायालय ने यह बात व्यक्त की है कि द्र०मु०क० सरकार द्वारा याचिका वापस लेना

[श्री ए० अशोकराज]

तमिलनाडु की जनता के हित में नहीं है। यदि द्र०मु०क० सरकार को जनता के प्रति कर्त्तव्य की कोई भावना है तो नैतिक आधार पर उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए और जनता से नया शासनादेश प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इसी वीरानम परियोजना का पहले कई बार जनता द्वारा विरोध किया गया है।

यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि हमने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कालोनियों समेत सभी ग्रामों को पेय जल उपलब्ध नहीं किया है। पैरम्बलूर में पेयजल का अत्यधिक अभाव है। कावेरी अथवा कोलिडैम से पैरम्बलूर क्षेत्र तक पानी लाने के लिए एक विस्तृत योजना बनानी है ताकि पैरम्बलूर क्षेत्र में तुरैयूर, पैरम्बलूर और आडियालूर के तालुकों को लाभ हो।

उप्पीलापुरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जो मेरे पैरम्बलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, एक जल प्रपात है जिसका नाम पुलियांचोलई जल प्रपात है। इस जल प्रपात का पानी नष्ट होता है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को इस जल प्रपात पर बांध बनाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जल प्रपात के पानी को सिंचाई और पीने के काम में लाया जा सके। मैंने कई बार ऐसा कहा है। वर्ष 1977-79 के दौरान भी जब मैं यहां संसद सदस्य था, मैंने इस पुलियांचोलाई जलप्रपात के संबंध में कहा था; किंतु मैं नहीं जानता हूं कि क्या सरकार इस बात की ओर गम्भीरता से ध्यान दे रही है या नही।

छः दशक पूर्व वेलर नदी के ऊपर थोजुदुर के पास एक पुल का निर्माण किया गया था। पुल के दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। इसमें से नहर के दाहिने ओर से ओगालूर तालाब में पानी जाता है जो मेरे पैत्रिक ग्राम पैरम्बलूर तालुक, जिला त्रिची में है और नहर के बायें ओर से दक्षिण आर्कट जिले में पानी वेलिंगडन जलाशय में जाता है।

दोनों नहरों की विस्तृत मरम्मत और नई मिट्टी लगाने की आवश्यकता है। ऑगलर तालाब और वेलिंगटन जलाशय की भी मरम्मत एवं सफाई की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार को इस उद्देश्य के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त की जा सकती है ताकि दोनों जिलों में पानी की समस्या को समाप्त किया जा सके।

मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि छोटे तालाब उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि गांवों में न केवल पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सके। इस बारे में एक व्यापक परिदृश्य में विचार किया जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह यह न कहे कि ये विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है क्योंकि हम अक्सर प्रत्येक गांव में देखते हैं कि वहां पीने के पानी की कमी है। मैं जो यह अनुभव करता हूं कि यदि हम पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम भविष्य में लोगों का सामना नहीं कर सकेंगे। सरकार को इस समस्या को समझना चाहिए और जो कुछ सम्भव हो, करना चाहिए।

मैं आशा करता करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपने मंत्रालय की मांगों पर मतदान के लिए सदन से अनुनय करने से पूर्व मेरी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में सदन में अनेक बार चर्चा हुई है और हमारे यहां गुजरात में, खासतौर से सौराष्ट्र क्षेत्र में बार-बार सूखा पड़ता है जिससे अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। विशेषकर पीने के पानी की समस्या, खेती की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पेड़ों का नाश होता है और सागर के किनारे वाला क्षेत्र नमकीन पानी का हो जाता है। लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर भागना आरम्भ कर देते हैं। कृषि के ह्रास के साथ-साथ व्यापार और उद्योग में भी गिरावट आती है। पीने का पानी टैंकरों के माध्यम से दूरदराज से लाना पड़ता है। इसलिए वह बहुत महंगा पड़ता है, फिर भी पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वह जरूरत के हिसाब से आधा भी नहीं मिलता है, इसके लिए जो रास्ता टैंकरों से पानी पहुंचाने का निकाला है, इसमें भारी भ्रष्टाचार होता है। हमारे जामनगर में 684 गांवों में से 500 से ज्यादा गांवों में 1987-88 में टैंकरों से पानी पहुंचाया गया। मेरा कहना यह है कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए कायमी तौर पर योजना बनाने की जरूरत है। जब हमारे देश में राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे, तब हमारे सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त करने की कोई कोशिश नहीं की गई। आज भी जब सरकार बदल गई, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। आज भी वही हाल है, टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि पीने के पानी का कायमी तौर पर बंदोबस्त किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, जब सूखा पड़ता है, तो जो हमारे सौराष्ट्र क्षेत्र के बड़े-बड़े किसान हैं, जिनकी 100 बीघे से भी ज्यादा भूमि है, उनकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। वे सरकार द्वारा लगाए गए काम पर चले जाते हैं और मात्र पांच रुपए में सुबह से शाम तक, पसीना-पसीना होकर भी काम करते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं रहता है। इस कृषि प्रधान देश में किसानों को धरती मां का लाल कहा जाता है, लेकिन इसी देश में सौराष्ट्र में जब सूखा पड़ता है, तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सूखे के कारण सौराष्ट्र में पशुओं को भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ता है तथा 9 लाख पशुओं में से 4 लाख पशुओं को घर से बाहर निकालना पड़ता है। उनको खाने के लिए, पीने के लिए पानी, कुछ नहीं मिलता है। एक समय ऐसा भी पीछे आ गया था, जब सूखे के कारण सब्जियों के भाव बहुत बढ़ गए थे, किन्तु मटन एक रुपए किलो मिल जाता था। इसका कारण यह था कि पशुओं को काट दिया जाता था। हर घर में मुर्दा पशु मिल जाता था। मगर सौराष्ट में पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया था। मेरी मांग है कि हमारी नर्मदा मैय्या, जो गुजरात के लिए जीवन-दायिनी है, उसका पानी सौराष्ट्र तक पहुंचाया जाए। कृषि के बारे में, किसानों के बारे में यहां बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, किसानों की उपज के ज्यादा दाम मिलने की बात यहां बहुत जोर-जोर से की जाती है। किसानों की उपज में सब्जियां और मसाले भी आ जाते हैं। सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लहसुन ज्यादा तादाद में पैदा होता है। एक साल तो यह हाल हुआ कि किसान को एक बोरी लहसुन के 1700 रुपए मिले और अब हालत यह है कि एक बोरी लहसुन के उसको 170 रुपए मिल रहे हैं। इतने कम दाम दूसरे साल लहसुन के हो जाएं और फिर आप किसानों को अच्छी कीमत देने की बात कहें, तो यह कहां तक ठीक बैठती है। राज्य सरकारें कहती हैं हमें किसानों को आगे ले जाना है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके एक साल तो 1700 रुपए मिलें और दूसरे साल 170 रुपए मिलें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि लहसुन के बारे में सेंट्रल

[श्री चन्द्रेश पटेल]

गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और उसकी खरीद करनी चाहिए और विदेशों में भेजने की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। इसकी वजह से उत्पादन बढ़ेगा और इसे विदेशों में भेजने से हमारी सरकार को 200 से 300 करोड़ रुपए तक फारेन एक्सचेंज में मिल सकते हैं और आज जो किसानों के सामने परेशानी है, उससे भी उनको राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, जब हमने चुनाव लड़ा, तो जनता दल, बी० जे० पी० या कोई भी दल हो, सबने बड़ी-बड़ी बातें की थीं कि किसानों का दस हजार रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। अब हमारी सरकार बन गई और जब हम अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाते हैं, तो लोग हमसे यही कहते हैं कि आपने वायदा किया था, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ है बल्कि इससे किसानों को और समस्या पैदा हो गई है क्योंकि किसानों को बैंकों से नया ऋण मिल नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि अभी तक उनके नाम पर पुराना कर्जा चढ़ा हुआ है : इसको हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। जहां तक सबसिडी की बात है, यह बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत बार सुना है कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए पचास प्रतिशत हम गांवों में खर्चा करेंगे मगर जब सबसिडी की बात आती है तो कभी वहां किट्स दिए जाते हैं दो किलो, पांच किलो का, छोटी-मोटी खाद को थैली जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मेरी मांग है कि जो सबसिडी दी जाती है वह सबसिडी खाद पर सीधी दी जाए, खाद सस्ता होगा, जो फैक्ट्री खाद बनाती है उनको सीलिंग में अच्छा रहेगा, ज्यादा खाद से अन्न का उत्पादन भी बढ़ेगा। सौराष्ट्र के ओखा से लेकर मोखी मौलवी तक जो सागर का किनारा है, वह नमकीन हो जाता है, पेड़ों का नाश हो गया है, फौरेस्ट्री का नाश हो गया है, इसकी वजह से सागर का पानी आगे बढ़ रहा है, खेती टूट रही है। जहां सोर्स है वहां पर बांध बांधा जाए और पीने का पानी, खेत का पानी, नर्मदा और छोटी-मोटी नदियों को बांध कर व्यवस्था कराई जाए। इतना कहकर मैं विनती कहता हूं कि मेरी बात को बड़ी समस्या समझकर कुछ किया जाए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं पहले मिनिस्ट्री आफ वाटर रिसोर्सेस के बारे में दो-चार बात कहूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे स्टेट में जल का भंडार इतना ज्यादा है कि उसका शायद 20 प्रतिशत भी हमारे काम में लग नहीं पाता है। यदि सही ढंग से इसको काम में लगा पाते तो सात तरह का फायदा मिलता। आप बाढ़ को रोक सकते थे, कटाई बन्द होती, सूखा बन्द होता, ईरीगेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, इसके जरिए फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जितनी भी नदियां हैं जो आज लगभग सिल्टेड होकर पूरी बन्द हो रही हैं, यदि उसको साफ करवा दें तो नेवीगेशन बढ़ेगा और इसकी वजह यह होगी कि रोड ट्रांसपोर्ट पर जितना खर्च है, वाटर ट्रांसपोर्ट पर उसका 1/10 खर्चा है। इसको सही ढंग से काम में लगाया तो प्राईस राईस जो, बढ़ रहा है उसमें भी थोड़ी सी लगाम लगा पाएगे। पावर जनरेशन होगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री होगी, उस इलाके में छोटे-बड़े लघु उद्योग आप बना सकेंगे। यदि ये छः प्वाइंट पूरे हो गए तो ओटोमैटिकली सातवां प्वाइंट इम्प्लायमैंट जनरेशन होगा। आज देश में एक तरफ पूर्वी यू० पी०, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहां के लोग सैलाब में डूब रहे हैं, दूसरी तरफ सीकर जहां से कृषि मंत्री चुनकर आए हैं, सीकर स्टेशन पर जो वाटर सप्लाई का टैंक लगा है उस पर लिखा है : "पानी भी सीमित, परिवार भी सीमित" कितनी दर्दनाक और शर्मनाक यह बात है। राजस्थान में यह हालत है।

अब मैं फ्लड के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा और 1983-89 तक इससे जो नुकसान हुआ उसके आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। इस दौरान फ्लड एफेक्टिड एरिया 904.23 लाख हैक्टेयर था, डैमेज आफ हाऊसिज एक करोड़ 30 लाख 75 हजार, कैटल लॉस 6 लाख 30 हजार, डैमेज आफ पब्लिक यूटिलिटी नियर एबाउट 9 करोड़ और क्रॉप डैमेज 20 हजार करोड़ हुई है। इन सात सालों में आपके मंत्रालय ने जो कुछ खर्च किया उससे बहुत ज्यादा नुकसान आपको हुआ है।

इसके अलावा इन सात सालों में 12,378 इन्सान मारे गये हैं। लोकतंत्र में हर इन्सान की जिन्दगी की कीमत बराबर होनी चाहिये। लेकिन अजीब सी बात हम यहां देख रहे हैं। अगर आरिफ साहब के प्लेन से गिर कर कोई मर जाता है तो उसके लिये 5 लाख मुआवजे के तौर पर होते हैं, जार्ज फर्नान्डीज जी के रेल एक्सीडेंट से कोई मारा जाये तो उसके लिये दो लाख, टैरारिस्टों के हाथों कोई मारा जाये तो एक लाख रुपये, भागलपुर के रॉयट्स में कोई मारा जाये तो उसके लिये एक लाख रुपये और दूसरी जगहों में रॉयट्स में कोई मारा जाये तो उसके लिये 20 हजार, कोई हरिजन मारा जाये तो उसके लिये 10 हजार और रास्ते में रोड एक्सीडेंट में मारा जाये तो उसके लिये 5000 रुपये आप उन्हें देते हैं। क्या मैं कोटाड़िया साहब से जान सकता हूं कि इसमें आपके मंत्रालय का कितना कोटा है। बाढ़ में जो आदमी मारे जाते हैं, उनको आप कितना मुआवजा देते हैं।

इरोजन से हर साल लगभग आठ हजार हैक्टेयर जमीन खत्म हो रही है और 60 हजार मीट्रिक टन टॉप सॉयल भी बरबाद हो रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हर साल 36 मीट्रिक टन फूड प्रोडेक्शन घट रहा है।

अब मैं अपने जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे जिले में जो आफत पैदा कर रखी है उसका नाम फरक्का बैराज है। रौंग प्लानिंग की वजह से पद्मा, गंगा, भागीरथी, बैरक और जलंघि नदी में काफी कटान है। वहां लगभग 30 लाख हैक्टेयर जमीन खत्म हो गई है। गये साल में भगवान गोला ब्लाक टो के 6 गांव खत्म हो गये हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि जो नदी बंगलादेश और भारत के बीच की सीमा रेखा पर थी, वह पूरे भारत के अन्दर आ गई है। इसको लेकर कुछ झगड़ा भी पैदा हो गया है। किसानों को हम पट्टा देते हैं लेकिन फसल काटने के समय बंगलादेश के लोग उनसे वह फसल मांगते हैं। इसके कारण इंटरनेशनल बार्डर डिसप्यूट उठ खड़ा हुआ है। मैं कोटाड़िया साहब से इस बारे में कुछ निवेदन करूंगा तो मुझे मालूम है कि वह कहेंगे कि यह स्टेट सबजैक्ट है। मेरा कहना यह है कि वह स्टेट सबजैक्ट नहीं है। यह तो इंटर-नेशनल बार्डर डिसप्यूट हो गया है। इस कारण वह स्टेट सबजैक्ट नहीं हो सकता है। इस बारे में आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अजीब तरीका बना हुआ है कि जमीन कटने पर तो वह कहती है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का सबजैक्ट है लेकिन अगर जमीन के नीचे से कोयला, सोना और हीरा मिलता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लपक जाती है और कहती है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इस सिलसिले में आप कुछ कीजिए। मैं इसके लिये आपसे पैसा नहीं मागूंगा। मैं अपने जिले की तरफ से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप कम से कम मेरे जिले में आयें। उनमें मैं रहूंगा, मेरे दूसरे साथी कमल जायनल अबेदिन जो कि इस सदन के सदस्य हैं, और कामरेड नौनी भट्टाचार्य, जो मेरी स्टेट के इरीगेशन मिनिस्टर थे, आज एम० पी० हैं आप रहेंगे, आप देखिये क्या हाल हो गया है, लालगोला के पास जो फाजिलपुर है, जहां पदमा से भागीरथी की दूरी सिर्फ एक किलोमीटर है लेकिन वहां भी कटान है। पदमा नदी में 27 लाख

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

क्यूसेक पानी बह रहा है और भागीरथी को कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 40 हजार क्यूसेक है, अगर यह दोनों मिल गईं और 40 हजार क्यूसेक के रास्ते में 27 लाख क्यूसेक पानी भी आना शुरू हो गया तो मेरे जिले मुर्शिदाबाद, नदिया जिले के शान्तिपुर से कल्याणी तक का इलाका मिट्टी से बिल्कुल समाप्त हो जायेगा।……

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को राज्य सभा में जाना है अत: उनके वक्तव्य के बाद आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

5.36 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान, जिसका प्रभाव आन्ध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा तमिलनाडु और पांडिचेरी के कुछ भागों पर हुआ, से उत्पन्न स्थिति

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : महोदय, मैं बंगाल की खाड़ी में आये भीषण तूफान आने की वजह से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में, सदन की आज्ञा से एक विवरण देना चाहता हूं। मैं इस संबंध में बहुत जागरूक हूं कि समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थितियों तथा मुख्यत: आन्ध्र प्रदेश के तटीय भागों में एवं कुछ सीमा तक तमिलनाडु और पांडिचेरी के कुछ भागों में इसके बाद के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में माननीय सदस्यों को काफी चिन्ता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार-शनिवार (4-5 मई, 1990) की अर्ध-रात्रि को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दाव पैदा होने जो शनिवार अर्थात 5 मई, 1990 के भारतीय समय के अनुसार प्रात: 8.30 बजे मद्रास के दक्षिण पश्चिम के 600 कि० मी० पर केन्द्रित था, के बारे में जानकारी दी थी। समुद्री तूफान की गति आरंभ में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर थी और यह आशा थी कि वह तेज होकर गंभीर समुद्री तूफान में बदल जायेगा तथा तमिलनाडु में केडेलूर तथा आन्ध्र प्रदेश में नेलोर के तट को पार कर जायेगा। तथापि समय के साथ इस तूफान ने अपना रुख उत्तर की ओर बदला और तमिलनाडु और पांडिचेरी से गुजरते हुये कल रात को पार करके आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जो मचलीपट्टनम के 40 कि० मी० दक्षिण में है, को पार कर गया। इस तूफान के धीरे-धीरे कम होकर उत्तर दिशा की ओर गतिमान हो जाने की आशा है। इस दौरान आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुयी। 200-220 कि० मी० प्रति-घंटा की रफ्तार से तेज हवायें चलीं और नौरमल एस्ट्रोनोमिकल टाईडल लेबल से पांच मीटर की ऊंचाई तक समुद्र में उफान आने की पूर्व सूचना दी गई थी जिससे आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम, गुन्टुर, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी तथा पूर्वी गोदावरी जिलों के नीचे के तटीय क्षेत्रों में पानी भर जाने की संभावना है।

तूफान से अधिकतर प्रभावित क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिले गुन्टुर, प्रकासम, कृष्णा, पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी हैं। तूफान और भारी वर्षा के फलस्वरूप रेल और सड़क मार्ग में

बाधा आई है और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को क्षति पहुंची है । प्रभावित क्षेत्र में संचार प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है । राज्य सरकार द्वारा अभी पूरा अनुमान लगाया जाना है और ब्यौरों के मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

तूफान की चेतावनी मिलने के तुरन्त बाद ही संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकार से सम्पर्क किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे जन-जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम से कम करने के लिए सभी पूर्वोपाय करें । कृषि और सहकारिता विभाग में कार्य कर रहे "क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप" द्वारा केन्द्र में स्थिति की बारीकी से मानिटरिंग की जा रही है । केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग/एजेंसियां राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है ताकि क्षतिग्रस्त संरचनाओं जैसे सड़क, पुल, बिजली सम्प्रेषण तारों, रेल की पटरियों आदि को जल्द से जल्द ठीक करके पुनः चालू किया जा सके । जब कभी भी राज्य सरकारों द्वारा थलसेना, नौसेना और वायु सेना की सहायता की मांग की गई है तो उन्हें इस प्रकार की सहायता मुहैया की गई है।

आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के तटवर्ती जिलों के निचले क्षेत्रों से लगभग 1.5 लाख लोगों को हटाया गया है । 201 राहत शिविर खोले गए हैं जहां खाने की व्यवस्था की गई है। अब तक आन्ध्र प्रदेश के प्रभावित जिलों में घरों के ढह जाने से 22 मौतें होने और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र तथा तमिलनाडु सरकार से बिजली के करंट लग जाने की वजह से क्रमशः दो और एक मौत होने की सूचना मिली है।

माननीय सदस्य इस बात को नोट कर सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने समय पर चेतावनी देने सहित तैयारी के उपाय शुरू किए हैं, नहीं तो जीवन तथा सम्पत्ति की बहुत ज्यादा हानि होती।

नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 1.4.90 से लागू राहत व्यय की वित्तीय सहायता की संशोधित योजना के अनुसार आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों को आपदा राहत निधि के अन्तर्गत क्रमशः 86 करोड़ रुपये तथा 39 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-योजना अनुदान के रूप में दी जाएगी। वित्त मंत्रालय इस निधि को बनाने तथा इसकी कार्य पद्धतियों का ब्यौरा तैयार करने के लिए कार्यवाही कर रहा है । राज्य सरकारें आवंटित निधि में से 'राहत' कार्य कर सकते हैं। संशोधित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को पूरा अधिकार दिया गया है कि वे किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इन निधियों में से खर्च करें । यदि किसी राज्य सरकार को साधनोपाय समस्या है तो वह साधनोपाय अग्रिम की निर्मुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध कर सकता है, जिसे बाद में आपदा राहत निधि के चालू होने पर इसमें समायोजित किया जा सकता है।

मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार स्थिति पर पूरी निगरानी रख रही है और कृषि तथा सहकारिता विभाग में आपदा प्रबंध दल स्थिति का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से बैठक कर रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई सहायता उन्हें दी जा रही है । समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सभी सम्भव सहायता देना हमारा प्रयास होगा। उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री ने आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के मुख्य

[श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा]

मंत्रियों को पहले ही संदेश भेज दिये हैं, जिनमें उन्होंने आवश्यकता होने पर राज्य सरकारों को पूरी सहायता देने का आश्वासन भी दिया है।

5.40 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

जल संसाधन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय—(जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हुसैन जी, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : सभापति महोदय, मैं कृषि के बारे मे कह रहा था। कृषि की सबसे बड़ी शर्त है भूमि-सुधार। पिछली सरकार ने भूमि सुधार के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होता। सही काम करने के लिए सही नीयत की जरूरत है। पोलिटिकल-बिल में अगर कोई खोट है तो काम नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने एक छोटा साधारण पेश करूंगा। भारत में जितनी जमीन है, उसका चार प्रतिशत पश्चिम बंगाल में है। जो वैस्ट-लैंड भारत सरकार ने पकड़ी है, पश्चिमी बंगाल में उसका छठा भाग है। जो जमीन बांटी है, पश्चिमी बंगाल में उसका पांचवा भाग है। जो बेनिफिशरीज सारे भारत में हैं, उसके एक-तिहाई पश्चिम बंगाल में है। शैडूयल्ड कास्ट और शैडूयल्ड ट्राइब्स को जो जमीन बांटी है, वह पचास प्रतिशत मेरे बंगाल में मिली है—यह है पोलिटिकल विल। इसके साथ मैंने बटाईदार के नाम भी 13 लाख और 90 हजार दर्ज कराए। इसका नतीजा यह हुआ है हर साल वहां फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आप फैमिली प्लानिंग के बारे में कहते हैं, जिनके आठ-दस बच्चे हैं, वह बाप अपने सब बच्चों पर सही ध्यान नहीं दे सकता है, जिसके कि एक लड़का है और यदि उसको सर्दी-जुकाम होता है तो वह डाक्टर के पास जाता है। यही स्थिति जमीन की है, अगर सही किसान हो और उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, तो वह हर वक्त अपनी जमीन के ऊपर ध्यान रखेगा और उसकी फसल भी ज्यादा होगी। बिहार और यू०पी० में बाण्डेड लेबर के बारे में भी कहा जा रहा है। यह बंधुआ मजदूर को आपने लेबर मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दिया है। अगर यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ रहता तो अच्छा होता। आपने बोण्डेड लेबर को, बंधुआ मजदूर को जमीन का टुकड़ा नहीं दिया। इसका नतीजा हो रहा है कि बोण्डेड लेबर अपने पुराने मालिक के पास जाने में मजबूर है। आप उसे जमीन नहीं दे रहे हैं इसलिए वह पुराने मालिक के पास जा कर के गिड़गिड़ा रहे हैं कि हुजूर हमें काम दो।

कोआप्रेटिव्ज पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादियों के हाथ को ही मजबूत करना है। लेनिन ने कहा था कि फिर भी कोआप्रेटिव्ज की जरूरत है। इसलिए है कि इनके जरिये से लोग इकट्ठे होंगे वे पूंजीवाद को तोड़ने में काम आयेंगे। आज देश में कोआप्रेटिव्ज चल रही हैं। कहते हैं कि दुनियां में सबसे ज्यादा कोआप्रेटिव्ज हमारे यहां हैं। हमारे यहां 15 करोड़ कोआप्रेटिव्ज के मेम्बर हैं और

हमारे यहां साढ़े तीस लाख कोआप्रेटिव्ज हैं ? लेकिन हकीकत में ये कोआप्रेटिव्ज किस के हाथ में हैं ?

मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा । गांव-गांव में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोआप्रेटिव्ज हैं ये 1970 में दो लाख होंगी । ये घटकर 1984 में 93,496 और 1987-88 में घटा कर के आपने इन्हें 75 हजार कर दिया । दो लाख से घट कर इनकी संख्या 75 हजार हो गयी । दूसरी तरफ को-आप्रेटिव शूगर मिल्स हैं, वीविंग मिल्स हैं, आयल मिल्स हैं । ये कोआप्रेटिव मिल बन रही हैं । हकीकत में ये कोआप्रेटिव्ज कुछ मुट्ठीभर लोगों की हैं जो अपने परिवार के लोगों को ले करके इनका सारा फायदा ले जाते हैं ।

आपके सामने मैं आंकड़े पेश करता हूं । एन० सी० डी० सी० है । वह किसे पैसा देते हैं ? गांव-गांव में आदिवासियों की जो 'लेम्पस' सोसायटीज हैं उनके लिए उन्होंने 19.14 करोड़ रुपया रिलीज किया । दूसरी तरफ प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए उन्होंने 586-78 करोड़ रुपया रिलीज किया । शूगर मिल्स के लिए उन्होंने 87.58 करोड़ रुपया रिलीज किया । आप जानते हैं कि हमारे देश में जितना शूगर का प्रोडक्शन होता है उसका 57.5 परसेंट प्रोडक्शन कोआप्रेटिव्ज में होता है ।

आपके सामने वीविंग मिल्स के भी आंकड़े देता हूं, 130 कोआप्रेटिव्ज वीविंग मिल्स चलते हैं । उनमें से 108 वीविंग मिल्स 55 करोड़ का कपड़ा बाहर भेजते हैं 55 करोड़ का । कैसे ये कोआप्रेटिव्ज पूंजीवादियों के हाथ में जा रही हैं । राईस मिल्स के बारे में आपको सुन कर हैरानी होगी । आपने 690 को लाइसेंस दिये । उनमें से 195 आज तक बनी ही नहीं और 113 बंद पड़ी हैं । मेरे यहां पश्चिम बंगाल के बर्दवान में कोआप्रेटिव्ज राईस मिल के लिए कांग्रेसी वर्कमेन को जो पैसा दिया गया उससे आज तक मिल बना ही नहीं । वे लोग बिल्कुल पैसा खा गये । को-आप्रेटिव्स गांव के गरीब आदमी के लिए होना चाहिए और उनको सारा पैसा दिया जाना चाहिए ।

आप एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसायटीज में ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए । आप ज्यादा से ज्यादा पैसा गांव गांव में कोआप्रेटिव्ज बनाने के लिए दीजिये । लेकिन ये आयल मिल, शूगर मिल वाले सारा का सारा पैसा खा जाते हैं । तो मैं नयी सरकार से उम्मीद करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान देगी । आपने अपने इलैक्शन मेनीफेस्टों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेकारों के लिए आपने बहुत वादे किए हैं, आपकी पोलीटिकल विल सही है, इस दिशा में आप कदम उठाएं, अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की आम जनता का समर्थन आपको मिलेगा । लेकिन अगर आपने पहले की सरकारों की तरह गलतियां कीं, उसी दिशा में चलने की कोशिश की, भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश नहीं की तो नतीजे बुरे होंगे, लोगों ने आपके आश्वासनों पर, आपके वादों पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास को ठेस लगेगी ।

इतना कहते हुए, आपने मुझे बोलने का काफी समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

5.51 म०प०

कार्य-मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल मलिक (अलीगढ़) : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

5.51½ म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

जल संसाधन मंत्रालय
और
कृषि मंत्रालय—जारी

[हिन्दी]

श्री हीरा भाई (बांसवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज एग्रीकल्चर और जल संसाधन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, हमें अभी तक महसूस हो रहा है कि सिर्फ तस्वीर बदल गई है, लोगों की तकदीर बदलनी अभी बाकी है। लोगों की तकदीर बदलने का काम अभी नहीं हो रहा है। मुर्गी उड़ गई, उसकी जगह आकर दूसरी मुर्गी बैठ गई, लेकिन दड़बा वही का वही है। अगर यही हालत रही तो बड़े-बड़े मंत्री और नेता लोगों को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हम लोगों की हालत बुरी होने वाली है। हम लोग जब देहातों में जाएगें तो हमारी बहुत पिटाई होने वाली है। हमें वहां की जनता जिंदा नहीं रहने देगी। अगर यह सरकार उसी पुराने घिसे-पिटे ढर्रे पर चलती रही तो हमारी पोजीशन भविष्य में बहुत बुरी होने वाली है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को जनता के साथ चलना होगा। हमें सबसे पहले जनता का ध्यान रखना होगा। तमाम पार्टियों से मेरा यही निवेदन है। हमें पुराने ढांचे को बदलना होगा।

आज जब टैक्सों की बात होती है, कोई कहता है कि टैक्स ठीक बढ़ाए गए हैं, कोई कहता है कि टैक्स बढ़ाना ठीक नहीं है, टैक्स बढ़ाने से हमारे यहां लोगों की कमर टूट गई है। अब ये दोनों बातें चलने वाली नहीं। अगर विकास करना है तो टैक्स बढ़ाना होगा तथा ईमानदारी से हमको चलना होगा। आज बजट में युद्धस्तर पर भूमि सुधार और सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। चाहे आकाश बांधों या पाताल तोड़ो, हर खेत को 12 मास पानी की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो दुनियां की कोई ताकत हमारी हालत को सुधार नहीं सकती। आज केवल लोगों को मूर्ख बनाकर

काम चलने वाला नहीं है। आज श्री वी० पी० सिंह किसकी बात सुनें, किसकी बात न सुनें, कोई किसी बात पर अड़ जाता है, कोई किसी बात पर अड़ जाता है। लेकिन आज अगर यही चलता रहा, अगर हमारे ऐशो-आराम पर ही पैसा खर्च होता रहा तो हम देश की जनता का विकास नहीं कर सकते। देश में असेंबलियां और पालियामेंट इस काम के लिए नहीं बनी है, जनता की सेवा करने के लिए बनी हैं, आज हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमें त्याग करना पड़ेगा, त्याग से साथ-साथ कंट्रोल भी करना पड़ेगा। आज कोई नाराज हो जाता है, कोई खुश हो जाता है, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो, इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, तभी जाकर हम देश को विकास के रास्ते पर बढ़ा सकते हैं और जनता की सेवा करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मैं तीन महीने से देख रहा हूं कि सिर्फ अखबारों में ऐडवरटीज-मेंट देने के लिए लोग उतारू हैं। एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यह देख रहे हैं कि अखबार में उनके बारे में आया है या नहीं। अखबारों में अपना नाम लाकर अपनी भावना पूरी कर लेते हैं। इस बारे में आपको विचार करना होगा तभी जाकर हम खेती का उत्पादन बढ़ा सकेंगे और पानी की व्यवस्था कर पायेंगे। वर्ना यह तो खाली ढकोसला करना और लोगों को ड्रामा दिखाना है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप लोगों ने, हमारे देश की सरकार ने यदि किया है तो टी० वी० का किया है, घर-घर में टी० वी० लगा दिया है। अगर यही पैसा कारखानों में लगाते तो देश का कल्याण हो सकता था। पता नहीं कौन सी दुनियां की सभ्यता को अपना रहे हैं। आज हमें शर्म आती है कि हमारे राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में गांवों में 75 परसेंट जमीनों पर पानी नहीं हैं। आप कहेंगे यह राज्य का विषय है। सभापति महोदय, राज्य का विषय तो जरूर है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सरकार भिखारी है, राजस्थान सरकार के पास एक धेला भी नहीं हैं। अब आपको क्या करना है या तो उनको खुला छोड़ दो कि चोरी करो और जिन्दा रहो या फिर उनके लिए पैसों की व्यवस्था करो। उनको अनुदान नहीं, कर्जा दो। अगर आप देंगे तभी वे कुछ न कुछ करेंगे। अगर नहीं देंगे तो वे क्या करेंगे। आज पानी की व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार के साथ किसी न किसी ढंग से एग्रीमेंट करके आपको पैसा देना होगा। पिछले चार महीने से हम चिल्ला रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं कि अच्छी योजना बनाइये, योजना को सफल बनाइये और पुरानी रूप-रेखा बदलो। लेकिन सब खोखले नारे लगाते हैं, राजस्थान में एक पैसा भी नहीं पहुंचाया। जून का महीना आ गया है, उसके बाद वर्षा हो जाएगी उससे कौन से नदी-नाले भरेंगे। थोड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हम अपने आपको समझें और जिम्मेदारी से काम करें तभी जाकर हम विकास कर सकते हैं। यदि ऐसी बातें सिर्फ वोट लेने के

6.00 म०प०

लिए आप और हम करते रहेंगे तो इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे कांग्रेस वाले चले गए हैं, वे हाथ-मुंह धोकरे तैयार रहेंगे कि इनको फेल करो, हम वापिस आ जाएं। नयी पीढ़ी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उस समय हमारी क्या हालत होगी। अपने को थोड़ा जिम्मेदार व्यक्ति समझ कर हमें निर्णय करना है तभी अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम कोई-न-कोई रास्ता निकाल सकेंगे। किसानों के पास चार-चार एकड़ जमीन है, लेकिन पानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से वे लोग कर्जा लेने के बाद थोड़ा-बहुत कमा पाते हैं। जब मालूम पड़ेगा कि जानवरों ने खानी शुरू कर दी है फिर वह फसल काटना शुरू करते हैं। फसलों के लिए समय पर कीटनाशक दवायें नहीं मिलती हैं। आप तो सब जानते हो, धोती में सब नंगे हैं इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए इसकी जिम्मेदारी हम को स्वयं को लेनी होगी भगवान पर यह नहीं छोड़ सकते। चाहे आप को-

[श्री हीरा भाई]

आपरेटिव से करें या छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर करें लेकिन करें अवश्य, तभी जाकर छोटे उद्योगों को हम पनपा सकेंगे और कृषि में ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे। जो नदी-नाले हैं इनको बांध दो तो पानी वहीं रहेगा और वहां की जमीन में सिंचाई हो सकेगी। पहाड़ी एरिया में कुएं खोदकर लोग अपनी जमीनों की सिंचाई कर सकेंगे। लेकिन हम केवल नारे ही लगाते जायें और करें कुछ नहीं तो इससे काम चलने वाला नहीं है और मुझे विश्वास नहीं कि इससे हम कृषि में उन्नति कर पायेंगे। आप भी रहने वाले नहीं हैं, हम भी रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा काम कर जायें जिससे देश में खुशहाली आये और देश का लोकतंत्र चलता रहे तो अधिक उपयुक्त होगा। वरना लोकतंत्र के रास्ते में रोड़े बिछायेंगे तो बहुत मुश्किल हो जायेगी और जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। अगर यह काम हम न कर सकें और समझें कि इसके बाद मिलिटरी का राज आ जायेगा तो वह भी 80 करोड़ लोगों की भलाई ऐसे नहीं कर सकेगी, उनके लिए भी दिक्कत आयेगी। गरीब को कुचलने की उसको भगाने की नीति से काम चलने वाला नहीं है। जैसे कैंसर की बीमारी होती है उसका कीड़ा लग जाये तो पूरे शरीर को 'बर्बाद' कर देता है उसी तरह से हमारे देश में यह कैंसर का कीड़ा लग रहा है उसको रोकने की और उसका इलाज करने की आवश्यकता है। हमें इस देश के किसानों के हितों को ध्यान रखना होगा तभी यह सरकार चलेगी। अगर हम पुलिस वालों को बुलाकर उन पर गोलियां चलायेंगे उन्हें कुचलेंगे और जेल में डालेंगे तो पचास प्रतिशत से ज्यादा जो इस देश में ऐसे लोग हैं वे आन्दोलन करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें गैर जिम्मेदारी से नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमें गैर जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे शासन चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं अधिक बात न कहते हुए आप से अपील करूंगा कि हमारे यहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही सूखे जिले हैं और बांसवाड़ा से माही डैम का पानी गुजरात में चला जाता है और उसका हमारे यहां उपयोग नहीं हो पाता है। इससे हमारे यहां अगल-बगल के तमाम क्षेत्र सूखे रह जाते हैं। हमारे यहां पहाड़ी एरिया में बिजली की व्यवस्था करके लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था कराई जाये जिससे वहां के किसानों की एक जमीन भी सूखी नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और किसानों की भलाई के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि थोड़ा सांस ले लो, अगर विकास के काम में लगना चाहते हो फिर ठीक है नहीं तो हमारा भी वही हाल होगा जो पिछली सरकार का हुआ है। हम केवल थोथे नारे ही लगाते रहेंगे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमें मिलकर और एक टोली बनाकर काम करना चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो नहीं तो हमारी भी हालत बुरी होगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वहां चाहे लिफ्ट इरीगेशन से या डीप इरीगेशन से पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाये। इसमें माही डैम से पानी दिया जाये। यदि आपने पचास हजार रुपया भी मंजूर किया तो उसका सही उपयोग किया जाये नहीं तो नीचे के कर्मचारी उसको खा जायेंगे। इस प्रकार लाला के घर ताला— कुछ नहीं होगा। यदि काम नहीं किया गया तो आप मर जायेंगे, सभी लोग चले जायेंगे? फिर काम कैसे होगा? खाने वाले खा जायेंगे, और कुत्ता पेशाब करता रहेगा। यह हालत होने वाली है। इसलिए दोस्तों, कोई न कोई जिम्मेदारी निभाकर देश के विकास में जुट जाओ और जुटे ही रहो, इसी से इस देश का भला हो सकता है।

बस इतना कहकर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा कल, 11 मई, 1990 के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.07 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 11 मई, 1990/21 वैशाख, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867, चीरा खाना, दिल्ली-110006